

सेवा – उन्नत तकनीक सह HI-TECH SERVICE



संस्पर्श – आत्मीय HIGH TOUCH DELIVERY

निदेशक मंडल / Board of Directors



बायें से दायें - श्री विनिल कुमार सक्सेना, श्री सुधीर कुमार जैन - कार्यकारी निदेशक, श्री सुदर्शन सेन, श्री पी. श्रीनिवास - कार्यकारी निदेशक, श्री आलोक निगम, श्री एस.एस.मूंदड़ा - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी, श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव, श्री अजय माथुर, श्री राजीव सेखर साहू, श्री सत्य देव त्रिपाठी, श्री वी.बी.चव्हाण, श्री रंजन धवन - कार्यकारी निदेशक

Left to Right - Shri Vinil Kumar Saxena, Shri Sudhir Kumar Jain - Executive Director, Shri Sudarshan Sen, Shri P. Srinivas - Executive Director, Shri Alok Nigam, Shri S. S. Mundra - Chairman & Managing Director, Shri Surendra S. Bhandari, Shri Maulin A. Vaishnav, Shri Ajay Mathur, Shri Rajib Sekhar Sahoo, Shri Satya Dev Tripathi, Shri V. B. Chavan, Shri Ranjan Dhawan - Executive Director



महाप्रबंधक / General Managers

आर. के. बंसल	R. K. BANSAL
जे. रमेश	J. RAMESH
वि. एच. थत्ते	V. H. THATTE
एस. के. दास	S. K. DAS
सुभाष सी. आहुजा	SUBHASH C. AHUJA
आर. एस. सेतिया	R. S. SETIA
एस. कल्याणरमण	S. KALYANARAMAN
अनिमेष चौहान	ANIMESH CHAUHAN
के. एन. मानवी	K. N. MANVI
के. डी. लाम्बा	K. D. LAMBA
मोहर सिंह	MOHAR SINGH
के. के. शुक्ला	K. K. SHUKLA
अरुण श्रीवास्तव	ARUN SHRIVASTAVA
आर. पी. मराठे	R. P. MARATHE
राजेश महाजन	RAJESH MAHAJAN
जे. डी. परमार	J. D. PARMAR
पी. डी. सिंह	P. D. SINGH
आर. एस. अभ्यंकर	R. S. ABHYANKAR
आर. कोटीश्वरन	R. KOTEESEWARAN
डी. के. गर्ग	D. K. GARG
वी. के. गुप्ता	V. K. GUPTA
के. वेंकट रामामूर्ति	K. VENKATA RAMA MOORTHY
के. पी. खरात	K. P. KHARAT
यू. के. बीजापुर	U. K. BIJAPUR
निर्मेश कुमार	NIRMESH KUMAR
एम. एल. जैन	M. L. JAIN
एम. एम. रेड्डी	M. M. REDDY
अरुण कुमार	ARUN KUMAR
एल. एम. अस्थाना	L. M. ASTHANA
यू. सी. सिंघवी	U. C. SINGHVI
डी. पी. त्रिवेदी	D. P. TRIVEDI
ई. एच. रहिमान	E. H. RAHIMAN
पी. डी. पोटनीस	P. D. POTNIS
डॉ. के. श्रीनिवास राव	Dr. K. SRINIVASA RAO
एन. के. जैन	N. K. JAIN
एस. के. पुजारी	S. K. POOJARY
आर. के. शर्मा	R. K. SHARMA
एन. एन. भालेराव	N. N. BHALERAU
डी. डी. सिंगला	D. D. SINGLA
आर. के. अरोरा	R. K. ARORA
एस. एस. घाग	S. S. GHAG

राजू गुप्ता- मुख्य सतर्कता अधिकारी	RAJU GUPTA - CHIEF VIGILANCE OFFICER
डॉ. (श्रीमती) रूपा नित्सुरे - मुख्य अर्थशास्त्री	DR.(SMT.) RUPA NITSURE - CHIEF ECONOMIST





लेखा परीक्षक / Auditors

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

For Ray & Ray
Chartered Accountants

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For KASG & Co
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वडोदरा 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

तृतीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माध्यापुर, हैदराबाद 500 081.

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Investor Services Department

3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur, Hyderabad 500 081.

विषय सूची / Contents

	पृष्ठ		Page
अध्यक्षीय वक्तव्य	02	Chairman's Statement	09
नोटिस	15	Notice	15
निदेशकों की रिपोर्ट	19	Directors' Report	61
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	99	Report on Corporate Governance	99
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	138	Business Responsibility Report	138
हरित पहल - शेयर धारकों से अपील	161	Green Initiative-Appeal to Shareholders	161
बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण	163	Basel II Pillar 3 disclosures	163
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	179	Key Financial Indicators	179
परिभाषाएं	181	Definitions	181
तुलन-पत्र	182	Balance Sheet	182
लाभ-हानि लेखा	183	Profit & Loss Account	183
नकदी-प्रवाह विवरणी	231	Statement of Cash Flow	231
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	233	Auditors' Report	233
समेकित वित्तीय विवरणियां	236	Consolidated Financial Statements	236
सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण	269	CEO / CFO Certification	270
प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस		Proxy Form / Attendance Slip / ECS	



एस.एस.मूंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रिय हितधारक,

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 13) के दौरान कठिन चुनौतियों एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के बावजूद न केवल सुदृढ़ता दिखाई है बल्कि समग्र कारोबार के स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान भी प्राप्त किया है।

यह उचित होगा कि आरंभ में उस कारोबार परिदृश्य की समीक्षा की जाए जिसके अंतर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने परिचालन किया है।

आर्थिक समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ सर्वाधिक धीमी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 9.2% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में 4.5% तक आधी से अधिक कम हो गई जो 15 तिमाहियों में सर्वाधिक कम है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में तीव्र मंदी घरेलू नीति की अनिश्चितताएं, पूर्ववर्ती मौद्रिक नियंत्रण में अस्थिरता एवं बाहरी मांग में कमी का असर परिलक्षित होता है। कृषि वृद्धि में संतुलन की स्थिति ने वृद्धि की संभावनाओं के साथ-साथ मुद्रास्फीति की आशंका भी व्यक्त की है। यद्यपि, हेडलाइन मुद्रास्फीति (थोक मूल्य सूचकांक आधारित) वित्तीय वर्ष 13 की 7.5-8.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 (मार्च, 2013) की दूसरी छमाही में 5.96% के स्तर पर नियंत्रण में आने से खुदरा (थोक मूल्य सूचकांक आधारित) मुद्रास्फीति, उच्च खाद्य-स्फीति के साथ-साथ दो अंकों के स्तर पर अवरुद्ध रही। वृद्धि के खराब परिदृश्य के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर

अध्यक्षीय वक्तव्य

“ चुनौतीपूर्ण दौर में सुदृढ़ कार्यनिष्पादन ”

और एसएलआर प्रत्येक को 100 आधारभूत अंक तथा सीआरआर को 75 आधारभूत अंक तथापि, क्रमिक रूप में घटाकर वृद्धि-स्फीति सक्रियता को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया।

धीमी वृद्धि के अलावा, भारतीय अर्थ व्यवस्था में गंभीर बाह्य असंतुलन दिखाई दिया जिससे कम निर्यात वृद्धि तथा उच्च तेल एवं स्वर्ण आयात के कारण मूल रूप से कारोबार घाटे के कारण वित्तीय वर्ष-13 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) 6.7% के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। चालू खाता घाटे के उच्च स्तर पर होते हुए भी, बेहतर पोर्टफोलियो एवं ईसीबी आवक के कारण रुपया-डॉलर विनिमय दर वांछित सीमा के अंदर ही रही।

अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी के चलते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा एवं ऋण वृद्धि वर्षभर अपेक्षित स्तर से कम रही। खुदरा मुद्रा स्फीति उच्च स्तर पर रहते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जमाराशियों पर अधिक ब्याज देना पड़ा ताकि स्वर्ण एवं अन्य आकर्षक निवेशों के होते हुए, उनका जमा आधार बना रहे। इसके बावजूद भी वर्ष भर ऋण वृद्धि की तुलना में जमावृद्धि 250 से 300 आधारभूत बिंदु कम रही। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट क्षेत्र से निवेश कम होने तथा परियोजनाओं के रुक जाने के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता की चिंता बढ़ गई जबकि सरकारी क्षेत्र ने वित्तीय अनुशासन की प्राप्ति के लिए अपने खर्चों को सीमित कर दिया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा: चुनौतीपूर्ण दौर में सुदृढ़ता

विषम दीर्घ परिस्थितियों के होते हुए भी आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 में अपने कारोबार को मजबूती प्रदान की तथा वैश्विक कारोबार



के स्तर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में उभरा। आपके बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च, 2012 और मार्च, 2013 के मध्य तक 19.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर से ₹.6,72,248 करोड़ से बढ़कर ₹.8,02,069 करोड़ हो गया।

तथापि, भौतिक आस्तियों के रूप में आकर्षक वैकल्पिक अवसरों के होते हुए भी यह उद्योग के औसत स्तर से अधिक 23.1% के स्तर पर कुल जमाराशियां प्राप्त करने में सफल रहा। इसकी वैश्विक कासा (अल्प लागत) जमाराशियां वित्त वर्ष 2013 में 15.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ कर ₹.1,19,981 करोड़ हो गई हैं। इसमें घरेलू कासा का अंश 30.4% है।

आपके बैंक ने कुल आय में 17.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की शानदार वृद्धि दर्ज की है और यह ब्याज आय में 18.6% की वृद्धि तथा अन्य (गैर-ब्याज) आय में 6.1% की वृद्धि के समर्थन से वित्तीय वर्ष 2013 में ₹.38,827.28 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। सीमित परिनियोजन अवसर होने के बावजूद आपके बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 9.7% (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ कर ₹.11,315.26 करोड़ हो गई।

आपके बैंक ने बड़े एवं मिड कार्पोरेट, एमएसएमई, खुदरा एवं कृषि क्षेत्र को संतुलित ऋण-संमिश्र प्रदान कर अपने ऋण-संविभाग में 14.2% की वृद्धि की है। पूर्व की भांति आपके बैंक का आस्ति गुणवत्ता अनुपात, बड़े आकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वर्ग में सबसे कम रहा। इसका सकल एनपीए 2.40% तथा शुद्ध एनपीए 1.28% रहा।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान उल्लेखनीय औद्योगिक मंदी के बावजूद आपके बैंक का परिचालन लाभ (सकल लाभ) सकारात्मक रहा। यह वित्त वर्ष 13 में 4.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ कर ₹.8,999.15 करोड़ हो गया है। जहां तक शुद्ध लाभ का संबंध है, यह वित्त वर्ष 12 के ₹.5,006.96 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में घट कर ₹.4,480.72 करोड़ हो गया। इसका कारण एनपीए के लिए उच्चतर प्रावधान करना था।

आपके बैंक ने उच्चतर प्रावधान कवरेज अनुपात के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना जारी रखा है। 31 मार्च, 2013 के अनुसार इसका ऋण-हानि-कवरेज-अनुपात अपने समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षाकृत 68.24% के उच्चतर स्तर पर रहा।

पूर्व की भांति, आपके बैंक का विदेशी परिचालन, कारोबार का केन्द्र बिंदु रहा। वित्तीय वर्ष 2013 में बैंक के कुल कारोबार में उसका योगदान 29.4%, परिचालन लाभ में 24.6% तथा मुख्य शुल्क आय में 34.2% रहा।

इसकी समग्र मजबूती में इसकी पूंजी का भी अहम योगदान रहा है। इसका सीआरएआर (बासेल-II) 13.30% तथा 31 मार्च, 2013 को टीयर-I पूंजी 10.13% रही। आपका बैंक अपनी बढ़ोतरी के लिए ही नहीं बल्कि बासेल-III की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से पूंजीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान कार्यनीति पहलें

विदेशी कारोबार

आपका बैंक वर्ष 1953 में विदेशी क्षेत्रों में अपने पांच जमाने के समय से ही विदेशी व्यापार जुटाने के लिए शाखा तंत्र में निरंतर विस्तार

करता रहा है। इस वर्ष डीआईएफसी, दुबई में बैंक के 100 वें कार्यालय का ऐतिहासिक उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने किया। 31 मार्च, 2103 को बैंक के 24 देशों में 100 कार्यालयों के द्वारा परिचालन किया जाता था। इन 100 कार्यालयों में 60 बैंक शाखाएं, इसकी विदेश स्थित सहायक कंपनियों की 39 शाखाएं तथा एक प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं। आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृहद उपस्थिति इसे दुनिया भर में जोखिम-विविधता का उल्लेखनीय लाभ प्रदान करती है। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 में 12 नई शाखाएं/कार्यालय (सहायक कंपनियों सहित) खोले। ये शाखाएं/कार्यालय सिडनी, आस्ट्रेलिया, डीआईएफसी, दुबई, सोहर, ओमान, रोजबेल, मॉरिशस तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा इकाई (ईबीएसयू), डीएमसीसी दुबई में खोली गई हैं। इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मलेशिया में - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है।

आस्ति गुणवत्ता

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत वित्तीय वर्ष-13 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा जिसके कारण ऋण बकायों एवं ऋण चूकों में बढ़ोतरी हुई। इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके बैंक ने अग्रिम खातों में आरंभिक रुग्णता/संभावित चूकों/कमियों को पहचानने के लिए अनेकों पहल कर ऋण निगरानी प्रक्रिया को दुरुस्त किया जिससे कि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। इनमें पात्र मामलों में ऋण चुकौती का पुनर्गठन, स्लिपेज रोकने तथा बेहतर आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने जैसे उपायों का समावेश था। वर्ष के दौरान निधिसहित एवं निधिरहित ₹.10 करोड़ एवं अधिक एक्सपोजरवाले अग्रिम खातों के संबंध में मासिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट (एमएमआर) का प्रारूप आरंभ किया गया। इससे अग्रिमों की त्वरित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हुई एवं समस्याजनक खातों पर यथासमय आवश्यक कार्यवाही करना इसके साथ ही आपके क्रेडिट पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से बैंक ने खातों की त्वरित समीक्षा, नियम एवं शर्तों की अनुपालना, उच्च मूल्य के खातों की क्रेडिट रेटिंग की अपग्रेडिंग आदि का फॉलोअप आरंभ किया है।

लचर आर्थिक परिदृश्य के कारण आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयोजन से आपके बैंक ने एनपीए पोर्टफोलियो की सुदृढ़ मॉनिटरिंग एवं वसूली के लिए प्रचलित परिपाटी को जारी रखा है। आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसने शाखा, क्षेत्र, अंचल तथा कार्पोरेट कार्यालय स्तर पर वसूली एवं क्रेडिट मॉनिटरिंग की विस्तृत संरचना तैयार कर हर संभव प्रयास किए गए। इसके अलावा प्रत्येक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को दैनिक आधार पर विधिक मामलों के फॉलो-अप की भूमिका भी सौंपी गई है ताकि डिफ्टी प्राप्त करने एवं उसके निष्पादन में कम से कम विलंब हो और अधिकतम वसूली प्राप्त हो सके। डीआरटी के सभी दावा दायर एनपीए खातों की वसूली के प्रयोजन से बैंक को प्रभावित आस्तियों को ई-नीलामी के द्वारा बेचा जा रहा है जिससे कि बैंक को प्रभावित आस्तियों का समुचित बाजार मूल्य प्राप्त हो। आपके बैंक ने एन पी ए खातों की वसूली की संभावनाओं का पता लगाने के लिए फॉलोअप तंत्र पर जोर देना जारी रखा है। उच्च मूल्य वर्ग के एनपीए खातों जैसे ₹.25 लाख एवं अधिक के खातों की सीधे ही कार्पोरेट कार्यालय से

मॉनिटरिंग से शाखाओं, एडवोकेटों तथा वसूली एजेंटों आदि के द्वारा पूर्वोपाय करना सुनिश्चित हुआ है।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 13 के दौरान गांव/नगर स्तर पर लोक अदालत एवं वसूली कैंपों का आयोजन कर छोटे खातों की वसूली पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। आपके बैंक ने प्रोत्साहन आधारित वसूली योजना "संकल्प-V" आरंभ की जिससे कि ₹.15 लाख तक के कम मूल्य के बकाया खातों की वसूली के लिए स्टाफ सदस्यों का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹.231 करोड़ से अधिक की संतोषजनक वसूली स्थिति रही।

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए आपके बैंक ने बैंक वेबसाइट पर एक 'ऑनलाइन शिकायतें' का आयकन तैयार किया है जिसके द्वारा शिकायतकर्ता एक सरल एवं सुविधाजनक तरीके से बहुविध चैनलों द्वारा अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही आपके बैंक ने अंचल कार्यालयों के साथ-साथ बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समर्पित कंप्यूटर सिस्टम - एक कियोस्क की स्थापना की जिससे कि ग्राहक अपनी शिकायतें/समस्याएं ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

कार्पोरेट क्रेडिट

मध्यम श्रेणी के कार्पोरेट ऋणियों को त्वरित गति से क्रेडिट प्रदान करने एवं इस क्षेत्र में विशेषीकृत शाखाओं के माध्यम से कारोबार वृद्धि की दृष्टि से बैंक ने एक नया कारोबार वर्टिकल अर्थात मिड कार्पोरेट सेगमेंट आरंभ किया है। मिड कार्पोरेट ऋणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रित कारोबारी दृष्टि के प्रयोजन से आपके बैंक ने (प्रथम चरण में) देशभर में 16 मिड कार्पोरेट शाखाएं खोली हैं। इसका उद्देश्य कार्पोरेट वित्तीय सेवाओं (सीएफएस) के माध्यम से बड़े कार्पोरेट कारोबार तथा मिड कार्पोरेट शाखाओं के माध्यम से मध्यम कार्पोरेट कारोबार प्राप्त करना है, जिससे कि तुलन-पत्र के अंदर एवं तुलन-पत्र के बाहर के कारोबार से प्राप्त आय को अधिकतम किया जा सके।

वित्तीय वर्ष-12 के बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुरूप आपके बैंक ने देश के प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - मैसर्स इंफ्रा डेट लि. का प्रवर्तन किया है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दीर्घावधि डेट फंड प्राप्त करने में सुविधा हो।

खुदरा कारोबार

जमाकर्ताओं को आकर्षक प्रतिफल देने तथा आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) में सुधार लाने के प्रयोजन से आपके बैंक ने 25 फरवरी, 2013 को "बड़ौदा डबल धमाका" नाम से एक मीयादी जमा उत्पाद तैयार किया है जिसके अंतर्गत सात वर्ष, छः माह और 5 दिन के लिए 9.34% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है।

आपके बैंक ने आवास ऋण के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 से बढ़ा कर 70 वर्ष कर आवास ऋण उत्पाद में बड़ा परिवर्तन किया है तथा

ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंडों को सरल बना कर अपने खुदरा पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। इसी के साथ अधिकतम चुकौती अवधि को 25 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष कर दिया है जिससे कि ऋणकर्ताओं को लम्बी चुकौती अवधि प्राप्त होती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि मास्टर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंतर्गत आवास ऋण उधारकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान किया जाए।

एमएसएमई कारोबार

आपके बैंक ने एमएसएमई कारोबार को गति प्रदान करने की दृष्टि से इन्द्रप्रस्थ (नई दिल्ली), आणंद, भोपाल, जूनागढ़ और जालंधर में -5-नई एसएमई लोन फैक्टरी खोली हैं जिससे संपूर्ण भारत में एसएमई लोन फैक्टरियों की संख्या -52- हो गई है। बैंक द्वारा लोन फैक्टरी की शानदार संकल्पना आरंभ करने का प्रयोजन बेहतर गुणवत्तापूर्ण ऋण मूल्यांकन, कार्यान्वयन में न्यूनतम समय तथा बेहतर मात्रा सुनिश्चित करना है जिससे कि आपका बैंक क्रेडिट गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना एमएसएमई लोडिंग बढ़ा सके।

इसके साथ ही एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में बैंक की ब्रांड छवि सुधारने के प्रयोजन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 में कई प्रदर्शनियों एवं सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही बढ़ोतरी पूर्ण क्रास सेलिंग, स्थानीय बैठकें तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कारोबारी संघों (निकायों) का समावेश करते हुए संपूर्ण ग्राहक संबंध विकसित करने के प्रयोजन से बैंक ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एसएमई लोन फैक्टरियों से सम्बद्ध प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग अधिकारियों का ज्ञान एवं कौशल अपडेट करने के लिए आपके बैंक ने बाह्य प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अपने स्टाफ कॉलेज में विशेष पाठ्यक्रम चलाए। बैंक ने एमएसएमई ऋणियों के लिए "ऑनलाइन ऋण आवेदन" आरंभ किया तथा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान भारत भर में विभिन्न उद्योगों से संबंधित क्षेत्र-विशिष्ट कई योजनाओं का नवीकरण किया है। इसने जनवरी-मार्च, 2013 के दौरान एमएसएमई लोन फैक्टरीज़ और शाखाओं को नए कारोबार जुटाने के प्रयोजन से अपना प्रयास दुगुना करने हेतु एमएसएमई उत्सव मनाया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष-13 में ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने की दृष्टि से विभिन्न कार्यनीतियां अपनाईं। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। कृषि अग्रिमों को मजबूत करने के लिए आपके बैंक ने फसल ऋण के अंतर्गत खरीफ एवं रबी जैसे विशेष अभियान चलाए जिसके अंतर्गत क्रमशः ₹.5,284 करोड़ एवं ₹.2,262 करोड़ की राशियों का संवितरण किया गया। निवेश क्रेडिट के अंतर्गत दूसरा अभियान चलाया गया जिसमें ₹.1,096 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया। बैंक ने वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 4,245 ग्राम्य स्तर पर क्रेडिट कैंप भी आयोजित किए और ₹.2,922.48 करोड़ की राशि का संवितरण 2,06,375 ऋणियों को किया। इसने भारत भर में 450 उन विशिष्ट (ग्रुप) शाखाओं का चयन किया जिनका मार्च, 2013 अंत तक कुल कृषि बकाया में 36% योगदान रहा।

इससे अलावा इसने विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की हैं, विशेष रूप से उन स्थानों के लिए जहां कोल्ड स्टोरेज, पॉल्ट्री यूनिट्स, फिशरी इत्यादि गतिविधियों की बहुतायत है। अधिकतम कारोबार प्राप्त करने की दृष्टि से इन योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर, प्रभारों आदि में रियायतें प्रदान की गईं।

आपके बैंक ने कृषि अंतर्गत ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग में शाखाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए स्व-ऋण प्रोसेसिंग तंत्र आरंभ किया है ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यह विशेष रूप से 45 अग्रणी जिलों का दायित्व संभाल रहा है। इसने आधार भुगतान संपर्क तंत्र (एपीबीएस) का परिचालन आरंभ कर दिया है जिसके अंतर्गत आधार नम्बर के अनुसार हिताधिकारियों के खातों में सीधे ही लाभ अंतरित कर दिए जाते हैं। आधार-सक्षम भुगतान तंत्र (एईपीएस) का प्रयोग करते हुए लेनदेनों को मजबूती प्रदान करने के प्रयोजन से, जिसके अंतर्गत किसी बैंक के बिजनेस करोसपोंडेंट के माध्यम से बिक्री केन्द्र अर्थात् पीओएस (माइक्रो एटीएम) द्वारा ऑनलाइन अंतर परिचालनयोग्य वित्तीय लेनदेन की अनुमति प्राप्त होती है, आपके बैंक ने इसे मध्य मई 2013 में परिचालनयोग्य बना दिया है।

आपका बैंक वित्तीय समावेशन के लिए हरसंभव प्रयास करता रहा है। इसने ग्रामीण परिचालन में 170 शाखाएं खोली हैं जिनमें से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 101 शाखाएं उन ग्रामीण केन्द्रों में खोली गईं जहां बैंकों की शाखाएं नहीं थीं। इसने आलोच्य वर्ष के दौरान देश भर में -2695-अल्ट्रा स्माल शाखाएं खोली हैं। मनरेगा लेन देनों के लिए आपके बैंक ने राजस्थान राज्य के सांगानेर ब्लॉक में एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है जिसमें ₹.86.54.676/- की राशि के 9,593 लेन देनों को प्रोसेस किया गया।

आपके बैंक ने एपीबीएस के अंतर्गत 1,31,735 आधारकार्डों को संबद्ध किया और 6,635 हिताधिकारियों को ₹.49,01,659 का क्रेडिट प्रदान किया।

सूचना प्रौद्योगिकी संरचना

वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को लोकप्रिय बनाने के प्रयोजन से आपके बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग अर्थात् बड़ौदा कनेक्ट (रिटेल पोर्टल) के रूप एवं व्यवहार को प्रयोक्ता अनुकूल बनाया है। इसके अलावा आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स के अंतर्गत नई नई सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान अन्य बढ़ाए गए फीचर्स में विभिन्न राज्यों के करों का भुगतान, पश्चिम बंगाल की सरकारी राजस्व प्राप्ति (ग्रिप्स) का एकीकरण, ऋण खातों को क्रेडिट प्रदान करना, बिल भुगतान, प्रधानमंत्री राहत कोष को ऑनलाइन दान, ई-बैंकिंग के माध्यम से

भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, ई-बैंकिंग से त्वरित भुगतान सेवाएं (IMPS) को जोड़ा गया। वर्ष के दौरान आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सभी स्मार्ट फोन्स/टैबलेट्स पर प्रदान कर दी गई है। जिससे इसके ग्राहकों को कहीं-से-भी-बैंकिंग सुविधा का लाभ प्राप्त हो। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा -13- विदेशी क्षेत्रों, यथा-तंजानिया, युगांडा, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, यूएई, फिजी में भी प्रदान कर दी गई है तथा यूके, ओमान एवं घाना में लेन देन आधारित तथा आस्ट्रेलिया में प्रदर्शन (व्यू) आधारित इंटरनेट बैंकिंग प्रारंभ की गई है। आपके बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रदर्शन (व्यू) आधारित इंटरनेट बैंकिंग आरंभ कर दी गई है। इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा एवं भरोसा बढ़ाने की दृष्टि से आपके बैंक ने धोखाधड़ी प्रबंधन तंत्र सोल्यूशन अपना कर सुरक्षा फीचर्स को मजबूत बनाया है जिसमें भारत में दो फैक्टर प्रमाणीकरण तथा विदेशी क्षेत्रों जैसे यूएई, यूके, न्यूजीलैंड, केन्या एवं युगांडा में आरकोट ओटीपी, पुल ओटीपी एवं एसएमएस ओटीपी को सक्षम कर -5- फैक्टर प्रमाणीकरण शामिल किए हैं।

ग्राहकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बैंक ने कई नए कदम उठाए हैं जैसे आयएमपीएस अर्थात् इमीजिएट पेमेंट सर्विस (तुरंत भुगतान सेवा) पर्सन टु अकाउंट (पी2ए) निधि अंतरण, ब्लैकबेरी, एंडराइड, विंडोज के साथ साथ सभी आयफोन तथा आयपैड में मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग की सुविधा, एनयूयूपी (नेशनल यूनिकाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) सुविधा। इसके साथ ही आपका बैंक आयएमपीएस के अंतर्गत पी2एम (पर्सन टु मर्चेन्ट) निधि अंतरण सुविधा भी कार्यान्वित कर रहा है और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका पहला मर्चेन्ट बनाया गया है। आपके बैंक द्वारा विंडोज 8 के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं, युगांडा तथा यूएई आदि में मोबाइल बैंकिंग का कार्यान्वयन भी प्रस्तावित है। आपके बैंक द्वारा बैंक के प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मोबाइल बैंकिंग कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

आपके बैंक के एटीएम स्विच को उच्च वर्सन में अपग्रेड किया गया तथा कई विशेषताओं से युक्त हार्डवेयर अपग्रेडेशन भी किया गया ताकि इसका कार्यनिष्पादन अधिक बेहतर हो, एटीएम संव्यवहार तेज गति से संभव हो तथा एटीएम विस्तार में आसानी रहे। एटीएम स्विच को भारत, यूएई, ओमान, मारीशस, तंजानिया, बोत्सवाना, त्रिनिडाड एण्ड टोबागो तथा न्यूजीलैंड में अपग्रेड किया गया। वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा कई ग्राहक केन्द्रित कदम उठाए गए जैसे रुपये एटीएम कार्ड, रुपये पीओएस एवं रुपये किसान क्रेडिट कार्ड, ब्राउन लेबल एटीएम, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पालिसी धारकों के लिए एटीएम के माध्यम से बीमा प्रीमियम का संग्रहण, एटीएम संव्यवहारों की रसीदें हिन्दी में प्रिंट करना। क्षेत्रीय भाषाओं यथा गुजराती, मराठी तथा तमिल में एटीएम स्क्रीन की सुविधा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए बोलने वाले एटीएम, भारत में स्थित एटीएम/पीओएस में धोखाधड़ी प्रबंधन सोल्यूशन का कार्यान्वयन इत्यादि। आपके बैंक द्वारा बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपये एटीएम कार्ड एवं रुपये केसीसी कार्ड सफलतापूर्वक शुरू किए गए।

सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और पीओएस के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन सोल्यूशन कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा आपके बैंक द्वारा वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से किए गए समस्त संव्यवहारों और ₹.5,000/- और उससे अधिक के समस्त सीबीएस संव्यवहारों हेतु एसएमएस अलर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आपका बैंक बाह्य स्थित अनुप्रयोगों (एस्कटरनल फेसिंग एल्पीकेशन) का वीएपीटी (अतिसंवेदनशीलता आकलन एवं भेदन परीक्षण), ई-बैंकिंग लॉग मानीटरिंग इत्यादि नियमित रूप से कर रहा है। यहां तक कि आपके बैंक ने शाखाओं के लिए शाखा स्तर पर संदिग्ध संव्यवहारों की दैनिक मानीटरिंग के संदर्भ में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की सहायता से सुरक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ किया है।

मानव संसाधन पहलें

आपके बैंक ने बैंक में एक समिश्रित एवं उत्तरदायी मानव संसाधन संस्कृति सृजित करने के लिए संतुलित कार्यनीति अपनाई है, जोकि विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए मौजूदा समय की विभिन्न चुनौतियों अर्थात् व्यापक स्तर पर होनेवाली सेवानिवृत्तियों, बड़ी संख्या में नई प्रतिभाओं के आगमन, व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित उत्तराधिकार एवं उत्पादकता की चुनौतियों का समुचित रूप से सामना कर सके।

इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक मानव संसाधन कार्यनीति एवं संरचना तैयार की गई है जिसे प्रोजेक्ट 'स्पर्श' नाम से एक मानव संसाधन प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरे उद्योग में एक विशिष्ट एवं नवोन्मेषी स्थान रखता है।

आपके बैंक ने प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली के द्वारा भविष्य के लिए अगली पंक्ति का नेतृत्व विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह प्रणाली आगामी 5 वर्षों की संभावित लीडरशिप जरूरतों के अनुरूप संभावनाओं से परिपूर्ण लीडरों की पहचान सुनिश्चित करती है।

आपके बैंक द्वारा विभिन्न स्तरों, कुशलताओं और शाखा स्तरीय मानव शक्ति आवश्यकताओं के आकलन हेतु एक वैज्ञानिक मानवशक्ति आयोजना मॉडल विकसित किया गया है। बैंक ने आगामी कुछ वर्षों के लिए विभिन्न मानव संसाधन कार्यों जैसे भर्ती आयोजना, कैरियर प्रगति, रिक्तियां तथा पदस्थापना/ तैनाती इत्यादि के संदर्भ में रणनीतिपरक कार्यशक्ति आयोजना भी तैयार की है।

बड़ी संख्या में नए भर्ती होनेवाले स्टाफ को यथाशीघ्र उत्पादक बनाने की दृष्टि से आपके बैंक ने "ऑन बोर्डिंग कार्यक्रम" शुरू किया है जिसमें कार्यात्मक तथा सांस्कृतिक स्वरूप दोनों प्रकार के घटकों का समावेश है जिससे वे कार्यदायित्वों के लिए तत्काल तैयार रहें तथा उन्हें बैंक की कार्य-संस्कृति से तालमेल बिठाने में मदद मिले।

एक अन्य प्रमुख नवोन्मेषी कार्य के रूप में आपके बैंक तथा बड़ौदा मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन द्वारा बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग

की स्थापना की गई है जो कि आपके बैंक में बैंकिंग कैरियर अपनानेवाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है, यह फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर उत्पादकता मॉडल पर आधारित है। विद्यार्थियों को एक वर्ष का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है और विद्यार्थियों को बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में समाहित करने से पूर्व उन्हें बैंकिंग एवं वित्त में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करता है।

जोखिम प्रबंधन

सुदृढ़ एवं ठोस वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन तंत्र विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा जोखिमों का उचित रूप से मूल्यांकन और निरंतर मानीटरिंग की जा सके। आपके बैंक के निदेशक मंडल ने एक सुदृढ़ उद्यम-व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को अपनाया है ताकि जोखिमों को निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक सीमित रखा जा सके।

आपके बैंक ने बासल II फ्रेमवर्क में सफलतापूर्वक माइग्रेशन कर लिया है, टीयर I पूंजी की प्रधानता के साथ, बैंक की कुल पूंजी को देखते हुए आपके बैंक को बासल III पूंजी नियमों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

वित्त वर्ष, 13 की प्रमुख उपलब्धियां-

चुनौतीपूर्ण व्यवसाय परिवेश के बावजूद, आपके बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संतोषजनक परिणाम हासिल किए हैं।

- आपके बैंक का वैश्विक व्यवसाय 19.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ मार्च, 2013 के अंत में ₹.8,02,069 करोड़ हो गया इसमें घरेलू व्यवसाय 17.4% की वृद्धि के साथ ₹.5,66,000 करोड़ तथा विदेशी व्यवसाय 24.2% की वृद्धि के साथ ₹.2,36,069 करोड़ रहा।
- मार्च, 2013 के अंत में आपके बैंक का वैश्विक व्यवसाय 23.1% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹.4,73,883 करोड़ रहा। घरेलू जमाराशियां 22.0% की वृद्धि के साथ ₹.3,41,706 करोड़ रहीं, जब कि विदेशी जमाराशियां 26.2% की वृद्धि साथ, ₹.1,32,178 करोड़ रहीं।
- उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद आपके बैंक की कासा जमाराशियां 15.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹.1,19,981 करोड़ रहीं।
- 31 मार्च, 2013 को घरेलू कासा 30.38% रहे।
- मार्च, 2013 के अंत में आपके बैंक के वैश्विक अग्रिम 14.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹.3,28,186 करोड़ रहे जब कि आपके बैंक के घरेलू अग्रिम 11.0% की वृद्धि के साथ ₹.2,24,294 करोड़ रहे। विदेशी अग्रिम 21.8% की वृद्धि के साथ ₹.1,03,891 करोड़ रहे।
- वित्त वर्ष, 2013 के दौरान आपके बैंक का रिटेल ऋण 6.7% (वर्ष-

दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹.38,046 करोड़ रहा जिसमें गृह ऋण 13.5% की वृद्धि के साथ ₹.16,045 करोड़ रहा।

- वित्त वर्ष, 2013 में आपके बैंक का एसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो 30.3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹.44,974 करोड़ रहा जिसमें कृषि ऋण ₹.28,739 करोड़ रहा (विनियामक परिभाषाओं में परिवर्तन के कारण) बैंक द्वारा कमजोर वर्ग को ऋण 7.5% की वृद्धि के साथ ₹.17,045 करोड़ रहा।
- वित्त वर्ष, 2013 में आपके बैंक का परिचालन लाभ ₹.8,999.15 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹.4,480.72 करोड़ रहा।
- आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) आपके बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप 0.90% रहा।
- 31 मार्च, 2013 को पूंजी इंप्यूजन के बावजूद इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 14.59% रहा।
- वित्त वर्ष, 2013 के दौरान आपका बैंक, घरेलू परिचालनों में शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.11% तथा वैश्विक परिचालनों में 2.66% रखने में सफल रहा।
- विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए 31 मार्च, 2013 को आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 68.24% था जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेगमेंट में अपेक्षाकृत उच्च है।
- आपके बैंक की पूंजी सुदृढ़ता 31 मार्च, 2013 को इसके 13.30% सीआरएआर (बासेल II) तथा 10.13% टीयर I पूंजी से प्रदर्शित होती है।
- आपके बैंक का लागत-आय अनुपात वित्त वर्ष 13 के लिए अपेक्षाकृत 39.79% के न्यून स्तर पर बना रहा।
- बैंक का प्रति शेयर अर्जन रु.108.84 तथा इसका प्रति शेयर बही मूल्य ₹.729.69 रहा।

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्त वर्ष, 2013 के दौरान बैंक को विभिन्न व्यवसाय एवं वित्तीय मानदंडों में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए इसमें निम्नलिखित का समावेश है:-

ब्लूमबर्ग यूटीवी फायनांसियल लीडरशिप अवार्ड - बेस्ट पीएसयू बैंक; इन एण्ड ब्राडस्ट्रीट - पोलारिज फायनांसियल टेक्नॉलाजी बैंकिंग अवार्ड; वैश्विक व्यवसाय विकास श्रेणी में बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक - समग्रतः बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक; भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकिंग टेक्नॉलाजी अवार्ड 2011; प्रशिक्षण एवं ई-लर्निंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए - विजेता; श्रेष्ठ ग्राहक संबंध पहले - प्रथम रनर अप; बिजनेस इंटेलिजेंस का श्रेष्ठ इस्तेमाल - प्रथम रनर अप; बैंकिंग में मोबाइल प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ इस्तेमाल - द्वितीय रनर अप; बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट एण्ड सिक्योरिटी इनीशिएटिव -द्वितीय रनर अप, बिजनेस इंडिया बेस्ट बैंक अवार्ड 2012; फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड - बेस्ट सीईओ

पब्लिक सेक्टर, मुंबई; सीएनबीसी टीवी 18 - 'इंडिया बेस्ट बैंक एण्ड फायनेंशियल अवार्ड 2012' - बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक; बेस्ट लार्ज बैंक 2012 - बिजनेस वर्ल्ड नवम्बर 26, 2012; बेस्ट लार्ज बैंक 2012 - बिजनेस टुडे - केपीएमजी - दिसम्बर 2012; स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल द्वारा एर्नाकुलम में दिसम्बर 2012 में बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड; बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द इयर 2011-12; फायनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा "बेस्ट पी.एस.यू." के लिए एफई बेस्ट बैंक अवार्ड 2011-12 से सम्मानित; दिनांक 23.03.2013 को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जरनल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभावशाली बैंक, 2011-12 के लिए नेशनल अवार्ड; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 03 अप्रैल, 2013 को खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नेशनल अवार्ड 2011-12; एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस एण्ड सीएसआर कॉंग्रेस द्वारा कार्पोरेट अफेयर्स अवार्ड समारोह में "स्ट्रेटेजिक कम्यूनिकेशन एण्ड लीडरशिप अवार्ड".

ये, पुरस्कार तथा सम्मान आपके बैंक के श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन को मान्यता प्रदान करते हैं तथापि इनसे हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। टीम बड़ौदा इस बात से अवगत है कि समस्त हितधारक आपके बैंक से अधिक अपेक्षा रखते हैं।

टीम बड़ौदा को इन अपेक्षाओं के साथ जीना है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इन्हे रोमांचक चुनौतियों के रूप में देखते हैं।

भावी योजनाएं

वित्त वर्ष, 2013 में भारी मंदी के बावजूद, वित्त वर्ष 2014 में स्थिति सुधरने की आशा की जानी है वित्त वर्ष, 14 से सामान्य मानसून रहने की आशा है जोकि न केवल कृषि में वृद्धि अपितु उद्योग के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। मूल्यों में कमी जैसी प्रवृत्तियों से वित्तीय स्थितिया सहज होंगी। सरकार द्वारा निवेश में अवरोध को कम करने के लिए उठाए गए कदम तथा निर्यात में स्थिति कमोबेश अच्छी होने से वित्त वर्ष, 2013 की तुलना में वित्त वर्ष, 2014 में आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी।

आर्थिक परिवेश में अनिश्चितताओं के बावजूद आपका बैंक वित्त वर्ष, 14 में भी उत्तरोत्तर व्यवसाय विकास की दिशा में अग्रसर रहेगा। इसे हासिल करने के लिए आपके बैंक द्वारा लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवसाय व्यवहार एवं नैतिक मूल्य संहिता का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा।

आपका बैंक सुदृढ़ तुलनपत्र, अच्छे जमामिश्रण, उच्च पूंजी पर्याप्तता, गतिशील नेतृत्व तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बल पर मजबूत स्थिति में है।

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य एवं कार्यनीति

वित्त वर्ष, 14 के लिए आपके बैंक के ध्येय वाक्य में मौजूदा चिंताओं के समाधान को ध्यान में रखकर बैंक के लिए एक सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि निहित है।

वित्त वर्ष, 2014 के लिए **बैंक टु बेसिक** आपके बैंक का ध्येय वाक्य है। "BASICS" को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि प्रत्येक अक्षर एक महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य को दर्शाता है।

B - बिज़नेस ग्रोथ-व्यवसाय वृद्धि (बाज़ार शेयर को बढ़ाने के लिए)

A - एसेट क्वालिटी - आस्तियों की गुणवत्ता (उच्च रखी जाय)

S - साल्वेंसी एण्ड लिक्विडिटी - ऋणशोधन क्षमता व चलनिधि

(एएलएम के माध्यम से रखरखाव करना)

I - इनोवेशन - नवोन्मेषिता (प्रमुख विभेदक कारक)

C - कस्टमर सेंटीसिटी - ग्राहक केंद्रीयता (प्रमुख घटक)

S - सिस्टम एण्ड प्रोसीजर - पद्धति व प्रक्रियाएं (उपर्युक्त मानदंडों को समर्थित करने हेतु इन्हें लगातार अद्यतन किया जाना चाहिए।)

आपके बैंक ने हाल ही में दो नए व्यवसाय वर्टिकल्स "जमा संसाधन, धन संपदा प्रबंधन एवं मार्केटिंग" तथा "सरकारी व्यवसाय" बनाए हैं।

वर्ष, 14 के दौरान आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय बाधा रहित सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर अपने स्वयंसेवा चैनलों में वृद्धि करने की योजना बनाई है। आपके बैंक द्वारा 3500 अतिरिक्त एटीएम तथा 1500 शाखाओं में कैश डिस्पेंसर प्लस सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क तथा 25000 पीओएस (पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीनें लगाना प्रस्तावित है।

बैंक की, 100 बंच नोट एक्सेप्टर्स, कैश डिस्पेंसरों से युक्त 50 सेल्फ सर्विस 24x7 ई-लॉबीज, कैश एक्सेप्टर्स, चेक डिपोजिट मशीनें, इंटरनेट

बैंकिंग कियोस्क, सेल्फ सर्विस पासबुक, प्रिंटिंग कियोस्क तथा बैंक के संपर्क केंद्रों में हॉटलाइन लगाने की योजना है।

आपके बैंक द्वारा कम लागत वाली कासा जमाराशियों के संग्रहण तथा रिटेल, एसएमई एवं कृषि ऋण को सुदृढ़ करते हुए ऋण संविभाग को संतुलित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आपका बैंक गैर ब्याज बढ़ाने और खर्चों पर विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित रखने की दिशा में प्रयत्नशील रहेगा। इसके अलावा बैंक स्लिपेज को रोकते हुए अशोध्य ऋणों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करेगा।

वित्त वर्ष, 13 में आपके बैंक का अपेक्षापूर्ण स्थिर कार्यनिष्पादन, इसके अंतर्निहित मूल्य, सुदृढ़ता, इसकी सुदृढ़ संतुलित प्रणालियों, प्रक्रियाओं और लोग, इसकी गतिशीलता, ग्राहक विश्वास और स्पर्द्धात्मक शक्ति को प्रदर्शित करता है यद्यपि वित्त वर्ष, 13 में देश भर में नकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्तियां रहीं, आपका बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता पर पकड़ छोड़े बिना निरंतर कारोबार विकास की राह पर अग्रसर रहा।

मुझे पूरा विश्वास है और मैं बैंक की भावी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त भी हूँ कि हम आर्थिक मंदी के इस दौर से निकलकर और अधिक सुदृढ़ होंगे तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं प्रति अधिक उत्तरदाई रहेंगे।

आपके बैंक की इस यात्रा में, मैं आपके सतत सहयोग एवं समर्थन की आशा करता हूँ।



एस.एस.मूंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

CHAIRMAN'S STATEMENT

“A Resilient Performance through Challenging Times”



S. S. Mundra
Chairman & Managing Director

Dear Stakeholder,

I am pleased to report that during the year 2012-13 (FY13), Bank of Baroda not only displayed its resilience to extreme challenges and volatilities in the Indian economy, but also attained the leadership spot in the nationalised banking segment in terms of overall business level.

It is appropriate at the outset to review the business environment within which your Bank operated during the year under review.

Economic Review

During FY13, the Indian economy witnessed the slowest growth in a decade combined with elevated inflation. The real GDP growth more than halved from 9.2% in Q4, FY11 to 4.5% in Q3, FY13 - the lowest in 15 quarters. The sharp slowdown in industry and services reflected several factors including domestic policy uncertainties, lagged impact of earlier monetary tightening and slackening of external demand. The moderation in agriculture growth accentuated the growth prospects as well as inflationary expectations. Though headline inflation (WPI-based) started moderating in H2, FY13, from a range of 7.5-8.1% in first half of FY13 to 5.96% in March 2013, the retail (CPI-based) inflation remained sticky at the double-digit level led by elevated food inflation. Despite the deteriorating growth scenario, the RBI cautiously managed the growth-inflation dynamics by reducing the Repo Rate and SLR by 100 basis points each and CRR by 75 basis points, albeit in a gradual fashion.

Apart from the slowing growth, the India economy witnessed serious external sector imbalance with current account deficit (CAD) touching an all time high of 6.7% in Q3 FY13 on account of growing trade deficit primarily led by subdued exports growth and high oil & gold imports. Notwithstanding the high level of CAD, the rupee-dollar exchange rate remained range bound due to the healthy portfolio and ECB inflows.

Given the all round weakness in the economy, the deposit and credit growth of scheduled commercial banks (SCBs) remained lackluster throughout the year. Given the high level of retail inflation rate, the SCBs had to offer high deposit rates so as to protect their deposit base against a backdrop of attractive gold and other investments. Despite this, the deposit growth lagged behind the credit growth by 250 to 300 bps throughout the year. Additionally, the banks faced heightened asset quality concerns as the corporate sector faced investment slowdown and stalled projects, while the government sector compressed its expenditure to achieve fiscal consolidation.

Bank of Baroda: Resilience through Difficult Times

Despite such adverse macro backdrop, your Bank added further strength to its business during FY13 and emerged as the largest nationalized bank in terms of global business in the Indian banking space. The Global Business of your Bank increased by 19.3% (y-o-y) to Rs 8,02,069 crore from Rs 6,72,248 crore between end-March 2012 and end-March 2013.



Moreover, it managed to garner its aggregate deposits at an above industry average rate of 23.1%, notwithstanding the alternative attractive investment opportunities in the form of physical assets. Its Global CASA (Low-cost) Deposits grew by 15.9% (y-o-y) to Rs 1,19,981 crore in FY13 with the Share of Domestic CASA staying at 30.4%.

Your Bank's Total Income registered a decent growth of 17.3% (y-o-y) and reached the level of Rs 38,827.28 crore in FY13 boosted by 18.6% growth in Interest Income and 6.1% growth in Other (Non-Interest) Income. Despite limited deployment opportunities, your Bank's Net Interest Income (NII) increased by 9.7% (y-o-y) to Rs 11,315.26 crore.

Your Bank managed to grow its credit portfolio by 14.2% with a balanced mix of loans to large & mid corporates, MSME, retail and agriculture sectors. As in the past, your Bank's Asset Quality ratios were the lowest in the large-sized PSU banking segment with Gross NPA at 2.40% and Net NPA at 1.28%.

Your Bank's Operating Profit (Gross Profit) remained in positive growth zone despite a significant industrial slowdown during FY13. It grew by 4.9% (y-o-y) in the year FY13 to Rs 8,999.15 crore. The Net Profit for FY13 was lower at Rs 4,480.72 crore versus Rs 5,006.96 crore in FY12 on the back of higher provisions against the NPAs.

Your Bank continued with its prudent approach of maintaining higher provision coverage ratio. Its Loan Loss Coverage Ratio was at a relatively higher level of 68.24% as on 31st March, 2013, compared to its peers from the PSU banking segment.

As in the past, your Bank's Overseas Operations continued to remain the mainstay of its business. During FY13, they contributed 29.4% to the Bank's Total Business, 24.6% to its Operating Profit and 34.2% to its Core Fee income.

Your Bank's capital strength added to its overall soundness. Its CRAR (BASEL-II) stood at 13.30% and Tier-I capital at 10.13% as on 31st March 2013. Your Bank is well capitalized not only for achieving its growth aspirations but also for achieving capital requirements for BASEL-III compliance.

Strategic Initiatives during FY13

Overseas Business

Since its foray into international arena in the year 1953, your Bank has been consistently expanding the network to tap the business opportunities overseas. This year the Bank's 100th overseas office at DIFC, Dubai was inaugurated by the Hon'ble Union Finance Minister, Government of India to commemorate this historic moment. As on 31st Mar, 2013, the Bank had operations in 24 countries with 100 offices. These 100 offices comprised of 60 branches of the Bank, 39 branches of its overseas subsidiaries and one representative office. Your Bank's wide international presence provides it with significant risk-diversification

benefits across the globe. During FY13, your Bank opened 12 new branches/offices (including those of the subsidiaries). These were opened at Sydney, Australia; DIFC, Dubai, Sohar, Oman; Rose Belle, Mauritius and Electronic Banking Service Unit (EBSU) at DMCC, Dubai. In addition, the Joint Venture Bank in Malaysia – 'India International Bank (Malaysia) Bhd. also commenced operations during the year under review.

Asset Quality

As stated earlier, India entered FY13 faced with a depressed macro-economic environment, which gave rise to the problem of rising delinquencies and loan defaults. To address these concerns, your Bank further stepped up its credit monitoring process by taking several initiatives in identifying the incipient sickness/potential default/weaknesses in the advance accounts for taking corrective actions including restructuring in deserving cases, for prevention of slippages and maintaining good asset quality. The Monthly Monitoring Report (MMR) format in respect of advance accounts with "fund plus non-fund based" exposure of Rs 10 crore and above was introduced during the course of the year. This enabled speedy and effective monitoring of advances and ensured timely action in respect of stressed accounts. Besides, your Bank also initiated follow up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of the credit portfolio.

To address the asset quality concerns due to a fragile economic environment, your Bank continued its practice of rigorous monitoring and recovery of the NPA portfolio. It made all out efforts to maintain the asset quality by laying down a comprehensive structure of recovery and credit monitoring function at the branch, region, zone and corporate office levels. Besides this, the Nodal officers at each DRT (Debt Recovery Tribunal) centre were assigned the role of a follow-up of legal cases on day to day basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution thereof in order to expedite and maximize recoveries. For Recoveries of all DRT Suit filed NPA accounts, the assets charged to the banks are now being sold through E-auction to get a fair market value of assets charged to the Bank. Your Bank continued its emphasis on follow-up mechanism to explore recovery prospects of NPA accounts. The system of monitoring the large value NPA accounts of say Rs 25 lakh and above, directly from the corporate office has ensured proactive action by branches, advocates, recovery agents, etc.

During FY13, your Bank laid specific focus on recovery of small accounts by organizing Lok Adalats and Recovery Camps at village/town level. Your Bank also launched an incentive linked recovery scheme called "Sankalp – V", to enlist personalized attention of each and every staff member in pursuing recovery efforts of small value accounts with an





outstanding up to Rs 15 lakh. The cash recovery made during the year FY13 under the scheme was satisfactory at over Rs 231 crore.

Customer Service

In order to improve the customer service, your Bank introduced an “online complaints” icon on the Bank’s website, wherein the complainants can lodge their grievances in a simple and easy manner through multiple channels. Furthermore, your Bank installed a KIOSK -- a dedicated computer system at all Zonal Offices along with the Bank’s Head Office, to enable the customers to lodge their grievances/complaints on-line.

Corporate Credit

With the purpose to accelerate credit to mid-corporate borrowers and to increase the business in this domain through specialised branches, your Bank set up a new business vertical, i.e., Mid Corporate Segment. In order to have a focused business approach for catering to the valued Mid– Corp borrowers, your Bank opened 16 Mid-Corporate branches (in the first phase) across the country. The focus has been on harnessing Large Corporate business through CFS (Corporate Financial Service) branches and Mid Corporate business through Mid Corporate Branches, thereby maximizing overall earnings from on and off balance sheet business.

In line with the announcement by the Finance Minister in his Budget speech for FY12, your Bank, co-promoted the country’s First Infrastructure Debt Fund – M/s India Infradebt Limited to facilitate the flow of long term debt fund to Infrastructure sector.

Retail Business

In order to offer attractive returns to the depositors and also to improve the ALM (asset-liability) profiles, your Bank introduced Term Deposit Product styled as “Baroda Double Dhamaka” on 25th February 2013 offering an interest rate of 9.34% for a period of seven years, six months and five days.

Your Bank strengthened its retail portfolio by effecting major changes in its Home Loan product by increasing the maximum age from 65 years to 70 years and by easing the eligibility criterion to suit the customer requirements. Also, the maximum period of loan repayment was increased to 30 years from 25 years, thus helping borrowers to lengthen their repayment schedule. It was also decided to offer an insurance cover under the Master Group Personal Accidental Policy for home loan borrowers.

MSME Business

To give a boost to the MSME business, your Bank opened five new SME Loan Factories at Indraprastha (New Delhi), Anand, Bhopal, Junagarh, and Jalandhar – taking the total of SME loan factories to 52 across India. The ‘loan-factory’

model is a pioneering concept introduced by your Bank to ensure better quality of credit appraisal, reduced turn-around time and improved volumes – thereby enabling your Bank to increase its MSME lending without sacrificing the quality of credit.

Moreover, your Bank actively participated in various exhibitions and seminars during FY13 to build brand image of the Bank in MSME financing. Additionally, it organized an Awareness Programme in order to achieve total customer relationship through enhanced cross selling, locational meetings, and involvement of trade bodies at the national and state levels. To update the knowledge and skills of the processing and marketing officers attached to the SME factories, your Bank organized external training plus special courses at Training Centers and its own Staff College. The Bank introduced an “online loan application” for MSME borrowers and renewed a number of area specific schemes pertaining to a variety of industries across India during FY13. It also celebrated the MSME Festival during Jan-Mar 2013 to encourage staff at the SME Loan Factories and branches to re-double efforts at canvassing new business.

Priority Sector

Your Bank introduced various strategies during FY13 to tap the emerging opportunities in rural and agriculture banking, the major ones being described below.

In order to augment agriculture advances, your Bank conducted Special Campaigns viz. Kharif and Rabi campaigns for crop loans under which the disbursements of Rs 5,284 crore and Rs 2,262 crore, respectively, were made. Another campaign for Investment Credit was also launched under which disbursements of Rs 1,096 crore were made. The Bank also organized 4,245 Village Level Credit Camps and disbursed Rs 2,922.48 crore to 2,06,375 borrowers during FY13. It identified 450 Thrust Branches across India to enhance agriculture lending which contributed 36.0% of total Agriculture outstanding as at end-March 2013.

Additionally, it formulated various Area-specific Schemes tailor-made to the local requirements, particularly where there is a concentration of activities like cold storages, poultry units, fishery etc. Suitable concessions in the rates of interest, charges, etc. were allowed under these schemes to garner maximum possible business.

Your Bank also introduced an automated loan processing system for improving the efficiency of branches in processing of loan proposals under agriculture thereby facilitating timely availability of credit to farmers in adequate quantity.

Financial Inclusion

Your Bank has been actively participating in the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme of the government and particularly shouldering this responsibility in its 45 lead districts. It made operational the Aadhaar Payment Bridge



System (APBS) wherein the benefits are transferred directly into beneficiaries' accounts based on the Aadhaar number. This means the government agencies need not maintain bank details and account number of beneficiaries. To further smoothen the transactions by using the Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) that allows online inter-operable financial transactions by PoS (Micro ATM) through the Business Correspondent of any bank using the Aadhaar authentication, your Bank has made it operational by mid-May 2013.

Your Bank continued with full vigour its drive towards Financial Inclusion. It opened 170 branches in rural operations of which 101 were opened in unbanked rural centres during FY13. It established 2,695 Ultra Small Branches across the country during the year under consideration. For MGNREGA transactions, your Bank set up a Pilot Project for Sanganer Block in the state of Rajasthan during the year and processed 9,593 transactions amounting Rs 86,54,676/-.

Under APBS, your Bank linked 1, 31,735 Aadhaar Cards and provided credit to 6,635 beneficiaries amounting to Rs 49, 01,659/-.

Information Technology Structure

With the purpose to encourage alternate delivery channels, your Bank completely revamped its Internet Banking, viz., Baroda Connect (Retail portal) by enhancing its look & feel and promoting the user friendliness. Moreover, your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking channels. Other enhanced features such as Tax payments of various States, Integration of GRIPS (Government Revenue Receipts for West Bengal), Credit to Loan accounts, Bill payments, Online donations to Prime Minister Relief Fund, India Life Insurance premium payment through e-banking, IMPS (Immediate Payment services) through e-banking were added during the year. Your Bank's Internet banking facility was made available on all Smart-phones/tablets offering comfort of anywhere banking to its customers. Internet Banking was also extended to 13 overseas territories viz. Tanzania, Uganda, Kenya, Mauritius, Seychelles, Botswana, New Zealand, UAE, Fiji and by adding transaction-based internet banking in UK, Oman and Ghana and view-based internet banking in Australia during FY13. A view-based e-banking was also provided in all the RRBs sponsored by your Bank. In order to enhance security and confidence in the Internet Banking, your Bank introduced enhanced security features by deploying Fraud Management Solution, including two factor authentications in India and five Overseas territories viz. UAE, UK, New Zealand, Kenya and Uganda by enabling ARCOT OTP, PULL OTP and SMS OTP.

To encourage Bank customers to use Mobile Banking, your Bank added many more features viz., IMPS i.e. Immediate Payment Services Person to Account (P2A) fund transfer, enabling mobile banking application in all i-Phones and

i-Pads in addition to Blackberry, Android, Windows, enabling of NUUP (National Unified USSD Platform) etc. Also, your Bank is in the process of implementing P2M (person to Merchant) fund transfer under IMPS and has acquired India First Life Insurance as the first merchant. Your Bank proposes to enable Mobile Banking application for Windows8, Implementation of Mobile banking in Uganda and UAE etc. Your Bank has also initiated implementation of Mobile banking in its sponsored RRBs.

Your Bank's ATM Switch was upgraded to a higher version along with a hardware up-gradation with many enhanced features for better performance, speedy ATM transactions and ease of ATM expansion during the year. The ATM switch was upgraded for India, UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Tanzania, Botswana, T&T and New Zealand. Many customer-centric initiatives such as implementation of Rupay ATM Cards, Rupay POS and Rupay KCC Cards, Brown label ATMs, Collection of Insurance premium for India First Life Insurance Policy holders through ATMs, ATM Transaction receipt printing in Hindi, Regional Language Screen selection for Gujarati, Marathi and Tamil, Talking ATMs for visually impaired persons, implementation of Fraud Management Solution in ATMs/ POS in India were added during the year. Your Bank could successfully launch the Rupay ATM and Rupay KCC cards for its RRBs also.

To enhance the security features, your Bank implemented Fraud Management Solution for Internet Banking, ATM & POS. Also, your Bank enabled the SMS Alerts delivery facility to its customers for all transactions made through alternate delivery channels and for all CBS transactions worth Rs 5000 and more. Moreover, your Bank is regularly conducting VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) of external facing applications, e-banking log monitoring, etc. Even for the branches, your Bank heightened the security systems by enabling a Fraud Risk Management System for day-to-day monitoring of suspicious transactions at branches.

H. R. Initiatives

Your Bank has adopted a very balanced people strategy to create a composite and responsible Human Resource culture in the Bank that can drive growth and also adequately face various challenges of the current times, viz. the large retirements, massive induction of talent, huge training requirements and challenges of succession and productivity.

A comprehensive HR strategy and Framework has been drawn up to take care of all these challenges in an integrated manner through a focused HR transformation project called Project SPARSH which is unique and path-breaking in the entire industry.

Your Bank has taken a major step to develop the next line of leaders for the future by putting in place a Talent Management System which proactively identifies future potential leaders to cater to the leadership gaps likely to arise in the next five years.





Your Bank has developed a scientific manpower planning model to estimate manpower needs by level, skills and by branch. It has also done a strategic workforce planning for the next few years to feed into various other HR functions like recruitment planning, career progression vacancies and postings/deployment, etc.

In order to make the large number of fresh recruits productive in the quickest possible time, your Bank has initiated a very structured “on-boarding programme” consisting of both functional and cultural components which would enable the persons to be work-ready quickly and also help in their cultural assimilation within the Bank.

Another major initiative is the Baroda Manipal School of Banking jointly taken by your Bank and Manipal Global education to train students for a banking career within your Bank on a “first-day, first-hour” productivity model. The students undergo a focused one-year programme which is tailored to the Bank’s requirements and leads to the award of a post-graduate diploma in Banking and Finance, before they are absorbed in the Bank as Probationary officers.

Risk Management

To ensure sustainable and consistent growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored on a continuous basis. Your Bank’s Board has put in place a robust Enterprise-wide Risk Management architecture so that the risks remain within the risk appetite defined by the Board.

While your Bank has made a successful migration to Basel II framework, with the preponderance of common equity in the tier I capital as well as total capital of the Bank, your Bank does not envisage any difficulty in implementing Basel III capital rules.

Key Achievements in FY13

In spite of the challenging business environment, your Bank ended the year under review with a satisfactory set of results.

- Your Bank’s **Global Business** expanded by 19.3% (y-o-y) to Rs 8,02,069 crore by end-March, 2013. Within this, the **Domestic Business** expanded by 17.4% to Rs 5,66,000 crore and the **Overseas Business** increased by 24.2% to Rs 2,36,069 crore.
- The **Global Deposits** of your Bank registered a growth of 23.1% (y-o-y) to Rs 4,73,883 crore by end-March 2013. The **Domestic Deposits** expanded by 22.0% to Rs 3,41,706 crore, while the **Overseas Deposits** rose by 26.2% to Rs 1,32,178 crore.
- Amidst aforementioned challenges, your Bank’s **CASA** deposits increased by 15.9% (y-o-y) to Rs 1,19,981 crore.
- The share of **Domestic CASA** as on 31st March 2013 stood at 30.38%.

- Your Bank’s **Global Advances** increased by 14.2% (y-o-y) to Rs 3,28,186 crore by end-March 2013. While **Domestic Advances** rose by 11.0% to Rs 2,24,294 crore, **Overseas Advances** surged by 21.8% to Rs 1,03,891 crore.
- The **Retail Credit** of your Bank increased by 6.7% (y-o-y) to Rs 38,046 crore during FY13, of which, **Home Loans** increased by 13.5% to Rs 16,045 crore.
- Your Bank’s **SME Credit portfolio** expanded by 30.3% (y-o-y) to Rs 44,974 crore by end-March 2013. While its **Farm Credit** remained flat at Rs 28,739 crore (primarily due to a change in regulatory definitions), its **Credit to Weaker Sections** increased by 7.5% to Rs 17,045 crore.
- Your Bank’s **Operating Profit** stood at Rs 8,999.15 crore and Net Profit at Rs 4,480.72 crore in FY13.
- The **Return on Average Assets** (ROAA) stood at 0.90% in line with your Bank’s guidance.
- Despite capital infusion, the **Return on Equity** (ROE) was at 14.59% as at 31st Mar, 2013.
- Your Bank managed to protect its **NIM** at 3.11% in Domestic Operations and at 2.66% in Global Operations during FY13.
- Given your Bank’s prudent approach, its **Provision Coverage Ratio** was at 68.24% as on 31st March 2013 – relatively higher in a PSU banking segment.
- Your Bank’s Capital Strength gets reflected in its **CRAR (Basel II)** at 13.30% and Tier I capital at 10.13% as on 31st March 2013.
- Your Bank’s **Cost-Income Ratio** continued to be at a relatively lower level of 39.79% for FY13.
- While its **Earnings per Share** stood at Rs 108.84, its **Book Value per Share** stood at Rs 729.69.

Awards & Accolades

During FY13, your Bank received several awards for its excellent performance across various business and financial parameters.

These awards included- Bloomberg UTV Financial Leadership Award –Best PSU Banking; Dun & Bradstreet – Polaris Financial Technology Banking Awards; Best Public Sector Bank under the category Global Business Development-Overall Best Public Sector Bank; Banking Technology Award-2011 by IBA; Use of Technology in Training & e-learning – Winner; Best Customer Relationship initiatives – 1st Runner up; Best use of Business Intelligence – 1st Runner up; Best use of mobility tech in Banking – 2nd Runner up; Best Risk management & Security initiatives – 2nd Runner up; Business India Best Bank Award 2012; Forbes India Leadership Award – Best CEO Public Sector;



CNBC TV18 – ‘India Best Banks and Financial Institutions Award 2012’ – Best Public Sector Bank; Best Large Bank 2012 – Business World November 26th 2012 Issue; Best Large Bank 2012 – Business Today – KPMG – December 2012; Best Public Sector Bank Award by State Forum of Bankers Club, Kerala, December 2012, at Ernakulam; Business Standard Banker of the Year (2011-12); FE Best Banks Award 2011-12 for ‘Best PSU Bank’ awarded by Financial Express Group; The Most Efficient Public Sector Bank by Dalal Street Investment Journal on 23/03/2013; National Award for 2011-12, conferred for excellence in the field of Khadi & village Industries by Khadi & Village Industries Commission on 3rd April, 2013; “Strategic Communication and Leadership Award” by Asian Confederation of Business and World CSR Congress at Corporate Affairs Award Ceremony.

While these awards and titles mean recognition for your Bank’s superior performance, they also bring more responsibility to it. The Team Baroda is aware that all stakeholders expect much more from your Bank now.

Team Baroda has to live up to these expectations and let me add that we find this an exciting challenge to meet.

Looking Forward

Following a sharp slowdown in FY13, there are expectations of a modest recovery in FY14, with some pick-up likely in the second half of the year. There are expectations of a normal monsoon in FY14 which would positively support not just the agricultural growth but also the growth of industry. The factors like downward movement in commodity prices, easing financial conditions, the recent corrective steps taken by the government to reduce the bottlenecks in investment and a likely modest pick-up in exports suggest a relatively better economic scenario in FY14 as compared to that in FY13.

Notwithstanding the uncertainties in economic environment, your Bank will continue to grow its business sustainably even in FY14. To achieve this, your Bank would focus on people, processes and technology following a strict code of business conduct and ethics.

Your Bank is in a position of strength, driven by a strong balance sheet, good deposit franchise, rich capital adequacy, a consistent leadership and prudent risk management systems.

Bank’s Corporate Goals and Strategy

For the year FY14, the motto of your Bank is designed in such a manner that it refocuses the Bank towards addressing the current concerns and ensures a strong path forward.

“BACK To BASICS” is the motto of your Bank for FY14.

“BASICS” is defined in such a manner that each letter represents the critical banking function.

B for – Business growth (to increase the market share)

A for – Asset Quality (to be kept at the highest)

S for – Solvency & Liquidity (to be maintained through proper ALM)

I for – Innovation (to be the key differentiator)

C for – Customer Centricity (to be the key driver)

S for – Systems & Procedure (to be continuously updated to support above pillars)

To further sharpen the focus, your Bank has recently created two new business verticals, notably the “Deposit Resources, Wealth Management & Marketing” and the “Government Business”.

During FY14, your Bank plans to enhance its self-service channels substantially with the objective of providing world class hassle free services to its customers. It proposes to add 3,500 additional ATMs and cash dispensers plus “self-service passbook printing kiosks” in 1,500 branches and also 25,000 POS (Point of Sale) machines.

It plans to deploy 100 bunch note acceptors, 50 self-service 24x7 e-lobbies equipped with cash dispensers, cash acceptors, cheque deposit machines, internet banking kiosks, self-service passbook printing kiosks, and hotline to the Bank’s contact centers. Your Bank also proposes to develop single note acceptors for cash acceptance in smaller centers.

Your Bank plans to focus on mobilizing low cost CASA deposits and balancing the credit portfolio more in favour of retail, SME and agriculture. Your Bank also proposes to focus on non-interest income and prudent control over expenses. Furthermore, the Bank would pursue prudent management of bad debts by containing slippages.

Your Bank’s relatively steady performance in FY13 strongly demonstrates its intrinsic value, its resilience, its robust systems, processes and people and its sustainability, customer confidence and competitive strength. Your Bank continued to grow without losing a grip over asset quality even though the nation witnessed negative growth drivers for much of the financial year FY13.

I am confident and optimistic about the Bank’s prospects as we continue to ride out the phase of economic slowdown and emerge stronger and more responsive to the nation’s needs.

In this journey of your Bank, I solicit your continued cooperation and patronage.

S. S. Mundra

Chairman & Managing Director



नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA

प्रधान कार्यालय : मांडवी, वडोदरा- 390 006

Head Office : Mandvi, Vadodara – 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' ब्लॉक,

बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051.

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051

(Website: www.bankofbaroda.com)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर, सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी. -1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा - 390020 में बुधवार दि. 26 जून, 2013 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे

1. बैंक का 31 मार्च, 2013 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.
2. वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा करना.

एस. एस. मूंदड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

तारीख : 13/5/13

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Wednesday, 26th June 2013 at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2013, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2012-13.

S.S. Mundra

Chairman and Managing Director

Place : Mumbai

Date : 13th May 2013



टिप्पणियां / NOTES

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा / सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयर धारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म "बी" में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि यह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 21 जून, 2013 को सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, केवायसी एण्ड एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा - 390005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, को भी साथ में भेजा जाएगा, यदि उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 21 जून, 2013 को सांय 5.00 बजे या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए.

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर 15 जून, 2013 से 26 जून, 2013 तक (दोनों दिन सहित) वार्षिक सामान्य बैठक तथा वर्ष 2012-13 के लाभांश भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा.

5. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 13 मई, 2013 आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त शेयर के लिए रु. 21.50 (रुपए इक्कीस और पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश संस्तुत किया है. निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा.

क) 14 जून, 2013 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल

1. Appointment of Proxy

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 21st June 2013, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 21st June 2013.

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass:

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 15th June 2013 to 26th June 2013 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend for the year 2012-13.

5. Payment of Dividend :

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 13th May 2013 has recommended dividend @ Rs. 21.50 (Rupees Twenty One and paise Fifty only) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2013. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 17th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held

सिक्कूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी शेयरधारकों को.

- ख) 14 जून, 2013 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. हैदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तान्तरण प्रभावी करने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को.
- ग) 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा.

6. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश:

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मंडेट से संबंधित होंगे. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

7. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे..

8. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 14th June 2013.

- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 14th June 2013.
- c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 17th Annual General Meeting.

6. Change of Address / Dividend Mandate :

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/ demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.



9. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

प्लॉट सं.17-24, विठ्ठलराव नगर,

इमेज हॉस्पिटल के निकट,

माधापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820

फैक्स : 040 2342 0814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें : निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,

बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु/दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) की उप धारा (I) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है. इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य से तथा यथाविधि किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

11. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएंगे.

9. Lodgments for Transfers:

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

M/s Karvy Computershare Private Ltd.,

(Unit :- BANK OF BARODA)

Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,

Near Image Hospital, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Phone No. 040 2342 0815 to 820, Fax No. 040 2342 0814

E- mail : einward.ris@karvy.com

10. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. Request to Members:

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.





निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक गण बैंक की 105 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 13) के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

कार्यनिष्पादन

- कुल कारोबार (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर ₹ 8,02,069 करोड़ हो गया। इस प्रकार इनमें 19.3% की वृद्धि हुई।
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः ₹ 8,999.15 करोड़ एवं ₹ 4,480.72 करोड़ रहा। शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में -10.5% की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 86.86% की तुलना में 82.03% रहा।
- खुदरा ऋणों में 6.7% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2013 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 16.6% रहा।
- एमएसएमई ऋणों में 30.3% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2013 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का 19.7% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2013 में वैश्विक परिचालनों में शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.66% एवं घरेलू परिचालनों में 3.11% के स्तर पर रहा।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां 1.28% रहीं जबकि पिछले वर्ष यह 0.54% थी।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल II के अनुसार 13.30% रहा।
- शुद्ध मालियत सुधर कर ₹ 30,714.19 करोड़ हो गयी। इसमें 17.2% की वृद्धि दर्ज हुई।
- वर्ष के दौरान बही मूल्य ₹ 637.37 से बढ़कर ₹ 729.11 हो गया।
- वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 1,466 लाख से बढ़कर ₹ 1,689 लाख हो गया।

खंडवार कार्य निष्पादन

वर्ष वित्तीय वर्ष 13 के खंडवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान ₹ 1,070.13 करोड़, कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग का (-) ₹ 103.95 करोड़, खुदरा बैंकिंग का ₹ 3,085.71 करोड़ तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान ₹ 2,221.71 करोड़ रहा। आपके बैंक ने ₹ 1,442.37 करोड़ के गैर-आबंटित खर्च घटाने और करों के लिए ₹ 350.51 करोड़ का प्रावधान करने के बाद ₹ 4,480.72 करोड़ का कर-पश्चात लाभ (पीएटी)

लाभांश

आपके बैंक के निदेशकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 21.50 प्रति शेयर का (₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) लाभांश प्रस्तावित किया है। इसमें कर सहित लाभांश के रूप में कुल व्यय ₹ 1,059.62 करोड़ होगा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.)

आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात काफी अच्छा है एवं 31 मार्च, 2013 को यह बासेल II के अंतर्गत 13.30% है।

31 मार्च, 2013 को आपकी बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 30,714.19 करोड़ रही। इसमें चुकता पूंजी ₹ 422.52 करोड़ और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि को छोड़कर) ₹ 30,291.67 करोड़ शामिल है। ₹ 3,421.10 करोड़ की राशि अर्जित लाभ में से प्रारक्षित निधि में अंतरित की गयी।

सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान बैंक ने उपदान में अंशदान के रूप में (₹ 133.00 करोड़), पेंशन निधि के रूप में (₹ 683.96 करोड़), अवकाश नकदीकरण के रूप में (₹ 204.38 करोड़) तथा अतिरिक्त सेवानिवृत्त लाभ के रूप में (₹ 184.29 करोड़) की राशि का उपचय आधार पर प्रावधान किया है। इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 1,205.63 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान यह प्रावधान राशि ₹ 991.94 करोड़ थी। मार्च, 2013 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि इस प्रकार थी: ₹ 1,506.13 करोड़ (उपदान), ₹ 6,770.08 करोड़ (पेंशन निधि), ₹ 709.73 करोड़ (अवकाश नकदीकरण) तथा ₹ 592.45 करोड़ (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ)।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 13	वित्तीय वर्ष 12
औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%)	0.90	1.24
निधियों की औसत लागत	5.75	5.64
औसत आय (%)	8.29	8.55
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	4,24,761.33	3,47,223.21
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	4,15,246.10	3,43,397.26
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.66	2.97
लागत आय अनुपात (%)	39.79	37.55
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	729.11	637.37
प्रति शेयर आय (₹)	108.84	127.84



प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 13 का आर्थिक परिवेश और वित्तीय वर्ष 14 की संभावनाएं

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर वृद्धि का अनुमान 5.0% किया गया जो इस दशाब्दि में दर्ज की गई सबसे कम वृद्धिदर है और यहां तक कि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रथम वर्ष के दौरान दर्ज की गई विकास दर से भी कम है। वित्तीय वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः अपेक्षित मानसून बारिश के अपेक्षा से कम होने, अवरूद्ध संरचना, निर्यात में गिरावट, कार्पोरेट निवेश के कमजोर होने और उपभोग मांग में कमजोरी, जैसे घटकों के कारण व्यापक आधार पर कमजोर रही। धीमे वैश्विक विकास के कारण लचीला सेवा क्षेत्र भी वित्तीय वर्ष 2013 में काफी कमजोर हो गया।

जहां तब कृषि का संबंध था, इसमें 1.8% की सामान्य वृद्धि मुख्यतः रबी (सर्दी) की फसल के कारण रही क्योंकि खरीफ (ग्रीष्म) की फसल मानसून की देरी के कारण प्रभावित हुई।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान औद्योगिक विकास (उत्पादन, खनन और खदान, बिजली, गैस, जल आपूर्ति व निर्माण सहित) में भी 3.1% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह कमजोर निष्पादन कमजोर वैश्विक मांग, कमजोर आपूर्ति संयोजन, उच्च निवेश लागत, धीमी निवेश गतिविधि, नियामक संबंधी व परिवेशगत रुकावटें और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की कमी जैसे प्रमुख घटकों के कारण था। साथ ही उपभोग मांग में कमी ने भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास को सामान्यतः और विशेष रूप से मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद एवं वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया।

घरेलू औद्योगिक गतिविधियों की कमजोरियों और नाजुक वैश्विक परिवेश ने वित्तीय वर्ष 2013 में सेवा क्षेत्र के विकास को 6.6% तक नीचे पहुंचाया।

हालांकि समग्र विकास में बहुत तेजी से गिरावट आई। तथापि मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मजबूत रही जो अर्थव्यवस्था के स्थिर स्फीतिपरक स्थिति की ओर संकेत करती है। यद्यपि होलसेल मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अपने उच्चतम स्तर से कम हुई। तथापि, यह भारतीय रिज़र्व बैंक के संतुष्टि क्षेत्र से काफी अधिक रही।

होलसेल मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में अक्टूबर 2012 से लगातार सुधार हुआ। सितम्बर 2012 के 8.06% के उच्च दर से यह मार्च 2013 में 5.96% हो गई। उत्पादन क्षेत्र में बढ़ते मांग घाटे के कारण कोर मुद्रास्फीति भी अगस्त 2012 के 5.56% से घटकर मार्च 2013 में 3.48% हो गई। इसके विपरीत खुदरा मुद्रास्फीति (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित) मार्च 2013 में 10.39% पर स्थिर रहा।

विकास में अत्यधिक गिरावट के कारण सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सितम्बर 2012 की मध्यावधि में अनेक दोषनिवारक उपायों एवं सुधारों की शुरुआत की। जैसे राजकोषीय क्षेत्र से संबंधित सुधारात्मक उपाय (ऊर्जा परिदान को रोकने के लिए रूढ़िवादी की कीमतों के निर्धारण में उध्वोन्मुखी समायोजन, खर्चों पर नियंत्रण, मध्यावधि राजकोषीय समामेलन योजना, नगदी अंतरण कार्यक्रमों की शुरुआत आदि) भुगतान संतुलन के क्षेत्र में (मल्टीब्रांड खुदरा, घरेलू एअरलाइन्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विस्तारीकरण, ईसीबी उदारीकरण, तीन वर्षों के लिए ब्याज के भुगतान पर धारण कर 20% से घटाकर 5% तक करना, सोने पर आयात शुल्क को 4.0% से 6.0% तक बढ़ाना, घरेलू शासकीय व गैर संरचनात्मक कार्पोरेट बाण्ड आदि में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि); निवेश क्षेत्र में

(प्रमुख संरचनात्मक व अन्य परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय के लिए केबिनेट समिति का गठन, जीएएआर के कार्यान्वयन को दो वर्ष के लिए अर्थात् 1 अप्रैल 2016 तक स्थगन); वित्तीय क्षेत्र (15 प्रमुख शहरों के अतिरिक्त म्यूचुअल फंड उद्योग को अधिक कमीशन की अनुमति देकर और वोटिंग सीमा बढ़ाने संबंधी बैंकिंग बिल को पारित करना और भारतीय रि. जर्व बैंक की भूमिका को मजबूत बनाते हुए नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति देना)। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014 के लिए केन्द्रीय बजट में सरकार राजकोषीय खाते को सकल घरेलू उत्पाद दर में 5.2% तक कम करने में सफल रही और वित्तीय वर्ष 2014 के लिए 4.0% का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान भारत की स्थिति बाह्य मोर्चे पर अधिक नाजुक हो गई। वित्तीय वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा (सीएडी) 6.7% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण चालू खाते के घाटे को लगातार पूरा करना अत्यधिक चिंताजनक है। खराब होता व्यापार घाटा और सेवा क्षेत्र का धीमा विकास चालू खाते के घाटे में वृद्धि में मुख्य कारक रहे। कमजोर बाह्य मांग, जिसने वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और पीओएल और सोने के लगातार अधिक आयात के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 1.76% घटकर 300.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि आयात 0.44% बढ़कर 491.48 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिससे वित्तीय वर्ष 2013 में 190.88 बिलियन अमरीकी डालर का बड़ा व्यापार घाटा हुआ। डीजीसीआई एंड एस द्वारा दिए गए वस्तुवार आंकड़ों के अनुसार मुख्यतः इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, कपड़ा और लोहे आदि वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई।

व्यापार और चालू खाते का बढ़ा हुआ घाटा मुद्रा को कमजोर करता है, आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करता है और पहले से ही उच्च मुद्रा स्फीति की दर को और अधिक बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान पूंजी के बेहतर अर्न्तप्रवाह के कारण चालू खाते के उच्च घाटे के बावजूद ग्रीन बैंक के एवज में भारतीय रुपये का वित्तीय वर्ष 2013 में 6.7% का अवमूल्यन हुआ। संवीक्षा वर्ष के दौरान भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध टर्म) के रूप में 18 बिलियन अमरीकी डालर, पोर्टफोलियो अर्न्तप्रवाह (शुद्ध टर्म) के रूप में 24 बिलियन अमरीकी डालर, बाह्य वाणिज्यिक उधारियां एवं अल्पावधि ऋण के रूप में 30 बिलियन अमरीकी डालर और कुल बैंकिंग पूंजी के रूप में 24 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए।

वित्तीय वर्ष 2014 में आगे बढ़ते हुए आर्थिक अग्रिम सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए आकलन के अनुसार, अभी हाल ही में प्रारंभ किए गए संरचनात्मक उपायों और अपेक्षित सामान्य मानसून के आधार पर भारत का आर्थिक विकास पिछले वर्ष के 5.0% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014 में 6.4% होने की संभावना है। साथ ही मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई आधारित) में लगातार नमी से मौद्रिक नीति विकास को और अधिक समर्थ करने में सक्षम होगी। हालांकि सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है तथापि चालू खाता घाटा चिंता का विषय बना हुआ है। तथापि, प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित कर एवं पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाकर देश इसे नियंत्रित कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2013 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन और वित्तीय वर्ष 2014 की कार्य संभावनाएं

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान, मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए दबावों और समग्र आर्थिक मंदी के कारण बैंकिंग क्षेत्र के जमा व ऋण वृद्धि दोनों में काफी कमी आई। औसत रूप में, जमा और ऋण के विकास में 250 और 300



बीपीएस तक अंतर रहा और जमा वृद्धि ऋण वृद्धि से अधिक रही. इसके कारण बैंकिंग उद्योग में लगातार तरलता में मजबूती बनी रही.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा लिए गए विभिन्न मौद्रिक कठोर उपायों के कारण जमा राशियों और अन्य निधियों की लागत वर्ष के दौरान उच्च बनी रही. लोगों ने चालू या बचत खाता (कासा) में राशियां रखने के बजाय अधिक आय देनेवाली सावधि जमा राशियों में अपनी राशियां रखने को वरीयता दी. जिसके परिणामस्वरूप कई बैंकों के लिए कासा वृद्धि धीमी हो गई और बैंकों के लिए निधियों की लागत बढ़ गई.

व्यापक आधार औद्योगिक मंदी ने बैंकों, विशेष रूप से सरकार के स्वामित्ववाले बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया क्योंकि मुख्यतः इन्हीं बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2009 के वित्तीय संकट के पश्चात् उत्पादक क्षेत्रों को सहायता प्रदान की थी. घटती हुई ऋण वृद्धि का असर बैंकिंग उद्योग में शुद्ध ब्याज मार्जिन पर हुआ. शुद्ध ब्याज मार्जिन में कमी एवं उच्च ऋण लागत (प्रावधानगत आवश्यकताएं), पुनर्संचित ऋणों सहित, ने वित्तीय वर्ष 2013 में अनेक बैंकों की आय को कम किया.

चालू स्वीकृतियां समाप्त होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2012 और वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं में अत्यधिक गिरावट का असर वित्तीय वर्ष 2014 की ऋण मांग पर पड़ेगा. स्टैंडर्ड और पूअर्स (एस एंड पी) रेटिंग एजेंसी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014 में अनेक आर्थिक और राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि 15.0% तक ही होने की संभावना है. ऊर्जा, सड़क, धातु और खनन क्षेत्र का पुनरुद्धार सरकार के कार्य पर निर्भर करता है, निर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं के पुनरुद्धार का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास और बढ़ी हुई खपत से है. तथापि, भारतीय बैंकिंग उद्योग का कोर ग्राहक जमा आधार, स्थायी निधियों को उपलब्ध कराने का मार्ग लगातार प्रशस्त करेगा.

एस एंड पी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 में बैंकों की गैर निष्पादक आस्तियां कुल ऋण के 3.9% तक बढ़ेंगी, आस्तियों पर बैंकों की आय, 0.9% तक रहेगी. इसके साथ ही यदि भारतीय बैंकिंग उद्योग 1 अप्रैल 2013 को शुरू किए गये बासल III के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए 8.0% की कॉमन इक्विटी टियर I अनुपात को प्राप्त करने की तुरंत कोशिश करेगा, तो भारतीय बैंकिंग उद्योग को 3-4 बिलियन अमरीकी डालर की पूंजी की कमी होगी.

जोखिम प्रबंधन

स्थायी और लगातार विकास निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने एक व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जिससे बैंक द्वारा अनुमानित जोखिमों का लगातार और व्यवस्थित आकलन व मानटिरिंग की जा सके. यह गौर किया जाए कि जोखिम प्रबंधन प्रणालियां सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंततः बैंक के निदेशक मंडल पर है. इसमें जोखिम प्रवृत्ति, नीति निर्धारण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग शामिल है. आपके बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक सुदृढ़ उद्यमानुसार जोखिम प्रबंधन स्वरूप निर्धारित किया गया जिससे कि जोखिम, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित जोखिम प्रवृत्तियों के अनुरूप रहे.

विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन और प्रबंधन में प्रक्रिया संक्षेप में इस प्रकार है.

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम से अभिप्राय उस जोखिम से है जब बैंक के पास, देय हो चुकी अपनी वित्तीय देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हों, अथवा यह वित्तीय संसाधन अधिक और असहनीय लागत

पर उपलब्ध हों. आस्तियों को शीघ्र एवं न्यूनतम मूल्य हास से तरलता में बदलने की क्षमता को प्रभावित करने वाली बाजार की स्थितियों का निर्धारण न कर पाने व उनका समाधान न ढूंढ पाने से तरलता जोखिम हो सकता है. आपके बैंक में तरलता जोखिम को दैनिक आधार पर तरलता - अंतराल स्थितियों के लिए निर्धारित सुरक्षात्मक सीमा के अनुरूप फ्लो पद्धति से आकलित व मानिटर किया जाता है. साथ ही आगामी तीन माह के लिए गतिशील अंतराल रिपोर्ट के द्वारा गतिशील आधार पर पाक्षिक रूप में तरलता की स्थिति का आकलन किया जाता है. तरलता की गुणवत्ता का परीक्षण स्टाफ एप्रोच के तहत विभिन्न अनुपातों के द्वारा किया जाता है जिसमें अनेक सुरक्षात्मक सीमाएं जैसे दैनिक आधार पर ऋण देना, दैनिक आधार पर ऋण लेना, शुद्ध अल्पावधि ऋण लेना और शुद्ध ऋण ग्राहक जमा अनुपात और मूल आस्ति अनुपात दैनिक आधार पर आकलित किए जाते हैं. स्टाफ एप्रोच सीमाओं का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने अपनी तरलता का उचित वैविधिकरण से प्रबंधन किया है और ग्राह्य सीमा में रखा है.

तरलता जोखिम, तरलता की लागत, नियोजन की संभावनाएं और उस पर प्रतिफल, उपलब्ध आकस्मिकताएं आदि की मानटिरिंग आस्ति देयता समिति द्वारा की जाती है. इसमें महाप्रबंधक एवं कार्यपालक निदेशक शामिल हैं और जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है. सुरक्षात्मक सीमाएं विभिन्न नियमित और विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आल्को द्वारा मानिटर की जाती हैं.

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऐसे जोखिम हैं जिसमें सहमति की शर्तों के अनुरूप किसी काउंटर पार्टी द्वारा देयताओं की पूर्ति हेतु सक्षमता में कमी अथवा अनिच्छुक होने से बैंक के लिए हानि की संभावना निहित होती है. आपके बैंक में ऋण जोखिम सुस्पष्ट रूप से बनाए गए फ्रेमवर्क से व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसमें नीतियों, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग का समावेश है. श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप जोखिम लेने वालों और नीति बनाने वालों के बीच सुस्पष्ट अंतर विद्यमान है. इसके अलावा बैंक ने जोखिम आधारित उधार देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जिसमें कम जोखिम वाले प्रस्तावों में ऋण प्रदान करने की उच्चतर विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं. जहां बैंकों का एक्सपोजर अधिक है उन उद्योगों में मौजूद जोखिम के आकलन हेतु बैंक द्वारा उद्योगों का अध्ययन किया जाता है तथा नए उद्योगों के संदर्भ में भी यह अध्ययन किया जाता है. उद्योग- रिपोर्टें बैंक के फील्ड स्तरीय लोगों को संप्रेषित की जाती हैं ताकि उद्योगों को उधार देते समय इनका उपयोग किया जा सके. तथापि, अविवेकपूर्ण स्थिति से बचने के लिए बैंक ने सभी उद्योगों, क्षेत्रों और उधारकर्ताओं पर प्रूडेंशियल कैप की व्यवस्था की है.

आपके बैंक ने 2007 में एक संतुलित दो आयामी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली अपनाई है और क्रेडिट रेटिंग पर 6 वर्ष का डाटा तथा उधारकर्ता रेटिंग माइग्रेशन तैयार कर लिया है. इस तैयारी के फलस्वरूप हमारे बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से बासेल-II नियमों के अंतर्गत ऋण जोखिम फाउन्डेशन इंटरनल रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआयआरबी) में माइग्रेट करने हेतु आवेदन किया है. एफआयआरबी कार्यान्वयन आपके बैंक को जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, पोर्टफोलियो निर्माण और रिस्क फिक्सेशन एपीटाइट की दृष्टि से अपने व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित एवं अत्याधुनिक तरीके से संचालित करने के लिए तैयार करेगा.

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार दरों और मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण अर्जन अथवा आर्थिक मूल्य में होने वाली हानियों के रूप में होता है. बाजार जोखिम के स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं:-



- ब्याज दर जोखिम: प्रतिफल कर्व में परिवर्तनों, ऋण स्प्रेड और ब्याज दरों में अस्थिरता से पैदा होने वाले जोखिम.
- मुद्रा विनिमय दर जोखिम: विनिमय दरों में परिवर्तन और ब्याज दरों में अस्थिरता से कारण पैदा होने वाले जोखिम.
- इक्विटी मूल्य जोखिम: इक्विटी के मूल्यों, इक्विटी संकेतकों, इक्विटी बास्केट में परिवर्तन तथा स्टॉक मार्केट में अस्थिरता के कारण पैदा होने वाले जोखिम.

कीमतों में परिवर्तन और अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम पैदा होते हैं तथापि आपके बैंक का जिस संबंधित बाजारों में कोई एक्सपोजर नहीं है.

बैंक ने अपने ट्रेजरी कार्यों के नियंत्रण और उनकी निगरानी हेतु स्पष्ट नीति बनाई है. इन नीतियों में प्रबंधन पद्धतियों, प्रक्रियाओं, विवेकसम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है. वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है.

ब्याज दर जोखिम का आकलन ब्याज दर अस्थिरता अन्तराल रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है. इसके अलावा बैंक मासिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, निवेश पोर्टफोलियों के जोखिम मूल्य, जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटीज तथा विदेशी मुद्रा पोजीशन शामिल है, की गणना करता है. बैंक, अल्पवधि ब्याज दर जोखिम की मॉनिटरिंग, शुद्ध ब्याज आय (एनआरआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मॉनिटरिंग, इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है. ट्रेजरी के संदर्भ में वेल्यू एट रिस्क की गणना 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की होल्डिंग अवधि के आधार पर की जाती है. अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यम से स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियों की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर आपके बैंक द्वारा "इक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य" का तिमाही आधार पर आकलन भी किया जाता है.

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम ऐसा जोखिम है जो अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक परिचालन, प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होता है जिसमें विधिक जोखिम भी शामिल है. आपके बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति प्रक्रियाओं का निर्धारण/संशोधन करके, नियंत्रण रखकर तथा भूमिका और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करके परिचालन जोखिमों पर निगरानी रखने एवं उन्हे नियंत्रण में रखने की जिम्मेवारी वहन करती है. आपके बैंक में बैंक की संतुलित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के आंतरिक दिशा-निर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है.

आपका बैंक, अपने परिचालन जोखिमों को जानने, मापने, निगरानी रखने और उचित प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला उद्यम स्तर का स्वचालित वेब आधारित सोल्यूशन स्थापित करके एक अत्याधुनिक प्रणाली कार्यान्वित करने जा रहा है. यह सोल्यूशन इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व कार्यान्वित होने की आशा है इस सोल्यूशन के कार्यान्वित होने से आपके बैंक को स्टैंडर्डइज्ड अप्रोच की मात्रात्मक एवं गुणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बासेल-II नियमों के एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम पूंजी मापन में सहायता मिलेगी.

बासेल III के लिए बैंक की तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 मई, 2012 को बासेल-III के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए. नए चलनिधि मानकों - चलनिधि कवरेज अनुपात तथा शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय वर्तमान में बीसीबीएस (बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन) द्वारा अवलोकन अवधि/पुनरीक्षण के अध्यधीन है जिसका उद्देश्य ऐसे किसी अनिष्टपूर्ण परिणामों का समाधान निकालना है जोकि मानक में वित्तीय बाजार, ऋण विस्तार तथा आर्थिक विकास के लिए हो सकते हैं अतः इसे फिलहाल कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है.

बासेल-II और बासेल-III के अंतर्गत पूंजी नियमों के पूर्ण कार्यान्वयन पर न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का विवरण इस प्रकार है:-

बैंक के सीआरएआर को निम्नानुसार सांराशीकृत किया गया है.

मानदंड	बासेल II	बासेल III
सामान्य इक्विटी पूंजी	-	5.50%
टीयर-I पूंजी	6%	7%
कुल पूंजी	9%	9%
पूंजी प्रत्यावर्तन बफर (पूंजी का ऐसा बफर जो वित्तीय और आर्थिक दबावों के दौरान हानियों को समाहित कर सके) (कॉमन इक्विटी के रूप में)	शून्य	2.50%

पूंजी नियमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2013 से लागू हो चुके हैं. नये पूंजी नियमों की पूर्ति के अलावा 30 जून, 2013 से गहन लिवरेज अनुपात का कार्यान्वयन आवश्यक है. टीयर-I पूंजी में कॉमन इक्विटी की प्रधानता तथा बैंक की कुल पूंजी को देखते हुए आपके बैंक को बासेल-II नियमों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी.

ऋण निगरानी कार्य

- अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर ऋण निगरानी एक अति महत्वपूर्ण उपाय है. बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर अग्रिम खातों की मासिक जांच के लिए सुव्यवस्थित पद्धति है जो आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता सुधार ने हेतु समय पर कार्रवाई करती है.

ऋण निगरानी के लिए कार्पोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देखरेख में अलग से एक विभाग तथा अंचल व क्षेत्रीय स्तर पर ऋण निगरानी के लिए विभागों का गठन सितम्बर 2008 से किया गया है. बैंक की घरेलू ऋण नीति के अनुरूप सभी अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्लिपेज निवारक कार्य-दलों का गठन किया गया है. बैंक ने आरंभिक चरण में स्लिपेज को रोकने के उद्देश्य से विद्यमान मानदंड एवं दिशानिर्देशों के अनुक्रम उपयुक्त प्रावधान को शामिल कर बैंक की घरेलू ऋण नीति को अनुकूल बना दिया गया है. बैंक ने ऋण निगरानी प्रक्रियाओं को असरदार बनाने की दिशा में आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने, चिंताजनक क्षेत्रों की पहचान करने, विशेष ध्यान देने योग्य शाखाओं के निर्धारण और कार्यनीति तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है. साथ ही समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऋण नीति भी बनायी है.

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं :

- आरंभिक अवस्था में ऋण खातों की कमियों/सम्भावित चूकों/शुरुआती अस्वस्थता को पहचानना.
- जब कभी भी किसी खाते में ऋण गुणवत्ता की क्षति अर्थात ऋण रेटिंग में गिरावट, एलसी/गारंटी की देयताओं को पूरा करने में देरी करने और ब्याज/किस्तें आदि की अदायगी में विलम्ब होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें रोकने के लिए समय पर उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाना.
- कठोर अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना.
- ऋण खातों की पुनः संरचना/पुनः समय निर्धारण/पुनः चरणबद्ध करने के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करना साथ ही उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में पुनः वित्त प्रदान करना. सीडीआर कक्ष तथा अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करना.
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाकर / नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाना.
- ऋण रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करना.
- बीआयएफआर के अंतर्गत खातों की प्रगति पर निगरानी रखना.

स्लिपेज रोकना

आस्ति गुणवत्ता को सुधारने हेतु सतत व्यवसाय रणनीति के रूप में बैंक द्वारा अग्रिम पोर्टफोलियों पर उद्योगवार और उधारकर्तावार रूप में ध्यान केन्द्रित किया गया ताकि वर्तमान स्थिति और भविष्य में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके और अग्रिम खातों में अस्वस्थता / संभावित चूकों / संभावी न्यूनताओं की पहचान करके उचित और समय रहते सुधारात्मक उपाय करते हुए ऋण गुणवत्ता में दुर्बलताओं को रोका जा सके.

आपके बैंक द्वारा जनवरी, 2013 में ₹ 10 करोड़ और अधिक एक्सपोजर वाले निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित अग्रिम खातों के संबंध में एक ऑनलाइन वेब आधारित सॉफ्टवेयर लांच किया गया जोकि बैंक के आयटी विभाग द्वारा विकसित किया गया है इससे अग्रिमों का तेज गति और प्रभावी तरीके से मॉनीटरिंग और चिंताग्रस्त खातों के संबंध में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी.

आपके बैंक ने खातों की त्वरित समीक्षा, नियम और शर्तों के अनुपालन, उच्च मूल्य वाले अग्रिम खातों की क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेडेशन इत्यादि हेतु कार्रवाई शुरू की है ताकि ऋण संविभाग की आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान आपके बैंक ने अपने वैश्विक परिचालनों के विभिन्न अग्रिम खातों का पुनर्गठन किया जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अग्रिम खातों का पुनर्गठन (वैश्विक)

(₹ करोड़ों में)

विवरण		सी डी आर तंत्र	एस एम ई पुनर्गठन	अन्य	कुल
पुनर्गठित मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	26	743	17,455	18,224
	बकाया राशि	2,031.92	950.61	4,533.60	7516.12
	घाटा (सेक्रीफाइस) (उचित मूल्य में हास)	177.42	11.05	124.83	313.30
पुनर्गठित अव मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	1	44	620	665
	बकाया राशि	68.30	52.19	373.38	493.87
	घाटा (सेक्रीफाइस) (उचित मूल्य में हास)	5.18	0.02	1.13	6.33
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	9	349	358
	बकाया राशि	0	20.43	475.64	496.07
	घाटा (सेक्रीफाइस) (उचित मूल्य में हास)	0	0.04	10.86	10.90
कुल	ऋणियों की संख्या	27	796	18424	19,247
	बकाया राशि	2,100.22	1,023.23	5,382.62	8,506.06
	घाटा (सेक्रीफाइस) (उचित मूल्य में हास)	182.60	11.12	136.81	330.54

आर्थिक आसूचना इकाई

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत विशेष आर्थिक आसूचना इकाई, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना निवेशक संबंध एवं ऋण तथा आस्ति देयता प्रबंधन बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन वर्ग को सहयोग करता है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को समय-समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा स्फीति ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योग हेतु संसाधन जुटाना तरलता एवं विनिमय दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आवधिक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं, कार्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के संबंध में बेहतर समझ प्रदान कर बैंक ऑफ बड़ौदा की आर्थिक आसूचना इकाई व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम फायदा उठाने हेतु बैंक के प्रयासों और बाजार के समीकरणों के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है।

आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा व्यापक आर्थिक पहलुओं, विनिमय संबंधी प्रगति के संबंध में एक साप्ताहिक ई बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। ताकि बैंकरो निवेशको, नियामकों व अन्य शीर्ष उद्योगों को अपने सरोकारों से अवगत कराया जा सके। यह इकाई आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए बैंक की बौद्धिक शक्ति के रूप में काम करती है जिसके आधार पर भविष्य में सम्यक कार्यनीतियां तैयार होती हैं।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग (CAID) है जो बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं पद्धतियों की अनुपालना का परीक्षण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत-सरकार, बैंक का निदेशक-मंडल तथा निदेशक-मंडल लेखा परीक्षा समिति से आंतरिक नियंत्रण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त मार्गनिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से आंतरिक नियंत्रण तंत्र के भाग बन गये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते कारोबार को ध्यान में रखते हुए सी ए आई डी आसन्न जोखिमों पर प्रभावी नियंत्रण तंत्र के द्वारा सतत नियंत्रण रखने का प्रयास करता है ताकि बैंक के हित सुरक्षित रहें।

बैंक के निदेशक-मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार 13 अंचल निरीक्षण केन्द्रों द्वारा शाखाओं/ कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सी ए आई डी अपना संचालन करता है और आंतरिक नियंत्रण तंत्र और जोखिम प्रबंधन का परीक्षण करता है।

निदेशक-मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करती है। यह समिति प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, आई एस लेखा परीक्षा तथा अन्य निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभावी विकास के लिए मार्गदर्शन देती है जिससे कि बैंक की आस्तियां सुरक्षित रहें। यह समिति कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति तथा बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा समिति के कार्यों की मॉनिटरिंग करती है।

कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति गठित की गई है जो कि सी ए आई डी से एक स्तर ऊपर है और यह बैंक के संपूर्ण निरीक्षण तंत्र को मॉनिटर करती है। कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए

कठोर निवारक के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह बैंक के लेखा परीक्षा तंत्र और इससे वांछित परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

बैंक की सभी शाखाएं जोखिम आधारित लेखा परीक्षा (RBIA) से कवर हैं। वित्त वर्ष-13 के दौरान कुल -3046- शाखाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें से -2206- शाखाएं (72.42%) कम जोखिम, -735- शाखाएं (24.13%) मध्यम जोखिम तथा -105- शाखाएं (3.45%) उच्च जोखिम श्रेणी की थीं। मुंबई स्थित निरीक्षण प्रभाग के अंतर्गत आई एस लेखा परीक्षा कक्ष कार्यरत है और यह ऑफ साइट निगरानी का कार्य करता है।

आपके बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित को कार्यान्वित किया है -

- केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा प्रभाग तथा अंचल लेखा परीक्षा समितियों के कार्य की देखरेख के लिए मार्च, 2013 से कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। इससे प्रणालियों, पद्धतियों एवं आंतरिक मार्ग-निर्देशों के अनुपालन स्तर के पुनः मजबूत होने की आशा है।
- अगले वित्तीय वर्ष से निदेशक-मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित संगामी लेखा परीक्षा नीति, मैनुअल एवं स्कोरिंग शीट तथा जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा को कार्यान्वित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष-13 की 709 शाखाओं की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए 834 शाखाओं की संगामी लेखा परीक्षा करके इसका कवरेज बढ़ा दिया गया है और 31.12.2012 के अनुसार यह बैंक के कुल कारोबार में जमाराशियों का 64.36%, कुल अग्रिमों का 80.87% तथा कुल कारोबार का 71.13% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण: 2011-12 में किए गए पर्यवेक्षण के अनुसार क्रेडिट लेखा परीक्षा सी ए आई डी के अंतर्गत एक विशेष कार्य के रूप में पोषित किया जाएगा और नई संरचना जुलाई, 2013 से कार्य करना आरंभ कर देगी। ₹ 1,97,048 करोड़ की निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित कारोबार वाले 3504 खातों के संबंध में क्रेडिट लेखा परीक्षा की गई, जिससे बड़ी राशि के ऋणों के संबंध में अनुपालन का उच्च स्तर सुनिश्चित किया गया।

संक्षेप में, आपके बैंक का केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा प्रभाग स्वयं के निदेशक-मंडल नियामक एवं भारत-सरकार द्वारा निर्धारित प्रणालियों एवं पद्धतियों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहा है।

परिचालन एवं सेवाएं

ग्राहक-केन्द्रित पहलें

अपने दैनिक परिचालनों में प्रभावी ग्राहक सेवा तथा ग्राहक संतुष्टि, बैंक के लिए सदा ही प्राथमिक लक्ष्य रहे हैं। आपका बैंक ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं संतुष्टि के प्रति सदा तत्पर रहा है और उसका यह विश्वास रहा है कि प्रौद्योगिकियां, प्रक्रियाएं उत्पाद एवं इसके लोगो का हर प्रकार का कौशल अपने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

हाल ही में आपके बैंक ने अपनी शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु अनेकों उपाय किए हैं साथ ही साथ, ग्राहक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया है। आपके बैंक ने वेब आधारित ग्राहक शिकायत निवारण मॉड्यूल - मानक जन शिकायत निवारण तंत्र (एसपीजीआरएस) कार्यान्वित किया है।

वित्त वर्ष, 2013 के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार हेतु निम्नलिखित अन्य प्रमुख उपाय किए गए हैं -

1. **ऑनलाइन मीयादी जमाराशियां** - बैंक के ग्राहक बड़ौदा कनेक्ट सिस्टम के द्वारा मीयादी जमा कर सकते हैं.
2. **एसएमएस एलर्ट सुविधा**
 - क. **वित्तीय लेन देन** - उन सभी लेन देनों के बारे में जो ₹ 5,000/- अथवा इससे अधिक राशि के हैं, उनके सभी निवासी बचत बैंक एवं चालू खाताधारकों तथा ओवरड्राफ्ट ग्राहकों के संबंध में, जिनके मोबाइल नम्बर बैंक के सीबीएस सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं.
 - ख. **गैर-वित्तीय लेन देन**
 - i. मीयादी जमाराशियों का नवीकरण - देय तारीख से 30 दिन पूर्व
 - ii. संभावित निष्क्रिय खातों के खाताधारकों को (खाता निष्क्रिय होने से पूर्व) खाता चालू रखने की सूचना
 - iii. निष्क्रिय खातों के खाताधारकों को अपने खाते सक्रिय करने के बारे में
3. **अंतर-बैंक जमाराशि खातों का अंतरण** - इसका तात्पर्य यह है कि यह सुविधा लागू हो जाने के बाद खाता नं. में परिवर्तन किए बिना बचत बैंक, चालू एवं मीयादी जमाराशि खाते एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किए जा सकते हैं.
4. **अपरिचालित खातों को सक्रिय करना:** 01.09.2012 से 30.12.2012 की अवधि के दौरान अपरिचालित खातों को सक्रिय करने का अभियान चलाया गया. आपके बैंक की शाखाओं से कहा गया था कि वे अपरिचालित/ निष्क्रिय खातों को सक्रिय तथा निष्क्रिय खातों को अपरिचालित/ निष्क्रिय होने से बचाने का हरसंभव प्रयास करें.
5. **मोबाइल/ ई-मेल आई डी पंजीकरण** - स्टाफ सदस्यों को कुछ प्रोत्साहन देते हुए वर्तमान एवं नए खातों के मोबाइल नं. एवं ई-मेल आई डी के पंजीकरण का अभियान चलाया गया.
6. **पासबुकों में मुख्य नोडल अधिकारी के ब्यौरे** - ग्राहकों को अपनी समस्याओं/ शिकायतों को दर्ज करने में सुविधा हो, इस दृष्टि से मुख्य नोडल अधिकारी तथा बैंकिंग लोकपाल के ब्यौरों को पासबुक मुद्रण के समय पासबुक में शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. शाखाओं से कहा गया है कि मुद्रित होने तक इन ब्यौरों को सभी पासबुकों में रबड़ की मोहर लगाकर प्रदर्शित करें.
7. **मीयादी जमाराशियों पर सकल ब्याज का प्रदर्शन** - इसका तात्पर्य यह है कि मासिक अथवा तिमाही आधार पर प्रदत्त ब्याज अथवा स्रोत पर कर की कटौती आदि के ब्यौरे ग्राहक की बचत बैंक पासबुक विवरणी में अलग से प्रदर्शित होंगे.
8. **एटीएम असफल लेन देनों के लिए मुआवजा** - शाखाओं को कहा गया है कि वे ए टी एम के असफल लेन-देनों, नकदी प्राप्त न होने आदि की दर्ज शिकायतों का समाधान करें और शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के अंदर खाते में राशि क्रेडिट कर दें.

यदि शिकायत का निवारण नहीं किया गया तो आठवें दिन से बैंक द्वारा स्वयमेव राशि के क्रेडिट किए जाने तक ₹.100/- प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.

9. **एन ई एफ टी/ आर टी जी एस:** आर टी जी एस एवं एन ई एफ टी से धनप्रेषण को लोकप्रिय बनाने के प्रयोजन से बैंक-इतर ग्राहकों (वार्किंग कस्टमर्स) से ₹.50,000/- तक के निधि अंतरण अनुरोध को स्वीकार किया जाता है.

इसके अलावा बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जाती है -

1. सीटीएस 2010 (चेक छायांकन प्रणाली) भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार मानक चेक बुक
2. मृतक खाताधारक के दावा निपटान के लिए सभी संबद्ध प्रारूपों सहित जांच सूची
3. बैंक की वेबसाइट पर अपरिचालित/ निष्क्रिय/ दावा न किए गए जमाराशि खातों की सूची का प्रदर्शन (भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर -10- वर्ष से अधिक पुरानी अवधि के ग्राहकों के नाम एवं पते प्रदर्शित किए जाते हैं.)

शाखाओं में ग्राहक सेवा सुधारने के प्रयास

शाखाओं में ग्राहक सेवा की क्वालिटी के विषय में शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है. इन समितियों की प्रत्येक महीने बैठकें आयोजित की जाती हैं और इसमें वरिष्ठ नागरिकों एवं पेशवरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. बैठकों में प्राप्त विचारों/ सुझावों का आकलन कर सेवा क्वालिटी में सुधार हेतु उनकी संभाव्यता के परीक्षण हेतु समुचित फॉलो-अप कार्यवाही की जाती है.

आपके बैंक का ध्यान सभी डिलीवरी चैनलों के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केन्द्रित है और ग्राहक संतुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ई-उत्पाद तथा वैकल्पिक डिलीवरी चैनल्स, जैसे - एटीएम/ डेबिट कार्ड, पी ओ एस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आदि उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप हैं. विभिन्न प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में सुधार कर सभी प्रकार के ग्राहकों के हितों एवं प्रत्याशाओं का ध्यान रखा गया है.

अनुपालन

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोड्स एवं स्टैंडर्ड (बी सी एस बी आई) का सदस्य है और इसने बी सी एस बी आई ने अगस्त, 2009 में निर्धारित 'ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता' को अपनाया है. इसने 'माइक्रो एवं लघु उद्यमियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को भी अपनाया है. इन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और ग्राहकों को बैंक शाखाओं के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है.

वित्तीय वर्ष 2011 के लिए वार्षिक मौद्रिक एवं क्रेडिट नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने यह प्रस्ताव रखा था कि बैंकों को अपने निदेशक-मंडलों की बैठकों में हर छमाही में ग्राहक सेवाओं/ ग्राहकों के प्रति ध्यान देने की समीक्षा करने के लिए चर्चा करने के प्रयोजन से विशेष समय प्रदान करना चाहिए. इसकी अनुपालना में आपके बैंक ने जनवरी-जून 2012 एवं जुलाई-सितंबर 2012 के लिए क्रमशः दि. 4 अगस्त, 2012 एवं 3 मार्च, 2013 को इस प्रकार दो छमाही बैठकें आयोजित कीं.

निदेशक-मंडल की ग्राहक सेवा समिति

आपके बैंक में 31 मार्च, 2013 के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की निदेशक-मंडल ग्राहक सेवा की

उपसमिति गठित की गई है -

1	श्री एस.एस.मूंदड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री पि.श्रीनिवास	कार्यपालक निदेशक
3	श्री सुधीर कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक
4	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक
5	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	निदेशक
6	श्री सत्यदेव त्रिपाठी	निदेशक

यह उप-समिति, नीति निर्धारण तथा उनकी अनुपालना से संबंधित मुद्दों को देखती है जिससे ग्राहक सेवा में सतत सुधार होता है। यह मृतक जमाकर्ताओं/ लॉकर किरायदारों/ सेफ कस्टडी में सामान जमाकर्ताओं के संबंध में निपटान हेतु उन दावों की स्थिति की मॉनिटरिंग करती है जो 15 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं, तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड्स के कार्यान्वयनों की समीक्षा भी करती है।

ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति

आपके बैंक ने “ग्राहक सेवा पद्धति एवं कार्यनिष्पादन बजट पर स्थायी समिति” का गठन किया है जिसमें बैंक के तीनों कार्यपालक निदेशक और चार महाप्रबंधकों के अलावा -3- प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं और यह आपके बैंक में प्रचलित प्रणालियों एवं पद्धतियों की समीक्षा करती है और सतत आधार पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करती है।

बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा तिमाही आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों से शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों से सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें ग्राहक सेवाओं संबंधी प्रणालियों एवं पद्धतियों की लेखा परीक्षा की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ग्राहक केन्द्रित पहलें एवं शिकायत निवारण

- आपके बैंक ने निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक सुसंगठित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। आपके बैंक से संबंधित ग्राहक शिकायतों के संबंध में परिचालन एवं सेवाओं के महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अंचल एवं क्षेत्रीय स्तरों पर संबंधित अंचल एवं क्षेत्रीय प्रमुख नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। नोडल अधिकारियों एवं उनके संपर्क नम्बर को सभी शाखाओं में प्रदर्शित किया गया है।
- प्रत्येक तिमाही में निदेशक-मंडल के समक्ष ग्राहक शिकायतों एवं समस्याओं के निवारण के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आपके बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में प्राप्त ग्राहक शिकायतों की स्थिति प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद ग्राहक सेवा में सुधार हेतु तत्संबंधी फॉलो-अप उपाय एवं आवश्यक पहलें की जाती हैं।
- ग्राहकों की शिकायतों को कम करने एवं झंझटमुक्त ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और समयोचित कार्यवाही की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हों।

- ग्राहक सेवाओं के संबंध में आपका बैंक अपने निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों को अपनाता है और यह नीतियां आपके बैंक की वेबसाइट पर उलब्ध हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 11 जून, 2012 के पत्रांक डीओ नं.1/3/2012-बीओ-III में दिए गए निदेशों के अनुसार सभी बैंकों में एकरूपता लाने और सभी शिकायतों का एक केन्द्रीयकृत डेटाबेस तैयार कर ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आपके बैंक ने “मानकीकृत जनशिकायत निवारण तंत्र” लागू किया है जिससे कि शिकायतकर्ता अपनी समस्याओं को एक सरल एवं आसान तरीके से बहु-विधि चैनलों के द्वारा उठा सकें।

इसके साथ ही आपके बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन कंफ्लेंट्स (एसपीजीआरएस) का आयकन उपलब्ध कराया गया है।

एस पी जी आर एस की विशेषताएं -

- आपके बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर “ऑनलाइन कंफ्लेंट्स (एसपीजीआरएस) आयकन उपलब्ध कराया गया है।
- शिकायतों/ समस्याओं के रजिस्ट्रेशन के साथ ही तुरंत एक ट्रैकर आई डी जेनरेट होता है और वह शिकायतकर्ता के ई-मेल आई डी पर सूचित कर दिया जाता है। इस ट्रैकर आई डी के आधार पर ग्राहक अपनी शिकायत/ समस्या की वर्तमान स्थिति जान सकता है।
- समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए संबंधित शाखा को यही ट्रैकर आईडी ई-मेल से भी भेजी जाती है।
- समस्या का समाधान करते समय, समस्या निवारण में व्यतीत दिनों को ध्यान में रखते हुए, अगले उच्च अधिकारी को एक स्वजनित एस्कालेटिंग मैट्रिक्स भी प्रदान किया जाता है।
- शिकायत बंद कर दिए जाने के मामले में ग्राहकों को स्वजनित टैक्स्ट संदेश भेजा जाता है।
- एसपीजीआरएस के कार्यान्वित हो जाने पर दायर की गई समस्याओं/ शिकायतों के निवारण समय” में अत्यंत कमी आई है जो कि 5 से 7 दिन औसत है।
- आपके बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में समर्पित कंप्यूटर सिस्टम - कियोस्क - स्थापित किए हैं ताकि ग्राहक अपनी शिकायतें/ समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

समीक्षाधीन वर्ष में अपनी शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आपके बैंक ने सबसे निचले स्तर की ग्राहक समितियों से प्राप्त फीडबैक एवं विभिन्न अध्ययनों/ सर्वेक्षणों के आधार पर कई ग्राहक केन्द्रित पहलें एवं उपाय किए हैं।

केवायसी-एमएल-सीएफटी के लिए तंत्र

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंड/ एंटी मनीलाइटिंग (एमएल) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) उपाय एवं पी एम एल ए, 2002 के अंतर्गत बैंक के दायित्व

केवायसी-एमएल-सीएफटी के संबंध में आपका बैंक निदेशक-मंडल से अनुमोदित नीति का अनुसरण करता है। यह नीति बैंक के के वाय सी मानदंडों, ए एम एल मानकों, सी एफ टी उपायों तथा प्रीवेंशन ऑफ मनी लाइटिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत बैंक के दायित्वों के कार्यान्वयन के आधार हैं।

समस्त बैंक में केवायसी-एएमएल-सीएफटी कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं

- बैंक वित्तीय अनुसंधान इकाई (एफआईयू) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकद लेन देन रिपोर्टों (सीटीआर) को जेनरेट करता है.
- सिस्टम आधारित एलर्टस जेनरेट करने के लिए "एएमएल सॉल्यूशन" स्थापित कर लागू कर दिया गया है.
- संदेहास्पद लेन-देनों का पता लगाने और रिपोर्टों (एसटीआर) को वित्तीय अनुसंधान इकाई (एफआईयू) को प्रेषित करने हेतु सिस्टम आधारित व्यवस्था है.
- बैंक ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही में सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (एएमएल उपायों से) किया गया है.
- बैंक एफआईयू - आइएनडी, नई दिल्ली को जाली करेंसी नोटों की रिपोर्ट (सीसीआर) प्रेषित करता है.
- बैंक एफआईयू-आइएनडी को गैर-लाभकारी संगठनों के लेन-देनों के बारे में रिपोर्ट (एनटीआर) प्रस्तुत करता है.

के वाय सी के पूर्णतः अनुपालन हेतु स्टाफ सदस्यों एवं ग्राहकों को शिक्षित करना होता है जिसके लिए बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं -

- ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर के वाय सी दस्तावेजों की विस्तृत सूची दी गई है.
- केवायसी-एएमएल-सीएफटी शिक्षा के संबंध में संदर्भ सामग्री प्रदान करने के लिए बैंक के इंटरनेट पर केवायसी-एएमएल पेज प्रदान किया गया है.
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी मार्ग-निर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं.
- बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/ कार्यपालकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
- कार्पोरेट पर्यवेक्षण (कार्पोरेट ओवरसाइट) एवं शाखाओं की लेखा परीक्षा के प्रयोजन से बैंक के प्रधान कार्यालय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

बैंक-ऑफिस परिचालन

क्षेत्रीय बैंक-ऑफिस एवं सिटी बैंक-ऑफिस

आपके बैंक ने दो प्रकार के बैंक-ऑफिसों की संकल्पनाएं कर उन्हें कार्यान्वित किया है, यथा - क्षेत्रीय बैंक-ऑफिस (आरबीओ) एवं सिटी बैंक-ऑफिस (सीबीओ). आरबीओ खाता खोलने के फार्मों एवं वैयक्तिकृत चेक बुकों (पीसीबी) की केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग करता है. आपके बैंक में -10- आरबीओ हैं जो बड़ौदा, भोपाल, दिल्ली, कोयंबतूर, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पुणे एवं जमशेदपुर में स्थित हैं. आर बी ओ 2915 शाखाओं के लिए अल्पलागत (कासा) खाता खोल रहे हैं. -7- आरबीओ की केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग कार्यकलापों से आपके बैंक के 8 अंचलों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हुआ है. खाता खोलने एवं उनके प्रबंधन हेतु दो अन्य आरबीओ को आरंभ करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है जिससे कि बैंक की अन्य शेष शाखाओं को आरबीओ प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जा सके.

आपके बैंक की 3908 शाखाओं के ग्राहकों को क्षेत्रीय बैंक-ऑफिस (आरबीओ) के माध्यम से वैयक्तिकृत चेक बुक जारी करने की सुविधा प्रदान की जा रही है. आपके बैंक ने 13 में से 12 अंचलों की सभी शाखाओं को यह सुविधा प्रदान की है. राजस्थान अंचल की शेष शाखाओं को पीसीबी जारी करने की सुविधा के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा जिससे कि इसमें संपूर्ण देश के ग्राहक कवर हो जाएंगे.

सीबीओ समाशोधन लेन देनों - आवक एवं जावक दोनों - तथा सरकारी वसूलियों एवं ईसीएस लेन देनों की केन्द्रीयकृत अपलोडिंग करता है. आपके बैंक में 21 सीबीओ (सेवा शाखाएं) हैं जिनमें प्रत्येक शहर/ केन्द्र की शाखाओं का समाशोधन एवं ईसीएस कार्य केन्द्रीयकृत रूप में किया जाता है. समाशोधन का केन्द्रीयकरण 64 मुख्य शाखाओं (जो स्थानीय शाखाओं का समाशोधन कार्य करती हैं) में भी आरंभ किया जा रहा है. सीबीओ संकल्पना के तहत आपके बैंक की 1372 शाखाएं शामिल कर दी गई हैं. वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आपके बैंक ने मुंबई, अहमदाबाद एवं सूरत में पूर्णतः आटोमेटेड चेक प्रोसेसिंग सिस्टम आरंभ किया है.

सरकारी कारोबार एवं करेंसी चेस्ट

आपके बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सरकारी कारोबार के संबंध में आरंभ किए गए नए व्यवसाय क्षेत्र निम्नानुसार हैं.

1. आपके बैंक ने झारखंड, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, प. बंगाल, दमन एवं दीव, छत्तीसगढ़, म.प्र., चंडीगढ़, केरल, पांडिचेरी राज्यों में 'कर वसूली' हेतु अनुमति प्राप्त कर ली है.
2. पीपीएफ / एससीएसएस कारोबार का कार्य करने के लिए अतिरिक्त 350 शाखाएं प्राधिकृत की गई.
3. आपके बैंक ने 1 दिसंबर, 2012 से 31 मार्च 2013 के दौरान पीपीएफ खातों के संग्रहण हेतु विशिष्ट अभियान चलाया. अभियान अवधि के दौरान कुल 22,540 नए पीपीएफ खाते खोले गए.
4. विदेश मंत्रालय से उनके मिशन / पोस्ट को किए जाने वाले धनप्रेषण संबंधी कारोबार को भी हासिल किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शाखा, नई दिल्ली को योजना के तहत बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप निधियों के निपटान हेतु नोडल शाखा निर्धारित किया गया.
5. बैंक ने केनेडी एवेन्यू शाखा, अमृतसर एवं बीएम मार्ग शाखा, जालंधर में कस्टम ड्यूटी की प्रत्यक्ष वसूली की व्यवस्था की है.
6. बैंक ने तमिलनाडु में ई-माध्यम से आरटीओ टैक्स के भुगतान को परिचालित कर दिया है.
7. दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश में बैंक की लगभग 15 अन्य शाखाओं में ई-स्टैंपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
8. आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक बांडों की प्राप्ति एवं भुगतान के संबंध में जीबीएम मॉड्यूल को सक्रिय कर दिया है. सभी प्राधिकृत शाखाओं ने अपने संपूर्ण डेटा को जीबीएम मॉड्यूल में माइग्रेट कर दिया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग प्रणाली को परिवर्तित कर दिया है.
9. बैंक की सभी शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान हेतु फिनेकल में CA 118 मेनु को विकसित किया गया है जो करों के विप्रेषण हेतु ऑफलाइन मोड उपलब्ध कराता है.

10. टेलिकॉम पेंशनर्स को पेंशन की प्रोसेसिंग एवं भुगतान के संबंध में सीपीपीसी स्थापित किया गया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

आपके बैंक ने एनपीएस-लाइट के तहत नई पेंशन योजना को सक्रिय कर दिया है। आपके बैंक ने 14.09.2012 को इसके शुभारंभ के उपरांत इस योजना के तहत 31.03.2013 तक कुल 20,872 आवेदन संगृहीत किए हैं।

नकदी प्रबंधन एवं करेंसी चेस्ट

1. आपके बैंक ने अपने अंचलों / क्षेत्रों से निरंतर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए नकद जमा अनुपात (एटीएम के नकदी को छोड़) को 0.30 अथवा उससे कम बनाए रखा है।
2. आपके बैंक ने नए करेंसी चेस्ट खोलने के लिए 30 केंद्र निर्धारित किए हैं एवं विभिन्न अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

करेंसी प्रबंधन हेतु नीतिपरक योजना (2011-14)

आपके बैंक ने भुगतान प्रणाली में सुधार लाने हेतु करेंसी प्रबंधन संबंधी कार्यनीतिपरक योजना 2011-14 के तहत नए करेंसी चेस्ट खोलने के लिए 30 नए केंद्रों को निर्धारित किया है। इस प्रकार करेंसी चेस्ट की कुल संख्या वर्तमान के 84 से बढ़कर 114 हो गई है।

क्रमांक	अंचल का नाम	तीन वर्षों में प्रस्तावित नये करेंसी चेस्ट (मार्च 2014 तक)
1.	बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड अंचल	03
2.	पूर्वी अंचल	04
3.	बृहद मुंबई अंचल	00
4.	उत्तरी गुजरात अंचल	02
5.	दक्षिणी गुजरात अंचल	00
6.	महाराष्ट्र एवं गोवा अंचल	02
7.	मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अंचल	04
8.	उत्तरी अंचल	01
9.	राजस्थान अंचल	04
10.	कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश अंचल	01
11.	तमिलनाडु एवं केरल अंचल	01
12.	पूर्वी उत्तरप्रदेश अंचल	06
13.	पश्चिमी उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड अंचल	02
	कुल	30

सतर्कता

ऑटोमेशन के संबंध में वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलाव तथा बैंकिंग उद्योग में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के बावजूद बैंकिंग सेवा की प्रकृति व्यक्तिपरक है। उत्पादन उन्मुख संगठनों के विपरीत, बैंकिंग में व्यक्तिपरक

सेवा की जरूरत होती है। इस प्रकार इसकी सेवा की गुणवत्ता अधिकांशतः व्यक्तियों के नजरिए पर निर्भर करती है।

आपके बैंक के सतर्कता विभाग का यह प्रयास रहा है कि परिचालन स्तर तथा नियंत्रक कार्यालय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को निवारक तथा अन्वेषक उपाय करने में सम्यक सावधानी एवं सतर्कता बरतने के लिए प्रोत्साहित तथा सक्षम बनाया जाये। इससे कार्य-दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार स्टाफ के लिए सुरक्षा का माहौल तैयार करने में मदद मिलती है।

घोर लापरवाही के मामलों, जिनमें आपके बैंक की निधियां बचे जा सकने वाले जोखिम में पड़ गईं और ऐसे मामले, जिनमें व्यवसायिक निर्णयों की वजह से हानि हुई, के बीच सावधानीपूर्वक अंतर किया जाता है। प्रत्येक मामले की आवधिक निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जांच-पड़ताल तेजी से समाप्त हो और सभी संबंधितों को निष्पक्ष प्रतीत हो। यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है कि जहां जरूरी हो वहां समय पर तथा यथोचित पेनल्टी हो।

विभिन्न निवारक उपायों के संबंध में स्टाफ सदस्यों की सभी श्रेणियों को जागरूक करने के अतिरिक्त आपके बैंक की सतर्कता मशीनरी कंप्यूटरीकृत ई बैंकिंग माहौल में उभरने वाले नए जोखिमयुक्त क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही है।

आपके बैंक में खरीद एवं टेंडर प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंक द्वारा टेंडर आमंत्रित करने की नोटिस / अवाई किए गए टेंडर के विवरण तथा टेंडर / कांट्रैक्ट के सारांश की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं।

आपके बैंक ने आवास ऋण, शिक्षा ऋण तथा ऑटो ऋण के संबंध में ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग स्टैटस की सुविधा आरंभ की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समान ढंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली (एमजीपीआरएस) को 11 जनवरी 2013 से प्रभावी कर दिया गया है।

हमें यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि परिचालन स्टाफ द्वारा दिखायी गई जागरूकता, सावधानी तथा सतर्कता के कारण बेइमान लोगों द्वारा किये गये धोखाधड़ी के 40 प्रयास विफल किये गये और इससे आपका बैंक बड़े वित्तीय नुकसान से बचा।

कारोबार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में आपके बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

संसाधन संग्रहण एवं आस्ति विस्तार

31 मार्च, 2013 को कुल संसाधनों में बैंक की जमाराशियों का अंश 86.6% रहा। कुल जमाराशियां ₹ 3,84,871.11 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 4,73,883.34 करोड़ रुपये हो गईं जो पिछले वर्ष से 23.1% की वृद्धि दर्शाती हैं। कम लागतवाली जमाराशियों में महत्वपूर्ण घटक बचत बैंक जमाराशियों में 13.04% की वृद्धि हुई और ₹ 74,579.53 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 84,302.61 करोड़ रुपये हो गईं।

कुल जमाराशियों (घरेलू तथा वैश्विक) में कम लागतवाली जमाराशियों (चालू + जमा) का अंश 25.3% रहा है और घरेलू जमाराशियों में यह अंश 30.4% रहा।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक के कुल अग्रिम में 14.2% की वृद्धि हुई। घरेलू अग्रिमों में 11.0% और विदेशी अग्रिमों में 21.89% की वृद्धि दर्ज हुई।



बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2013 की चौथी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए

निधियों की संरचना

विवरण (रुपये करोड़ में)	मार्च 2012 को समाप्त	मार्च 2013 को समाप्त	वृद्धि (%)
जमाराशियां	3,84,871.11	4,73,883.34	23.13
- घरेलू	2,80,135.26	3,41,705.59	21.98
- विदेशी	1,04,735.85	1,32,177.74	26.20
उधारियां	23,573.05	26,579.28	12.75

वैश्विक अग्रिम (शुद्ध)

विवरण (रुपये करोड़ में)	मार्च 2012 को समाप्त	मार्च 2013 को समाप्त	वृद्धि (%)
जमाराशियां	2,87,377.29	3,28,185.77	14.20
- घरेलू	2,02,075.39	2,24,294.33	11.00
- विदेशी	85,301.90	1,03,891.44	21.79

होलसेल बैंकिंग एवं मिड कॉर्पोरेट बैंकिंग

आपके बैंक का होलसेल बैंकिंग प्रभाग सभी प्रकार के ऋण उत्पादों एवं सेवाओं, यथा-मीयादी ऋण, अल्पावधि ऋण, मांग ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, व्यापार वित्त उत्पाद, ट्रेजरी उत्पाद, पूरक ऋण, सामूहिक ऋण, संरचनात्मक ऋण, विदेशी मुद्रा / ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी किराया प्राप्तियों के पेटे ऋण तथा और भी कई प्रकार के ऋण अपने बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार प्रदान कर रहा है। ऋण उत्पाद एवं सेवाएं लचीली हैं और ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल तथा विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त रूप से निर्मित की गई हैं।

आपके बैंक ने अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घरेलू व्यावसायिक गृहों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ सुदृढ़ व्यावसायिक संबंध कायम करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

आपके बैंक के कार्पोरेट ग्राहकों को बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट में वर्गीकृत किया गया है। ₹ 500 करोड़ से ज्यादा बिक्री टर्न ओवर को बड़े कार्पोरेट एवं ₹ 150 करोड़ से ₹ 500 करोड़ के बिक्री टर्नओवर को मध्यम कार्पोरेट में वर्गीकृत किया गया है।

किसी भी बैंकिंग उद्योग के विकास की संभावनाएं उस अर्थव्यवस्था विकास की गति से गहरे रूप में जुड़ी होती हैं, जिनसे वह संबद्ध है। दुर्भाग्यवश भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान दशक की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की। राजकोषीय एवं चालू खाते के घाटे, अधिक मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरें, अस्थिर वायदा दरें, निजी निवेश इत्यादि से देश की विकास दर प्रभावित हुई है।

तथापि, इस दौर में आपके बैंक ने ऋण विस्तार के क्षेत्रों की पहचान की एवं अपने फास्ट ट्रैक डेस्क के माध्यम से 94 नए संबंध स्थापित किए। होलसेल एवं मिड कार्पोरेट विभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों / उद्योगों की प्रदेश भर में फैली परियोजनाओं / ईकाइयों में ₹ 53,565/- करोड़ की नई / बढ़ी हुई ऋण सुविधाएं मंजूर कीं। इससे संवेदनशील क्षेत्रों जैसे घरेलू वाणिज्यिक रियल इस्टेट, पावर, रोड, टेलिकॉम, आयरन एवं स्टील इत्यादि को अतिरिक्त ऋण देने पर भी विचार किया।

आपके बैंक का गैर - खाद्य सकल अग्रिम 31.03.2012 के ₹ 2,01,822.71 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 2,23,990.20 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान के कुल घरेलू ऋण का 37.5% हिस्सा होलसेल ऋण से संबद्ध रहा।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 13 के दौरान एक नए व्यवसाय वर्टिकल अर्थात् मिड कार्पोरेट सेगमेंट की स्थापना की। इसका उद्देश्य मिड कार्पोरेट ऋणकर्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाना तथा समर्पित शाखाओं के माध्यम से मिड कार्पोरेट ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण मिड कार्पोरेट व्यवसाय सेगमेंट की आवश्यकताओं के प्रति फोकस युक्त व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हुए आरंभिक तौर पर संपूर्ण भारत में 16 मिड कार्पोरेट शाखाएं खोली गई हैं।

आपके बैंक का उद्देश्य सीएफएस शाखाओं के माध्यम से बड़े कार्पोरेट व्यवसाय को तथा मिड कार्पोरेट शाखाओं के माध्यम से मिड कार्पोरेट व्यवसाय को बढ़ाना एवं इसके द्वारा 'ऑन एण्ड ऑफ' तुलन पत्र व्यवसाय, दोनों के माध्यम से, आय अर्जन को अधिकतम करना है।

आपके बैंक का होलसेल बैंकिंग विभाग के पास एक संपूर्ण परियोजना वित्त विभाग है। परियोजना वित्त विभाग के पास विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल की सेवाएं उपलब्ध हैं जोकि आपके बैंक के ग्राहकों की टीईवी अर्थात् तकनीकी व्यवहार्यता एवं मूल्यांकन का अध्ययन करता है।

विभाग के पास एक सिंडिकेशन डेस्क की सुविधा भी है जो ग्राहकों की घरेलू निधि आवश्यकताओं को सिंडिकेट करता है। विभाग को टीईवी अध्ययन, परियोजनाओं की जांच, सिंडिकेशन सौदों इत्यादि के माध्यम से खाता शुल्क आधारित आय अर्जित करता है।

आपके बैंक के होलसेल बैंकिंग विभाग के पास घरेलू विदेशी मुद्रा कारोबार (डीएफबी) भी है। डीएफबी सभी प्राथिकृत शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय को, जिसमें एमआईएस तथा रिपोर्टिंग / आयात निर्यात व्यवसाय प्रबंधन भी शामिल है, संचालित करता है।

आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने एवं मूल्यांकन गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के पालन एवं स्क्रीनिंग करने पर विशेष बल दिया है।

उपरोक्त हेतु उपयुक्त कौशल युक्त कर्मचारी अथवा दक्ष, सक्षम एवं कौशलयुक्त मानवशक्ति का होना एक पूर्व शर्त है। इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक क्रेडिट तथा फॉरेक्स अधिकारियों के नियमित तौर पर प्रशिक्षित किये जाने एवं बैंक के अंदर तथा बाहरी प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग विशिष्ट प्रशिक्षण दिए जाने पर विशेष बल दे रहा है। आपके बैंक ने विशेषीकृत अधिकारियों की भर्ती तथा सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस/एमबीए साथ ही साथ अनुभवी बैंकिंग प्रोफेशनल की सीधी भर्ती करना जारी रखा है।

यह नोट करें कि आपके बैंक ने ऋण प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी हेतु 'ऋण अनुमोदन प्रक्रिया कमेटी अप्रोच' को अपनाया है। ये समितियां टर्न अराउंड समय (टीएटी) को कम करने के लिए बार-बार बैठकें करती हैं।

रिटेल व्यवसाय

पूर्व की भांति वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान रिटेल व्यवसाय बैंक के समग्र व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। आपका बैंक वैयक्तिक एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (व्यापारियों) जोकि सहज एवं संवहनीय लागत पर बैंकिंग सुविधाएं चाहते हैं, की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देता है।

वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग संविभाग के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत वृद्धि

वर्ष के दौरान आपके बैंक की रिटेल ऋण बही में पांच प्रमुख उत्पाद अर्थात् होम लोन, ऑटो लोन, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स लोन, मोर्टगेज लोन शामिल हैं, जोकि मार्च 2013 तक एक साथ मिलकर कुल रिटेल ऋण संविभाग में 80.4% की हिस्सेदारी रखते हैं। अन्य उत्पाद जिनके नाम लाबोड / ओडीबीओडी हैं, की बैंक के कुल ऋणों में 16.7% की हिस्सेदारी रही।

इसके अतिरिक्त अन्य उत्पाद, जैसे-बड़ौदा पर्सनल लोन एवं विविध उत्पाद जैसे डॉक्टर्स लोन, सरकारी प्रतिभूतियों के एवज ऋण इत्यादि ने कुल रिटेल ऋणों में 2.9% का योगदान किया।

कुल बकाया रिटेल ऋण 31 मार्च 2012 के ₹ 35,668 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को ₹ 38,046 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान ₹ 2,379 करोड़ (6.7%) की वृद्धि दर्ज की गई जो कि आर्थिक मंदी एवं उच्च ईंधन खर्च के कारण रिटेल मांग में कमी को प्रतिबिंबित करती है।

पांच महत्वपूर्ण रिटेल उत्पादों के तहत वृद्धि

वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान कुल खुदरा ऋणों में 80.4% हिस्सा रखने वाले पांच प्रमुख ऋण उत्पादों ने वित्तीय वर्ष-13 में ₹ 4,412 करोड़ (16.9%) की कुल वृद्धि दर्ज की।

- वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आवास ऋण के अंतर्गत ₹ 1,911 करोड़ (13.5%) की वृद्धि दर्ज की गई।

- वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान ऑटो ऋणों के अंतर्गत ₹ 512 करोड़ (21.1%) की कुल वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान ट्रेडर्स ऋणों के तहत ₹ 1620 करोड़ (29.1%) की वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान बड़ौदा मोर्टगेज ऋणों के अंतर्गत ₹ 284 करोड़ (13.0%) की कुल वृद्धि दर्ज की गई।
- वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान शिक्षा ऋणों में ₹ 86 करोड़ (4.6%) की वृद्धि दर्ज की गई।

खुदरा ऋणों में एनपीए

आपके बैंक के खुदरा ऋण व्यवसाय के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि दि.31.12.2012 के ₹ 681.67 करोड़ (1.99%) के स्तर तथा दि.30.09.2012 के ₹ 653.47 करोड़ (1.92%) के स्तर की तुलना में दि.31.03.2013 को ₹ 669.08 (1.76%) रही। खुदरा ऋण के अंतर्गत गैर निष्पादक आस्तियों का स्तर दि.31.03.2012 का ₹ 682.37 करोड़ (1.91%) था।

रिटेल जमाराशियों के अंतर्गत वृद्धि

आपके बैंक की **बचत जमा राशियां** ₹ 9,425 करोड़ (12.98%) की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए दि.31.03.2013 को ₹ 81,995 करोड़ रही।

आपके बैंक की रिटेल **मीयादी जमा राशियां** ₹ 16,672 करोड़ (13.83%) की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए दि.31.03.2013 को ₹ 1,37,215 करोड़ रही।

विचाराधीन वर्ष के दौरान समग्र रिटेल जमाराशियां, अर्थात् **रिटेल मीयादी जमाराशियां + बचत जमाराशियों** के अंतर्गत ₹ 26,097 करोड़ (13.51%) की वृद्धि दर्ज की गई।

गोल्ड कॉइन की बिक्री

वित्तीय वर्ष, 2013 के दौरान विविध वजन के कुल 696.076 कि.ग्रा.के लगभग 77,459 गोल्ड कॉइन की बिक्री की गई।

वित्तीय वर्ष-13 के दौरान रिटेल बैंकिंग में नवोन्मेषी कार्य

1. नए उत्पादों का प्रारंभ-

इस वर्ष दि.1 जुलाई, 2012 को "बड़ौदा एज्युकेशनल लोन फॉर वोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग कोर्स" नामक एक नये रिटेल आस्ति उत्पाद का प्रारंभ किया गया।

दि. 25 जनवरी, 2013 को सात वर्ष, छह माह एवं पांच दिनों की अवधि के लिए 9.34% की ब्याज दर के साथ "बड़ौदा डबल धमाका" नाम से बड़ौदा डबल धमाका जमा योजना का एक आवधिक जमा उत्पाद का प्रारंभ किया गया।

2. उत्पाद संशोधन

- आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष-13 में बड़ौदा एडिशनल एश्योर्ड एडवान्स (एएए) योजना में अधिकतम सीमा ₹ 25 लाख तक बढ़ाते हुए तथा आधार दर + 6.50% ब्याज दर को घटाकर आधार दर + 1.50% की दर के साथ इस टॉप-अप होम लोन में संशोधन किया।

- बड़ौदा नागरिक बचत खाते को संशोधित करते हुए बड़ौदा लघु बचत बैंक जमा खाता योजना का नाम दिया गया और उसे अधिक स्वीकार्य और आकर्षक बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की गई-
 - न्यूनतम प्रारंभिक शेष राशि ₹ 50 से घटा कर शून्य कर दी गई.
 - माह के दौरान आहरणों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार की गई.
 - वर्ष के दौरान निःशुल्क चेकों की उगाही हेतु चेकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गई.
 - परिचालन न करने /अपरिचालित /निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने संबंधी पूर्व में लागू प्रभार को समाप्त कर शून्य प्रभार किया गया.
 - स्थायी अनुदेश, ईसीएस एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो पूर्व में उपलब्ध नहीं थी.
 - आपके बैंक ने आवास ऋण, शिक्षा ऋण एवं बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण योजनाओं को अपने रिटेल ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उनके प्रमुख पैरामीटर्स में कई संशोधन किए.

3. व्यवसाय संबंधी अन्य पहलें

- **रिटेल ऋण अभियान - रिटेल मानसून धमाका:** आपके बैंक के रिटेल ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए दि.14 मई, 2012 से 30 सितंबर, 2012 की अवधि के दौरान एक रिटेल ऋण अभियान, मानसून धमाका प्रारंभ किया गया. अभियान की अवधि के दौरान 24,323 खातों में ₹ 2,088.21 करोड़ का नया व्यवसाय प्राप्त किया गया.
- **रिटेल ऋण अभियान -रिटेल ऋण त्यौहार धमाका (i)-** रिटेल मानसून धमाका अभियान की सफलता से प्रेरित होकर एक नया अभियान- "रिटेल ऋण त्यौहार धमाका" दि.1 अक्टूबर, 2012 से 30 नवंबर, 2012 तक मुख्य रूप से होम लोन एवं कार लोन को केंद्र में रखते हुए प्रारंभ किया गया. इसे मिले प्रतिसाद को देखते हुए उसे दि. 31 दिसंबर, 2012 तक आगे बढ़ाया गया. इस अभियान के प्रारंभ से दि. 31 दिसंबर, 2012 तक 18,102 खातों में कुल ₹ 1,617.58 करोड़ मंजूर किए गए.
- **रिटेल ऋण अभियान- रिटेल ऋण त्यौहार धमाका (ii) -** उपरोक्त अभियानों की सफलता को देखते हुए 1 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2013 तक होम लोन एवं कार लोन पर केंद्रित करत हुए "रिटेल ऋण त्यौहार धमाका (ii)" नाम से एक और अभियान चलाया गया, जिसे 31 मार्च, 2013 तक आगे बढ़ाया गया. इस अभियान के प्रारंभ से दि. 31 मार्च, 2013 की अवधि में 16750 खातों में ₹ 1,811.04 करोड़ मंजूर किए गए.
- **बड़ौदा महा उत्सव जमा योजना-** पूर्व की 444 दिनों की 9.35% की ब्याज दर की "बड़ौदा उत्सव जमा योजना" के स्थान पर दि.13 अगस्त, 2012 को 1111 दिनों के लिए 9.15% की ब्याज दर पर "बड़ौदा महा उत्सव योजना" नामक आवधिक जमा योजना प्रारंभ की गई.

- **बचत बैंक जमा अभियान (i)-** कम लागत की जमाराशियों के संग्रहण के लिए दि.1 जुलाई, 2012 को तीन माह की अवधि के लिए एक बचत बैंक जमा अभियान प्रारंभ किया गया. अभियान की अवधि के दौरान 16,06,508 खातों में ₹ 2,301 करोड़ (धारित राशि) की नयी जमाराशियां संग्रहित की गई.
- **बचत बैंक जमा अभियान (ii)-** कम लागत और जमाराशिया संग्रहित करने हेतु दि.1 जनवरी, 2013 को तीन माह की अवधि के लिए एक और अभियान प्रारंभ किया गया. इस अभियान की अवधि के दौरान 13,89,750 खातों में रु. 2,700 करोड़ (धारित राशि) की नयी जमाराशियां संग्रहित की गई.



बचत बैंक अभियान की सफलता की खुशी में मुंबई में सीएमडी के साथ एक विशेष संध्या का आयोजन किया गया

- **नयी रिटेल लोन फैक्ट्रियां खोलना-** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिटेल लोन व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सोडेपुर, महेसाणा तथा राजकोट में तीन नयी रिटेल लोन फैक्ट्रियां खोली गई.

धन संपदा प्रबंधन सेवाएं-

अपने ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के एक भाग के रूप में आपका बैंक वर्ष, जून 2004 से ही अपने एचएनआई एवं मूल्यवान ग्राहकों के लिए धन संपदा प्रबंधन सेवाएं (डब्ल्यूएमएस) उपलब्ध कराता रहा है. इस समय अपनी वीएमएस के अंतर्गत बैंक विविध साझेदारों के साथ टाई-अप व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य जमा, म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी ट्रेडिंग सहित जीवन बीमा व गैर-जीवन बीमा में विविध थर्ड पार्टी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है.

संपदा प्रबंधन सेगमेंट को मजबूत करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने म्यूचुअल फंड एवं जीवन बीमा में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के साथ दो संयुक्त उद्यम प्रारंभ किए हैं. इन दो जे.वी.कंपनियों के उत्पाद आपके बैंक के समग्र भारत में शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संवितरित किए जाते हैं. इन संयुक्त उद्यमी कंपनियों के उपक्रम में उत्साहवर्धक वृद्धि दिखाई देना शुरू हो गया है.

अपनी संयुक्त उद्यमी कंपनियों के उत्पादों के संवितरण के साथ, आपने बैंक ने साधारण बीमा के लिए नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. के साथ तथा म्यूचुअल फंड उत्पाद हेतु अन्य सात अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ टाई-अप व्यवस्था की है. आपके बैंक ने जनवरी, 2007 से ई-ट्रेडिंग के लिए इंडिया इन्फोलाइन लि. के साथ भी टाई-अप व्यवस्था की है और बॉब कैपिटल मार्केट लि. के माध्यम से इसका अपना इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, जिसे रिटेल ग्राहकों के लिए प्रारंभ किया गया था. आईपीओ /एफपीओ तथा राइट इश्यू सबस्क्रिप्शन हेतु एसबीए आवेदकों के स्वीकार

हेतु सभी शाखाओं को इनेबल करते हुए ग्राहक-मित्रवत् तथा निवेशकों की सुविधा हेतु कई उपाय किए हैं। साथ ही, इसके अपने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ट्रांजेक्शन राइट के साथ आईपीओ /एफपीओ/राइट इश्यू हेतु एसबीए आवेदकों का उनकी सुविधानुसार उनके घर /कार्यालय से स्वीकार करने की सुविधा हेतु ऑनलाइन एसबीए आवेदन प्रस्तुति की सुविधा प्रारंभ की है। आपके बैंक ने सिंडिकेट एसबीए आवेदकों के स्वीकार हेतु 12 केंद्रों को सक्रिय किया है। ये ग्राहकों-मुखी उपाय आपके बैंक के कासा संग्रहण के प्रयासों में उल्लेखनीय रूप से सहभागी बनेंगे ऐसी अपेक्षा है।

अपने सेवा के स्तर को और ऊपर उठाने के लिए आपके बैंक ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पालिसी धारकों के लिए एक प्रिमियम वसूली मोडयूल प्रारंभ किया है। साथ ही, आपके बैंक का साधारण बीमा उत्पाद बैंक द्वारा वित्त-पोषित आस्तियों को कवर उपलब्ध कराता है। यह आपके बैंक को शुल्क आधारित आय उपलब्ध कराता है, साथ ही, ऋणकर्ता इकाई को संपदा प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत जोखिम को दूर करने का विकल्प भी उपलब्ध कराता है।

वित्तीय वर्ष 14 गुणवत्तापूर्ण संपदा प्रबंधन सेवाओं के अगले चरण में बैंक की गति का साक्षी बनेगा। इसमें एटीएम के माध्यम से बीमा नवीकरण प्रिमियम वसूली तथा बडौदा पायोनियर के लिए निधि वसूली मोडयूल का समावेश है। यह आपके बैंक की शाखाओं को अपने निवेशक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में सहायक बनेगा। गैर-जीवन बीमा के लिए आपके बैंक का टाइम अप साझेदार भी सीबीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तथा बैंक के आई-बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से बीमा एवं पालिसी का नवीकरण सक्रिय कर एक और कदम बढ़ाएगा।

एमएसएमई व्यवसाय

किसी भी देश के विकास में माइक्रो, लघु और मझौले क्षेत्र (एमएसएमई) का महत्व सर्वविदित है।

दुन एंड ब्रैंडस्ट्रीट रिसर्च (2012), के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र, उद्यमों के आकार, उत्पादों एवं सेवाओं के वैविध्य और प्रौद्योगिकी के स्तरों की दृष्टि से अत्यंत वैविध्यपूर्ण है। यह क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराता है, बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण में सहायक बनता है, क्षेत्रीय असंतुलन को घटाता है और राष्ट्रीय आय एवं संपदा का अधिक संतुलित वितरण सुनिश्चित करता है। एमएसएमई बड़े उद्योगों की अनुषंगी इकाइयों के रूप में सहयोग करता है और देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देता है।



बैंक ऑफ बडौदा ने मे. पीआजीओ व्हीकल्स प्रा. लि. के साथ समझौता करार किया।

इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए आपका बैंक नियंत्रक दिशानिर्देशों के अलावा निर्माण/सेवा क्षेत्र में उन इकाइयों पर भी उन्हें एमएसएमई के समतुल्य मानते हुए विचार करता रहा है, जिन्होंने क्रमशः प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों में निवेश किया है और जिनका टर्नओवर रु. 150 करोड़ तक का है। नियंत्रक एमएसएमई उद्यमों के अनुरूप ही इस विस्तृत क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए ऐसा किया गया है। तथापि आपका बैंक नियंत्रक रिपोर्टिंग के लिए नियंत्रक परिभाषाओं और दिशानिर्देशों का कड़ा अनुपालन करता है।

वित्तीय वर्ष 13 में चुनौतिपूर्ण आर्थिक परिवेश के बावजूद एमएसएमई की नियंत्रक श्रेणी के अंतर्गत आपके बैंक का कार्यनिष्पादन अत्यंत मजबूत रहा है। वास्तव में इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्र को लागू होने वाली ब्याज दरों को एमएसएमई इकाइयों की अपेक्षाओं के अनुरूप और औचित्यपूर्ण बनाया गया।

यह नोट किया जाए कि आपके बैंक ने इस व्यवसाय के अंतर्गत वर्ष के प्रारंभ में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन सभी को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

व्यवसाय में वृद्धि

एमएसएमई क्षेत्र में कुल बकाया राशि दि. 31 मार्च 2013 को ₹ 44,974 करोड़ रही। गत तीन वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों में हुई वृद्धि निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	वृद्धि (% वर्ष दर वर्ष)
2010-11	29.63%
2011-12	26.11%
2012-13	30.31%

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- मार्च 2013 की समाप्ति पर एसएमई अग्रिम ₹ 44,974 करोड़ था, जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर ₹ 10,462 करोड़ (30.31%) की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2013 में एमएसएमई सेक्टर को ₹ 28,047 करोड़ के कुल ऋण में माइक्रोसॉफ्ट उद्यमोंको अग्रिम 62.1% अर्थात् ₹ 17,409/- करोड़ था। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया गया।
- 31 मार्च 2013 को आपके बैंक के सकल घरेलू ऋण में एसएमई अग्रिमों ने 19.7% का अंशदान किया।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिम भारत सरकार द्वारा मार्च अंत तक के लिए लक्ष्य ₹ 33650 करोड़ की तुलना में ₹ 38227 करोड़ तक पहुंच गए।
- लोन फैक्टरी मॉडल की सफलता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष-13 के दौरान छः नई एसएमई लोन फैक्ट्रियां खोलीं।
- अपने एमएसएमई व्यवसाय को और बढ़ाने हेतु आपके बैंक वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 'एमएसएमई कैपेक्स लोन एवं कैपेक्स कार्ड' नामक नया उत्पाद आरंभ किया।

वर्ष 2013 के दौरान एमएसएमई वित्तपोषण संबंधी पहलें

1. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 5 नए एसएमई ऋण फैक्ट्री इन्द्रप्रस्थ (नई दिल्ली), आणंद, भोपाल, जूनागढ़ और जालंधर में खोली गई, जिन्हें मिला कर देश भर में कुल 52 एसएमई ऋण फैक्ट्री हो गई. 'लोन फैक्ट्रीज' मॉडल यह गुणवत्तायुक्त ऋण मूल्यांकन, टर्न-अराउंड समय घटाने एवं मात्रा को बढ़ाना सुनिश्चित करने और उसके द्वारा आपके बैंक के लिए अपने एमएसएमई ऋणों की गुणवत्ता को कम न होने देते हुए उसए बढ़ाना संभव बनाने के लिए आपके बैंक द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण संकल्पना है.
2. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014 के लिए विविध शाखाओं में एसएमई लोन फैक्ट्री, विशेषीकृत एसएमई शाखाओं एवं एमएसएमई कक्षों को स्थापित करने की योजना बनाई है.
3. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान एमएसएमई वित्तपोषण में अपनी ब्रांड इमेज को स्थापित करने के लिए विविध सेमिनारों और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया.
4. आपके बैंक ने परिवर्धित प्रति-बिक्री, स्थानीय बैठकों एवं ट्रेड निकायों को सहभागी बनाने के माध्यम से समग्र ग्राहक संबंध प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.
5. आपके बैंक ने ऐसी प्रणाली का प्रारंभ किया है, जिसमें मासिक आधार पर सभी एसएमई ऋण फैक्ट्री को उनके कार्यनिष्पादन के अनुसार श्रेणीक्रम दिया जाता है तथा सक्रिय कौशल निर्माण एवं प्रोत्साहन के उपाय के रूप में वार्षिक/अर्ध वार्षिक आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एसएमई ऋण फैक्ट्री को सम्मानित/बधाई/पुरस्कृत किया जाता है.
6. आपके बैंक ने एसएमई ऋण फैक्ट्री से सम्बद्ध प्रोसेसिंग/मार्केटिंग अधिकारियों के लगातार ज्ञान वर्धन एवं कौशल निर्माण हेतु कर्मचारी महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों में विशेष कोर्स/बाहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं.
7. आपके बैंक की एसएमई को आकर्षक मूल्य संकल्पना प्रस्ताव के साथ 'स्टैंड बाय मीयादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी सीमा' नामक एक नया उत्पाद प्रारंभ करने की योजना है.
8. आपके बैंक ने एमएसएमई ऋणकर्ताओं के लिए ऑन लाइन ऋण आवेदन की व्यवस्था एवं प्रस्तावों के ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रारंभ की है.
9. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 13 के दौरान समग्र भारत में विविध क्षेत्रों/उद्योगों से संबद्ध क्षेत्र विशेष से संबंधित कई योजनाओं को नवीकृत किया है.
10. आपके बैंक ने नया व्यवसाय कैन्वास करने हेतु प्रयासों को दुगुना करने के उद्देश्य से एसएमई लोन फैक्ट्रीज एवं शाखाओं के स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी से मार्च 2013 के दौरान एमएसएमई महोत्सव का आयोजन किया.
11. आपके बैंक ने रेटिंग, वित्तीय शर्तों तथा बैलेंसशीट अनुपातों आदि के बारे में संबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ संयुक्त रूप से अलीगढ़ एवं रायपुर में एसएमई ऋणकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बेहतर व्यवसाय संभावनाओं के साथ समान गतिविधियों से जुड़ी इकाइयों के क्लस्टर से संबद्ध कुछ पॉकेटों के लिए विकसित की गई क्षेत्र-विशेष-योजनाओं ने संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए. क्लस्टर डेवलपमेंट अग्रणी शाखाओं के साथ भी किया गया. भारत सरकार द्वारा सूचित कार्यक्रमों, विशेष रूप से बुनकर क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पर वित्तीय वर्ष 13 के दौरान ध्यान केन्द्रित किया गया.

पश्चिम भारत में एमएसएमई ऋणों में आपके बैंक के कार्यनिष्पादन को देखते हुए हालही में नयी दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के हाथों से आपके बैंक को अवार्ड प्राप्त हुआ है.

ग्रामीण एवं कृषि ऋण

आपका बैंक सामान्यतया प्रथमिकताप्राप्त क्षेत्र में और विशेष रूप से कृषि ऋणों में हमेशा अग्रणी रहा है. यह अपनी 1,436 ग्रामीण शाखाओं तथा 1,162 अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की संभावनाओं का दोहन करता रहा है.

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान भी आपके बैंक ने नयी 291 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं खोलीं

आपके बैंक को उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक होने का गौरव प्राप्त है. आपके बैंक के पास गुजरात (12), राजस्थान (12), उत्तर प्रदेश (15), उत्तरांचल (2), मध्य प्रदेश (2) एवं बिहार (2) राज्यों में 45 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व है.

आपके बैंक ने तीन राज्यों में 1,526 शाखाओं के नेटवर्क और मार्च अंत तक ₹ 29,282.38 करोड़ के कुल व्यवसाय के साथ तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) प्रायोजित की हैं.

वित्तीय वर्ष 13 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में कार्यनिष्पादन

आपके बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम मार्च 2012 के अंत में ₹ 68,527 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2013 के अंत में ₹ 80,004 करोड़ हो गए जो समायोजित बैंक ऋण (एएनबीसी) का 39.31% है, जब कि अनिवार्य लक्ष्य 40% का है. लक्ष्य पूरा करने में हुई यह कमी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबद्ध नियंत्रक परिभाषाओं में परिवर्तन/संशोधन के कारण है.



बैंक ऑफ बडौदा ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए संशोधित 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण दिशानिर्देशों' पर जयपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया.

कृषि अग्रिम

आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम ₹ 2,220 करोड़ की समग्र वृद्धि और गत वर्ष की तुलना में 10.9% ₹ की बढ़त के साथ ₹ 22,645 करोड़ हो गए। आपके बैंक के कुल कृषि अग्रिम 0.02% की फ्लैट वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के साथ मार्च 2013 के अंत में ₹ 28,739 के स्तर पर पहुंचे। जैसा कि पूर्व में बताया गया है यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए और दि. 20.07.2012 से प्रभावी संशोधित दिशानिर्देशों के कारण हुआ। आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम मार्च 2013 के अंत में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 11.13% रहे, जब कि अनिवार्य लक्ष्य 13.5% का है। कुल कृषि अग्रिम मार्च 2013 के अंत में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 14.12% रहे, जब कि अनिवार्य लक्ष्य 18% का है।

आपके बैंक ने कृषकों को ऋण प्रदान करने हेतु अपने कृषि ऋण उत्पाद बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 2,74,665 कार्ड जारी किए। आपके बैंक ने कृषक समुदाय की सुविधा के लिए वर्ष के दौरान एटीएम में सक्रिय 'बड़ौदा किसान रूपय कार्ड' भी प्रारंभ किया। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आपके बैंक ने लगभग 3,32,141 नये कृषकों को ऋण प्रदान किये। अपने माइक्रो वित्तपोषण के नवोन्मेषी उपायों के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने 10,912 स्वयं सहायता समूहों वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 198.45 करोड़ की राशि प्रदान की, जिसके फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या 1,65,328 एवं राशि ₹ 1,369.97 करोड़ हो गई।

व्यवसाय एवं सामाजिक पहलें

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण और कृषि ऋणों हेतु उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के प्रयोजन से अनेक नवोन्मेषी पहलों की शुरुआत की। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने विशेष अभियान अर्थात् फसली ऋणों के लिए खरीफ एवं रबी अभियान चलाए, जिनमें क्रमशः ₹ 5,284 एवं 2,262 करोड़ संवितरित किए गए। निवेश ऋणों के लिए भी एक और अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत ₹ 1,096 करोड़ का संवितरण किया गया।
- आपके बैंक ने 4,245 ग्राम्य स्तरीय ऋण शिविर आयोजित किए और वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 2,06,375 ऋणकर्ताओं को ₹ 2,922 करोड़ संवितरित किए गए।
- आपके बैंक ने पूरे देश में 450 थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है, जिसका उद्देश्य कृषि ऋणों को बढ़ाना है। इन शाखाओं द्वारा मार्च 2013 के अंत तक प्रदत्त कुल कृषि अग्रिम का हिस्सा 36.0% है।
- आपके बैंक ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, विशेषतः कॉल्ड स्टोरेज, पॉल्ट्री फार्म, फीशरी इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के तहत ब्याज दर, प्रभार आदि में विशेष छूट प्रदान की गई है, ताकि अधिकतम व्यवसाय प्राप्त किया जा सके।
- आपके बैंक ने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया में शाखाओं की क्षमताएं बढ़ाने एवं उसके द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा

में समय पर ऋण सुलभ हो सके इस उद्देश्य से ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रारंभ किया है।



ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का उदयपुर दौरा

बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके)

यह भी आपके बैंक के नवोन्मेषी प्रयासों में से एक है, जिसके माध्यम से बैंक ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में सलाह, वित्तीय शिक्षा तथा अन्य सेवाएं, जैसे कि कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक ढंग से खेती, कीमतों इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2013 के अंत तक आपका बैंक 52 क्षेत्रीय ग्रामीण परामर्श केन्द्र खोल चुका है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान एक और बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, बड़ौदा आर-सेटी खोला गया। इसके साथ ही, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, बड़ौदा आर-सेटी की संख्या 47 हो गई। इस प्रकार अब भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक के प्रत्येक अग्रणी जिले में एक आर-सेटी उपलब्ध है। अजमेर स्थित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, पूर्णतया महिलाओं के लिए है बीएसवीएस मूलतः ऐसे संस्थान हैं, जिनका प्रयोजन स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान लगभग 42,601 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, इनमें से 27,891 युवाओं ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए। इन केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित 1,64,899 लाभार्थियों में से 1,02,996 ने अपने स्वरोजगार उद्यम आरंभ कर दिए हैं।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) - "सारथी"

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों के आधार पर, बैंक ने 45 एफएलसीसी, जिन्हें "सारथी" नाम दिया गया है, जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किये ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें और साथ ही ऋण के बोझ तले आये वित्तीय संकट में जूझते लोगों को परामर्श सुविधाएं प्रदान की जा सके।

बैंक ने अपने बीएसवीएस ट्रस्ट के तहत इन केन्द्रों को खोला है। इनमें निःशुल्क परामर्श सेवाएं संबधित लोगों को दी जा रही हैं। आपके बैंक ने

वर्ष 2013 के दौरान 6 नये एफएलसीसी खोले जिन्हें मिलाकर मार्च 2013 के अंत तक एफएलसीसी कुल संख्या 45 हो गयी है। इस प्रकार अब आपके बैंक के सभी अग्रणी जिलों में एफएलसीसी केन्द्र उपलब्ध हैं।

व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल

यह मॉडल वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज करने और बैंक के कृषि ऋण में बढ़ोतरी के लिए पूरे देशभर में क्रियान्वित किया गया है। व्यवसाय सुलभकर्ता, आपके बैंक के लिए ऋण आवेदनपत्र कैमवास करेंगे और इसके लिए बैंक उन्हें मेहनताने का भुगतान करेगा। सेवा निवृत्त बैंकरो तथा सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ, कृषक-क्लब तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को एजेन्टों के रूप में लगाया जाता है ताकि ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ सके।

माइक्रो लोन फैक्टरी

आपके बैंक ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली तथा सुल्तानपुर में माइक्रो लोन फैक्टरी खोली है। माइक्रो फायनांस लोन फैक्टरी के पास मोबाइल वैन है जिसमें स्वयं सहायता समूह वित्त पोषण संबंधी समस्त स्टेशनरी / दस्तावेज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें ऐसे अधिकारी होते हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के यथास्थान तथा उनके पास जाकर उन्हें ₹ 25,000 तक के ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने के लिए अधिकृत हैं :

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान अपने दो आरआरबी के संविलयन के बाद बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी की संख्या घट कर तीन हो गई।

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, भरुच

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य बैंक के दो आरआरबी का भी हमारे बड़ौदा राजस्थान आरआरबी के साथ संविलयन हो गया। संविलयन के बाद इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय मार्च 2012 के अंत के 26,257.43 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 29,284.23 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसमें 11.53% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2013 के दौरान 97.06 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि वर्ष 2012 के दौरान 148.22 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

इन सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र "शुद्ध मालियत" मार्च 2012 के अंत के 1,018.44 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 1,234.42 करोड़ हो गई और "आरक्षित निधियां तथा अधिशेष" मार्च 2012 के अंत के 726.55 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 777.52 करोड़ रुपये हो गया।

वित्तीय समावेशन (एफआई) के लिए बैंक के प्रतिबद्ध प्रयास

आपके बैंक में वित्तीय समावेशन (एफआई) को केवल एक सामाजिक

प्रतिबद्धता के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत का समग्र आर्थिक विकास करने वाले एक साधन के रूप में देखा जा रहा है ताकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित डिलीवरी चैनलों के माध्यम से भारतीय अर्थ व्यवस्था आधारिक स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

आपके बैंक की वित्तीय समावेशन योजना का उद्देश्य समाज के उस वर्ग, जो इससे वंचित है को बहुत ही कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और इसके द्वारा बैंकिंग विहीन जनसंख्या/ क्षेत्र तक औपचारिक बैंकिंग सेवा पहुंचाना है।



माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा उत्तर प्रदेश में एक साथ 300 नयी बैंक शाखाओं का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, वित्त मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

अपनाई जा रही कार्यनीतियां एवं मॉडल

वित्त मंत्रालय ने पूरे भारत में बैंकिंग सुविधा विहीन क्षेत्र के रूप में लगभग 6 लाख गांवों की पहचान की है। इन गांवों को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है। आपके बैंक के पास दिनांक 31/03/2013 को इसके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 21,526 गांव हैं। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इन गांवों को न्यूनतम लागत पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए सूचित किया है। तदनुसार आपके बैंक ने एक योजना स्वीकृत की है, जो इन्हें तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-2016 में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराकर इन 21,526 सेवा क्षेत्र गांवों को कवर करने के लिए गांव स्तर पर अलग अलग होगी।

वित्तीय समावेशन के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित तीन व्यवसाय मॉडल अपनाए हैं।

1. आईसीटी आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल
2. मोबाइल वैन मॉडल
3. वित्तीय समावेशन गांवों में ब्रिक एवं मोटार शाखाएं

आपके बैंक ने 1,436 ब्रिक एवं मोटार ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से 4,959 गांवों को, बीसी मॉडल के माध्यम से 3,474 गांवों को

और मोबाइल वैन के माध्यम से 49 गांवों को कवर किया है।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान बैंकिंग सुविधा विहीन गांवों में 151 ब्रिकी एवं मोर्टार शाखाएं खोली हैं।

• आईसीटी आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय समावेशन का क्रियान्वयन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हो रहा है और सीबीएस में पूरी तरह से संकलित है, आपके बैंक ने शुरू से अंत तक पूर्ण समाधान हेतु, अर्थात् ग्रामीणों के नामांकन से लेकर उनको स्मार्ट कार्ड जारी करने तक, दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य सभी गांवों की दहलीज पर तकनीकी-आधारित बैंकिंग लेनदेन पहुंचाना है।

आईसीटी आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित तकनीकी के साथ एप्लीकेशन सेवा प्रदाता (एसपी) मॉडल पर आधारित है। इस पद्धति के अंतर्गत, व्यवसाय प्रतिनिधि ग्राहकों का नामांकन करने और लेनदेन प्रोसेसिंग के लिए प्वाइंट ऑफ सर्विस (पीओएस) डिवाइस के साथ गांवों में जाते हैं। ये पीओएस डिवाइस जीपीआरएस तकनीकी द्वारा सीधे बैंक के सीबीएस के साथ जुड़े हैं।

• मोबाइल वैन मॉडल

वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन हेतु अपनाया गया दूसरा व्यवसाय मॉडल मोबाइल वैन मॉडल है। इस मॉडल में विद्यमान शाखा के सेवा क्षेत्र में आने वाले गांवों में मोबाइल वैन जाती है। सप्ताह में निर्धारित दिनों के दौरान बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए स्टाफ सहित वैन निर्धारित गांवों का दौरा करती है।

ये मोबाइल वैन कंप्यूटर हार्डवेयर से सुसज्जित हैं और ग्राहकों को तुरंत मोबाइल वैन के माध्यम से उसके खाते को संचालित करने में समर्थ करने के लिए सीधे बैंक के सीबीएस के साथ जुड़ी हुई हैं। खाता खोलने की प्रक्रिया और खाते में लेनदेनों सहित अन्य गतिविधियां मोबाइल बैंक में उसी तरह की जा सकती हैं जैसे एक सामान्य शाखा में की जाती हैं।

आपके बैंक ने इसे आबंटित 49 वित्तीय समावेशन गांवों को कवर करने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोआ राज्यों में वर्तमान में पांच मोबाइल वैन लगाई हैं। आपके बैंक की मोबाइल वैन को वित्तीय समावेशन ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद मिला है। ये वैन बाहरी स्वरूप में ग्रामीण जनसमूह को बैंक की विभिन्न जमा/ ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी देने के इरादे से सुसज्जित की गई हैं।

लघु बैंकिंग शाखाएं (यूएसबी)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने 31 मार्च 2013 तक पूरे देश में 2,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 2,695 लघु बैंकिंग शाखाएं खोली हैं जो व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से कवर की जा रही हैं। लिंक शाखाओं से आपके बैंक के अधिकारी पूर्व निर्धारित तारीख और समय पर यूएसबी का दौरा करते हैं। वे ग्रामीणों को विभिन्न बैंकिंग उत्पादों की सूचना देने के अतिरिक्त खाता खोलने, ऋण अनुरोध, शिकायतों का समाधान, वित्तीय साक्षरता पर ग्रामीणों की साथ

बैठक करना इत्यादि के लिए सभी आवेदनों को पूरा करते हैं।

आपके बैंक की यह पहल वित्तीय साक्षरता में प्रगति और ग्राम स्तर पर आत्मविश्वास पैदा करती है, जो अंततः आपके बैंक की वित्तीय समावेशन अभियान हेतु प्रतिसाद में वृद्धि करेगी।



बैंक ऑफ बडौदा ने वाराणसी में विशाल ऋण शिविर का आयोजन एवं 1001 लघु बैंकिंग शाखाओं का शुभारंभ किया

वित्तीय साक्षरता - सफलतापूर्वक समावेशन के लिए प्रमुख उपाय

वित्तीय समावेशन का वांछित उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बैंक गांवों से सही प्रतिक्रिया प्राप्त करने में समर्थ हो। ग्रामीणों से प्रतिक्रिया लेने के उद्देश्य से, बैंक को उन्हे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और इनके लाभ की जानकारी देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, वित्तीय साक्षरता किसी बैंक की वित्तीय समावेशन पहल की सफलता के लिए कारक होगी। इसलिए वित्तीय समावेशन के सभी घटकों को प्रत्येक दूसरे के साथ एक बांड विकसित करने की आवश्यकता है जो केवल बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि जहां भी कोई बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है, वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जनसंख्या के बीच बैंकिंग और बैंकिंग उत्पादों की बड़ी जागरूकता पैदा करेगी।

आपके बैंक ने देश के ग्रामीण हिस्से में वित्तीय साक्षरता की दिशा में निम्नलिखित मुख्य पहलें की हैं।

1. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्वयं नियोजित बनने में समर्थ करने के उद्देश्य से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगभग 47 बडौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बडौदा आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं और 5,505 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा 1,64,742 युवाओं को प्रशिक्षित किया है जिनमें से मार्च 2013 को 62.20% के सेटलमेंट अनुपात के साथ 1,02,477 स्वयं नियोजित हैं।
2. पूरे देश में लगभग 45 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) "सारथी" क्रियाशील हैं। इन वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों के प्रारंभ से कुल 46,860 व्यक्तियों ने इन केन्द्रों के दौरे किए हैं और 33,050 प्रकरणों में, मामले मार्च 2013 की समाप्ति तक सुलझाए गए हैं।

3. लगभग 52 बडौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धित सेवाओं और विकास गतिविधियों हेतु वित्तीय शिक्षा, ऋण परामर्श, तकनीकी मामलों पर सूचना सांझा करने एवं परेशानी हल करने, अन्य संगठनों के साथ संयोजन एवं संपर्क की सुविधा दे रहे हैं।
4. एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी को उनकी दहलीज पर ऋण एवं बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने, अधिकतम चार दिन में परेशानी मुक्त और शीघ्र ऋण डिलीवरी सुनिश्चित करने एवं एसएचजी को परेशानी मुक्त ऋण देने के उद्देश्य से मोबाइल माइक्रो फाइनेंस लोन फैक्ट्री स्थापित की गई हैं।
5. “बीवायएसटी - बॉब उद्यम-वृत्ति उद्यमी विकास कार्यक्रम” (बीवायएसटी) ऋण, व्यवसाय सलाहकार, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग के रूप में गैरलाभित युवा सक्रिय माइक्रो-उद्यमी को प्रारंभ से अंत तक सहायता उपलब्ध कराता है।
6. गुणवत्तापूर्ण एसएचजी स्थापित करने, क्रेडिट लिंकेज आसान करने और शाखा स्टाफ के प्रशिक्षण में सहायता उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो फाइनेंस केन्द्र (सीएमएफ), जयपुर से जोड़ना, जो बैंक की शाखाओं के सेवा क्षेत्र में गांव के विकास और माइक्रो फाइनेंस एवं कृषि ऋण में सुधार करने में सहायक है।
7. आपके बैंक ने ग्रामीण ऋण, ग्रामीण विकास और कृषि विकास में उपलब्ध ऋण अवसरों का परीक्षण करने तथा चुनौतियों पर ध्यान देने एवं उनसे बाहर निकलने के उद्देश्य से विकास अध्ययन संस्थान (आईडीएस), जयपुर, एक प्रमुख रिसर्च एवं पोलिसी एडवाइजरी संस्थान, में एक प्रोफेसर चेरर भी स्थापित की है। इसका उद्देश्य उपरोक्त दिशा में विभिन्न अध्ययन करना और फीडबैक से सीखना है।

वित्तीय समावेशन में उत्पाद नवीनता

आपका बैंक वित्तीय समावेशन का प्रयोग अपनी कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए एक अवसर के रूप में भी कर रहा है। आपका बैंक ग्रामीण लोगों के बीच बैंकिंग जागरूकता फैलाने, उनको अपने उत्पादों की जानकारी देने, ग्रामीण ऋण, कृषि तकनीकी जानकारी, ऋण परामर्श, ज्ञान बांटने / शिकायत सुलझाने, औरतों और लड़कियों का उद्धार करने, किसान क्लब स्थापित करने एवं एसएचजी की स्थापना इत्यादि के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है।

बेसिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सहायता से इस योजना द्वारा बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उनका अपना व्यवसाय आरंभ करने में प्रोत्साहन मिलेगा। नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को उनके गांवों में नियुक्त बीसी तुरंत बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

आपके बैंक ने विभिन्न प्रकार के ग्राहकोन्मुखी उत्पादों की शुरुआत की है जो विशेषरूप से वित्तीय समावेशन ग्राहकों हेतु तैयार किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं।

अंतर्निहित ओडी सुविधा सहित बेसिक बचत बैंक जमा खाता

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यह उत्पाद विशेष रूप से आसान केवायसी मानदंडों के साथ वित्तीय समावेशन गांवों के व्यक्तियों

हेतु बनाया गया है। यह खाता बिना कोई राशि जमा किए खोला जा सकता है इस पर कोई दंड नहीं लगता और व्यवसाय प्रतिनिधि, शाखा एवं एटीएम के माध्यम से खोला/ संचालित किया जाएगा।

फ्लैक्सीबल आरडी खाता (यशस्वी जमा योजना)

यह एक मनी बैंक आरडी सुविधा है जो चलनिधि प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन खाता धारक हेतु यथावत् बनाई गई है। यह उत्पाद मनी बैंक सुविधा देता है, छः माह की समाप्ति पर, जमाकर्ता की आवश्यकता के अनुसार खाते में बकाया जमा राशि के 50.0% के समान राशि का वापस भुगतान किया जा सकता है।

बडौदा किसान क्रेडिट कार्ड (बीकेसीसी)

यह उत्पाद किसानों के लिए है जो उनकी आवश्यकताओं जैसे उत्पादन ऋण, निवेश ऋण, पर्सनल ऋण आवश्यकताओं और उपभोग आवश्यकताओं को कवर करता है। यह ऋण सीमा का उपयोग करने में फ्लैक्सीबल है यथा वह वर्ष के दौरान अपनी आवश्यकतानुसार ऋण सीमा का उपयोग कर सकता है।

बडौदा सामान्य क्रेडिट कार्ड (बीजीसीसी)

ग्रामीणों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से बीजीसीसी क्रियान्वित किया गया है।

कम प्रीमियम वाला बीमा उत्पाद

आपके बैंक ने इण्डिया-फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समन्वय करके वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए कम प्रीमियम वाला एक जीवन बीमा उत्पाद भी शुरू किया है। यह ग्राहकों को पांच वर्ष की अवधि हेतु ₹ 20.99 प्रति हजार के सिंगल प्रीमियम पर ₹ 5,000/- से ₹ 50,000 तक का कवर लेने की आसान सुविधा देता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी सरकारी लाभों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से, बिना किसी देरी और रिसाव के, यदि विद्यमान संवितरण प्रणाली में कोई हो, अपने खाते में सीधे प्राप्त करता है। डीबीटी के क्रियान्वयन के संबंध में अनेक प्रारम्भिक कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, नरेगा मजदूरी, एलपीजी सब्सिडी इत्यादि जैसे नकद लाभों का नामित लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण करेगी। सरकारी लाभों के अंतरण की इस प्रणाली में चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से तबदीली होगी। दिनांक 01.01.2013 से 26 चयनित योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के प्रथम चरण के लिए 16 राज्यों में लगभग 43 जिलों की पहचान की गई है। 1.7.2013 से इसे अन्य 78 जिलों में आरंभ किया जायेगा यह डीबीटी योजना 31/03/2013 तक सम्पूर्ण देश के सभी जिलों में क्रियावित की जाएगी। डीबीटी योजना का क्रियान्वयन अग्रणी बैंक प्लेटफार्म से किया जाता है। आपके बैंक के पास 45 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, आपका बैंक डीबीटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।

आधार भुगतान अनुपूरक प्रणाली (एपीबीएस)

एपीबीएस, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या के प्रयोग से नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) द्वारा पेशकश की गई नई भुगतान सेवा है। सरकारी लाभों को आधार संख्या के आधार पर लाभार्थी के खाते में अंतरित किया जाता है ताकि, सरकारी विभागों/ एजेंसियों को लाभार्थियों के बैंक विवरण और खाता संख्या रखने की आवश्यकता न हो। आपके बैंक में एपीबीएस परिचालन में है।

आधार समर्थ भुगतान प्रणाली (ईपीएस)

ईपीएस एक बैंक संचालित मॉडल है जो आधार सत्यापन का प्रयोग करके किसी बैंक के व्यापार प्रतिनिधि के माध्यम से पीओएस द्वारा (माइक्रो एटीएम) ऑनलाइन अंतःप्रचालनीय वित्तीय लेनदेनों की अनुमति देता है।

आधार समर्थ बैंकिंग लेनदेन के निम्नलिखित चार मूल प्रकार हैं।

1. शेष की स्थिति
2. नकद जमा
3. नकदी आहरण
4. आधार से आधार निधियों का अंतरण

आपके बैंक में ईपीएस परीक्षण चरण में है और मई 2013 के मध्य तक परिचालन में जाएगा।

31/03/2013 तक वित्तीय समावेशन में बैंक के कार्य निष्पादन की विशेषताएं

- आपके बैंक ने अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 21,526 गांवों में से अभी तक 4,959 गांवों को कवर किया है। लगभग 90% गांव सक्रिय लेनदेन मोड पर हैं।
- आपके बैंक ने 49.60 लाख “नो फ्रिल बेसिक बचत बैंक खाते” खोले हैं, जिनमें से 8.69 लाख खाते व्यापार प्रतिनिधि एजेंटों (बीसीए) के माध्यम से खोले गए।
- आपके बैंक में “नो फ्रिल खातों” में औसत बकाया राशि लगभग 1,200 करोड़ रुपये है।
- आपके बैंक ने 2,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में 2,695 अल्ट्रा स्माल शाखाएं खोली हैं।
- आपके बैंक ने मार्च 2016 तक 21,526 गांवों के लिए अपने एफआईपी को क्रियावित करने के लिए शाखा स्तर तक पृथकीकरण योजना अनुमोदित की है।
- आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन ग्राहकों हेतु “माइक्रो-इंश्योरेंस” उत्पाद की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला आपका बैंक पहला बैंक है।
- आपका बैंक चार राज्यों अर्थात् गुजरात, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश में पांच मोबाइल वैन परिचालित कर रहा है तथा 100 और मोबाइल वैन शुरु करने की योजना है।
- आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कियोस्क प्लेटफार्म पर बीसीए के रूप में बैंक के सेवा क्षेत्र में अपने सीएससी का नामांकन करने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस लि. के साथ एक समझौता किया है।
- आपका बैंक आधार आधारित भुगतानों, यूआईडीएआई लिंकेज, गांव कोड अद्यतन करने इत्यादि के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार है।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिम

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिये जाने वाले अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन्हें मंजूर किए गए अग्रिमों की राशि मार्च 2012 के अंत में ₹ 4,336.02 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2013 के अंत में ₹ 4,712.66 करोड़ रुपये हो गई। वस्तुतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को आपके बैंक द्वारा मंजूर किए गए कुल अग्रिमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को दिये गए अग्रिमों का अंश 27.64% है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं, यथा-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इत्यादि के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान प्रशिक्षार्थियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वरीयता दे रहे हैं। अभी तक इन केन्द्रों ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 72,365 युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

अंतरराष्ट्रीय परिचालन

डीआईएफसी, दुबई में 100वां विदेशी कार्यालय खोलने के साथ आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन में यह एक ऐतिहासिक वर्ष था। शाखा का शुभारंभ श्री पी.चिदम्बरम, वित्तमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। आपके बैंक ने 1953 में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रारंभिक प्रवेश से लेकर, वैश्विक व्यापार अवसरों को तलाशने के लिए अपने विदेशी नेटवर्क में लगातार विस्तार किया है।



भारत के माननीय केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी चिदंबरम, डीआईएफसी में बैंक ऑफ बड़ौदा के 100वें विदेशी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए

अंतराष्ट्रीय कारोबार

वर्ष के दौरान, प्रमुख प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं ने निरंतर मंद वृद्धि, राजकोषीय बाधाओं और मितव्ययी उपायों का सामना किया है और इसके छिंदे प्रभाव अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहे हैं। इस कठिन परिवेश में भी आपके बैंक के अंतराष्ट्रीय परिचालन ने विकास पर निरंतर निगरानी रखकर और व्यवसाय मॉडल का उपयुक्त समायोजन कर पहले से कदम उठाकर अच्छा वृद्धि दौर बनाए रखा है।

आपके बैंक ने उभरते अवसरों पर लगातार नजर रखी है और शाखाओं के बड़े नेटवर्क का पूरा लाभ लेने के लिए विदेशी केन्द्रों के बीच बढ़ी सक्रियता रही है।



बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री पि. श्रीनिवास, श्री एस. के. जैन एवं श्री रंजन धवन न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर एवं वेस्टर्न सिडनी के मंत्री माननीय बैरी रॉबर्ट ओ'फार्ले के मुंबई दौरे के समय उनसे बातचीत करते हुए

आपका बैंक अपनी आईटी आधारभूत संरचना, सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुसार सेवा और उत्पादों में सुधार, शाखा नेटवर्क का विस्तार और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार में प्रगति / वृद्धि के माध्यम से ग्राहक सुविधा के लिए अपनी पहलों के साथ सतत रूप से रहा है। इस वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सिडनी, आस्ट्रेलिया और डीआईएफसी, दुबई शाखाओं के माध्यम से दो नए केन्द्र स्थापित किए हैं। मलेशिया में संयुक्त उपक्रम बैंक इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी ने भी इस वर्ष के दौरान अपना परिचालन शुरू किया।

व्यवसाय तथा लाभ कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय (जमाराशियां+अग्रिम) में 24.2% की वृद्धि दर्ज की। जबकि ग्राहक जमाराशियों में 24.03%, कुल जमाराशियों में 26.2% तथा अग्रिमों में 21.8% की वृद्धि दर्ज हुई।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक के वैश्विक कारोबार में अंतरराष्ट्रीय परिचालन का 29.4% का उल्लेखनीय योगदान रहा है।



मुंबई में आयोजित बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन संबंधी व्यवसाय समीक्षा एवं बजट बैठक

कुल आस्तियां

आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये आस्तियां मार्च 2012 को समाप्त अवधि को ₹ 1,28,398 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 1,67,038 करोड़ हो गईं।

लाभ

प्रणाली में बढ़ती तरलता और क्रेडिट कारोबार में गिरावट की इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान भी व्यापार स्तर में वृद्धि और ब्याज आय में सुधार के कारण वित्तीय वर्ष 2013 में सकल लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 24.7% की वृद्धि रही। तथापि, वर्ष के दौरान उच्च प्रावधानों के कारण कुल लाभ ने 19.20% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

आपके बैंक के वैश्विक कुल लाभ में अंतरराष्ट्रीय परिचालन का योगदान 24.6% रहा।

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति इसे भारी ऋण जोखिम में डालती है। आपका बैंक पूर्व-संवितरण चरण के दौरान किसी परियोजना की ऋण आवश्यकताओं का वास्तविक रूप से निर्धारण करने के लिए सभी कदम उठाता है और मूल्यांकन एवं अन्य तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यवस्थापन संबंधी एवं वित्तीय पहलुओं पर सावधानीपूर्वक निगरानी करता है।

वैश्विक मंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और इससे आस्तियों की गुणवत्ता पर दबाव पड़ा है। इस प्रतिक्रिया से, आपके बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निगरानी तरीकों में और वृद्धि की है। इससे दबावग्रस्त खातों की समय पर पहचान और वसूलियों के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्संचित खातों पर कड़ी नजर रखी गई ताकि ये एनपीए श्रेणियों में न चले जाएं।

तथापि, बाहरी परिवेश ने आस्तियों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला है और कुल अग्रिम का सकल एनपीए मार्च 2012 को 0.68% से बढ़कर मार्च 2013 में 1.37% हो गया।

अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति अपनी 100 शाखाओं / कार्यालयों के माध्यम से 24 देशों में निम्नानुसार है।

बैंक की ओवरसीज शाखाएं / कार्यालय	60
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	1
बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं	39
कुल	100

बैंक के निम्नलिखित संयुक्त उपक्रम हैं :

1. इंडो जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया - -20- शाखाएं
2. इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी, मलेशिया - -1- शाखा

विदेशी विस्तार

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक ने 12 नई शाखाएं / कार्यालय (अनुषंगियों को शामिल करते हुए) खोले हैं। इसमें बैंक की सिडनी, आस्ट्रेलिया; डीआईएफसी, दुबई, सोहर, ओमान; रोज बेली, मॉरिशिस और डीएमसीसी, दुबई में स्थित इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस यूनिट (ईबीएसयू) शाखाएं शामिल हैं।

अनुषंगियों की शाखाएं न्यूजीलैंड में वेलिंगटन और मनुकुआ; यूगांडा कम्पला में एंतेबे, काबले और इंडस्ट्रीयल एरिया; घाना में टेमा और बोत्सवाना में गेबोरोन वेस्ट खोली गईं।



यूगांडा में बैंक की अनुषंगी - बैंक ऑफ बडौदा (यूगांडा) लि. की नई शाखा इंडस्ट्रीयल एरिया, कम्पला का शुभारंभ।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान मलेशिया में संयुक्त उपक्रम बैंक - "इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी का भी परिचालन शुरू हुआ है।



माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा दीप जलाकर मलेशिया में संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाड का शुभारंभ करते हुए

भविष्य की योजनाएं

शाखा नेटवर्क को और फैलाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने, उन देशों में जहां यह पहले से उपस्थित हैं, नए केन्द्रों की पहचान की है। इससे आपके बैंक का परिचालन मजबूत होगा और बाजार हिस्सेदारी में सुधार / सुरक्षा मिलेगी। आपके बैंक ने व्यवसाय की लाभप्रद वृद्धि हेतु अवसर प्रदान करने के लिए नए देशों में जाने की भी योजना बनाई है।

यूएई, यूगांडा, केन्या और बोत्सवाना में नेटवर्क विस्तार के लिए आपका बैंक आवश्यक मूलभूत संरचना तैयार कर रहा है। आपका बैंक यू.के. में दो अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों के ओवरसीज विस्तार के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुसार ही ओवरसीज विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

सिंडीकेशन सेंटर

आपके बैंक का लंदन में ग्लोबल सिंडीकेशन सेंटर और दुबई एवं सिंगापुर में रीजनल सिंडीकेशन सेंटर स्थित हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सिंडीकेशन ऋणों के व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। आपके बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग कक्ष (आईएमबीसी) स्थापित किया है जो मुख्य रूप से भारतीय कार्पोरेट्स की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपका बैंक सिंडीकेशन लोन मार्केट एवं ऋण ओरीजिनेशन भागीदारी में भी सक्रिय रहा है।

उत्पाद एवं सेवाएं

आपके बैंक में अपनी सभी ओवरसीज शाखाओं और अनुषंगियों के लिए एक सिंगल कोर सोल्यूशन उपलब्ध है। यह नए उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देने की सुविधा देता है तथा परिचालन वाले देश के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तबदीली / सुधार करने में भी सहायता करता है।

प्रतिस्पर्धात्मक दौर में बने रहने के लिए आपके बैंक में लगातार सुधार और नवीनता से प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। आपके बैंक के लक्षित ग्राहकों को इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

ओवरसीज परिचालनों में प्रौद्योगिकी

- 31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि में विदेशी कार्यालयों एवं अनुषंगियों में एटीएम की संख्या बढ़कर 89 हो गई है (54 ऑनसाइट एवं 35 ऑफसाइट) जो 31 मार्च, 2012 को 76 (45 ऑनसाइट एवं 31 ऑफसाइट) थी। इसके अतिरिक्त, तीन नए एटीएम भी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।



दुबई में इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस यूनिट - मल्टी कम्पोजिट सेंटर का शुभारंभ



- बहुत से कार्यालय / अनुषंगियां चिप आधारित डेबिट कार्ड को अपना रही हैं।
- 12 विदेशी कार्यालयों एवं अनुषंगियों अर्थात यूएई, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, मॉरिशस, फिजी, सेसल्स, आस्ट्रेलिया, केन्या, यूगांडा, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड और घाना में "बडौदा कनेक्ट" के रूप में ब्रांडेड, लेनदेन आधारित इंटरनेट बैंकिंग, क्रियान्वित की गई है। इसके अलावा, तंजीनिया में "व्यू-बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग" शुरू की गई है।
- यूएस, यूके, यूएई, बहामास, बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर एवं बेल्जियम में ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन क्रियान्वित किया जा चुका है।
- केन्द्रीकृत स्विफ्ट गतिविधि का क्रियान्वयन पूरा किया जा चुका है और आपके बैंक के डाटा सेंटर से परिचालित की जा रही है। यूएस के अलावा सभी क्षेत्र / अनुषंगियां उनके स्विफ्ट परिचालन स्विफ्ट कक्ष, डाटा सेंटर के माध्यम से कर रही है।
- भुगतान संदेश पद्धति, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनाकल) एवं स्विफ्ट के मध्य की कड़ी है जो आने वाले एवं जाने वाले स्विफ्ट संदेशों को एंटी मनी लांड्रिंग जांच के साथ सीधे प्रोसेसिंग में मदद करती है। इसे यूएस के अलावा सभी क्षेत्रों/ अनुषंगियों में कार्यान्वित किया गया है।
- एन्टी मनी लांड्रिंग इरैज (बैच मोड) को 21 टेरीटरीज / अनुषंगियों में कार्यान्वित किया गया है।
- एन्टी मनी लांड्रिंग ऑनलाइन लिस्ट मैचिंग सोल्यूशन को यूएस के अलावा 21 टेरीटरीज / अनुषंगियों में कार्यान्वित किया गया है।

विदेशी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन

31 मार्च, 2008 से आपके बैंक के सभी विदेशी कार्यालयों पर बासेल II दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया था और आपके बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति एवं परिचालनगत जोखिम हेतु बेसिक इंडिकेटर पद्धति को अपना लिया है।

आपके बैंक ने ऋण, बाजार एवं परिचालनगत जोखिम के प्रभावी व्यवहार हेतु विदेशी केन्द्रों पर एक पृथक जोखिम प्रबंधन विभाग स्थापित किया है और ऐसे केन्द्रों पर विशेष जोखिम प्रबंधकों को पदस्थ किया है। जोखिम प्रबंधन पद्धति और उसके कार्यान्वयन को सशक्त करने में इसके परिणाम मिले हैं।

विदेशी केन्द्रों पर आंतरिक क्रेडिट रेटिंग हेतु कार्यान्वित किया गए बॉब रैम मॉडल ने अग्रिम खातों एवं उनके मूल्यांकन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रक्रिया को और सशक्त किया है।

आपके बैंक के सभी विदेशी केन्द्रों पर आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण मॉनिटरिंग हेतु एक एस्काम मॉडल कार्यान्वित किया गया है।

विदेशी परिचालनों में विनियामक अनुपालन

आपका बैंक संबंधित देश के विनियामक मानदंडों का सख्ती से पालन करता है और हमेशा से एक नियम-पालक बैंक के रूप में रहा है। सभी विनियामक दिशानिर्देशों / परिवर्तनों / मामलों को उच्च प्राथमिकता से साथ मानता है।

अनुपालना मामलों को संभालने के लिए आपके बैंक ने विदेशी केन्द्रों पर समर्पित अधिकारियों को पदस्थ किया है जिनकी कुशलता में प्रशिक्षण एवं अन्य तरीकों से लगातार वृद्धि की जाती है। अनुपालना को केवल विनियामक आवश्यकता के रूप में ही नहीं देखा जाता बल्कि बैंक एवं अन्य शेयरधारकों के हित और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के रूप में लिया जाता है।

सभी विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों के लिए उनकी संबंधित विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में नीति / नियम बने हैं। विनियामक दिशानिर्देशों एवं आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक में बडौदा सन टॉवर कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में अति आधुनिक डीलिंग रूम कार्यरत है। इस डीलिंग रूम के माध्यम से आपका बैंक ट्रेजरी परिचालन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेजरी डिवीजन घरेलू परिचालन का कार्य संचालित करता है तथा विभिन्न मार्केट कार्यकलापों जैसे विदेशी मुद्रा, ब्याज दरें, सावधि आय, डेरीवेटिव्स, इक्विटी और अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों का कार्य देखना है। आपका बैंक अपने ग्राहकों को कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अति आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करता है। इन सेवाओं में ब्याज दर स्वेप, मुद्रा स्वेप, वायदा एवं आप्शन शामिल हैं।

आपके बैंक ने अति आधुनिक स्वचालित डीलिंग प्रणाली स्थापित की है जिससे रियल टाइम आटो जनरेटेड विदेशी मुद्रा दरें पूरे देश में फैली प्राथिकृत शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्राहकोन्मुखी कदम के रूप में वित्त वर्ष 2013 के दौरान ग्राहक सेवा में बॉब प्राथिकृत डीलिंग प्रणाली को बेहतर बनाने एवं लेनदेनों की तेजी से प्रोसेसिंग करने तथा देरी एवं ब्रेकडाउन को रोकने के लिए पुराने सर्वरों को उच्च क्षमता सर्वरों से परिवर्तित कर संवर्धन किया गया।

बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग के तहत आपके बैंक ने ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन को सभी बड़े वित्तीय केन्द्रों पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ग्लोबल ट्रेजरी प्लेटफार्म सरलता से 9 केन्द्रों विशेष रूप से मुंबई, लन्दन, बहामास, ब्रुशेल्स, दुबई, बहरीन, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूयार्क में कार्य कर रहा है। ट्रेजरी सोल्यूशन का 10वां कार्यान्वयन डीआईएफसी दुबई, जो सूची में एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, में हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान वृद्धि में बढ़ोतरी एवं कड़ी मुद्रास्फीति का नियंत्रण प्रमुख मौद्रिक नीति की चुनौतियां थीं। गत वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को 100 बीपीएस तक कम किया और सीआरआर में 75 बीपीएस की कटौती कर चलनिधि को प्रभावित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली में चलनिधि को प्रभावित करने के लिए रु. 1,27,180 करोड़ को विस्तारित करने के लिए खुले बाजार परिचालन संचालित किए। उच्च घोषित ऋण कार्यक्रम एवं उच्च मुद्रास्फीति ने नवम्बर, 2012 तक गिल्ट मुनाफे पर दबाव डाला। इससे तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति दरों में परिवर्तनों के विराम के कारण वित्तीय वर्ष 2013 में जुलाई से दिसम्बर के दौरान 10 वर्ष का बैंचमार्क गिल्ट 8.05%-8.25% की श्रेणी में रहा। तथापि, भारतीय रिजर्व द्वारा दिसम्बर 2012 में खुला बाजार परिचालन के पुनर्ग्रहण एवं जनवरी, 2013 में नीति



दरों की कमी के बाद, 10 वर्ष गिल्ट निम्नतम 7.80% पर पहुंचा जबकि वर्ष के अंत में 7.95% रहा।

कमजोर आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि और सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं उपायों के प्रति आपके बैंक की ट्रेजरी जमा प्रतिभूतियों ने उच्च लाभ दिया है और इसके निर्धारित आय संविभाग के लिए मितव्ययी अवधि को बनाए रखा है।

वर्ष की अंतिम तिमाही में रेट कटिंग चक्र पुनः आरंभ होने पर यह कार्यनीति बैंक के निवेश में अच्छी औसत आय बनाए रखने और निवेशों की बिक्री से भी अच्छी आय सुनिश्चित करने में सहायक रही। घरेलू एसएलआर निवेश पर औसत आय 7.76% रही। वित्त वर्ष 13 में ट्रेजरी ने ₹ 7,450 करोड़ की आय, ब्याज/बट्टे में अर्जित की। जबकि निवेश की बिक्री और विदेशी मुद्रा से लाभ क्रमशः ₹ 617 करोड़ तथा ₹ 803 करोड़ रहा।

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने वर्तमान उत्पादों, जैसे-ब्याज दर स्वेप (आईआरएस), करेंसी स्वेप (सीआईआरएस), फारवर्ड एवं ऑप्शन के आधार पर ब्याज दरें और विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, आपके बैंक की ट्रेजरी ने विभिन्न आस्ति वर्गों में उपलब्ध आर्बिट्रेज अवसरों में सक्रियता से भाग लिया जिसमें मुद्रा बाजार सीबीएलओ, कॉल, मार्केट रेपो, सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा फोरेक्स मार्केट शामिल हैं। ट्रेजरी ने बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया तथा ओवर नाइट इंडेक्स स्वेप का उपयोग हेजिंग, और ट्रेडिंग अवसरों के लिए किया।

वित्त वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में, विदेशी संस्थागत निवेशों की आवक, सरकार द्वारा घोषित सुधार संबंधी पहलें और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुधार के कारण इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट में सुधार रहा। ट्रेजरी के इक्विटी अनुभाग ने अपने पोर्टफोलियो का सक्रिय उपयोग किया और नियमित अंतराल पर जब भी बाजार में अवसर मिला, मुनाफा कमाया।

वित्त वर्ष 2012 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण की घोषणा के अनुरूप आपके बैंक ने, पिछले वर्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दीर्घ कालीन डैब फंड उपलब्ध कराने के लिए तुरंत पहल की और देश का पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर डैब फंड - मेसर्स इंडिया इन्फ्राडैब लिमिटेड का शुभारंभ किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विदेशी मुद्रा अनुभागों में आपके बैंक की ट्रेजरी का विदेशी मुद्रा अनुभाग बाजार के बड़े भागीदारों में अपना स्थान बनाए रखा। प्रोप्राइटी ट्रेडिंग अनुभाग, बाजार की अस्थिरता का उपयोग कर उपलब्ध आर्बिट्रेज को भुनाने में सक्रिय था और भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही कठिन लिक्विडिटी स्थिति में संसाधनों का संग्रहण किया।

आपके बैंक की ट्रेजरी, निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित मिड ऑफिस बाजार एक्सपोजर सीमा को वास्तविक समय के आधार पर मॉनिटर करता है। वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) जोखिम प्रबंधन पैरामीटर सहित सभी पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन उपायों को जोखिम नंबरों पर बैंक टेस्टिंग के साथ समर्थित रखा जाता है और करेंसी पोर्टफोलियो तथा विभिन्न निवेशों की स्ट्रैस टेस्टिंग की जाती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते आपके बैंक द्वारा राष्ट्रीय/राज्य के राहत कोषों हेतु तथा किसी भी व्यक्ति, ट्रस्ट, सोसाइटी, विविध प्रकार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़ी प्रतिष्ठित परोपकारी/सामाजिक संस्थाओं को दान दिये गए हैं।

विभिन्न क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दान दिये जाते हैं। ये समाज कल्याण के उपाय के रूप में और गैर व्यावसायिक आधार पर वैयक्तिक ट्रस्ट, सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों/संस्थाओं इत्यादि को दिये जाते हैं।

आपके बैंक ने विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दान दिये हैं:

- शिक्षा विस्तार के लिए - दूरस्थ क्षेत्र के गावों में बालिकाओं और महिलाओं सहित
- प्रतिष्ठित महाविद्यालय/पब्लिक स्कूल और इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं को
- परमार्थ एवं कमजोर वर्ग की सेवा से जुड़े प्रतिष्ठित अस्पतालों को
- युद्ध के दौरान शहीद सिपाहियों के परिवारों और अपंग हुए सिपाहियों को सहायता
- वृद्धाश्रम
- ऐतिहासिक जगहों, जैसे बागों, किलों और मंदिरों इत्यादि का संरक्षण
- वृक्षारोपण/पुनः-वृक्षारोपण, नदियों, झीलों, जंगलों, पक्षीविहारों इत्यादि सहित पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और स्वच्छता के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए
- शहरों में बगीचों को अंगीकृत करने के लिए जहां आपके बैंक के नाम का प्रचार हो सके।
- परिवार नियोजन संबंधी क्रियाकलापों के लिए
- पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को बढ़ावा देने वाले उपायों और पशुओं तथा पक्षियों हेतु चिकित्सालय की स्थापना एवं उनको चलाने के लिए
- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट जैसे अक्षय वाले ऊर्जा के स्रोतों के संवर्द्धन एवं उपयोग को बढ़ाने के लिए
- बीमारियों/महामारियों के नियंत्रण हेतु टीकाकरण परियोजना
- अपंग व्यक्तियों जैसे अंधों, लँगड़ों, बहरों और गूंगों इत्यादि अथवा अन्य किसी अपंगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करने वाली संस्थाओं की सहायता
- प्रदूषण नियंत्रक साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए
- सामाजिक और मानव मूल्यों से जुड़े अन्य कोई मुद्दे/परियोजनाएं



सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का मुंबई में दौरा

वित्त वर्ष 2013 के दौरान, आपके बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण इत्यादि क्षेत्र के विभिन्न संगठनों को ₹ 699.74 लाख दान स्वरूप संवितरित किए। क्रिया-कलाप वार दान का संवितरण इस प्रकार से है:

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	दानों की संख्या	राशि (₹ लाख)
1.	शिक्षा	4	24.00
2.	स्वास्थ्य	3	4.50
3.	महिला कल्याण	1	2.00
4.	समाज कल्याण क्रिया-कलाप	5	669.24
		13	699.74

उपरोक्त के अतिरिक्त, आपका बैंक बेरोजगार युवकों को, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के माध्यम से लाभदायक स्वरोजगार प्राप्त करने एवं उद्यमिता तथा कौशल विकास के लिए, जिससे उनका एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, और इन स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को विकास मिले, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। आपके बैंक के सभी अग्रणी जिलों में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च 2013 को आपके बैंक की कुल बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान हैं।

आपके बैंक ने बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केंद्र भी स्थापित किए हैं जिसमें ज्ञान बांटने, समस्या समाधान और देश भर में ग्रामीण जनों को ऋण संबंधी सलाह दी जाती है। ग्रामीण जनों में विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (ए. फलसीसी) की स्थापना भी की है। 31 मार्च 2013 को आपके बैंक की कुल 45 एफएलसीसी हैं।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

दबावपूर्ण आर्थिक वातावरण के कारण आस्ति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से वित्त वर्ष 2013 बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। तथापि, आपके बैंक ने अपनी आस्ति गुणवत्ता को गंभीर हास से बचाने के लिए सतत मानीटरिंग और एनपीए पोर्टफोलियो में वसूली जारी रखी। फिर भी, वित्त

वर्ष 2013 के दौरान अति तनावपूर्ण आर्थिक गिरावट का आपके बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर कुछ हद तक प्रभाव रहा।

वर्ष 2013 में भारतीय बैंकों ने सामान्य रूप से स्लिपेज की बड़ी घटनाएँ देखीं। ऐसा भारत तथा बाहरी वित्तीय बाजार में भारी उतार चढ़ाव की स्थिति तथा वर्ष 2013 में पूरे वर्ष उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरों के कारण हुआ।

प्रतिकूल आर्थिक पैरामीटरों के परिदृश्य के बावजूद, आपके बैंक के प्रारम्भिक शेष की तुलना में वर्ष के दौरान नए स्लिपेज 2.29% रहे। उच्च स्लिपेज की पृष्ठभूमि में 31 मार्च 2013 को सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए 2.40% रहें। फलस्वरूप मार्च 2013 के अंत तक शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए का अनुपात बढ़कर 1.28% तक पहुँच गया।

वित्त वर्ष 2013 में आपके बैंक का ऋण हानि कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए सहित) 68.24% रहा जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उपक्रमों की तुलना में आपके बैंक से अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शाखा, क्षेत्र, अंचल और कॉर्पोरेट स्तर पर वसूली एवं ऋण अनुप्रवर्तन के लिए ढांचे की रूपरेखा निर्धारित की। इसके अलावा प्रत्येक डीआरटी सेंटर में नोडल अधिकारियों को विविध मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लगाया गया जिससे कि डिफ़ी लेने में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके तथा वसूली को बढ़ाया जा सके। डीआरटी सूट दर्ज एनपीए खातों में वसूली के लिए, बैंक को प्रभारित आस्तियाँ अब ई-बोली के माध्यम से बेची जा रही हैं ताकि बैंक को प्रभारित आस्तियों का समुचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त, और अधिक तेज गति से वसूली करने के लिए एआरसी को वसूली एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और सरकारी परिसमापक से संपर्क साधने के लिए परामर्शक नियुक्त किए गए हैं।

आपके बैंक ने एनपीए खातों में वसूली की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही प्रणाली पर ज़ोर देना जारी रखा। बड़ी राशि वाले एनपीए खातों; जैसे ₹ 25 लाख और उससे अधिक राशि के खातों की कॉर्पोरेट कार्यालय से सीधे अनुप्रवर्तन करने की प्रणाली से शाखाओं ने वकीलों, रिकवरी एजेंटों के माध्यम से सघन कार्यवाही सुनिश्चित हुई। अतः वित्त वर्ष 2013 में एनपीए खातों में नकद वसूली ₹ 625.57 करोड़ रही। यह वर्ष 2012 की वसूली राशि ₹ 580.46 करोड़ की तुलना में अधिक है। अपग्रेडेशन वित्त वर्ष 2013 के दौरान वर्ष 2012 के ₹ 336 करोड़ की तुलना में ₹ 341 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक ने गाँव/कस्बा स्तर पर वसूली कैंप लगाकर तथा लोक अदालतों के माध्यम से छोटे खातों की वसूली पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया। बैंक ने प्रोत्साहन पर आधारित “संकल्प - V” वसूली योजना चलायी, जिससे छोटे खातों में वसूली बढ़ाने का सभी स्टाफ सदस्यों का सार्थक प्रयास/सहयोग मिल सके। इस योजना के अंतर्गत ऐसे खातों जिनमें ₹ 15 लाख तक की राशि बकाया है, में वित्त वर्ष 2013 के दौरान ₹ 231 करोड़ की नकद वसूली की गई।

आपके बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो का आस्ति वर्गीकरण ब्रेकअप इस प्रकार है।

आस्ति वर्ग (सकल)	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
मानक	324828.74	286542.59
सकल एनपीए	7982.58	4464.75
कुल	332811.32	291007.34
सकल एनपीए में शामिल है :		
अवमानक	4981.15	2661.82
संदेहास्पद	2628.33	1318.71
हानिगत	373.10	484.22
कुल एनपीए	7982.58	4464.75

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों और अनुषंगी परिचालनों को ध्यान में रखते हुए एंड टू एंड बिजनेस एवं आईटी स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं।

- आपके बैंक ने सर्वोत्तम टेक्नॉलजी इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर अति आधुनिक डाटा सेंटर चालू किया है। और यह अप टाइम इंस्टीट्यूट टीयर 3 के मानदंडों को पूरा करता है। विभिन्न भूकंप खंडों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक असफलता बिन्दु का गहन विश्लेषण कर डिजास्टर रिकवरी साइट तैयार की गई है जिससे कि ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सेवाएँ मिलती रहें। वर्ष के दौरान बैंक के डाटा सेंटर का अपने भवन में न्यू डाटा सेंटर के रूप में सफल माइग्रेशन होने के बाद आपके बैंक ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर का विस्तार किया जिससे कि कारोबार विकास और टेक्नॉलजी विस्तार का लाभ मिल सके।
- आपके बैंक ने कई अन्य टेक्नॉलजी इनीसीएटिव, जैसे विडो सर्वर वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन तथा बैंक ड्रॉप कंसालीडेसन शुरू किए हैं। इन्हें पर्यावरण उन्मुखी कदम के रूप में उठाया गया है और इनसे डाटा सेंटर की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। एप्लिकेशन वर्चुअलाइजेशन, बैडविड्थ अपग्रेडेशन, एसएम एवं आरएसी लागू करना, बैंक के विस्तृत नेट वर्क को अपटाइम और डिमांड अपग्रेड के अनुसार नई टेक्नॉलजी आधारित एमपीएलएस में सफलतापूर्वक माइग्रेशन किए गए हैं। बैंक के बढ़ते हुए आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर की माँ निट्रिंग करने तथा इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया गया और नए मॉड्यूल स्थापित किए गए।
- आपके बैंक ने सभी 23 विदेशी केन्द्रों में कोर बैंकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर को पीए-रिस्क से इंटेनिवम सर्वर में अपग्रेड कर दिया है ताकि अतिरिक्त व्यवसाय के समर्थन प्राप्त हो सके। वर्ष के दौरान विभिन्न नई नियामक पहलें, जैसे यूआईडी संख्या की लिंकिंग, अकाउंट नंबर पोर्टिविलिटी, केवाईसी संबंधी सूचनाओं का संकलन, खाता खोलने की सरल प्रक्रिया, कोर बैंकिंग प्रणाली में गाँव का कोड जोड़ना, आधार भुगतान अनुपूरक प्रणाली (एपीबीएसई) लागू करना, आरएलएफ और एसएमई में केंद्रीयकृत ऋण प्रोसेसिंग, शाखाओं में सीबीएस लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एनपीएस लाइट (आर्थिक

रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी वृद्धावस्था में सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की योजना) लागू करना, नरेगा के भुगतान की स्वचालित प्रक्रिया, एनपीएस और एमजीपीएसवाईएस लाभार्थी इत्यादि जोड़े गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शाखा में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया गया है। सुदृढ़ तकनीकी प्लैटफॉर्म ने आपके बैंक को वर्ष के दौरान 100 वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने हेतु सक्षम बनाया है। आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में बैंक भी सीबीएस प्लैटफॉर्म आधारित हैं और जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, आपके बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 350 शाखाओं को अपने एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लिया है।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

• इंटरनेट बैंकिंग अर्थात बड़ौदा कनेक्ट

अनुभव को बेहतर बनाने और प्रयोक्तानुकूल बनाने के लिए आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग अर्थात बड़ौदा कनेक्ट (रिटेल पोर्टल) को पूरी तरह से नया कर दिया गया है। आपका बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों में लगातार और अधिक सुविधाएँ जोड़ रहा है। बढ़ाई गई अन्य सुविधाओं, जैसे विभिन्न राज्यों का आयकर भुगतान, पश्चिम बंगाल की सरकारी कर प्राप्ति (जीआरआईपीएस) का एकीकरण, ऋण खातों में जमा, बिल का भुगतान, प्रधानमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन दान, ई-बैंकिंग के माध्यम से इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान, ई-बैंकिंग के द्वारा आईएमपीएस (त्वरित भुगतान सेवाएँ) इस वर्ष जोड़े गई हैं। आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सभी स्मार्ट फोन/टैबलेट पर उपलब्ध है और ग्राहक को कहीं भी बैंकिंग की आरामदायक सुविधा मिलती है। इस वर्ष के दौरान सभी 13 विदेशी केन्द्रों अर्थात तंजानिया, यूगांडा, केन्या, मॉरीशस, सेशेल्स, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, यूएई, फिजी में इंटरनेट बैंकिंग चालू कर दी गई है और यूके, ओमान तथा घाना में लेनदेन आधारित एवं ऑस्ट्रेलिया में व्यू आधारित इंटरनेट बैंकिंग चालू की गई है। बैंक प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्यू आधारित ई-बैंकिंग उपलब्ध कराई गई है। इंटरनेट बैंकिंग में विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने भारत और 5 विदेशी केन्द्रों अर्थात यूएई, यूके, न्यूजीलैंड, केन्या और यूगांडा में दोहरा प्राधिकार तथा फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन बहाल कर उन्नत सुरक्षा व्यवस्था आरंभ की है और इसे एआरसीओटी ओटीपी, पीयूएलएल ओटीपी और एसएमएस ओटीपी सक्षम बनाया है।

आपके बैंक ने लेनदेन आधारित ई-बैंकिंग लागू किए गए शेष 6 विदेशी केन्द्रों में भी फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। आपके बैंक ने अमेरिकी क्षेत्र के लिए व्यू आधारित इंटरनेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ, यूएई के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंतर बैंक निधि अंतरण भी आरंभ किया गया। आपका बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी दोहरे प्राधिकार वाले लेनदेन आधारित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लागू करने पर विचार कर रहा है।

• मोबाइल बैंकिंग - बड़ौदा एम- कनेक्ट

आपके बैंक ने एक और वैकल्पिक डिलीवरी चैनल के रूप में ग्राहकों को विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराने प्रयोजन से मोबाइल बैंकिंग में कई सुविधाएं जोड़ी हैं, जैसे - आईएमपीएस अर्थात इमिडियेट पेमेंट सर्विस व्यक्ति से खाता (पी2ए) निधि अंतरण, एनयूयूपी (नेशनल यूनिकाइड यूएसएसडी प्लैटफॉर्म) इत्यादि समर्थ कर ब्लैकबेरी, एण्ड्रोइड, विंडोज के अतिरिक्त सभी आई-फोन और आई-पैड पर मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग सक्षम बनाना।

आपका बैंक आईएमपीएस के अंतर्गत पी2एम (पर्सन टू मर्चेन्ट) निधि अंतरण लागू करने के लिए भी प्रक्रियागत है और इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्स्योरेंस के रूप में अपना पहला मर्चेन्ट अधिगृहीत किया है। यूगांडा और यूएई इत्यादि में मोबाइल बैंकिंग लागू करने तथा विंडोज 8 के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को समर्थ बनाने के लिए आपका बैंक प्रक्रियागत है। इसने अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी मोबाइल बैंकिंग लागू करना शुरू कर दिया है।

• एटीएम

आपके बैंक के बेहतर निष्पादन, त्वरित एटीएम लेनदेन एवं आसान एटीएम प्रसार इस वर्ष हार्डवेयर अपग्रेडेशन के साथ आपके बैंक के एटीएम स्विच को जैसी कई उन्नत विशेषताओं के साथ उच्चतर वर्जन में अपग्रेड किया गया। भारत, यूएई, ओमान, मॉरीशस, फ़िजी, तं, जानिया, बोत्सवाना, त्रिनिदाद एवं टोबेगो तथा न्यूजीलैंड में एटीएम स्विच अपग्रेड किए गए। वर्ष के दौरान ग्राहक केन्द्रित कई पहलें जैसे रुपये एटीएम कार्ड, रुपये पीओएस और रुपये केसीसी कार्ड, ब्राउन लेबल एटीएम, इंडिया फ़र्स्ट लाइफ़ इन्स्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए एटीएम द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान, एटीएम अंतरण रसीद का हिन्दी में मुद्रण, गुजराती, मराठी और तमिल भाषा में से क्षेत्रीय भाषा स्क्रीन का चुनाव, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बोलने वाला एटीएम, भारत में एटीएम/पीओएस में फ़ॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन लागू किए गए। आपके बैंक ने अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी रुपये एटीएम और रुपये केसीसी कार्ड सफलतापूर्वक लागू किया है।

आपके बैंक ने कुछ और ग्राहक केन्द्रित पहलें की हैं, जैसे एटीएम के द्वारा तुरंत भुगतान सेवा (आईएमपीएस), एटीएम स्क्रीन में क्षेत्रीय भाषाओं (मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, बंगाली के लिए) का चयन, एटीएम द्वारा चेक बुक का अनुरोध, एटीएम द्वारा एनईएफ़टी, रुपये ई- कॉमर्स, लेनदेन नहीं होने वाले कार्ड के लिए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, यूएई में वीजा डेबिट कार्ड, फ़िजी के लिए बीएसपी (बैंक साउथ पैसिफिक) इंटरचेंज, एटीएम के माध्यम से प्री-पैड कार्ड का भुगतान, भारत, ओमान और मॉरीशस में चिप आधारित कार्ड लागू करना, कार्ड से कार्ड में निधि अंतरण, एटीएमों के माध्यम से बिलों का भुगतान इत्यादि।

भुगतान तंत्र

- आपके बैंक की सभी शाखाओं (जो सीबीएस समर्थित हैं) में आरटीजीएस और एनईएफ़टी के माध्यम से अंतर बैंक धनप्रेषण होता है। आपके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में भी आरटीजीएस और एनईएफ़टी शुरू कर दी गई हैं। बैंक और क्षेत्रीय बैंक दोनों में ही स्ट्रेट

थू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के माध्यम से एनईएफ़टी तथा आरटीजीएस लागू किया गया है। यूगांडा में भी आरटीजीएस और एनईएफ़टी लागू कर दिया गया है।

- व्यापारियों और इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने वालों द्वारा सुरक्षित और संरक्षित ऑनलाइन खरीददारी के लिए डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड संबंधी इंटरनेट पेमेंट गेटवे बढ़ी संख्या में प्रदान किए जा रहे हैं।
- आपके बैंक के ग्राहकों को नकदी प्रबंधन प्रणाली, वेब आधारित संपूर्ण नकदी प्रबंधन का साधन उपलब्ध कराती है जिसमें प्राप्ति प्रबंधन (संग्रहण), भुगतान प्रबंधन और इन्वाइस प्रबंधन (प्राप्य और देय प्रबंधन) शामिल हैं।
- आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड परिचालन के लिए नई विस्तृत प्रबंधन एवं सहायता के लिए क्रेडिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- भारत में विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए अधिकृत सभी शाखाओं और इस वर्ष यूके और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के साथ साथ अब 22 विदेशी केन्द्रों सहित विश्वभर में अंतर बैंक वित्तीय सम्प्रेषण के लिए स्विफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
- भारत में सभी अधिकृत शाखाओं तथा इस वर्ष यूके और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के साथ साथ 22 विदेशी केन्द्रों में पेमेंट मैसेजिंग सोल्यूशन लागू किया गया है। पीएसएस के माध्यम से सीबीएस द्वारा स्विफ्ट मानकों के अनुरूप तैयार स्विफ्ट संदेशों की वैधता एवं फॉर्मेटिंग की सुविधा प्राप्त होती है और यह एएमएल जांच से भी गुजरता है।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिल्ली के अतिरिक्त दक्षिणी राज्यों, कोलकाता, लुधियाना और चंडीगढ़ के सभी माइकर केन्द्रों में ग्रिड आधारित चेक ट्रांक्वेशन सिस्टम (सीटीएस) लागू किया गया है। आपका बैंक मुंबई और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश पश्चिमी के ग्रिड में भी सीटीएस लागू करने के लिए प्रक्रियागत है।
- मुंबई में ऑटोमेटेड चेक प्रोसेसिंग केंद्र (आवक एवं जावक) का शुभारंभ किया गया और प्रोजेक्ट नवनिर्माण के अंतर्गत बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के भाग के रूप में इस वर्ष सूरत और अहमदाबाद को भी इसमें जोड़ा गया है।
- इस वर्ष विनियामक अनुपालन हेतु, भारत एवं बेल्जियम को जोड़कर 22 विदेशी केन्द्रों पर एटी मनी लॉड्रिंग को कार्यान्वित किया गया है। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन सोल्यूशन भी कार्यान्वित किया है। आपके बैंक ने अपनी सभी प्रायोजित क्षेत्रों में बैंक में फेज 1 के अंतर्गत एटी मनी लॉड्रिंग कार्यान्वित किया है और एटी मनी लॉड्रिंग फेज 2 प्रक्रियागत है।

अन्य पहलें

- आपके बैंक ने ग्राहक को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करने के उद्देश्य से नई पहल के रूप में ग्राहक संबंध प्रबंधन कार्यान्वित किया है। जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें संपर्क

केन्द्रों पर फोन द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं। मौजूदा ग्राहक/संभावित ग्राहक टोल फ्री नंबर (1800223344 एवं 18001024455) पर संपर्क कर सकते हैं जहां निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:

- चेक बुक जारी करना
- उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में जानकारी
- खाता संबंधी पूछताछ - शेष, अंतरण, क्लियरिंग की राशि इत्यादि
- एटीएम कार्ड की हॉट-लिस्टिंग
- भुगतान रोकना - मार्किंग/अन - मार्किंग
- डेबिट कार्ड जारी करने हेतु अनुरोध
- डेबिट कार्ड पिन पुनः जारी करने हेतु अनुरोध
- ई-बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की सहायता
- मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड पुनः जारी करना
- टी-पिन जारी करने की ऑनलाइन (कागज रहित) सुविधा

आपके बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में मौजूदा ग्राहक/प्रत्याशित ग्राहकों को अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। सीआरएम एप्लिकेशन को बिक्री कार्यालयों जैसे रिटेल लोन फैक्ट्री (आरएलएफ) और सिटी सेल्स ऑफिस (सीएसओ) से भी जोड़ा गया है। जिसमें ग्राहकों द्वारा संपर्क केन्द्रों में उत्पाद संबंधी की गई पूछताछ के आधार पर लीड तैयार किया जाता है और इसे इन कार्यालयों में अगली कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

आपके बैंक ने संपर्क केन्द्रों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है जिसमें ग्राहकों को उनकी ईएमआई और देय राशि के बारे में सूचित किया जाता है। इससे ग्राहकों को देय तिथि पर ईएमआई/देय राशि जमा करने में सुविधा होती है।

- आपके बैंक के खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों को रिटेल डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। एनएसडीएल और सीएसडीएल दोनों ही के लिए डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शाखाओं को केंद्रीयकृत डिपॉजिटरी एप्लिकेशन से सज्जित किया गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली द्वारा आपका बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का एक सम्पूर्ण सेट उपलब्ध करा रहा है जिससे ग्राहक इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉण्ड्स और प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जैसे इन्स्ट्रुमेंट की ट्रेडिंग करते हैं।
- आपके बैंक की सेवाओं की सुपुर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सिटी बैंक ऑफिस और रीजनल बैंक ऑफिस में बैंक ऑफिस फंक्शन को केंद्रीयकृत किया गया है। आपके बैंक में अब कुल 70 सिटी बैंक ऑफिस और 10 रीजनल बैंक ऑफिस हैं। व्यक्तिगत आधार पर चेक बुक जारी किया जाना भी केंद्रीकृत किया गया है। आपके बैंक ने केंद्रीकृत एफसीएनआर परिचालन का भी शुभारंभ किया है।
- परिचालन लागत कम करने एवं बेहतर निधि प्रबंधन हेतु यूके यूई, बहामास, बहरीन, हाँगकांग, सिंगापुर, बेल्जियम और भारत में एकीकृत ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है।
- उद्यम वार महाबही सोल्यूशन कार्यान्वित किया गया है। यह सुविधा

आपके बैंक के कारोबार विकास में कार्यनीतिक निर्णय लेने में मददगार साबित होती है और उद्यमों की समेकित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराती है।

- भारत में आपके बैंक के सभी कार्यालयों में केंद्रीयकृत पे-रोल, वेतन मॉड्यूल, ई-टीडीएस मॉड्यूल एवं अवकाश मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए हैं।
- आपके बैंक ने व्यावसायिक कार्यनीति की एक पहल के रूप में लचीली एवं कार्यनीतिक सूचनाओं का इंटरएक्टिव स्रोत प्रदान करने के लिए डाटा वेयर हाउस, ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन एवं यूनिफ़ॉर्म कस्टमर व्यू अक्रॉस चैनल प्रारम्भ किए हैं।
- आपके बैंक द्वारा कार्यनीति के एक भाग के रूप में आसानी से महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने हेतु डेटावेयर हाउस, ग्राहकों को समझने एवं सभी चैनलों पर समरूप ग्राहक दृष्टिकोण अपनाने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन को अपनाया है।
- आपके बैंक ने मौजूदा एप्लिकेशन जैसे विनिमय, उन्नत विशेषताओं के साथ ई-बिजनेस सूट, समग्र ग्राहक संबंध प्रबंधन, एचआरएनईएस और उद्यमवार महाबही मॉड्यूल को अपग्रेड किया है।
- वित्तीय समावेशन को सफल बनाने हेतु कारोबार प्रतिनिधि द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खाता खोलने और लेनदेन हेतु, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं विकसित की गई हैं। वित्तीय समावेशन हेतु पायलट आधार पर गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मोबाइल वाहन द्वारा बैंकिंग सेवा प्रारम्भ की गई है।
- आपके बैंक ने बेहतर और त्वरित ग्राहक सेवा के उद्देश्य से लोन प्रोसेसिंग (रिटेल, कृषि और एसएमई) मॉड्यूल को पूर्ण रूप से स्वचालित कर दिया है। आपका बैंक आवास ऋण, ऑटो ऋण एवं शिक्षा ऋण के लिए सिंगल क्लिक ऑनलाइन ऋण आवेदन फीचर उपलब्ध करा रहा है।
- आपका बैंक मिड-कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लोन प्रोसेसिंग को स्वचालित करने जा रहा है।

सूचना सुरक्षा

- प्रौद्योगिकी से संबंधित खतरों के मद्देनजर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन तथा अन्य सभी एप्लिकेशनों, साथ ही डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर इनफ्रास्ट्रक्चर का बाहरी एजेंसी से ऑडिट कराया है।
- आपके बैंक ने उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया है।
- आपके बैंक का डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर दोनों ही आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम तथा पीओएस के लिए आपके बैंक ने फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन कार्यान्वित किया है। इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा



और विश्वास बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने, दोहरा प्रमाणीकरण सहित फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन भारत में तथा पाँच विदेशी केन्द्रों अर्थात् यूएई, यूके, न्यूजीलैंड, केन्या और यूगांडा में आरंभ किया है और इसे एआरसीओटी ओटीपी, पीयूएलएल ओटीपी और एसएमएस ओटीपी समर्थ किया है।

- आपके बैंक ने सुरक्षा उपाय के रूप में, अपने सभी ग्राहकों द्वारा वैकल्पिक डेलीवरी चैनल के माध्यम से किए गए सभी अंतरण और ₹ 5000/- और उससे अधिक राशि के सभी सीबीएस लेनदेनों के लिए एसएमएस अलर्ट डिलीवरी सुविधा भी कार्यान्वित की है।
- आपके बैंक ने एक्सटर्नल फेशिंग एप्लिकेशन, ई-बैंकिंग लॉग मोनिटरिंग इत्यादि के लिए नियमित वीएपीटी (संवेदनता मूल्यांकन एवं वेधन जांच) कराई है।
- आपके बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए शाखाओं में हो रहे संदिग्ध अंतरणों की दिन प्रतिदिन निगरानी के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वित किया है।
- जबकि साइबर अटैक अब और अधिक अप्रत्याशित हो गये हैं और इलेक्ट्रॉनिक अंतरण नए प्रकार के दुरुपयोगों के प्रति संवेदी हो सकते हैं, यह अत्यावश्यक हो गया है कि बैंक अब ऐसे खतरों से बचने के लिए तथा नुकसान को न्यूनतम/शून्य करने के लिए कुछ न्यूनतम जांच और संतुलन कायम करें। नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं और इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा:
- सभी नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड तब तक केवल देशी उपयोग के लिए जारी किए जाएंगे जब तक कि ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हेतु विशेष रूप से मांग न करें।
- मौजूदा मैगस्ट्रीप कार्ड को ईएमवी चिप कार्ड में परिवर्तित किया जाएगा।
- पिन समर्थित पीओएस
- कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा समर्थ बनाना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- आपके बैंक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान और आधार अनुपूरक सिस्टम (एपीबीएस) के अंतर्गत लाभार्थी को सीधे अंतरण के लिए कदम उठाए हैं।
- आपके बैंक ने मनरेगा अंतरण के लिए, राजस्थान के सांगानेर ब्लॉक में इस वर्ष एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है और ₹ 86,54,676/- राशि के 9,593 अंतरण प्रोसैस किए हैं।
- आपके बैंक ने एपीबीएस के अंतर्गत, 1,31,735 आधारकार्डों को खातों से लिंक किया है और 6635 लाभार्थियों को ₹ 49,01,659/- का क्रेडिट प्रदान किया है।

- प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के अंतर्गत आपके बैंक ने केन्द्रीय प्रोजेक्ट योजना निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के अंतर्गत के साथ एक और प्रोजेक्ट आरंभ किया है।

ई-बिजनेस

- आपके बैंक का ई-बिजनेस विभाग विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग (बड़ौदा कनेक्ट), मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी, फोन बैंकिंग इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), संपर्क केंद्र इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक का ई-बैंकिंग विभाग डिपोजिटरी सेवाओं, नकदी प्रबंधन सेवाओं का कार्य भी देखता है।
- इस वर्ष आपके बैंक ने विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड, जैसे माइस्ट्रो पिन डेबिट कार्ड और रुपये डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने नए प्रकार का प्री - पैड कार्ड अर्थात् बड़ौदा ट्रेवल ईजी यूएस डॉलर ट्रेवल कार्ड का भी शुभारंभ किया है।
- जुलाई 2012 में आपके बैंक ने रिटेल ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा का शुभारंभ किया है।
- वित्त वर्ष 2013 के दौरान ई-बिजनेस विभाग के विभिन्न अनुभागों का प्रदर्शन नीचे सारणीबद्ध है:

विवरण	31/03/2012	31/03/2013	वर्ष के दौरान वृद्धि
परिचालित एटीएम की संख्या	2012	2630	618
जारी डेबिट कार्ड की संख्या (लाख)	80.44	103.76	23.32

वित्त वर्ष 2013 के दौरान नई पहलें तथा उपलब्धियां

- माइस्ट्रो पिन डेबिट कार्ड : अप्रैल 2012 में शुभारंभ
- रुपे डेबिट कार्ड: सितंबर 2012 में शुभारंभ
- ऑनसाइट एटीएम - सभी ऑनसाइट एटीएम में चेक ड्रॉप बॉक्स स्थापित करना
- दिनांक 5 दिसम्बर 2012 से नागरिक बचत खातों में डेबिट कार्ड जारी किया जाना

बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग)

विवरण	31/03/2012	31/03/2013	वर्ष के दौरान वृद्धि
प्रयोक्ताओं की संख्या	810430	1076635	266205
सम्बद्ध खातों की संख्या	3249216	4579969	1330753

वित्त वर्ष 2013 के दौरान नई पहलें

- बड़ौदा कनेक्ट के माध्यम से ऋण खातों में क्रेडिट/अंतरण



ख) एनआरआई के लिए ऑनलाइन पीआईओ समर्थित/ एफडीआर

ग) इंडिया फ़र्स्ट इंश्योरेंस के प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान

बड़ौदा आरटीजीएस/एनईएफटी

विवरण	2011-12		2012-13	
	आरटीजीएस	एनईएफटी	आरटीजीएस	एनईएफटी
आवक संव्यवहारों की संख्या	16,62,070	61,37,139	21,83,550	1,31,42,497
जावक संव्यवहारों की संख्या	21,47,527	29,48,252	27,45,872	53,77,922
अंतिम माह अर्थात मार्च के दौरान प्रतिदिन औसतन (आवक) संव्यवहार प्रतिदिन	7,720	28,376	9,929	76,361
अंतिम माह अर्थात मार्च के दौरान प्रतिदिन औसतन (जावक) संव्यवहार प्रतिदिन	9,338	13,211	11,713	25,092

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं (बीसीएमएस)

- वित्त वर्ष, 2013 के दौरान बीसीएमएस में संव्यवहारों की कुल संख्या वित्त वर्ष, 2012 में 14.19 लाख की तुलना में 30.91 लाख रही, साथ ही कुल टर्नओवर वित्तीय वर्ष, 12 के रु.10,355 करोड़ की तुलना में रु.27,480.62 करोड़ रहा. वित्त वर्ष, 2013 के दौरान रु.97.27 लाख का लाभ अर्जित किया गया.
- ग्राहकों की कुल संख्या 31.03.2012 के 206 से बढ़कर 31.03.13 को 308 हो गई.
- इन सेवाओं को क्रमिक तौर पर 100 और केंद्रों पर विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है.

बड़ौदा ई-गेटवे (अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे)

- 31 मार्च 2013 तक, कुल 148 मर्चेटों का पंजीकरण किया गया जो कि 31 मार्च, 2012 तक 124 था. वित्त वर्ष, 13 के दौरान कुल टर्नओवर रु.50.85 करोड़ रहा. वित्त वर्ष, 2013 के दौरान इस कार्य से रु.65.68 लाख का लाभ अर्जित हुआ.

वित्त वर्ष, 2013 के दौरान की गई नई पहलें

- रिटेल ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत.
- बड़ौदा ट्रेवल ईजी यूएस डॉलर ट्रेवल कार्ड का शुभारंभ किया गया.

- डेबिट कार्ड के असफल संव्यवहार की शिकायत संपर्क केंद्र के माध्यम से पंजीकृत करने की शुरुआत की गई.
- अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए संपर्क केंद्र की शुरुआत.



एनआरआई ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और सुविधाजनक बनाने के लिए अंचल कार्यालय, लखनऊ में प्रथम कॉन्टैक्ट सेंटर का शुभारंभ

- संपर्क केंद्रों के लिए मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली (ग्राहक शिकायतों के पंजीयन के लिए) की शुरुआत की गई.
- आपके बैंक के दो अंचलों मुख्यतः बृहद मुंबई अंचल और उत्तरी अंचल में अप्रैल, 2013 में रिटेल ऋण की वसूली (ईएमआई) ईसीएस के माध्यम से प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की गई.
- आपका बैंक राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (ईसीएस क्रेडिट) के प्रायोगिक शुरुआत के लिए तैयार है.
- आपके बैंक में संपर्क केंद्र के माध्यम से शिकायतों के पंजीयन (एसपीजीआरएस पोर्टल) की शुरुआत की गई है.

वित्त वर्ष, 2014 के लिए प्रस्तावित पहलें /कार्यनीतियां

- 50 ई-लॉबीज की शुरुआत (एटीएम के साथ, बल्क नोट एक्सेप्टर, स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटर कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, चेक जमा मशीन और फोन बैंकिंग सुविधा).
- सभी बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं में स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटर कियोस्क को लगाना.
- 50-100 बल्क नोट एक्सेप्टर लगाना.

एटीएम /डेबिट कार्ड

- कार्ड से कार्ड स्थानांतरण
- एटीएम बिल पे
- गैर-व्यक्तिगत डेबिट कार्ड
- बायोमेट्रिक एटीएम /डेबिट कार्ड
- एटीएम के माध्यम से नेफ्ट (एनईएफटी)
- टॉकिंग एटीएम
- एटीएम के माध्यम से चेक बुक के लिए अनुरोध.

बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग)

- सावधि जमा रसीद का ऑनलाइन परिपक्वता पूर्व भुगतान.
- बचत बैंक और आवर्ती जमा की ऑनलाइन सुविधा.
- क्युएनए की मदद से (पंजीकृत ग्राहकों के लिए) सुविधाजनक लॉग इन बिना वन-टाइम-पासवर्ड के प्रदान करना.
- "बड़ौदा कनेक्ट" के कार्पोरेट पोर्टल के पेजों को नया रूप देना.
- नेट बैंकिंग के माध्यम से आईएमपीएस का भुगतान.

बड़ौदा एम-कनेक्ट (मोबाइल बैंकिंग)

- मचैट भुगतानों को लागू करना.
- फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्युशन का कार्यान्वयन करना.

बड़ौदा प्री-पेड कार्ड

- बड़ौदा गिफ्ट कार्ड को ऑनलाइन जारी करना.
- पुनः भरे जाने योग्य कार्ड जारी करना

संपर्क केंद्र

- वसूली और बिक्री के लिए आउटबाउंड कॉल.
- वेब चैट
- एसएमएस/वॉयस/ई-मेल ब्लास्ट.
- विस्तारित आईवीआर (अर्थात लघु विवरणी, खाता विवरणी के लिए अनुरोध)

मानव संसाधन

लाभयोग्य और गुणात्मक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास आपके बैंक की समग्र कार्यनीति का एक संवेदनशील घटक है.

आज, आपके बैंक के पास सक्षम व अत्यधिक प्रेरित लगभग 43,108 कर्मचारियों का आधार है जिसने बैंक के व्यापक व्यवसायिक परिचालन को संभाल रखा है.



आपके बैंक ने बैंक में संयुक्त एवं जिम्मेदार मानव संसाधन संस्कृति बनाने के लिए बहुत ही संतुलित कर्मचारी नीति अपनाई है जो विकास को बढ़ाने और आज के समय की विभिन्न चुनौतियों जैसे बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति, बड़ी संख्या में प्रतिभाओं की भर्ती, प्रशिक्षण की व्यापक आवश्यकता और

उत्तराधिकार की समस्या व उत्पादकता का सामना कर सके. प्रोजेक्ट स्पर्श जैसी अनूठी एवं सम्पूर्ण उद्योग जगत में अदभुत मानव संसाधन रूपांतरण प्रोजेक्ट के माध्यम से एक व्यापक एचआर कार्यनीति और ढांचा बनाया गया है.

मानव संसाधन रूपांतरण की यह यात्रा अगस्त, 2011 में शुरू हुई और पिछले एक वर्ष में आपके बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण एचआर पहलें शुरू की हैं. जो कि भविष्योन्मुख हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए आरंभ की गई हैं. इसके लिए आपका बैंक श्रेष्ठ एचआर नीतियां व प्रक्रिया निर्मित करना चाहता है जिसके माध्यम से यह अन्य सभी बैंकों के लिए आदर्श बन सके, अपनी मानव पूंजी का अधिकतम लाभ उठा सके और कर्मचारी की उत्पादकता में अधिक सुधार ला सके.

प्रतिभा प्रबंधन व्यवस्था का गठन: बैंक में अगली श्रेणी के नेतृत्व को तैयार करना

आपके बैंक ने भविष्य की अगली पंक्ति के नेतृत्व विकास के लिए प्रतिभा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया है जोकि भविष्य के लीडर्स की पहचान करता है ताकि अगले पांच वर्षों में नेतृत्व अंतराल से उठने वाले जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके और लीडर्स को एक व्यवस्थित विकास एजेण्डा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सके. व्यवस्थित व सुगठित प्रक्रिया के माध्यम से बैंक ने लगभग 15.0% से 20.0% लोगों को, जो विभिन्न स्केल के अधिकारी जैसे स्केल-III, IV, V और VI में हैं, भविष्य के लीडर के रूप में चयनित किया. उन में से प्रत्येक के लिये प्रशिक्षण योजना बनाई गई है. इस प्रोसेस को वार्षिक कार्य का रूप दिया गया है जिससे चयनित लोगों के पूल और विभिन्न प्रतिभा प्रबंधन गतिविधियों की लगातार समीक्षा की जा सके एवं परिष्कृत किया जा सके. अपनी तरह के पहले ठबड़ौदा वार्षिक लीडरशीप सम्मेलन की अवधारणा तैयार की गई जिससे प्रतिभा पूल के सदस्यों के बैंकिंग और उद्योग की प्रवृत्तियों के संबंध में दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सके और उन्हें अपने सहयोगियों व बैंकों में वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़ने में मदद किया जा सके. इस तरह का पहले सम्मेलन का आयोजन मुंबई में 11 - 12 अगस्त 2012 को हुआ

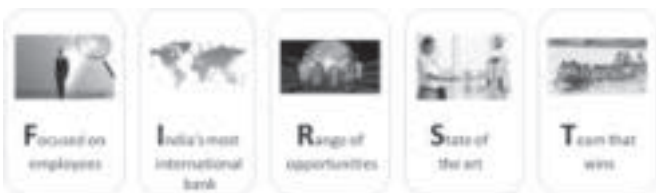


कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में 8 मार्च 2013 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया.

नीतिपरक श्रमशक्ति आयोजना और भर्ती कार्यनीति

आपके बैंक द्वारा मानव शक्ति की जरूरत का पता लगाने के लिये एक सशक्त मानव शक्ति आयोजना मॉडल का विकास किया गया है, इसकी मदद से आपके बैंक ने अगले कुछ वर्षों के लिए नीतिपरक श्रमशक्ति आयोजना आरंभ की है जिससे विभिन्न अन्य एचआर कार्य जैसे भर्ती आयोजना, कैरियर उन्नति, रिक्तियां व पदस्थापना व तैनाती में मदद मिल सके।

आपके बैंक ने एक स्पष्ट परिभाषित भर्ती नीति तैयार की है जोकि विभिन्न चैनलों से भर्ती को व्यापक आधार देने, नीतिपरक श्रम शक्ति आयोजना के अनुसार उभर रही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में भर्ती करने तथा नीचे बताये गए अनुसार स्पष्ट परिभाषित नियोजक प्रस्तावक शब्द "FIRST" की संकल्पना विशेष बल देता है।



एक विशेष रूप से तैयार "कैरियर पोर्टल" का शुभारंभ बैंक की वेबसाइट पर किया गया जो इस मूल्य अवधारणा को परिभाषित करता है कि क्यों आपका बैंक किसी प्रभावी आवेदक के लिए पसंदीदा जगह है, कैरियर पाथ क्या है, उपलब्ध भर्ती के चैनल कौन से हैं। इसमें बैंक ऑफ़ बड़ौदा में काम करने के विभिन्न पहलु और बैंक ऑफ़ बड़ौदा से मौजूदा कर्मचारियों के अनुभव वृत्तांत का समावेश है। सभी कार्यनीतियां बैंक के नियोजक के रूप में ब्रांडिंग सुधारने के लिए तैयार की गई हैं।

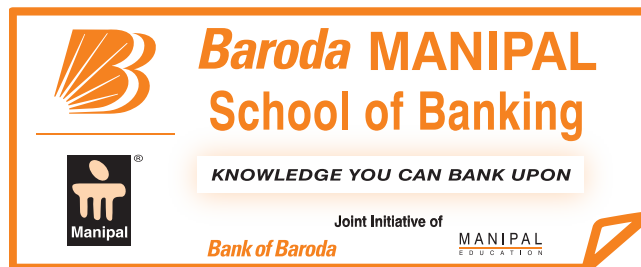


बड़ौदा में बैंक के कैरियर पोर्टल और प्रोजेक्ट स्पर्श के अंतर्गत प्रथम एचआर शेयर्ड सर्विसेज बैंक ऑफिस का उद्घाटन करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस.मूंदड़ा।

बड़ी संख्या में भर्ती हुए नए भर्ती किये गए स्टाफ सदस्यों को यथासंभव अल्पसमय में चुनौतियों का सामना करने हेतु उत्पादक बनाने के लिए परिचालनात्मक और सांस्कृतिक अवयवों, दोनों को शामिल करते हुए आपके बैंक ने बेहद सुगठित "ऑन बोर्डिंग कार्यक्रम" की शुरुआत की है, जोकि उन्हें, कार्य को तुरंत करने में समर्थ बनाती हैं और बैंक की सांस्कृतिक को आत्मसात करने में उनकी मदद भी करता है।

"बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग"

बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग "फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर" प्रोडक्टिविटी मॉडल पर विद्यार्थियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंकिंग कैरियर के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन की संयुक्त पहल है। विद्यार्थी एक वर्षीय संकेंद्रित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जोकि बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है और हमारे बैंक में प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में लिए जाने के पहले वे बैंकिंग व वित्त में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल करते हैं।



यह नवोन्मेषी संसाधन चैनल वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान शुरू किया गया था और एक वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद, विद्यार्थियों ने वित्तीय वर्ष 2013 के बाद से बैंक को ज्वाइन करना शुरू किया। 526 विद्यार्थियों के लगभग तीन बैच पहले ही बैंक ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि वर्तमान में लगभग 864 विद्यार्थियों के अन्य 4 बैच उपर्युक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस.मूंदड़ा बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए।

क्षमता निर्माण संबंधी पहलें



अपेक्षित संकेंद्रण और विकासात्मक उन्मुखता को लाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अपने प्रशिक्षण तंत्र को "बड़ौदा अकादमी" के रूप में रिब्रांड किया है और एक ज्ञानार्जन संगठन, बेहतर विकास में मदद व अपने लोगों के विकास के लिए वातावरण प्रदान करने के क्रम में इस बड़ौदा अकादमी अवधारणा के तहत कई प्रशिक्षण प्रयासों की शुरुआत की है जिससे संगठन के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो सके।

प्रक्रियागत हिस्से में, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयासों की शुरुआत की गई जैसे बृहत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर का प्रकाशन, एक अतिरिक्त प्रशिक्षण नामांकन के चैनल के रूप में स्वनामांकन की शुरुआत, प्रशिक्षण क्रेडिट

व्यवस्था की शुरुआत, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में परीक्षा लेना, एसोसिएट फैकल्टी के रूप में विशेषज्ञों के एक पूल का निर्माण, पाठ्यसामग्री को समुन्नत और मानकीकृत करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग हेतु, केस स्टडी की डाइरेक्ट्री के निर्माण हेतु मुहिम आदि ये सभी प्रयास प्रशिक्षण एवं विकास प्रक्रिया पर नए तरह से ध्यान केन्द्रित करने के बारे में हैं और यह बैंक में मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु एक अत्यंत सक्षम टूल के रूप में मदद करता है। प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने एवं सभी प्रशिक्षण पहलों को बृहत स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न आईटी टूल विकसित किए जा चुके हैं।

सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों और समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए व उपर्युक्त अधिकारियों एवं नए रिक्रूट के विकास के अलावा विशेष क्षमता निर्माण पहलों में, आपके बैंक ने प्रशिक्षण के लिए नई तरह से ध्यान देने, वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें क्रेडिट क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम, फारेक्स, डीलिंग, शाखा प्रबंधन, आयोजना, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। आपके बैंक ने पूरे देश में इन-हाउस 2198 प्रशिक्षण कार्यक्रमों पूरे देश में (12 प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क के साथ, एक आईटी प्रशिक्षण केन्द्र और एक अहमदाबाद में उच्च प्रशिक्षण कॉलेज) का आयोजन किया। इस तरह वर्ष के दौरान 43,465 लोग प्रशिक्षित हुए। इनके अलावा, आपके बैंक ने लगभग 2015 कर्मचारियों को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विदेश में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा। टैलेंट पूल सदस्यों के समग्र विकास की योजना के भाग के रूप में, विशिष्ट विकासात्मक क्षेत्रों को कवर करते हुए विशेषीकृत बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट रूप से निर्मित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपके बैंक के चयनित उप महाप्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों को एक उच्च प्रबंधन कार्यक्रम के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल जैसे आईएसबी में भेजा गया। इसे अलग पहल में हैदराबाद में, आपके बैंक ने एक केन्द्रित परामर्श कार्यक्रम के लिए पूरे बैंक से अतिरिक्त 150 विशेष चिन्हित लोगों को प्रशिक्षित किया ताकि वे नए भर्ती अधिकारियों के लिए एक परामर्श के रूप में कार्य कर सकें। बैंक में प्रशिक्षित परामर्शकों की कुल संख्या लगभग 500 तक ले जाया जाना है।

नेतृत्व विकास (प्रोजेक्ट उड़ान)

वित्तीय वर्ष 2012 में लोगों ने नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम "प्रोजेक्ट उड़ान" की शुरुआत की है, जिनमें सभी शहरी व महानगरीय शाखाओं के शाखा प्रबंधकों तथा सहायक महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक सम्मिलित किए गए। इसका उद्देश्य भविष्य में लीडर्स को तैयार करना है।



यह कार्यक्रम नेतृत्व के तीन मॉड्यूल 'लीडिंग सेल्फ', 'लीडिंग अदर्स' और 'लीडिंग बिजनेस' के आधार पर तैयार किया गया है और इनमें से प्रत्येक मॉड्यूल ऑफ साइट इवेंट्स कोचिंग क्लिनिक के समन्वय के जरिए संबोधित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक के सात अंचलों में 960 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया और वित्तीय वर्ष 2013 में अतिरिक्त 760 प्रतिभागियों को दूसरे पांच बैंकों में शामिल किया गया। किसी भी भारतीय सार्वजनिक बैंक के लिए इस तरह का बड़ा और व्यापक नेतृत्व विकास प्रयास अपने आप में प्रथम है।

एचआर प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

आपके बैंक ने कर्मचारी सेवाओं के लिए एक बहुत ही विशेष एचआर तकनीकी प्लेटफार्म तैयार किया है, जिसमें एचआरएम, प्रशिक्षण, पेरोल व छुट्टी के मॉड्यूल हैं जिसे मानव संसाधन नेटवर्क (एचआरएनईएस) नाम दिया गया है। इस तकनीकी प्लेटफार्म से विभिन्न एचआर कार्यों को स्वचालित कर दिया गया है और वर्ष के दौरान विभिन्न मॉड्यूल/ विभिन्न नई प्रक्रियाओं को स्वचालित/क्रियान्वित किया गया।

भर्ती अभियान

आपका बैंक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सेवानिवृत्ति, व्यवसाय विकास को बनाए रखने व तीव्र शाखा विस्तार पर विशेष ध्यान देते हुए भर्ती के विशेष प्रयास कर रहा है। आपके बैंक की श्रम शक्ति संबंधी समस्या को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया। आपके बैंक की दोनों ही तरह की जरूरतों - सामान्य रूप से नौकरी छोड़कर जानेवालों की जगह भरने व व्यवसाय विकास की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से वित्त वर्ष, 2013 के दौरान विशेषज्ञ अधिकारियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्कूलों से सीधे कैम्पस भर्ती के माध्यम से युवा एमबीए अधिकारियों की भर्ती की शुरुआत की गई। आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में 1246 अधिकारी (सामान्य और विशेषज्ञ श्रेणी दोनों) 1731 लिपिक और 700 अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों की भर्ती की। भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2013-14 के दौरान भी जारी है जिसके तहत अधिकारियों के लगभग 2800 पदों और लिपिकों के 3500 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

कैरियर विकास हेतु रूप-रेखा

तीव्र कैरियर विकास हेतु कर्मचारियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विशेष प्रयास किए गए जिनके द्वारा कर्मचारियों को उच्च उत्पादकता हेतु प्रोत्साहित किया गया। अपने श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करनेवाले कर्मियों को पुरस्कृत करने और बड़ी जिम्मेदारियों के प्रति आकर्षित करने हेतु आपका बैंक प्रतिवर्ष बिना किसी रुकावट के सभी श्रेणियों/वेतनमानों में लोगों को नियमित रूप से पदोन्नत कर रहा है। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान भी बड़े पैमाने पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई। परिणामतः बैंक में 3793 लोगों की पदोन्नति की गई जो नीचे तालिका में दर्शायी गई है।

सब स्टाफ से लिपिक	160
लिपिक से अधिकारी	553
क.प्र.श्रे - I से म.प्र.श्रे - II (अधिकारी से प्रबंधक)	1332
म.प्र.श्रे - II से म.प्र.श्रे - III (प्रबंधक से वरिष्ठ प्रबंधक)	1055
म.प्र.श्रे - III से व.प्र.श्रे - IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	480
व.प्र.श्रे - IV से व.प्र.श्रे - V (मुख्य प्रबंधक से स. महाप्रबंधक)	160
व.प्र.श्रे - V से सर्वोच्च का. प्र. श्रे - VI (स. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	35
सर्वोच्च का. प्र. श्रे - VI से सर्वोच्च व. प्र. श्रे - VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	18

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक समाज के एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक पूरे बैंकिंग उद्योग में उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जिसके पास एससी एवं एसटी संवर्ग से जुड़े अधिकतम कर्मचारी हैं, जिससे बैंक की इस वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। बैंक द्वारा एससी एवं एसटी लोगों के विकास एवं कल्याण के संबंध में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है।

नौकरियों में आरक्षण

बैंक अपनी अखिल भारतीय एवं भर्ती योजनाओं में भारत सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। अखिल भारतीय नियुक्तियों में तथा बैंक द्वारा शुरू किए जा रहे भर्ती के एक नए चैनल बड़ौदा स्कूल ऑफ बैंकिंग के लिए चयन में 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। क्षेत्रीय आधार पर की गई अन्य भर्तियों में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है। बैंक में भर्ती के संबंध में एसस/एसटी आवेदकों के लिए भर्ती पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आयु सीमा एवं योग्यता में उपयुक्त रियायत प्रदान की जाती है। एसस/एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भी रियायत बरती जाती है ताकि आरक्षित पदों पर नियुक्ति हो सके। भर्ती हेतु समीक्षा पैनल में अनिवार्य रूप से एक एसस/एसटी सदस्य शामिल किया जाता है। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए एसस/एसटी अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। नौकरी में आरक्षण देने के अलावा बैंक विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप एसस/एसटी कर्मचारियों के कैरियर विकास एवं पदोन्नति के संबंध में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने के

पूर्व पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। बैंक के उपलब्ध आवासों में एसस/एसटी के लिए 10% का आरक्षण किया गया है।

31 मार्च 2013 को स्टाफ शक्ति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा:

कैडर	कुल	एससी	एससी %	एसटी	एसटी %
अधिकारी	17933	3044	16.97	1261	7.03
लिपिक	16869	2392	14.18	1158	6.86
सब स्टाफ	8306	2836	34.14	769	9.26
कुल	43108	8272	19.19	3188	7.39

अनुसूचित जाति/जनजाति कक्ष :

बैंक में आरक्षण तथा एसस/एसटी कर्मचारियों के लिए अन्य सम्बद्ध प्रावधानों की निगरानी के लिए एक विशेष एसस/एसटी कक्ष कार्यरत है। महाप्रबंधक स्तर का एक कार्यपालक एसस/एसटी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी है जो एसस/एसटी कर्मचारियों से संबंधित विविध दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक के प्रत्येक अंचल में एसस/एसटी हेतु एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है जो अंचल के एससी/एसटी कर्मचारियों के सभी मामलों एवं शिकायतों के निपटारे की स्थिति की देखरेख करता है।

अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण संघ के साथ बैठक:

बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करता है ताकि उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके एवं एसस/एसटी संबंधी आरक्षण तथा अन्य प्रावधानों की समीक्षा की जा सके। इन बैठकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालक जिसमें एसस/एसटी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी शामिल हैं, भाग लेते हैं।

भारत रत्न डॉ बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट :

बैंक ने 1991 में भारत रत्न डॉ बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की जिससे कि एसस/एसटी कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों के लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। एसस/एसटी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर ट्रस्ट द्वारा एसस/एसटी समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति /जनजाति राष्ट्रीय आयोग का दौरा:

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति /जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने आपके बैंक के विभिन्न जगहों पर अनुसूचित जातियों के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार दौरा किया और नीतियों व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा विचार-विमर्श किया और परीक्षण किया।

क्र.सं.	बैठक की जगह	दिनांक
1	जयपुर	26.05.2012
2.	देहरादून	25.07.2012
3.	बेंगलूर	22.08.2012
4.	भोपाल	27.09.2012

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रोस्टर व कार्य सेवा सुरक्षा के सत्यापन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.12.2012 को और जयपुर में 31.1.2013 को भी दौरा किया. आयोग को दिए सुझावों व दिशा-निर्देशों को आपका बैंक में कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

विभिन्न पिछड़े वर्गों के कल्याण प्रोत्साहन के लिए और उनके हितों की रक्षा व कार्य वातावरण पर बनी विभिन्न आयोग व संसदीय समिति ने भी आपके बैंक का दौरा नीचे दिए गए विवरणानुसार किया और बैंक द्वारा उनके समग्र विकास और सभी सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी तरीकों की सराहना की.

- सफाई कर्मचारियों राष्ट्रीय आयोग - गोवा में 11.02.2013
- सरकारी आश्वासनों (विकलांग व्यक्तियों के लिए) पर राज्यसभा समिति का अध्ययन दौरा- मुंबई में 22.1.2013
- अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक मुंबई में- 7.2.2013 को.

बिज़नेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग (प्रोजेक्ट नवनिर्माण)

बीपीआर आधारित रूपांतरण के चार वर्षों बाद, आपके बैंक ने भारतीय बैंकिंग जगत में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से बिज़नेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 14 जुलाई 2012 को मुंबई में किया.



बिज़नेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पहले वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 14 जुलाई 2012 को मुंबई में किया गया.

नवनिर्माण रूपांतरण के प्रमुख क्षेत्र

- आपके बैंक ने 'बड़ौदा नेक्स्ट' नाम से शाखाओं के नवनिर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत मेट्रो तथा शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक डिजाइन, फ्रंट / बैंक आफिस, आरामदायक ग्राहक प्रतीक्षा क्षेत्र, उपर्युक्त फ्रंटलाइन ऑटोमेशन तथा बिक्री और सेवाओं के लिए समर्पित टीम से युक्त शाखाओं के द्वारा ग्राहक सेवाएं प्रदान की हैं.
- बैंक द्वारा बैंक आफिस का निम्नानुसार अपग्रेडेशन किया गया :
 - प्रोसेस डिजाइन
 - मैन्युअल प्रोसेस के स्थान पर वर्कफलो आधारित सिस्टम विस्तार तथा मशीनों का उपयोग
 - क्षेत्र विस्तार (नये कार्यों के लिए स्थान बनाना)
- आपके बैंक द्वारा काफी तेजी से पूरे देश में बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं तथा बैंक आफिस का विस्तार किया गया.
- आपके बैंक ने टिकाऊ रहने के कार्य किए हैं, अर्थात् दस्तावेजीकरण, सुदृढ़ प्रौद्योगिकी, कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रशिक्षण तथा पुनःप्रशिक्षण.



बीपीआर कार्यशाला

- आपके बैंक ने सेल्स प्रोसेस तथा उद्यम आधारित सेल्स एकाउंटबीलिटी मॉडल (बड़ौदा नेक्स्ट सेल्स ऑपरेटिंग मॉडल) को शाखाओं में लागू किया है.
- आपके बैंक ने ग्राहकों तथा कर्मचारियों की संतुष्टि के मूल्यांकन के लिए आवधिक आधार पर सर्वेक्षण प्रारंभ किए हैं.

आपके बैंक के बीपीआर निष्पादन ने निम्नलिखित के माध्यम से व्यावसायिक वृद्धि तथा ग्राहक / कर्मचारी संतुष्टि दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है :

- **बड़ौदा नेक्स्ट शाखाएं** - लगभग 1,382 मेट्रो / शहरी शाखाओं को बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं के रूप में रूपांतरित किया गया है.
- **शाखा फ्रंट-एंड ऑटोमेशन** - क्यू मैनेजमेंट सिस्टम (क्यूएमएस) तथा चेक डिपोजिट मशीन (सीडीएम) क्रमशः 93 तथा 40 शाखाओं में स्थापित की गई हैं.
- **सिटी बैंक आफिस (सीबीओ)** - सभी शाखाओं हेतु समाशोधन परिचालनों को केंद्रीकृत किया जा चुका है. तीन सीबीओ, यथा मुंबई, अहमदाबाद तथा सूरत को स्वचालित कर दिया गए हैं.

- **रीजनल बैंक आफिस (आरबीओ) -** कुल 2,925 तथा 3,900 शाखाओं को क्रमशः कासा खाता खोलने तथा वैयक्तिक चेक बुक (पीसीबी) जारी करने के लिए लिंक कर दिया गया है।
- **क्रेडिट सेंट्रलाइजेशन पायलट (आरएलएफ / एसएमईएलएफ) -** लोन फ्रेक्टो बड़ौदा के अंतर्गत रिटेल एवं एसएमई क्रेडिट सेंट्रलाइजेशन का कार्य पायलट आधार पर चल रहा है।
- **प्रत्येक बड़ौदा नेक्स्ट शाखा में सेल्स ऑपरेंटिंग मॉडल का लागू करना -** 32 क्षेत्रीय कार्यालयों के 739 बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं में सेल्स ऑपरेंटिंग मॉडल को लागू किया जा चुका है।
- **मिड कार्पोरेट वर्टिकल -** एक मिड कार्पोरेट वर्टिकल तैयार किया गया है तथा 15 मिड कार्पोरेट शाखाओं को महत्वपूर्ण स्थानों पर खोला गया है।
- **एकेडमी ऑफ़ एक्सीलेंस -** सभी स्तरों पर लगातार जागरूकता, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण बड़ौदा नेक्स्ट रोल आउट प्रोग्राम का महत्वपूर्ण भाग बना रहेगा। इसमें अंचल / क्षेत्रीय शुरुआत, शाखा बैठक, बूट कैंप, शाखा स्तरीय प्रशिक्षण, बाहरी सेल्स प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियां शामिल हैं।
- **नवनिर्माण पहलों / प्रभाव को बनाए रखना -** बड़ौदा नेक्स्ट शाखाओं के लिए एक प्रमाणन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा चुका है जिसके तहत आपके बैंक के आंतरित निरीक्षकों द्वारा प्रक्रिया अनुपालन / पालन का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा सीएसएटी / ईएसएटी का मूल्यांकन बाहरी मार्केट रिसर्च एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

मार्केटिंग

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ने अपने ब्रांड तथा विभिन्न उत्पादों व सेवाओं का, विज्ञापन, ग्राहक आधारित कार्यक्रमों तथा शाखा स्तरीय प्रचार के माध्यम से लगातार संवर्द्धन किया है। इस प्रक्रिया में, आपके बैंक ने अंचल तथा क्षेत्रीय स्तर पर शाखाओं द्वारा किये जानेवाले कार्यों में आधारभूत गतिविधियों को योगदान देने के अलावा विभिन्न मीडिया साधनों, जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ओओएच का इस्तेमाल किया। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान की गई प्रमुख मार्केटिंग कम्युनिकेशन गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

आपके बैंक ने 14 नवंबर 2012 - 'बाल दिवस' के अवसर पर एक विशिष्ट कार्यक्रम की पहल की जिसका शीर्षक बैंक ऑफ़ बड़ौदा केनवास प्रतियोगिता रखा गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना था जिसके द्वारा स्कूली बच्चों के साथ ही उनको प्रेरित करनेवाले अभिभावकों / अध्यापकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को बनाया जा सके। प्रतियोगिता में पहले से निर्धारित विषयों पर पूरे देश के स्कूलों के विद्यार्थियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी तथा चयनित जजों के पैनल द्वारा राष्ट्रीय / अंचल / क्षेत्रीय स्तर विजेता प्रविष्टियों का चयन किया गया। आपके बैंक के मैस्काट, 'स्टिकमैन', को भी व्यापक रूप से इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया ताकि लक्षित दर्शकों के साथ ब्रांड संबंध बनाने में सहायता मिल सके। इस अभियान के अंतर्गत यथोचित रूप में प्रिंट तथा रेडियो मीडिया का उपयोग किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रविष्टियों को प्रतियोगिता में शामिल किया जा सके। ऐसे शहरों को, लक्षित किया गया था जहां पर हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस प्रतियोगिता में केवल 45 दिन की अल्प अवधि के दौरान पूरे देश के 3000 स्कूलों से कुल 1.98 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया और बैंक को भविष्य में इनसे

जुड़े रहने का अवसर प्राप्त हुआ।

आपके बैंक द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित ग्राहकों के बीच अपने उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न उत्पाद संवर्धन अभियानों चलाए गए। विभिन्न मीडिया माध्यमों से विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं, विशेष रूप से जमाराशियों, चालू राशियों, एनआरआई जमाओं, गृह ऋण, कार ऋण, एसएमई ऋण तथा वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के बारे में जानकारी प्रचारित की गई। स्थानीय तथा विदेशी दोनों



ही शाखाओं नेटवर्क के विस्तार बढ़ाने से संबंधित जानकारी को बड़े स्तर पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया जिससे आपके बैंक की ब्रांड छवि तथा उपस्थिति को बढ़ावा मिला है।

आपके बैंक द्वारा विभिन्न वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों तथा एसएमई से संबंधित उत्पाद तथा सेवाओं पर विशेष साहित्य का प्रकाशन करके ग्राहकों को साक्षर करने के विभिन्न कदम उठाए गए। बैंक ने विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे - प्रवासी भारतीय दिवस 2013, फिक्की - आईबीए बैंकिंग कान्फ्रेंस, इन एंड ब्राडस्ट्रीट - एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड, मिंट एन्युअल बैंकिंग कॉन्क्लेव, सीआईआई मैन्युफैक्चरिंग समिट तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन 2013 में सहभागिता करके ग्राहकों के साथ संवाद - संप्रेषण और ब्रांड संवर्द्धन किया।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान आपके बैंक की गतिविधियों को मीडिया में विस्तृत कवरेज मिला जिससे कि बैंक को ब्रांड इमेज बनाये रखने में सहायता मिली है।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न व्यवसायिक मानकों पर ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस और अन्य संस्थाओं से भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं जिसकी सूची नीचे दी गई है



स्टाफ कॉलेज, अहमदाबाद में अखिल भारतीय मार्केटिंग अधिकारी सम्मेलन का आयोजन, अगस्त 2012

बैंक ऑफ बड़ौदा को पुरस्कार व उद्योग जगत में मान्यता

बैंक के निरन्तर उत्कृष्ट और सर्वांगीण कार्यनिष्पादन (व्यवसाय एवं वित्तीय दोनों) श्रेष्ठ प्रबंधन, उत्कृष्टता के प्रति समर्पण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय समावेशन में योगदान के लिए वित्त वर्ष, 2013 के दौरान बैंक को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

बैंक को वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त कुल प्रमुख पुरस्कारों का विवरण आगे दिया जा रहा है:-

- ब्लूमबर्ग यूटीवी फायनांसियल लीडरशिप अवार्ड - बेस्ट पीएसयू बैंक - 07.04.2012, मुंबई
- इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा बेस्ट सीआईओ अवार्ड बीएफएसआई सेक्टर, 2012 - जून, हैदराबाद
- रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड - 29.06.2012, मुंबई
 - क) 'क' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार
 - ख) 'ख' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार
 - ग) द्विभाषी गृहपत्रिका 'बॉबमैत्री' को प्रोत्साहन पुरस्कार



भारतीय रिज़र्व बैंक से 'रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड'

- द सन्डे स्टैण्डर्ड एफआईएनडब्ल्यूआयझेड 2012 अवार्ड - 20.08.2012, नई दिल्ली
- बेस्ट इंडियन बैंक लार्ज (रनरअप)
- बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक लार्ज (रनरअप)
- इन एण्ड ब्राडस्ट्रीट - पोलारिज फायनांसियल टेक्नॉलाजी बैंकिंग अवार्ड - 24.08.2012, मुंबई
 - क) वैश्विक व्यवसाय विकास वर्ग में बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक
 - ख) समग्रतः बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक
- भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकिंग टेक्नॉलाजी अवार्ड 2011 - 27.08.2012, मुंबई
 - क) प्रशिक्षण एवं ई-लर्निंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए - विजेता
 - ख) श्रेष्ठ ग्राहक संबंध पहलें - प्रथम रनर अप
 - ग) बिज़नेस इंटेलिजेंस का श्रेष्ठ उपयोग - प्रथम रनर अप
 - घ) बैंकिंग में मोबाइल प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ इस्तेमाल - द्वितीय रनर अप
 - इ) श्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन एवं सुरक्षा पहलें - द्वितीय रनर अप

- सिल्वर ट्रॉफी ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट तथा ओरेकल आरएसी के स्कॉच डिजिटल इंकलूजन अवार्ड - 2012, 04.09.2012, नई दिल्ली
- बिज़नेस इंडिया बेस्ट बैंक अवार्ड 2012 - 14.09.2012, मुंबई
- इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, नई दिल्ली
 - क) प्रथम पुरस्कार - 14.09.2012
 - ख) हिन्दी गृहपत्रिका प्रतियोगिता में 'अक्षय्यम' को द्वितीय पुरस्कार
- असोसिएशन ऑफ बिसनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) अवार्ड 2012, 19.10.2012
 - क) स्पेशल कॉलम (अंग्रेजी) - बॉबमैत्री, सिल्वर ट्रॉफी
 - ख) स्पेशल कॉलम (भाषा) - अक्षय्यम सिल्वर ट्रॉफी
 - ग) कार्पोरेट वेबसाइट - बैंक ऑफ बड़ौदा वेबसाइट, सिल्वर ट्रॉफी
- फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड - श्री एम.डी.मल्या को बेस्ट सीईओ पब्लिक सेक्टर, 28.09.2012, मुंबई



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुंबई में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड - 'बेस्ट सीईओ पब्लिक सेक्टर' प्रदान किया गया.

- सीएनबीसी टीवी 18 - श्री एम.डी.मल्या को 'इंडिया बेस्ट बैंक एण्ड फायनेंशियल अवार्ड 2012 - बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, 17.10.2012, मुंबई दिया गया.
- बेस्ट लार्ज बैंक 2012 - बिज़नेस वर्ल्ड नवम्बर 26, 2012 अंक
- बेस्ट लार्ज बैंक 2012 - बिज़नेस टुडे - केपीएमजी - दिसम्बर 2012;
- स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल द्वारा एर्नाकुलम में दिसम्बर 2012 में बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड



बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब ने एरनाकुलम में बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया.

- बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द इयर (2011-12) श्री एम.डी. मल्या, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को जनवरी, 2013 में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 23.03.2013 को दिया गया।
- माय एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री फॉर एक्सलेंस इन बैंकिंग (पीएसयू) - सिल्वर अवार्ड एफएम रेडियो द्वारा 14.02.2013 को मुंबई में।
- आवास ऋण बैंकिंग में श्रेष्ठता के लिए माय एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड - दिनांक 14.02.2013 को मुंबई में रेडिया एफएम द्वारा ब्राँज अवार्ड
- श्रेष्ठ सार्वजनिक बैंक श्रेणी में दिनांक 20.02.2013 को मुंबई में फाइनेंसियल एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा "बेस्ट पी.एस.यू. के लिए एफई बेस्ट बैंक अवार्ड 2011-12



बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंसियल एक्सप्रेस द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए बेस्ट पीएसयू बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया- जिसे श्री एस.एस.मूंदड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ने प्राप्त किया।

- मुंबई में दिनांक 18.02.2013 को कार्पोरेट अवार्ड समारोह में एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस एण्ड वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस द्वारा ठस्ट्रेटैजिक कम्प्यूनिकेशन एण्ड लीडरशिप अवार्ड।
- दिनांक 23.03.2013 को दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जरनल द्वारा मोस्ट एफिसिएंट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड
- दिनांक 03 अप्रैल, 2013 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग में श्रेष्ठता के लिए वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

परिसर रि-इंजीनियरिंग और आकर्षक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान "परिसर रि-इंजीनियरिंग और आकर्षक परिवेश" के क्षेत्र में आपके बैंक द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है।

- जमशेदपुर में आपके बैंक का प्रशासनिक कार्यालय सह आवासीय काम्पलेक्स बनकर तैयार हो चुका है। यह ऊर्जा सक्षम उपस्करों, वर्षा-जलसंग्रह तंत्र एवं पर्यावरण अनुकूल सामानों व अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स एवं सिस्टम के साथ सुसज्जित है। आपके बैंक की उपस्थिति इस भवन के द्वारा स्टील सिटी में एकमात्र मानी जाती है। वर्तमान में यह जमशेदपुर शहर के एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में जाना जाता है।

- वित्तमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपका बैंक अपने कार्पोरेट कार्यालय और सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से एमपीएलएस कनेक्टिविटी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम के द्वारा लिंकड है। वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कार्यप्रमुखों के सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली और कम कीमत का बनाने हेतु तेजी लाने के लिए निर्णय लिया जा सकता है।
- आपका बैंक ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट आदि के रूप में तकनीक आधारित पहलों की ओर भी बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2013 में इन पहलों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है।
- वैंडरों को किए जानेवाले सभी भुगतान व्हायरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किए जा रहे हैं या लाभार्थी के खाते में क्रेडिट किए जा रहे हैं।



दिल्ली मेट्रो क्षेत्र-1 नाहरपुर में बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

- आपके बैंक की नीति के अनुरूप इसके प्रशासनिक कार्यालयों हेतु स्वयं के परिसर हेतु आपके बैंक ने बंगलौर (कर्नाटक), हैदराबाद (आं.प्र), फैजाबाद (यू.पी), इंदौर (म.प्र), उदयपुर, हल्द्वानी (उत्तराखंड), देहरादून (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान) और न्यू रायपुर (छत्तीसगढ़) में वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है।
- बढ़ते हुए किराये को देखते हुए उपलब्ध परिसर के प्रत्येक स्थान और कोने के उपयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नवीनीकरण के दौरान ले-आउट को उन्नत किया गया और सभी शाखाओं/ कार्यालयों की फर्निशिंग को पर्यावरण अनुकूल एवं श्रमदक्ष रूप में डिजाइन किए गए फर्नीचर आइटम के माध्यम से की गई है। परिसरों के अधिग्रहण हेतु क्षेत्र नियम की समीक्षा की एवं उसे लागू किया गया है।
- पूरे भारत में प्रणालियों एवं पद्धतियों में एकरूपता लाने के लिए परिसर नीति निर्देश, निर्माण मैनुअल, नवीनीकरण मैनुअल को निर्धारित किया गया और फर्नीचर के मदों की शीघ्र खरीद हेतु, तथा वे आकर्षक दिखाई दें इस हेतु एक समान डिजाइन मॉड्यूलर एवं कुर्सियों के लिए एजेंसी भी निर्धारित की गई।

वित्त वर्ष 2013 में लागू की गई परियोजनाएं:

- आपके बैंक ने मैलापोर, चेन्नई में कमर्शियल परिसर का निर्माण किया है जिसमें अंचल कार्यालय, शाखा व करेन्सी चेस्ट है।



मैलापोर, चेन्नई में बैंक का नया कमर्शियल परिसर

- सेनोटाफ रोड, चेन्नई में रिहायशी परिसर का निर्माण किया गया जहां तीन 3 बीएचके फ्लैट, बारह 2 बीएचके फ्लैट और एक सामान्य गेस्ट हाउस और स्टेट ऑफ आर्ट वीआईपी गेस्ट हाउस।



सेनोटाफ रोड, चेन्नई में बैंक का नया रिहायशी परिसर

- बैंक ने ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में रिहायशी परिसर का निर्माण किया जहां 14 कार्यपालक फ्लैट (चार 3 बीएचके फ्लैट, दस 2 बीएचके फ्लैट) और एक उच्च कार्यपालक गेस्ट हाउस है।



ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में बैंक का नया रिहायशी परिसर

- टाटा नगर, जमशेदपुर में कमर्शियल कम रिहायशी परिसर का निर्माण किया गया जहां 23, 2-बीएचके फ्लैट बनाए गए हैं।



जमशेदपुर में बैंक का नया कमर्शियल कम रिहायशी परिसर

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

- आपके बैंक के जनकपुरी, नई दिल्ली में आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- वाराणसी में ऑफिस बिल्डिंग तथा करेन्सी चेस्ट, के निर्माण कार्य भी पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- जयपुर में बहु मंजली इंटग्रेटेड ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बीएसवीएस का निर्माण कार्य भी कार्यान्वयन के तहत है।
- रायपुर में नए प्रशासनिक और आवासीय भवन का निर्माण कार्य कार्यान्वयन के तहत है।
- इंदौर (मध्य प्रदेश) में आवासीय तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कार्यान्वयन के तहत है।

संपदा प्रबंधन संबंधी भावी योजनाएं

- बैंक के संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित भवन को सुन्दर एवं आकर्षक बनाना
- कोयंबतूर स्थित रामनगर परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य ताकि शाखा/ अधिकारियों के फ्लैटों के लिए उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- हैदराबाद में डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए बैंक के अपने भवन का निर्माण करना
- बैंक ऑफ बड़ौदा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (गुजरात) का नवीकरण करना।
- मुंबई में स्थानांतरित अधिकारियों/ कार्यपालकों के लिए 138 आवासीय फ्लैटों के भांडुप स्टाफ क्वार्टर्स भवन का जीर्णोद्धार शुरू करना।
- आवासीय और व्यावसायिक भवन के निर्माण हेतु जोगेश्वरी स्टाफ कॉलेज के जीर्णोद्धार शुरू करना

- बेंगलूर में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण शुरू करना.
- फैजाबाद में प्रशासनिक क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण करना.
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप देशभर में फैले विभिन्न केन्द्रों पर बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों का निर्माण करना.

परिसर प्रभाग के लिए कार्य योजना

- तीन वर्षों के लिए अर्थात् 2013-16 हेतु परिसर नीति दिशानिर्देशों का संशोधन अप्रैल 2013 तक करना.
- वित्तीय वर्ष 14 के दौरान निम्नलिखित घरेलू परियोजनाओं को पूरा करना
 1. 138 टू बीएचके फ्लैटों को विकसित करते हुए भांडुप बिल्डिंग, मुंबई का जीर्णोद्धार करना
 2. एक बेसमेंट, एक शाखा और 16 फ्लैटों सहित जोगेश्वरी , मुंबई प्रोजेक्ट को पूरा करना.

घरेलू अनुषंगियां और सहयोगी कंपनियां.

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहा.

बॉबकार्ड्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2011 में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया जिनके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012 और वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान लाभ अर्जित किया. कंपनी ने व्यवसाय विकास के सभी गुणात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, परिणामस्वरूप लाभप्रदता, गुणवत्तापरक कार्ड आधार एवं सदस्य संस्थान आधार में सुधार दर्ज किया गया. कंपनी ने प्रीमियम विशेषताओं जैसे एडेड प्रिविलेजेस और ऑफर सहित प्लैटिनम कार्ड्स की रेंज शुरू की . कंपनी ने कार्ड और मेचेंट बेस को व्यापक करने हेतु अक्रामक योजनाएं तैयार कीं.

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एक व्यावसायिक टीम की भर्ती के साथ क्रियाशील हुआ है. कंपनी का ध्यान निवेश सलाहकार सेवा, डेबिट और इक्विटी समूहन और पूंजी मार्केट क्रियाकलापों पर होगा. कंपनी ने अक्टूबर 2009 से संस्थागत ब्रोकिंग व्यवसाय शुरू किया था और साथ ही एक ऑनलाइन संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म का शुभारंभ भी किया था. कंपनी ने व्यावसायिक रूप से 20 जुलाई 2012 को एक ऑनलाइन रिटेल ट्रेडिंग प्लैटफार्म का शुभारंभ किया.

नैनीताल बैंक लिमिटेड को स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अन्यो द्वारा प्रमोट किया गया था जोकि वर्ष 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायोगी बैंक बना. आज, नैनीताल बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर धारिता 98.57% है और यह बैंक का अनुषंगी बैंक है. उत्तराखंड राज्य ने दिनांक 3 अगस्त 2012 की सरकारी सूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नैनीताल बैंक लिमिटेड को भी समतुल्य समझा जाए. बैंक ने शाखा विस्तार के कदम उठाए हैं और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा चुका बैंक परिचालनों का बढ़ावा देने के लिए अक्रामक योजनाएं तैयार की है. बैंक ने 15 शाखाओं में ई स्टैपिंग सुविधा का शुभारंभ किया और मोबाईल बैंकिंग एवं ई बैंकिंग आदि जैसे विभिन्न नई सूचना प्रौद्योगिकी की पहलें भी शुरू की है.

बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड , पयोनियर ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट स्पा के साथ एक संयुक्त उद्यम है और यह परिचालन के पांचवें वर्ष में है. समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी उसके एयूएम को उल्लेखनीय ढंग से सुदृढ़ बनाने में सक्षम रहा जोकि वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़कर मार्च 2013 को 75.0% हो गया और डेबिट और इक्विटी मार्केट में प्रबल मंद स्थितियों के बावजूद भी एक लाख तक फोलियो एकत्र करने में सक्षम रहा. यह प्रगति, संस्थागत सेगमेंट पर सुदृढ़ ध्यान के वजह से हुई जो कि कंपनी को उनके डेबिट और पूंजी मार्केट उत्पादों सहित रिटेल निवेशकों हेतु सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने हासिल हुई. कई नए एनएफओ का शुभारंभ इस वर्ष किया गया और तृपक्षीय उत्पादों का ध्यान रखने हेतु दो नए चैनलों को भी जोड़ा गया. समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेशक सेवा स्थानों (इंवेस्टर सर्विसिंग पॉइंट्स) कर संख्या 77 से बढ़कर 203 कर दी है.

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लीगल एवं जेनेरल ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी है. जिसने 16 नवंबर 2009 को अपना व्यावसाय परिचालन शुरू किया और देश भर में इसके उत्पादों को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला.कंपनी ने वर्ष दर वर्ष पर अधिकतम 34.0% प्रगति के साथ उद्योग में बेहतर परिणाम हासिल किए. कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में 22 वें स्थान पर थी, चार वर्षों की अवधि के यह कंपनी प्राइवेट खिलाडियों के बीच में 8 वें स्थान आकर बड़ी खिलाडी बन गई. इंडिया फर्स्ट ने मैजिक बोर्ड का शुभारंभ किया , जोकि इसका एक सुवाह्य बिक्री प्रोसेस टूल है. कंपनी को तीसरे वर्ष लगातार मॉडल इश्यूरर एवार्ड (एशिया) प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ.

(₹ लाख में)

संस्था (पंजीकरण की तारीख के साथ)	देश	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉब कैपिटल मार्केट लि, 11 मार्च 1996	भारत	13,591.17	15,018.28	596.79	1	30
बॉबकार्ड्स लि., 29 सितंबर 1994	भारत	14,546.46	16,019.04	1,922.74	33	102
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 5 नवंबर 1992	भारत	1,749.46	2,525.75	-1,871.98	1	88
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 19 जून 2008	भारत	37,586.92	4,19,621.90	-3,958.40	35	1,476
नैनीताल बैंक लि., 31 जुलाई, 1922	भारत	40,065.36	4,31,808.79	5,106.10	107	830
इंडिया इन्फ्रास्ट्रेट लि. 31.10.2012	भारत	30,801.66	30,813.10	801.66	1	1

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

समीक्षा अवधि के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक ने राजभाषा अधिनियम/ राजभाषा नियमों की विभिन्न संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया. बैंक ने भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत निर्धारित

सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया तथा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया। इस वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन की नीति में वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई तथा उसका अनुपालन किया गया।

बैंक को राजभाषा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। आपके बैंक की हिन्दी पत्रिका अक्षय्यम को भी भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से वर्ष 2012 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।



हिन्दी पुस्तक "वित्तीय समावेशन एवं भारतीय भाषाएं" एवं अनुदेश कोश के 8 खंडों के हिन्दी संस्करण की सीडी का विमोचन

आपके बैंक की गृहपत्रिका 'बॉबमैत्री', हिन्दी पत्रिका 'अक्षय्यम्' को भारतीय रिज़र्व बैंक शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयपुर तथा बड़ौदा में आपके बैंक के संयोजन में कार्यरत दोनों नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए। इसी वर्ष भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा आपके बैंक के अंचल कार्यालय, पुणे को प्रथम, क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर को द्वितीय तथा अंचल कार्यालय, अहमदाबाद को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। आपके बैंक की गृहपत्रिका अक्षय्यम् को 'ए बी सी आई' द्वारा भारतीय भाषा प्रकाशन संवर्ग में 'गोल्ड प्राइज', अपनी बात को विशिष्ट कालम (भाषा) संवर्ग में 'सिल्वर प्राइज' प्रदान किया गया।

उपरोक्त दो पत्रिकाओं के अतिरिक्त आपके बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु हिन्दी वेब पत्रिका बड़ौदा हिन्दी प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत बैंक नगर समितियों द्वारा भी नियमित रूप से हिन्दी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं।

आपके बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाया है। वर्ष के दौरान आपके बैंक के संयोजन में जालंधर, बनारस तथा हल्द्वानी में तीन नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गईं। बैंक के संयोजन में कुल 9 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उपसमिति ने आपके बैंक की जैसलमेर शाखा, विकास नगर शाखा एवं रुद्रप्रयाग शाखा का दौरा किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए जा रहे हैं प्रयासों की सराहना की।

आपके बैंक ने अपनी सभी शाखाओं (जोकि सी बी एस में आ चुकी हैं) के फिनाकल सिस्टम में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में पासबुक / खातों की विवरणियां तथा अन्य रिपोर्ट हिन्दी में जनरेट एवं प्रिंट करने के कार्य को और अधिक गति प्रदान की।

इस वर्ष ग्राहकों की सुविधा के लिए ए.टी.एम. से निकलने वाली पर्चियां हिन्दी में भी निकालने की शुरुआत की गई तथा ए.टी.एम. के स्क्रीन में हिन्दी व अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती व मराठी भाषा भी प्रदर्शित की जाने लगी है। इसी वर्ष हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के समेकन तथा रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए प्रगति ऑनलाइन नाम का पैकेज हिन्दी में तैयार किया गया।

इस वर्ष अनुदेश कोश के सभी खंडों का अनुवाद कर इंटरनेट पर अपलोड किया गया। वर्ष 13 के दौरान आपके बैंक ने दो पुस्तकें **वित्तीय समावेशन एवं भारतीय भाषाएँ** एवं **संवाद** का प्रकाशन किया।

निदेशक मंडल

श्री एस एस मूंदड़ा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.01.2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त वे 31.07.2014 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे।

श्री पि श्रीनिवास बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त वे 30.06.2016 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे।

श्री सुधीर कुमार जैन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त वे पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।

श्री रंजन धवन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.11.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त वे 30.09.2015 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे।

श्री एन. एस. श्रीनाथ, पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) कार्यकाल पूरा होने पर 01.06.2012 से निदेशक नहीं रहे।

डॉ (श्रीमती) मसरत शाहिद, अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक, कार्यकाल पूरा होने पर 29.10.2012 से निदेशक नहीं रही।

श्री राजीव कुमार बक्षी पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) कार्यकाल पूरा होने पर 01.11.2012 से निदेशक नहीं रहे।

श्री एम डी मल्ल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकाल पूरा होने पर 01.12.2012 से निदेशक नहीं रहें.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो, के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा- निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यपालकों की स्थिति तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए हैं.
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड तैयार रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है तथा,
- लेखों को उत्तरोत्तर जीवंत (कंसर्न) आधार पर तैयार किया गया है.

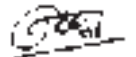
आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं.

निदेशकगण, आपके बैंक के देश- विदेश स्थित समस्त हित धारकों यथा ग्राहकों, शेयरधारकों एवं शुभचिंतकों के द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोगी की सराहना करते हैं.

निदेशकगण, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष दर वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,



एस एस मूंदड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Fifth Annual Report of your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and operations for the year ended March 31, 2013 (FY13).

Performance Highlights

- Total Business** (Deposit+Advances) increased to **Rs 8,02,069 crore** reflecting a growth of **19.3%** (y-o-y).
- Gross Profit** and **Net Profit** were **Rs 8,999.15 crore** and **Rs 4,480.72 crore** respectively. Net Profit registered a growth of **-10.5%** over the previous year.
- Credit-Deposit Ratio** stood at **82.03%** as against 86.86% last year.
- Retail Credit** posted a growth of **6.7%** constituting **16.6%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY13.
- MSME Credit** posted a growth of **30.3%** constituting **19.7%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY13.
- Net Interest Margin (NIM)** as per cent of interest earning assets in global operations was at the level of **2.66%** and in domestic operations at **3.11%** during FY13.
- Net NPAs to Net Advances** stood at **1.28%** this year against 0.54% last year.
- Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel II stood at **13.30%**.
- Net Worth** improved to **Rs 30,714.19 crore** registering a rise of **17.2%**.
- Book Value** improved from **Rs 637.37** to **Rs 729.11** on year.
- Business per Employee** moved up from **Rs 1,466 lakh** to **Rs 1,689 lakh** on year.

Segment-Wise Performance

The Segment Results for the year FY13 reveal that the contribution of Treasury Operations was **Rs 1,070.13 crore**, that of Corporate/Wholesale Banking was **minus Rs 103.95 crore**, that of Retail Banking was **Rs 3,085.71 crore**, and of Other Banking Operations was **Rs 2,221.71 crore**. Your Bank earned a Profit after Tax (PAT) of **Rs 4,480.72 crore** after deducting **Rs 1,442.37 crore** of unallocated expenditure and **Rs 350.51 crore** towards provision for tax.

Dividend

Your Bank's Directors have proposed a dividend of **Rs 21.50 per share** (on the face value of Rs 10/-per share) for the year ended March 31st, 2013. The total outgo in the form of dividend, including taxes, will be **Rs 1,059.62 crore**.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Your Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) was comfortable at **13.30%** under **Basel II** as on 31st March 2013.

Your Bank's Net Worth as at 31st March 2013 was **Rs 30,714.19 crore** comprising paid-up equity capital of **Rs 422.52 crore** and reserves (excluding revaluation reserves) of **Rs 30,291.67 crore**. An amount of **Rs 3,421.10 crore** was transferred to reserves from the profits earned.

Provisions towards Retirement and Other Benefits

During the year FY13, your Bank made provision towards contribution to **gratuity (Rs 133.00 crore)**, **pension funds (Rs 683.96 crore)**, **leave encashment (Rs 204.38 crore)** and **additional retirement benefits (Rs 184.29 crore)** on actuarial basis. Total provisions under these four categories amounted to **Rs 1,205.63 crore** during the year FY13, against Rs 991.94 crore during FY12. Total corpus available with your Bank at the end of March 2013 under these heads was: **Rs 1,506.13 crore (gratuity)**, **Rs 6,770.08 crore (pension funds)**, **Rs 709.73 crore (leave encashment)**, and **Rs 592.45 crore (additional retirement benefits)**.

Key Financial Ratios

Particulars	FY13	FY12
Return on Average Assets (ROAA) (%)	0.90	1.24
Average Cost of Funds (%)	5.75	5.64
Average Yield (%)	8.29	8.55
Average Interest Earning Assets (Rs crore)	4,24,761.33	3,47,223.21
Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore)	4,15,246.10	3,43,397.26
Net Interest Margin (%)	2.66	2.97
Cost-Income Ratio (%)	39.79	37.55
Book Value per Share (Rs)	729.11	637.37
EPS (Rs)	108.84	127.84

Management Discussion and Analysis

Economic Scene in FY13 and Outlook for FY14

The projection of India's real GDP growth for FY13 by the Central Statistical Organisation (CSO) at 5.0% is the lowest growth registered in this decade and even weaker than the growth posted during the first year of global financial crisis. The weakening of Indian economy during FY13 was broad based and primarily driven by sub-optimal monsoon rains, stagnant infrastructure, declining exports, subdued corporate investments and weak consumption demand. Due to sluggish global growth, the hitherto resilient services sector also weakened considerably during FY13.

So far as the agriculture was concerned, its modest growth at 1.8% was mainly supported by the Rabi (winter) crop, as the delayed monsoon affected the Kharif (summer) output.

Industrial growth (including manufacturing, mining & quarrying, electricity, gas, water supply & construction) too declined significantly to 3.1% during FY13. A slew of factors responsible for this weak performance were poor global demand, weak supply linkages, high input costs, sluggish investment activity, regulatory and environmental bottlenecks, and lack of reliable power supply. Furthermore, the slowdown in consumption demand affected the growth of industrial sector, in general and of motor vehicles, food products and apparel industries, in particular.

Weaknesses in domestic industrial activity and fragile global environment dragged down the services sector growth to 6.6% in FY13.

While the overall growth slipped rather rapidly, the inflation, however, remained rather sticky during the year suggesting a stagflationary state of the economy. Though both the WPI and CPI based inflation rates slipped from their peak levels, they remained way above the RBI's comfort zone.

However, the WPI-based inflation consistently eased since October, 2012. From a high of 8.06% in Sept, 2012 it fell to 5.96% in Mar, 2013. With rising demand deficit in the manufacturing sector, the core inflation too declined steadily from 5.56% in Aug, 2012 to 3.48% in Mar, 2013. In contrast, the retail (CPI-based) inflation stayed at 10.39% in Mar, 2013.

In view of the sharp deceleration in growth, the government has been introducing several corrective measures and reforms since mid-Sept, 2012 to help revive the economy. The reform measures pertained to Fiscal Sector (upward adjustment in the administered prices of fuels to curb energy subsidies, expenditure control, medium-term fiscal consolidation plan, launching of direct cash transfer programme, etc); to Balance of Payments sector (Liberalisation of FDI in multi-brand retail, domestic airlines, power exchanges, insurance & pension companies, etc., liberalization of ECBs & a reduction in the withholding tax on interest payments from 20.0% to 5.0% for three years, increase in import duty on gold from 4.0% to 6.0% and hike in the limit of foreign holdings of domestic

government & non-infrastructure corporate bonds, etc.); to Investment (Creation of Cabinet Committee on Investment to fast track major infrastructure and other projects, deferment in the implementation of GAAR by two years to Apr 1, 2016); to Financial Sector (Encouragement to Mutual Fund industry outside of top 15 cities by allowing higher commissions and passing of Banking Bill raising voting caps & allowing new banking licenses to be issued while strengthening the RBI's role). Furthermore, in the Union Budget for FY14, the government was successful in containing the fiscal deficit as a percentage of GDP at 5.2% and set a target of 4.8% for FY14.

India's situation became more vulnerable on the external front during FY13. The widening of the Current Account Deficit (CAD) to a historically high level of 6.7% in Q3 of FY13 heightened concerns about the sustainability and financing of CAD. Worsening trade deficit and slower growth in services exports were the major factors behind the sharp rise in CAD. Weak external demand, which affected merchandise exports adversely, combined with continued high imports of POL and gold, resulted in deterioration of the trade balance. During FY13, India's merchandise exports contracted by 1.76% to US\$ 300.6 billion, while imports rose by 0.44% to US\$ 491.48 billion leaving a huge trade deficit of US\$ 190.88 billion in FY13. According to the commodity-wise data released by the DGCI&S, merchandise export decline was mainly observed in items like engineering goods, petroleum products, textiles and iron ore.

Wider trade and current account deficits have a tendency to weaken the currency, raising domestic prices of imported commodities, further fuelling India's already high inflation rate. Thanks to the decent capital inflows during FY13, India's rupee depreciated by 6.7% against the greenback during FY13 despite a record high level of current account deficit. During the year under review, India received US\$ 18 billion in the form of FDI (net term), US\$ 24 billion in Portfolio Inflows (net terms), US\$ 30 billion in the form of External Commercial Borrowings & Short-term Loans and US\$ 24 billion as the total banking capital.

Going forward into FY14, as per the projections of the Economic Advisory Council to Prime Minister, India's economic growth is expected to rise to 6.4% in FY14 from 5.0% in the previous year on the back of recently introduced structural measures and an expected normal monsoon. Moreover, steady easing of headline inflation (WPI-based) will provide more space for monetary policy to support growth. While the government has shown its determination to contain the fiscal deficit, the current account deficit remains a source of concern. However, the nation can manage it by taking actions that are necessary to encourage capital flows and by further streamlining the procedures.

Performance of Indian Banking Sector in FY13 and Outlook for FY14

During FY13, both the deposit and lending growth of the banking industry decelerated significantly on the back of overall economic slowdown and elevated inflationary pressures. On an average, the growth differential between deposit and credit

kept hovering between 250 and 300 bps with deposit growth outpacing the credit growth. This kept liquidity persistently tight in the banking industry.

The cost of deposits and other funds remained high throughout the year on account of the various monetary tightening measures undertaken by the Reserve Bank of India (RBI). People preferred to park their funds in higher yielding fixed deposits rather than current or savings account (CASA). As a result, CASA accretion slowed for most banks which led to a high cost of funds for banks.

A broad-based industrial slowdown adversely impacted the asset quality of banks, especially of the state-owned banks as they were the ones who primarily supported productive sectors post the global crisis of FY09. Slowing loan growth weighed on the NIMs (net interest margins) of the banking industry. Low NIMs combined with higher credit costs (provisioning requirements) including the ones on restructured loans depressed the earnings of several banks during FY13.

A sharp drop in new project sanctions during FY12 and FY13 will be felt on the loan demand during FY14, as current sanctions exhaust. According to Standard & Poor's (S&P) Ratings Agency, credit growth for Indian banks is likely to remain muted at 15.0% in FY14 due to several economic and political uncertainties. While the revival of power, roads, metals and mining sectors depends most on government action, the revival of construction and consumer durables is directly related to economic recovery and increased consumption. However, Indian banking industry's core customer deposit base will continue to provide access to stable funds.

According to S&P, while non-performing assets of banks will surge to 3.9% of gross loans in FY14, the banks' return on assets will remain depressed, at about 0.9%. Moreover, the Indian banking industry would face a capital shortfall of US\$ 3-4 billion if it immediately tried to attain common equity Tier-1 ratio of 8.0% to comply with Basel III guidelines, which kicked in on April 1, 2013.

Risk Management

In order to ensure sustainable and consistent growth performance, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored continuously. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. It includes setting up risk appetite, framing policies and effective monitoring. Your Bank's Board has put in place a robust Enterprise-wide Risk Management architecture so that the risks remain within the risk appetite defined by the Board.

A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks is as follows.

Liquidity Risk

Liquidity risk implies the "risk" when the Bank either does not have sufficient financial resources available to meet its financial obligations, as and when they are due, or can only access these financial resources at excessive and unsustainable cost. Liquidity risk may arise from the failure to recognize or address changes in market conditions that affect the ability to liquidate assets quickly and with minimal loss in value. In your Bank, the liquidity risk is measured and monitored by flow approach on a daily basis against prudential caps fixed for liquidity gap positions. Moreover, liquidity position is projected every fortnight, for the subsequent three months on a dynamic basis through Dynamic Gap Reports. The quality of liquidity is further tested by working out various ratios under Stock Approach, wherein a series of prudential caps such as daily call lending, daily call borrowings, net short-term borrowings and net credit to customer deposit ratio and prime asset ratio, etc. are tested on a daily basis. The compliance to Stock Approach caps ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and remained within the sustainable limit.

The monitoring of liquidity risk, cost of liquidity, opportunities and return from deployment, available contingencies, etc is done by the Asset Liability Committee (ALCO) which comprises of General Managers and Executive Directors and is headed by the Chairman and Managing Director. The prudential caps are monitored by ALCO by way of various regular and special reports.

Credit Risk

Credit risk implies potential loss to the Bank on account of either lack of capacity or unwillingness of a counterparty to meet its obligations as per the agreed terms. Credit risk is managed in your Bank through a clearly articulated framework that sets out policies, procedures and reporting. In line with international best practices, there is a clear segregation between risk takers and policy framers. Furthermore, the Bank has adopted risk-based delegated lending power where higher discretionary lending powers have been delegated for low credit risk proposals. Your Bank also conducts industry studies to assess the risk prevalent in industries where the Bank has sizable exposure and also for identification of sunrise industries. The industry reports are communicated to the Bank's field-level people to consider the same while lending to these industries. However, to avoid imprudent concentration, your Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers.

Your Bank has adopted a robust two dimensional credit rating system from 2007 onwards and has now built up six-year's data on credit rating and borrowers' rating migration. This preparation has enabled your Bank to make an application to the RBI to migrate to Foundation Internal rating based (FIRB) approach of credit risk under Basel II rules. The FIRB implementation will also prepare your Bank to drive its business in more systematic and sophisticated manner in terms of risk-based pricing, portfolio construction and fixation of risk appetite.

Market Risk

Market Risk implies the “risk” of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices. The sources of market risk may be enumerated as under.

- Interest rate risk: The risk that arises from changes in yield curves, credit spreads and volatility in interest rates.
- Currency exchange rate risk: The risk that arises from changes in exchange rates and their volatility.
- Equity price risk: The risk that arises from changes in the prices of equities, equity indices, equity baskets and volatility in stock market.

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, your Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are reviewed regularly in line with changes in financial and market conditions.

The Interest rate risk in your Bank is measured through Interest Rate Sensitivity Gap Reports and Earning at Risk. Furthermore, your Bank calculates duration, modified duration, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities, equities and forex positions on monthly basis. It monitors the short-term Interest rate risk from the NII (Net Interest Income) perspective and long-term interest rate risk from the EVE (Economic Value of Equity) perspective. The Value at Risk for the treasury positions is calculated for ten days holding period, at 99.0% confidence level. Moreover, the stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted in your Bank.

Based on the RBI directions, your Bank has also been estimating the “Economic Value of Equity Impact” on a quarterly basis.

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss on account of inadequate or failed internal processes, people and systems or external factors and also includes a legal risk. Operational Risk Management Committee (ORMC) of your Bank shoulders the responsibility of monitoring and controlling the operational risk by way of prescribing/amending processes, imposing controls and defining roles and responsibilities. Your Bank has a robust inspection and audit system to ensure that its internal guidelines, policies and procedures are complied with.

Your Bank is in the process of implementing a sophisticated system to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposures by installing an enterprise-level automated web based solution of international standard. The solution is expected to be operational before the end of the current year. This will enable your Bank to meet the quantitative and qualitative requirements of the Standardized Approach (TSA) and Advanced Measurement Approach (AMA) of Basel II rules of Operational Risk Capital Measurement.

Bank's Preparedness for Basel III

The Reserve Bank of India (RBI) has issued final Guidelines on Basel III on May 2, 2012. The international regulations on new liquidity standards – Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio are currently subject to an observation period/revision by the BCBS [Basel Committee on Banking supervision] with a view to addressing any unintended consequences that the standard may have for financial market, credit extension and economic growth. Hence, the framework has been put on hold for implementation.

A comparison of minimum capital requirement, under Basel- II vis-à-vis Basel- III, on full implementation of capital rules is given below.

Parameter	Basel - II	Basel - III
Common Equity Capital	-	5.50%
Tier I Capital	6%	7%
Total Capital	9%	9%
Capital Conservation Buffer (a buffer of capital that can be used to absorb losses during periods of financial and economic stress.) (in the form of Common Equity)	NA	2.50%

The RBI guidelines on capital rules have become effective from 1st April 2013. Apart from meeting the new capital rules, a risk insensitive Leverage Ratio will also be required to be implemented from 30th June 2013. With the preponderance of common equity in the tier I capital as well as total capital of the Bank, your Bank does not envisage any difficulty in implementing Basel III capital rules.

Credit Monitoring Function

Credit monitoring on a continuous basis is one of the most important tools for ensuring the quality of advance assets. Your Bank has the system of monthly monitoring of the advance accounts at various levels to prevent asset quality slippages and to take timely corrective steps to improve the quality of credit portfolio.

A separate department for **Credit Monitoring** functions at the Corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional/Zonal level, has been functioning in your Bank since September 2008. A Slippage Prevention Task Force was formed at all Zonal/Regional offices based on the Bank's Domestic Loan Policy. This Task Force was activated for the purpose of arresting slippages and for initiating necessary restructuring in potentially sick accounts. This was achieved at an early stage in conformity with the laid down norms and guidelines. Your Bank has placed a special focus on sharpening the credit monitoring process for improving its asset quality, identifying areas of concern and branches requiring special attention, working out strategies and ensuring their implementation in a time bound manner.

The primary **objectives** of the **Credit Monitoring Department** at the Corporate level are fixed as under.

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the account at an early stage;
- Initiation of suitable and timely corrective actions for preventing impairment in credit quality, whenever signals are noticed in any account, e.g. decline in credit rating, delay in meeting liabilities in LC/Guarantee and delay in servicing of interest/ installments etc;
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/ rescheduling/rephasing to explore the possibility of further financing in deserving and genuine cases; Liaison with CDR Cell and functional units is undertaken on continuous basis.
- Taking necessary steps/regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of the Bank's credit portfolio;
- Endeavouring for upward migration of Credit Ratings.
- Monitoring progress of accounts under BIFR.

Prevention of Slippages

As a part of an ongoing business strategy to improve upon the quality of assets, your Bank reaffirmed the need to look into the advances portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise, to analyze the present position and the problems foreseen in near future and to identify weaknesses/ potential default/incipient sickness in the advance accounts at an early stage so as to initiate suitable and timely corrective measures for preventing impairment in credit quality.

Your Bank launched an online web-based software developed by its IT Department for MMRs (Monthly Monitoring Reports) in respect of advance accounts with Fund-based plus non-fund-based exposure of Rs 10 crore and above in January 2013. This will enable speedy and effective monitoring of advances and ensure timely action in respect of stressed accounts.

Your Bank also initiated follow up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of its credit portfolio.

During FY13, your Bank undertook restructuring of various advances accounts in its global operations as per the table given below.

Restructuring of Advance Accounts (Global) Done during FY 2012-13

(₹ crore)

Particulars		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	26	743	17,455	18,224
	Amt. Outstanding	2,031.92	950.61	4,533.60	7,516.12
	Sacrifice [diminution in fair value]	177.42	11.05	124.83	313.30
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	1	44	620	665
	Amt. Outstanding	68.30	52.19	373.38	493.87
	Sacrifice [diminution in fair value]	5.18	0.02	1.13	6.33
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	9	349	358
	Amt. Outstanding	0	20.43	475.64	496.07
	Sacrifice [diminution in fair value]	0	0.04	10.86	10.90
Total	No. of Borrowers	27	796	18424	19247
	Amt. Outstanding	2,100.22	1,023.23	5,382.62	8,506.06
	Sacrifice [diminution in fair value]	182.60	11.12	136.81	330.54



Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of your Bank, a specialized Economic Intelligence Unit (EIU) supports the Top Management in several critical areas like Macroeconomic Forecasting, Business Strategy Formulation, Investor Relations, Asset-Liability Management and in discussions/deliberations with the Regulators (both domestic & international) and Rating Agencies. The Unit regularly provides the Top Management as well as various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, stocks' movement, credit deployment & resource mobilization of Banking industry, liquidity conditions and exchange rates.

By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and banking sector policies, the EIU of Bank of Baroda supports Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

The EIU brings out a weekly e-publication on macro-economic, policy and regulatory developments to share its perspective with bankers, investors, regulators and other industry leaders. The division works as an intellectual arm of your Bank in comprehending developments that eventually aid the development of rightly aligned strategies.

Internal Control Systems

Your Bank has a well established Central Inspection & Audit Division (CIAD) that examines the adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The guidelines received on various issues of internal control from RBI, Government of India, Bank's Board and the Audit Committee of the Board have become part of the Internal Control System for better risk management.

With the size of business increasing year after year, the CIAD is constantly aiming for curbing the inherent risks through effective control mechanism so as to safeguard the Banks' interest.

The CIAD operates through thirteen Zonal Inspection Centres to carry out the inspection of branches/offices as per the periodicity decided by the Audit Committee of the Board and examines adherence to such systems of internal control and risk management.

The Audit Committee of the Board oversees the Internal Audit function of your Bank. The committee guides in developing effective internal audit, concurrent audit, IS Audit and all other inspection & audit functions for improving the efficiency of systemic controls. The committee monitors the functioning of the Audit Committee of Executives and inspection/audit department in the Bank.

Audit Committee of Executives has been established and is one layer above the CIAD and it monitors the entire inspection system in the Bank. The Audit Committee of Executives has worked as a strong deterrent and preventive mechanism for frauds as it focuses on audit system in the Bank and its effectiveness in getting the desired results.

All the branches of your Bank are covered under the Risk Based Internal Audit (RBIA). A total of 3,046 branches were inspected during FY13. Out of these, 2,206 branches (72.42%) were in

Low Risk, 735 branches (24.13%) were in Medium Risk and 105 branches (3.45%) were in High Risk categories.

The I.S. Audit Cell working under Inspection Division, is based in Mumbai and performing the function of Offsite Surveillance.

In line with the guidelines issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, your Bank has implemented the following.

- Audit Committee of Executives has been established to oversee the work of Central Inspection & Audit Division and Zonal Audit Committees with effect from March 2013. This is expected to strengthen further the level of compliance of systems, procedures and internal guidelines.
- The Concurrent Audit Policy, Manual and Scoring Sheets duly approved by Audit Committee of the Board and Risk Based Concurrent Audit will be implemented from the next financial year.

The coverage of Concurrent Audit has been increased to 834 branches in 2013-14 from 709 branches in FY13 and will cover 64.36% of the Bank's total deposits, 80.87% of its total advances and 71.13% of its total business as on 31.12.2012.

As per the observation made by the RBI during Annual Financial Inspection: 2011-12, Credit Audit will now be nurtured as a specialized function within CIAD and the new structure will start functioning from July 2013. The Credit Audits were conducted in respect of 3,504 accounts covering fund-based and non-fund-based business of Rs 1,97,048 crore ensuring increased level of compliance for large loans.

To summarise, your Bank's Central Inspection & Audit Division has been effectively monitoring the compliance of systems & procedures laid down by its own Board, the Regulator and the Government of India.

Operations and Services

Customer-Centric Initiatives

As always, efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of your Bank in its day to day operations. Your Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers.

Recently, your Bank has taken several measures to improve the customer service at its branches and at the same time, strengthened the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. Your Bank has implemented Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS), a web-based customer complaint redressal module.

Some of the other major initiatives in improving the customer service during FY13 are as under.

1. **Online Fixed Deposits-** The Bank's customers can now make online Fixed Deposits through the system called Baroda Connect.
2. **SMS alert facility**



- a. **Financial transactions:** In respect of transactions where the amount is greater than or equal to Rs 5,000 has been enabled to all resident savings and current deposit holders and overdraft customers of the Bank whose mobile numbers are registered in the Bank's record (CBS system).
- b. **Non financial transactions:**
 - i. For renewal of term deposits: 30 days before due date.
 - ii. Communicating to the potentially dormant account holders (i.e. before the account becomes dormant) to operate the accounts.
 - iii. To advise dormant account holders to activate their accounts.
3. **Intra-Bank Deposit Account Portability:** This means savings, current and time deposits accounts in your Bank may be transferred from one branch to another branch without changing the account number.
4. **Activation of Inoperative Accounts:** A campaign was launched for activation of Inoperative Accounts during the period 01.09.2012 to 30.12.2012. Your Bank's branches were advised to put their all out efforts for activation of inoperative/dormant accounts and to prevent potential dormant accounts from becoming dormant/ inoperative.
5. **Campaign for Mobile Number/Email ID Registration:** A campaign was launched with some incentives to staff from 01.01.2013 to 31.03.2013 to register mobile numbers and email-ids in existing as well as new accounts.
6. **Details of Principal Nodal Officer in Pass Book:** For convenience of customers to lodge their grievances/ complaints, the process has been initiated to incorporate the details of Principal Nodal Officer and Banking Ombudsman in the passbook at the time of passbook printing. In the meantime, the branches have been advised to affix these details in all passbooks by a rubber stamp.
7. **Display of gross interest on Term Deposit:** This means monthly or quarterly interest paid or tax deducted at source, etc., are displayed separately in the customer's saving bank (SB) account statement.
8. **Compensation for ATM failed Transactions:** Branches were advised to resolve the complaints lodged on the ATM failed transactions, cash not dispensed, etc., and the account is credited within seven working days from the date of lodging the complaint.

If not resolved, compensation of Rs 100 per day will be paid from the eighth day till the amount is re-credited automatically by the Bank.
9. **NEFT/RTGS:** To popularize remittance through NEFT [National Electronic Funds Transfer] and RTGS [Real time Gross settlement], the remittance request for fund transfer up to Rs 50,000 is accepted from the walk-in customers.

Moreover, the following information is displayed on the Banks' website.
 1. Notice for CTS 2010 (Cheque Truncation System) Standards Cheque Book as per the direction of the RBI.

2. Checklist along with all relevant forms for deceased account claim settlement.
3. Display of the list of inoperative/dormant/unclaimed deposit accounts on the Banks' website (only name and address of the customers more than 10 years are displayed as per the advice of the RBI).

Efforts to Improve Customer Service at Branches

The feedback on quality of customer service at branches is obtained through the **Branch Level Customer Service Committee** meetings that are held every month in which customers from various cross sections of the society are invited including senior citizens and pensioners. The suggestions/views generated during the meetings are collated and an appropriate follow-up action is taken to examine the feasibility to implement the suggestions for improving the service quality.

Your Bank is focused towards providing excellent customer service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customers' satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels e.g. ATM/Debit cards, POS, Internet Banking, Mobile Banking, etc., best suited to the diverse needs of different customers. The varied interests and expectations of customers are taken care of by improving upon various processes and procedures.

Compliance

Your Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the "Code of Commitment to the Customers" prescribed by the BCSBI in August 2009. It has also adopted the "Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises". These have been placed on your Bank's website and also made available to customers at the branches.

While announcing the "Annual Monetary and Credit Policy for the year FY11", the Governor, RBI, had proposed that banks should devote exclusive time in their Board Meetings once in every six months to review and deliberate on issues concerning customer service/customer care. To comply with this, two such six monthly reviews were undertaken by your Bank's Board for the sub-periods January-June 2012 and July-December 2012, in meetings dated 4th August 2012 and 3rd March 2013, respectively.

Customer Service Committee of the Board

Your Bank has a **Sub-Committee of Board for Customer Service** which is headed by your Banks' Chairman and Managing Director with the following members as on 31st March 2013.

1	Shri S. S. Munda	Chairman & Managing Director
2	Shri P. Srinivas	Executive Director
3	Shri Sudhir Kumar Jain	Executive Director
4	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director
5	Shri Maulin Arvind Vaishnav	Director
6	Shri Satya Dev Tripathi	Director



This Sub-Committee addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of their compliance which brings about consistent improvement in the quality of customer service. It also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to depositors/locker hirers/depositors of safe custody articles, and reviews the status of implementation of awards passed by the Banking Ombudsman.

Standing Committee on Customer Service

Your Bank has also set up a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services**, comprising of three eminent public personalities as members along with all the three Executive Directors and four General Managers of your Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in your Bank and takes necessary corrective steps on an ongoing basis.

The suggestions emanating in the Branch Level Customer Service Committee meetings are obtained by your Bank's Head Office on quarterly basis from Regional Offices and placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services. The feedback of the committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

Customer-Centric Initiatives and Redressal of Complaints

- Your Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, and a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The General Manager in charge of Operations & Services is designated as Nodal Officer for customer complaints regarding your Bank. At Zonal and Regional levels, Zonal Heads and Regional Heads are designated as Nodal Officers for their respective Zones and Regions. The names of all Nodal Officers along with their contact numbers are displayed in all the branches.
- A note on Review of Customer Services & Grievances Redressal is placed before the Board of Directors every quarter giving position of customers' complaints received at your Bank's Regional Offices and Head office. Subsequently, relevant follow up measures with important initiatives are taken by your Bank for improving the service quality to customers.
- To minimize customer complaints and to ensure hassle free customer service, a regular analysis is done on the complaints received from the customers and a suitable action is taken on time so that there is no repetition of such complaints in future.
- Your Bank has Board-approved policies on customer services and the same are placed on your Bank's website.

To facilitate customers, as directed by Ministry of Finance (MOF), Govt. of India, vide their letter No. DO:NO:1/3/2012-BO-III dated 11th June, 2012, to bring uniformity in all banks and for

maintaining centralized data base of all complaints, your Bank has implemented **Standardized Public Grievance Redress System** to enable the complainants to lodge their grievances in a simple and easy manner through multiple channels.

Furthermore, to facilitate this, an icon "**online complaints (SPGRS)**" has been provided on the home page of your Bank's website.

Features of SPGRS

- An icon "online complaints (SPGRS)" has been provided on the home page of your Bank's website.
- Immediately upon registering the grievances/complaints, an automatic tracker id is generated and the same is conveyed to the complainant on his e-mail id. On the basis of this tracker-id, a customer is able to know the current status of his complaint/grievance.
- The same tracker id is also sent to the concerned branch through e-mail for speedy disposal of the grievances.
- An auto escalating matrix to next higher authority is also provided in redressing the grievances depending upon the number of days taken to resolve the complaint.
- An auto generated text message is sent to the complainant at the time of closure of the grievances.
- Upon implementation of SPGRS, the "turnaround time" for the redressal of grievances/complaints lodged has been reduced drastically to an average of five to seven days.
- Your Bank has installed KIOSK, a dedicated computer system at all Zonal Offices along with the Head Office, to enable the customers to lodge their grievances/complaints online.

Based on the feedback and suggestions from the grass root level customer committees and various studies/surveys, a slew of customer centric initiatives and measures were taken by your Bank during the year under review to improve customer service at its branches.

Systems for KYC-AML-CFT

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) Standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) measures and Obligation of Bank under PMLA, 2002

Your Bank has a Board-approved KYC-AML-CFT Policy. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of the Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across the Bank are as under.

- The Bank generates Cash Transaction Reports (CTRs) electronically for submission to Financial Intelligence Unit (FIU), through the electronic medium.
- The "AML Solution" for generating system-based alerts has been installed and implemented.
- There is a system-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (STRs) to the Financial Intelligence Unit (FIU).



- System-based Risk Categorization (from AML Measure) of Bank's customers' accounts has been done every half year.
- The Bank files Counterfeit Currency Reports (CCRs) to FIU-IND, New Delhi.
- The Bank files Non Profit Organizations Transaction Reports (NTRs) to FIU-IND.

The full KYC compliance entails Staff Education as well as Customer Education for which the following measures are taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's website (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers.
- A KYC-AML page is created at the Bank's INTRANET for posting reference material on KYC-AML-CFT education.
- Regular training sessions are conducted on the KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.
- Training is being arranged for the Bank's senior officials/ executives at RBI, IBA (Indian Banks' Association) and National Institute of Bank Management (NIBM).
- Sustained efforts are being made to create expertise at the Banks' Head Office for the Corporate Oversight and also for the KYC Audit of branches.

Back Office Operations

Regional Back Offices and City Back Offices

Two types of Back Offices have been conceptualized and rolled out by your Bank – Regional Back Offices (RBO) and City Back Offices (CBO). The RBO deals with centralized processing of account opening forms (AOF) and centralized processing of issuance of Personalized Cheque Books (PCB). Your Bank has ten RBOs - one each at Baroda, Bhopal, Delhi, Coimbatore, Mumbai, Lucknow, Jaipur, Kolkata, Pune and Jamshedpur. The RBOs are opening CASA accounts for 2,915 branches. The Centralised account opening activities of seven RBOs have ensured coverage of 100.0% branches of eight zones of your Bank and the process has been initiated to roll out two more RBOs to cover all the remaining branches of the Bank under the RBO process for account opening and maintenance.

The Personalised Cheque Book (PCB) issuance through Regional Back Offices provides customers of the 3,908 branches of your Bank with this facility. Your Bank has extended this facility to all the branches in 12 out of its 13 zones. The remaining branches of the Rajasthan Zone will soon be brought under the PCB issuance facility to cover customers across entire India.

The CBOs deal with centralized upload of clearing transactions – both inward and outward – as well as government collections and ECS transactions. Your Bank has 21 CBOs (service branches) where clearing and ECS are centralized for branches in each city/centre. The centralization of clearing has also been introduced in 64 main branches (which handles clearing for

local branches). The CBO concept has so far covered 1,372 branches of your Bank. During FY13, your Bank has introduced fully automated cheque processing system at Mumbai, Ahmedabad and Surat.

Government Business & Currency Chest

Given below are the new business avenues opened by your Bank in the domain of **Government Business** during FY13.

1. Your Bank has obtained permission for "Tax Collection" in the states of Jharkhand, Orissa, Assam, Tripura, West Bengal, Daman & Diu, Chhattisgarh, MP, Chandigarh, Kerala, Pondicherry.
2. Additional 350 branches have been authorized by your Bank for undertaking PPF/SCSS business.
3. Your Bank undertook special campaigns for the mobilization of PPF accounts with effect from 1st December, 2012 to 31st March, 2013 and total, 22,540 new PPF accounts were mobilized during the campaign period.
4. The Remittance business from Ministry of External Affairs through their missions/ posts abroad has also been obtained. The International Business Branch (IBB) located in New Delhi has been identified as Nodal branch for settlement of funds in respect of Banking arrangements under the scheme.
5. The Bank implemented physical collection of Custom Duty at Kennedy Avenue Branch, Amritsar and B M Marg Branch, Jalandhar.
6. In Tamil Nadu, the payment of RTO taxes through e-mode has been made operational in your Bank.
7. Around 15 more branches in Delhi and Himachal Pradesh of your Bank have been activated for the purpose of e-stamping.
8. Your Bank has activated the GBM module for the receipt and payment of RBI Bonds. All the authorized branches have now migrated the entire data into the GBM module and changed the reporting system as per the RBI requirement.
9. For e-payment of Direct taxes by all the Bank's branches, CA118 menu developed in Finacle which provides off line mode for the remittance of taxes.
10. Establishment of CPPC for processing and payment of pension to the Telecom pensioners.

New Pension Scheme (NPS)

Your Bank has made operational the New Pension Scheme (NPS) under NPS-Lite. After launching the scheme on 14.09.2012 in your Bank, a total of 20,872 applications were canvassed up to 31.03.2013 under the scheme.

Cash Management & Currency Chest

1. Your Bank has managed to maintain the Cash Deposits Ratio (Without ATM cash) at 0.30 or below by constant monitoring and follow up with the Zones/Regions.

- Your Bank has identified 30 centers for opening of new currency chest and has begun the process of obtaining the sanction from various authorities.

Strategic Plan on Currency Management (2011-14)

As a customer-centric Initiative to improve payment system, your Bank has identified 30 new centres for opening New Currency Chests under Strategic Plan on Currency Management 2011-14, thereby increasing total No. of Currency Chest from 84 at present to 114.

Sr. No.	Name of the Zone	New Currency Chest Proposed over three years (By March 2014)
1	Bihar Orissa & Jharkhand Zone	03
2	Eastern Zone	04
3	Greater Mumbai Zone	00
4	North Gujarat Zone	02
5	South Gujarat Zone	00
6	Maharashtra & Goa Zone	02
7	MP & Chhatisgarh Zone	04
8	Northern Zone	01
9	Rajasthan Zone	04
10	Karnataka & AP Zone	01
11	Tamilnadu & Kerala Zone	01
12	Eastern UP Zone	06
13	WUP & Uttarakhand Zone	02
TOTAL		30

Vigilance

Despite global changes towards automation and other drastic changes that are taking place in the banking industry, its very nature remains person oriented. Banking unlike production organisations demands personalised service hence the quality of its service largely depends upon the quality and attitude of its personnel.

It has been the endeavour of the Vigilance department of your Bank to encourage and enable the operating level staff as also those at controlling offices to exercise due care and caution to take preventive and detective measures. This helps in increasing efficiency and creating an environment of security for the honest workforce.

Careful distinction is made by your Bank's Vigilance department between the cases of gross negligence and the cases where business decisions have gone awry. Also, periodical monitoring of individual cases is carried out to ensure that inquiries are quickly concluded and are perceived as fair by all the concerned parties. Endeavour is made towards ensuring that penalties, where necessary, are timely and just.

Vigilance machinery in your Bank is effectively performing its proactive role in new risk prone areas emerging in computerised/e-banking environment, in addition to sensitising all categories of staff members with the various preventive measures.

To bring about greater transparency in procurement and tendering processes in your Bank, a notice inviting tenders/ details of tenders awarded by the Bank and summary of tenders/

contracts concluded are put on your Bank's website for widest possible publicity.

Your Bank has introduced a facility for on-line application and tracking status thereof in respect of Housing loans, Education loans and Auto loans. Standardized Public Grievance Redress System (SPGRS) as advised by the Ministry of Finance for uniform implementation in PSBs is made active with effect from 11th January, 2013.

It is heartening to note that with the awareness, alertness and diligence exhibited by the operating staff, 40 fraudulent attempts by unscrupulous elements were thwarted in your Bank which saved it from a colossal financial loss.

Business Performance

Given below are the details of your Bank's major achievements on the business front during FY13.

Resource Mobilisation and Asset Expansion

The share of Bank's Deposits in total resources stood at 86.6% as of 31st March 2013. The Total Deposits grew from Rs 3,84,871.11 crore to **Rs 4,73,883.34 crore**, posting a healthy growth of **23.1%** over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – a critical component of low cost deposits grew by **13.04%** from Rs 74,579.53 crore to **Rs 84,302.61 crore**.

The share of low cost deposits (Current + Savings) or CASA deposits in Total Deposits was at 25.3% and in Domestic Deposits at 30.4%.

Your Bank's Total Advances expanded by 14.2% during FY13 led by 11.0% expansion in Domestic Advances and 21.89% expansion in Overseas Advances.



Bank of Baroda announced its Financial Results FY 2012-13 and Q4: FY13 for the year ended 31st March 2013

Composition of Funds – Global

Particulars (Rs crore)	End March 2012	End March 2013	Growth (%)
Deposits	3,84,871.11	4,73,883.34	23.13
- Domestic	2,80,135.26	3,41,705.59	21.98
- Overseas	1,04,735.85	1,32,177.74	26.20
Borrowings	23,573.05	26,579.28	12.75

Global Advances (Net)

Particulars (Rs crore)	End March 2012	End March 2013	Growth (%)
Advances	2,87,377.29	3,28,185.77	14.20
- Domestic	2,02,075.39	2,24,294.33	11.00
- Overseas	85,301.90	1,03,891.44	21.79

Wholesale & Mid Corporate Banking

Your Bank's Wholesale Banking and Mid Corporate Division offers an array of loan products and services such as Term Loans, Short-Term Loans, Demand Loans, Working Capital Facilities, Trade Finance Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables and many more to its large and mid corporate clients depending upon their needs. The product offerings are flexible and suitably structured taking into account the customers' risk profile and specific needs.

Over the years, your Bank has made significant progress in establishing healthy business relations with several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

Your Bank's corporate customers are segmented as large and mid corporate. Those with sales turnover above Rs 500 crore are classified as large corporates and those having annual sales turnover of between Rs 150 crore to Rs 500 crore are classified as mid-corporates.

The prospect of any banking industry is closely interlinked with the growth of the economy to which it belongs. Unfortunately, Indian economy has recorded the decade's lowest economic growth in FY13. The twin deficits viz. fiscal & current account deficits, high inflation & interest rates, volatile exchange rate, low private investment in new projects, etc., have thwarted the growth story of the country.

However, even during this phase, your Bank identified sectors for credit expansion and created 94 new relationships through its Fast Track Desk. The Wholesale & Mid Corporate departments have sanctioned fresh/increased credit facilities to the tune of Rs 53,565 crore during the year to various sectors /industries with projects /units spread across the country. It also took a view for further exposure to sensitive sectors like Domestic Commercial Real Estate, Power, Roads, Telecom, Iron & Steel etc.

Total domestic non-food gross advances of your Bank increased from Rs 2,01,822.71 crore as on 31.03.2012 to Rs 2,23,990.20 crore as on 31.03.2013. Approximately, 37.5% of the Bank's total gross domestic credit belonged to wholesale credit during FY13.

Your Bank set up a new business vertical, i.e., Mid Corporate Segment in FY13. The objective was to create a specialisation to accelerate the credit to Mid Corporate borrowers and substantially increase the number of mid corporate clients through dedicated branches. In order to have a focused business approach for catering to the valued Mid- Corporate business segment, initially 16 Mid Corporate branches were opened across the country.

Your Bank's aim is to harness Large Corporate business through CFS branches and Mid Corporate business through Mid Corporate Branches thereby maximizing earnings from both the "On and Off" balance sheet business.

Your Bank's Wholesale Banking Department also has a full-fledged 'Project Finance Division' (PFD). This PFD is well equipped with professionals from various disciplines who undertake the TEV (i.e. Technical Evaluation & Viability) studies for your Bank's clients.

The Department is also equipped with a Syndication Desk to syndicate domestic funding requirement of the clients. The Department earns decent fee-based income by carrying out TEV studies, vetting of projects, syndication deals, etc.

Your Bank's Wholesale Banking Department also houses the "Domestic Foreign Business" Division (DFB). The DFB drives its business through all Authorized Branches including its MIS and reporting/managing Export-Import business.

Your Bank has placed thrust on proper due diligence and screening to raise the bar on the quality of appraisal to maintain asset quality.

A necessary precondition to achieve the above is rightly skilled employees or the agile, able and skilled manpower. Keeping this in view, your Bank continued its thrust on regular grooming of Credit and Forex Officers and provides specialized training within the Bank as well as in collaboration with renowned institutions outside. Your Bank also continued to recruit specialized officers and lateral recruitment of professionals like CA/ICWA/CS/MBA as well as the experienced banking professionals.

It may be noted that your Bank has adopted a "Committee Approach for Credit Approval Process" for fast dispensation of credit proposals. These committees meet as frequently as possible to reduce the Turn Around Time (TAT).

Retail Business

Retail banking services continued to remain an important business division for your Bank in FY13. Your Bank is focused on meeting the financial needs of personal and small business customers (traders) who are looking for accessible and affordable banking services.

The performance of your Bank's Retail banking division during the year under review is as under.

Growth under Retail Lending

Your Bank's Retail Loan Book consists of five key products viz. Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Traders Loan and Mortgage Loan, which constituted 80.4% of the total Retail Loans at end-Mar, 2013. The other products namely LABOD/ ODBOD constituted 16.7% of the Bank's total Retail loans.

Besides, the products like Baroda Personal Loan and other miscellaneous product viz. Doctors Loan, Loan against government securities, etc., constituted 2.9% of Retail Loans.

Total Retail Loans stood at Rs 38,046 crore as on 31.03.2013 as against the level of Rs 35,668 crore as on 31.03.2012. A growth of Rs 2,379 crore (6.7%) was registered during FY13 reflecting a slowdown in retail demand on account of economic slowdown and high fuel prices.



Growth under Five Key Retail Products

Under five key loan products which constituted 80.4% of total Retail Loans, an absolute growth of Rs 4,412 crore (16.9%) was posted during FY13.

- Under **Home Loans**, an absolute growth of Rs 1,911 crore (13.5%) was registered during FY13.
- Under **Auto Loans**, an absolute growth of Rs 512 crore (21.1%) was registered during FY13.
- Under **Baroda Traders Loans**, an absolute growth of Rs 1,620 crore (29.1%) was registered during FY13.
- Under **Baroda Mortgage Loans**, an absolute growth of Rs 284 crore (13.0%) was registered during FY13.
- Under **Education Loans**, an absolute growth of Rs 86 crore (4.6%) was registered during FY13..

NPAs under the Retail Loans

The amount of **Non Performing Assets** as on 31.03.2013 under your Bank's Retail Loans Business stood at Rs 669.08 crore (1.76%) as against the level of Rs 681.67 crore (1.99 %) as on 31.12.2012 and the level of Rs 653.47 crore (1.92%) as on 30.09.2012. The amount of **Non Performing Assets** as on 31.03.2012 under Retail Loan was Rs 682.37 crore (1.91%).

Growth under Retail Deposits

Savings Deposit of your Bank stood at Rs 81,995 crore as on 31.03.2013 reflecting a growth of Rs 9,425 crore (12.98%) on y-o-y basis.

Retail Term Deposit of your Bank were at Rs 1,37,215 crore as on 31.03.2013 indicating an annual growth of Rs 16,672 crore (13.83%).

Under **Total Retail Deposits, i.e., Retail Term Deposit plus Savings Deposit**, an absolute growth of Rs 26,097 crore (13.51%) was posted during the year under consideration.

Sale of Gold Coins

Around 77,459 Gold Coins of different denominations aggregating 696.076 kgs were sold during the year FY13.

Initiatives in Retail Banking during FY13

1. New Products Launched

A Retail Asset product styled as '**Baroda Education Loan for Vocational Education & Training Courses**' was introduced on 1st July 2012 during this year.

Baroda Double Dhamaka Deposit Scheme or a Term Deposit Product styled as "**Baroda Double Dhamaka**" was introduced on 25th February 2013 offering an interest rate of 9.34% for a period of seven years, six months and five days.

2. Product Modification

- During FY13, your Bank modified **Baroda Additional Assured Advance (AAA) Scheme**, a Top-Up Home Loan Product, by increasing the maximum limit to Rs 25 lakh and reducing the interest rate to Base Rate plus 1.50%.

- **Baroda Nagarik Bachat Khata** was modified as Baroda Small Savings Bank Deposit Scheme and followings features were added to make it more acceptable and attractive.
 - Minimum initial deposit amount was reduced to NIL from Rs 50.
 - Number of Withdrawals allowed in a month increased to four from three.
 - Number of cheque leaves allowed free in a year is increased to 50 from the existing ten.
 - NIL Charges for non operation/ activation of inoperative /dormant accounts from charges applicable earlier.
 - Availability of standing instruction, ECS and Internet Banking, which were not available earlier.
- Your Bank effected **several modifications in key parameters of Home Loan, Educational Loan and Baroda Traders' Loan schemes** to make the offerings under these loans more attractive to your Bank's retail customers.

3. Other Business Initiatives

- **Retail Loan Campaign- Retail Mansoon Dhamaka:** For augmenting your Banks' Retail Loan portfolio, a Retail Loan Campaign, Mansoon Dhamaka was launched during the period 14th May, 2012 to 30th September, 2012. During the campaign period, a fresh business of Rs 2,088.21 crore in 24,323 accounts was mobilized.
- **Retail Loan Campaign- Retail Loan Festive Dhamaka (I):** Going by the success of Retail Mansoon Dhamaka Campaign, a new campaign - "Retail Loan Festive Dhamaka" with a focus on Home Loans and Car Loans was launched between 1st October 2012 and 30th November 2012. This was further extended up to 31st December 2012, going by the response. Aggregate amount of sanctions until 31st December 2012 after the launch of this campaign stood at Rs 1,617.58 crore in 18,102 accounts.
- **Retail Loan Campaign- Retail Loan Festive Dhamaka (II):** Going by the success of the above mentioned campaigns, a new campaign, "Retail Loan Festive Dhamaka (II)" focusing on the Home and Car Loans was launched from 1st January 2013 to 31st January 2013, and further extended up to 31st March 2013. Aggregate amounts of sanctions until 31st March 2013 after the launch of this Campaign were Rs 1,811.04 crore in 16,750- accounts.
- **Baroda Maha Utsava Deposit Scheme:** Term Deposit Product styled as "Baroda Maha Utsava Deposit Scheme" for 1111 days was introduced on 13th August 2012 offering an interest rate of 9.15% replacing earlier scheme "Baroda Utsav Deposit Scheme" of 444 days with interest rate of 9.35%.
- **Savings Bank Deposit Campaign (I):** For mobilizing low cost deposits, a Savings Bank Deposit Campaign was launched on 1st July 2012 for a period of three months. An amount of Rs 2,301 crore (retained amount) as fresh Savings Bank Deposit was mobilized in 16, 06,508 accounts during the campaign period.



- **Savings Bank Deposit Campaign (II):** To further mobilise low cost deposits, a second Campaign was launched on 1st January 2013 again for a period of three months. An amount of Rs 2,700 crore (retained amount) as fresh Savings Bank Deposit was mobilized in 13,89,750 accounts opened during this particular Campaign period.



A special 'Evening with CMD' was organized in Mumbai to celebrate the success of Savings Bank campaign.

- **Opening of New Retail Loan factories:** Three new Retail Loan factories were opened during the year under review at Sodepur, Mehsana and Rajkot to stimulate the retail loan business.

Wealth Management Services

As a part of its customer centric measures, your Bank has been providing Wealth Management Services (WMS) for its HNI & affluent customers since June 2004. At present, under its WMS, your Bank provides various third-party products in Life Insurance, Non Life Insurance including Health Insurance, Mutual Funds & Equity Trading under tie-up arrangements with different partners.

With a purpose to strengthen the Wealth Management segment, your Bank had formed two joint ventures with leading international brands in Mutual Funds and Life Insurance. The products of these two J.V. Companies are distributed through your Bank's wide network of branches across India. The sales have started showing encouraging growth since the inception of these joint venture companies.

Besides distributing the products of its J.V. Companies, your Bank has other tie-ups with National Insurance Company Ltd. for General Insurance and seven leading Asset Management Companies for Mutual Fund products. Your Bank also has a tie up with India Infoline Ltd for e-trading since Jan 2007 and has its own equity trading platform through BOB Capital Market Ltd. which was launched for retail customers. Your Bank has taken several customer friendly & investor convenience measures by enabling all its branches to accept ASBA applications for IPO/FPO and Rights Issue subscriptions. Furthermore, it has launched an online ASBA application submission facility for its net-banking customers with transaction rights to apply in IPO/FPO/Rights issue from the comfort of their home/office. Your Bank has enabled 12 centers for accepting Syndicate ASBA applications. These customer centric measures are expected

to contribute significantly to your Bank's endeavor at CASA mobilization.

To improve its service standards further, your Bank has introduced a premium Collection module for IndiaFirst Life Insurance policy holders. Moreover, your Bank's Non-Life Insurance products provide a cover to the assets financed by your Bank. This augments your Bank's fee based income and also offers borrowal units the option to mitigate risks under the umbrella of its Wealth Management services.

The year FY14 would see the Bank move to the next stage in qualitative Wealth Management Services. These include "insurance renewal premium collection" through ATMs and fund collection module for Baroda Pioneer. This will help your Bank's branches to extend services to its investor customers. Your Bank's tie up partner for Non-life Insurance business will also take a further step by enabling issuance and renewal of policy through the CBS platform and through the Bank's i-banking portal.

MSME Business

The importance of micro, small & medium enterprise sector (MSME) in the developmental context of any country is well known.

According to the Dun & Bradstreet research (2012), the MSME sector in India is highly heterogeneous in terms of the size of the enterprises, variety of products and services, and levels of technology. The sector not only plays a critical role in providing employment opportunities at comparatively lower capital cost than large industries but also helps in industrialisation of rural and backward areas, reducing regional imbalances and assuring more equitable distribution of national income and wealth. MSMEs complement large industries as ancillary units and contribute enormously to the socioeconomic development of the country.



Bank of Baroda entered into MOU with M/s Piaggio Vehicles Private Limited.

Taking into account the importance of this sector, your Bank also considers units in manufacturing/services sectors that have investment in Plant and Machinery/Equipment respectively, in excess of regulatory guidelines and have turnover up to Rs 150 crore, on the same footing as MSME units. This is done to give a preferred attention to this 'expanded' sector on the

lines of regulatory MSME enterprises. For regulatory reporting, however, your Bank strictly follows the regulatory definition and guidelines.

Performance of your Bank under the regulatory category of MSME was extremely strong during FY13 despite challenging economic environment. In fact, to give a boost to this business, the interest rates applicable to these units were further rationalized by your Bank during the year under review to suit the specific requirements of MSME units.

It may be noted that your Bank successfully achieved all targets under this business fixed at the beginning of the year.

Growth of Business

The total outstanding in MSME Sector works out to Rs 44,974 crore as on 31st March 2013. The growth in MSME advances during the last three years is given in the table below.

Year	Growth (% , YoY)
2010-11	29.63%
2011-12	26.11%
2012-13	30.31%

Major Achievements in FY13

- The SME advances of Rs 44,974 crore as of end-Mar 2013 reflected a growth of Rs 10,462 crore (30.31%) on a y-o-y basis.
- The advances of Rs 17,409 crore to Micro Enterprises in the total credit of Rs 28,047 crore to MSE sector (as of the previous year) stood at 62.1% in FY13 comfortably surpassing the mandatory target of 60.0% fixed by the RBI.
- The SME advances as on 31st Mar, 2013 contributed 19.7% to the Gross Domestic Credit of your Bank.
- The advances to Micro & Small enterprises reached the level of Rs 38,227 crore as against the government set mandatory target of Rs 33,650 crore by end-Mar, 2013.
- Going by the success of the loan factory model, your Bank opened six New SME Loan Factories during FY13.
- Your Bank introduced a New Product named as "MSME Capex Loan and Capex Card" during FY13 to further promote its MSME business.

Initiatives in MSME Financing During FY13

1. Your Bank opened five new SME Loan Factories at Indraprastha (New Delhi), Anand, Bhopal, Junagarh, and Jalandhar – taking the total of SME loan factories to 52 across India. The 'loan-factory' model is a pioneering concept introduced by your Bank to ensure better quality of credit appraisal, reduced turn-around time and improved volumes – thereby enabling your Bank to increase its MSME lending without sacrificing the quality of credit.
2. Your Bank has already planned the SME Loan Factories, Specialized SME Branches and MSME cells at various branches for the fiscal year FY14.
3. Your Bank actively participated in various exhibitions and seminars during FY13 to build brand image of the Bank in MSME financing.

4. Your Bank organized an Awareness Programme in order to achieve total customer relationship through enhanced cross selling, locational meetings, and involvement of trade bodies at national and state levels.
5. Your Bank introduced the system of monthly performance ranking to share performance of SME Loan Factories amongst all and to recognize/felicitate/award best performing SME Loan Factory on half yearly/ annual basis as a proactive skill building and encouraging measure.
6. For the purpose of continuous knowledge updating and skill building of processing/ marketing officers attached to the SME factories, your Bank organized external training/ special courses at Training Centers and its own Staff College.
7. Your Bank has a plan to introduce a new product viz. '**Standby Term Loan and Working Capital Limit**' to SMEs with attractive value propositions.
8. Your Bank also introduced a "online loan application" for MSME borrowers with tracking of the proposal.
9. Your Bank renewed a number of area specific schemes pertaining to a variety of sectors/industries across India during FY13.
10. Your Bank also celebrated the MSME Festival during Jan-Mar 2013 to encourage staff at the SME Loan Factories and branches to re-double efforts at canvassing new business.
11. Your Bank organized an SME borrowers' meet at Aligarh & Raipur jointly with Dun & Bradstreet for imparting relevant knowledge about Rating, Financial terms & balance sheet ratios etc.

The area-specific-schemes developed for certain pockets involving a cluster of units engaged in similar activities with good business potential yielded satisfactory results during the year under review. The cluster Development was also undertaken with lead district branches. Directed programmes of the Government of India, particularly the Weavers Credit Card and lending under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) received focused attention during FY13.

In recognition of your Bank's performance in the MSME lending in the Western part of India, your Bank received an Award at the august hands of His Excellency, the President of India for the year FY13 in New Delhi recently.

Rural and Agricultural Lending

Your Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector, in general, and Agriculture lending, in particular. It has been harnessing the vast potential of the rural market through its wide network of 1,436 rural branches and 1,162 semi-urban branches.

Even during FY13, your Bank opened **291** new branches in rural and semi-urban areas.

Your Bank is the proud Convener of State Level Banker's Committee (SLBC) in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Your Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 45 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (15),

Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (2) and Bihar (2).

Your Bank has also sponsored three Regional Rural Banks (RRBs) in three states with a network of 1,526 branches and total business of Rs 29,282.38 crore as of end-March, 2013.

Performance of Priority Sector Lending in FY13

Priority Sector Advances of your Bank surged from Rs 68,527 crore as at the end-March 2012 to Rs 80,004 crore as at the end-March 2013 and formed 39.31% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40.00%. A shortfall in achieving the target is primarily due to some changes/modifications in the regulatory definitions pertaining to priority sectors.



Bank of Baroda organized a special workshop at Jaipur on revised 'Priority Sector Classification Guidelines' issued by Reserve Bank of India.

Agriculture Advances: The Direct Agriculture Advances of your Bank rose to Rs 22,645 crore with a rise of 10.9% over the previous year with an absolute growth of Rs 2,220 crore. The total agriculture advances of your Bank recorded a flat growth of 0.02% (y-o-y) and reached the level of Rs 28,739 crore as at end-March 2013. As stated earlier, this is due to the impact of revised guidelines of Priority Sector Lending issued by the RBI and made applicable w.e.f.20.07.2012. Your Bank's Direct Agricultural advances formed 11.13 % of ANBC as at end-March 2013 against the mandated target of 13.50%. The Total Agricultural Advances were at 14.12% of ANBC against the mandated target of 18.00%.

Under its flagship agriculture loan product "Baroda Kisan Credit Card", your Bank issued as many as 2,74,665 Credit Cards during FY13 to provide credit to farmers. Your Bank has also launched Baroda Kisan RuPay Card, a ATM enabled Kisan Card, during the year, for the convenience of the farming community. Your Bank financed as many as 3,32,141 new farmers during FY13. As a part of its microfinance initiatives, your Bank credit linked 10,912 Self Help Groups with an amount of Rs 198.45 crore during FY13 thereby taking the total number of SHGs credit linked to 1,65,328 amounting to Rs 1,369.97 crore.

Business and Social Initiatives

Your Bank introduced various initiatives/strategies during FY13 to harness the emerging opportunities for rural and agriculture lending. Some of them are mentioned below.

- To augment Agriculture advances, your Bank conducted **Special Campaigns** viz. Kharif and Rabi campaigns for crop loans under which the disbursements of Rs 5,284 crore and Rs 2,262 crore, respectively, were made. Another campaign for Investment Credit was also launched under which disbursements of Rs 1,096 crore were made.
- Your Bank organized 4,245 **Village Level Credit Camps** and disbursed Rs 2,922.48 crore to 2,06,375 borrowers during FY13.
- Your Bank identified 450 **Thrust Branches** across India to enhance Agriculture lending which contributed 36.0% of total Agriculture outstanding as at end-March 2013.
- Your Bank formulated various **Area-specific Schemes** tailor-made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of activities like Cold storages, Poultry units, fishery etc. Suitable concessions in the rates of interest, charges, etc. were allowed under these schemes to garner maximum possible business.
- Your Bank launched automated loan processing system for improving the efficiency of branches in processing of loan proposals under Agriculture thereby facilitating timely availability of credit to farmers in adequate quantity.



Visit of The Standing Committee of Parliament on Rural Development to Udaipur

Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK): This is another initiative undertaken by your Bank to help the rural community by providing credit counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural products, scientific farming, etc. Your Bank had 52 BGPKs as on 31st March, 2013.

Also, one more Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS), Baroda R-SETI Center was opened during FY13. With this, the total number of BSVS went up to 47. Thus, each of your Bank's Lead Districts now has a R-SETI as per the Indian government's guidelines. A BSVS centre at Ajmer is exclusively for women entrepreneurs. The BSVSs are primarily the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During FY13, around 42,601 youth beneficiaries were trained out of which 27,891 have established self-employment ventures. Out of the total 1,64,899 beneficiaries trained by these centers so far, 1,02,996 have established their self employment ventures.

Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCC)-“SARATHEE”: Based on the guidelines issued by the RBI, your Bank has established 45 FLCCs, christened as “SARATHEE” to impart financial literacy and credit counseling services to the needy people to help them avail financial services from the banking system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to a debt burden.

Your Bank has opened these centers under its BSVS trust and services are provided by these centers to all the concerned free of cost. Your Bank opened six new FLCCs during FY13, taking the total number of FLCCs to 45 by end-Mar, 2013. Thus, each of the Bank's Lead Districts now has a FLCC centre.

Business Facilitators Model: This model has been implemented across the country to accelerate Financial Inclusion of the excluded segment as well as to augment agriculture portfolio. Business Facilitators will mainly canvass loan applications for your Bank for which Bank will pay them compensation. Individuals including retired bank and government employees, NGOs, farmers' clubs and SHGs are engaged as agents to greatly improve your Bank's outreach in the rural/semi-urban areas.

Micro Loan Factory: Your Bank has opened Micro Loan Factories at Raebareli and Sultanpur in U.P. The Micro Finance Loan Factory has a mobile van with facilities and all related stationeries/documents necessary for SHG financing. It is manned by officers who are duly authorised to sanction and disburse loans up to Rs 25,000 to SHGs on the spot and at their door steps.

Performance of RRBs Sponsored by the Bank

Consequent upon the mergers of two of its RRBs during the year, the number of your Bank's sponsored RRBs came down to three.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office: Raebareli.
- Baroda Rajasthan Khetriya Gramin Bank, Head Office: Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office: Bharuch.



Shri S S Mundra Chairman & Managing Director, Bank of Baroda addressing the Branch Managers of the Baroda Gujarat Gramin Bank (BGGB) and launching Rupay Debit Card for RRB customers at Baroda.

Two of the other banks' RRBs were also merged with your Baroda Rajasthan RRB during the year under review. Consequent upon the merger, the aggregate business of these three RRBs rose to Rs. 29,284.23 crore as of end-March, 2013 from Rs 26,257.43 crore as at end-March, 2012, registering a growth of 11.53%.

The three RRBs together posted a Net Profit of Rs 97.06 crore during FY13 as against Rs 148.22 crore earned during FY12.

The “Net Worth” and the “Reserves and Surplus” of all these RRBs put together improved from Rs 1,018.44 crore at end-March, 2012 to Rs 1,234.42 crore at end-March, 2013 and from Rs 726.55 crore at end-March, 2012 to Rs 777.52 crore at end-March, 2013, respectively.

Bank's Committed Efforts towards Financial Inclusion (FI)

Financial Inclusion (FI) is being viewed in your Bank not just as a social commitment, but also as an instrument to bring about overall economic development of rural India so as to tap opportunities at the bottom of the pyramid of Indian economy through sustainable ICT based delivery channels.

Your Bank's Financial Inclusion Plan aims at providing banking services at affordable cost to those segments of society who are deprived of it, thereby bringing the unbanked population/ areas into the formal financial sector.



Simultaneous inauguration of 300 new bank branches in Uttar Pradesh by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Minister of Finance in the presence of Shri Akhilesh Yadav, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Ministers and Senior Officials from Ministry of Finance, State Administration, Chairman & Managing Directors and other Senior Officials of various Banks.

Strategies & Models Adopted

The Ministry of Finance has identified around 6 lakh villages across India as an unbanked area. These villages are allocated to various banks under the service area approach. Your Bank had 21,526 villages under its service area as on 31/03/2013. The Ministry of Finance and Reserve Bank of India has advised banks to provide banking services at affordable costs to these villages. Accordingly your Bank has approved a plan, which is disaggregated further to a village level to cover these 21,526 service area villages by providing banking services to them in three years' time i.e. 2013-2016.

The following three business models are adopted by your Bank for financial inclusion

1. ICT Based Business Correspondent Model
2. Mobile Van Model
3. Brick & mortar branches in FI villages.

Your Bank has covered 4,959 villages through the network of 1,436 brick and mortar rural branches, 3,474 villages through the BC model and 49 villages through the mobile van.

During FY13, your Bank opened 151 brick and mortar branches in un-banked villages.

- **ICT Based Business Correspondent Model**

In order to ensure that Financial Inclusion is implemented in a most efficient manner and is fully integrated with CBS, your Bank has appointed two Service Providers for a complete end to end solution, i.e., from enrolment of villagers to issuance of smart cards to them. The purpose is to bring technology-based banking transactions to the doorsteps of all villages.

The ICT based Business Correspondent Model is based on Application Service Provider (ASP) model with Biometric Smart Card based technology. Under this approach, Business Correspondents visit villages with Point of Service (POS) devices for carrying out customer enrolments and transaction processing. These POS devices are directly connected with the CBS of the Bank using GPRS technology.

- **Mobile Van Model**

The second business model adopted for implementation of financial inclusion is Mobile Van model. Under this model, Mobile Vans move within a cluster of villages in service area of the existing branch. The vans with the staff visit the identified villages during fixed days in a week for providing banking services.

These mobile vans are equipped with the computer hardware and connected directly to the CBS of the Bank to enable the customers to operate their accounts through mobile vans instantly. The account opening process and other activities including transactions in accounts are carried out in Mobile vans, as is done in normal branches.

Your Bank has presently deployed five mobile vans in Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar and Goa states covering 49 FI villages allotted to it. There is good response from the FI customers for your Bank's mobile vans. These vans' exterior is designed with a view to educate the rural masses about the Bank's various deposit/loan schemes.

Ultra Small Branches (USBs)

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, your Bank has opened 2,695 Ultra Small Branches by 31st Mar, 2013 across the country in villages having population above 2,000 which are covered through the Business Correspondent Model. Your Banks' officers from the link branches are visiting these USBs on a pre-fixed date and time. They would clear all the applications for account opening, loan requests, resolving grievances, arranging meetings with villagers on financial literacy, etc. besides advising villagers on various banking products.



Bank of Baroda organized a Mega Credit Camp and launching of 1001 Ultra Small Branches at Varanasi.

This initiative of your Bank has facilitated improvement in financial literacy and confidence building at the village level, which should eventually improve the responses for your Bank's financial inclusion drive.

Financial Literacy: A Key to successful Inclusion

The desired objective of Financial Inclusion can be achieved only when the Bank is able to generate equal response from the villages. In order to invoke a response from the villagers, the Bank needs to educate them on various banking facilities and its benefits to them. In other words, financial literacy would be the key for success of financial inclusion initiatives of any bank. Therefore, all constituents of FI need to develop a bond with each other not only to provide banking facilities but also to create massive awareness of banking and banking products amongst the population through Financial Literacy, wherever a bank is implementing Financial Inclusion program.

Your Bank has taken the following major initiatives towards financial literacy in rural parts of the country.

1. Around 47 Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda RSETI) impart vocational training to unemployed youth in rural and semi-urban areas with the aim of equipping them to become self employed and have conducted 5,505 training programmes and trained 1,64,742 youth of which 1,02,477 are self employed, with a settlement ratio of 62.20 % as on March 2013.
2. Around 45 Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCCs) "SAARTHEE" are operational across the country. Since the inception of these FLCCs, total 46,860 individuals visited these centres and in 33,050 cases, the issues were resolved by end-Mar, 2013.
3. Around 52 Baroda Grameen Paramarsh Kendra's facilitate financial education, credit counseling, information sharing and problem solving on technical issues, synergy & liaison with other organizations for value added services and development activities in rural areas.
4. Mobile Micro Finance Loan Factory has been established with a vision to provide credit and banking facilities to SHGs at their doorsteps under the SHG – Bank linkage program, ensuring a hassle free and prompt credit delivery within



maximum of four days & hassle free credit to the SHGs.

5. "BYST-BoB Entrepreneurship Development Programme" (BYST) provides end-to-end support to disadvantaged young dynamic micro-entrepreneurs in the form of loans, business mentors, training, and networking & marketing.
6. Tie up with Centre for Micro Finance (CmF), Jaipur to provide support in formation of Quality SHGs, facilitating credit linkages and training of branch staff thus helps in development of villages in the service area of the Bank's branches and improving the micro finance and agriculture lending.
7. Your Bank has also instituted a Professor Chair at the Institute of Development Studies (IDS), Jaipur one of the premier Research & Policy Advisory institutions with a view to examine space available to rural credit, rural development and agriculture development and also to study challenges and measures to overcome them. The objective is to conduct various studies on the above lines and learn from the feedback.

Product Innovation in Financial Inclusion

Your Bank has also been using financial inclusion as an opportunity to strengthen its function of Corporate Social Responsibility (CSR). Your Bank is taking various steps to increase banking awareness amongst the rural people, educate them on its products, rural credit, agriculture technical know-how, credit counseling, knowledge sharing/problem solving, up-lifting the women and the girl children, formation of farmers' clubs & formation of SHGs, etc.

The project, with the help of imparting basic training and guidance, brought out the potential of the unemployed youth by encouraging them to start their own business in rural areas. With the introduction of new technologies, now customers are getting banking services instantly through business correspondents appointed in their villages.

Your Bank has introduced several customer-oriented products specifically designed for FI customers. Some of them are as follows.

Basic Savings Bank Deposit Account with In-Built OD Facility

The product is specially devised for individuals from Financial Inclusion villages with relaxed KYC norms as per the RBI guidelines. The account can be opened without depositing amount which doesn't attract any penalty and will be opened/operated through business correspondent, branch and ATM.

Flexible RD Account (Yashasvi Jama Yojana)

This is a money back RD facility duly designed for financial inclusion account holders to provide liquidity. The product offers money back facility, at the end of six months, an amount equivalent to 50.0% of the outstanding credit balance in the account can be paid back as per the requirement of depositor.

Baroda Kisan Credit Card (BKCC)

This product is for farmers to cover their needs like production

credit, investment credit, personal loan needs as well as consumption needs. It is flexible in utilization of the limit as he can utilize the limits as per his requirements during the year.

Baroda General Credit Card (BGCC)

The BGCC is implemented through all the rural and semi-urban branches of the Bank to cater to the different needs of the villagers.

Insurance Product with Low Premium

Your Bank has also introduced a life insurance product with low premium for financial inclusion customers in coordination with India-first Life Insurance Company. This gives flexibility to customers to obtain cover from Rs. 5,000/- to Rs. 50,000/- at single premium of Rs. 20.99 per thousand for the period of five years.

Direct Benefit Transfer

The Government of India has decided to roll out Direct Benefit Scheme (DBT). The purpose of Direct Benefit Transfer is to ensure that beneficiaries directly receive the government benefits to their accounts electronically, cutting down delays and pilferages if any in existing distribution system. A lot of preparatory work has been done and a lot of work is ongoing in connection with the rollout of DBT. The government will transfer cash benefits like subsidies, scholarships, pensions, NREGA wages, LPG subsidy, etc. directly to the bank accounts of the identified beneficiaries under this programme. A shift to this method of transferring government benefits would be done in a phased and time bound manner. Around 43 districts in 16 states have been identified for the first phase of DBT under 26 selected schemes w.e.f 01/01/2013. It should be rolled out in another 78 districts w.e.f. 01/07/2013. It is intended that the DBT scheme would be rolled out in all districts across India by 31/03/2013. The implementation of DBT scheme is done from the lead bank platform. Your Bank has the lead bank responsibility in 45 districts. Besides this, your Bank has to monitor the effective implementation of the DBT scheme.

Aadhaar Payment Bridge System (APBS)

APBS is the new payment service offered by National Payment Corporation of India (NPCI) using the Aadhaar Number issued by Unique Identification Authority of India. The government benefits are transferred to the accounts of the beneficiaries on the basis of Aadhaar number so that the bank details and account numbers of the beneficiaries need not be maintained by the government departments/agencies. APBS is now operational in your Bank.

Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)

AEPS is a bank led model which allows online interoperable financial transactions by PoS (Micro ATM) through the Business correspondent of any bank using the Aadhaar authentication.

The four Aadhaar enabled basic types of banking transactions are as follows.

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Balance Enquiry | 3. Cash Withdrawal |
| 2. Cash Deposit | 4. Aadhaar to Aadhaar Funds Transfer |



AEPS is in a testing phase in your Bank and will be operational by mid of May 2013.

Highlights of the Bank's Performance in FI up to 31/03/2013

- Your Bank has so far covered 4,959 villages out of 21,526 villages under its service area. Almost 90% of the villages are on the active transaction mode.
- Your Bank has opened 49.60 lakh "No-Frill Basic Saving Banks Accounts", out of which 8.69 lakh accounts were opened through the Business Correspondent Agents (BCAs).
- The average balance outstanding in the "No-Frill accounts" of your Bank is around Rs. 1,200 crore.
- Your Bank has opened 2,695 Ultra Small Branches in villages with population above 2,000.
- Your Bank has approved a disaggregation plan up to the branch level to implement its FIP for 21,526 villages by March 2016.
- Your Bank has introduced "Micro-Insurance" product for FI customers. Your Bank is the 1st Bank to do so.
- Your Bank is operating five mobile vans in four states i.e. Gujarat, Bihar, Goa and Uttar Pradesh and has plans to deploy 100 more mobile vans.
- Your Bank has entered into an agreement with CSC e-governance Ltd. to enroll their CSCs in the Bank's service area as BCAs on KIOSK platform under FI.
- Your Bank is fully prepared technologically for Aadhar based payments, UIDAI Linkages, Village code updation etc.

Advances to SC/ST Communities during FY13

The outstanding advances granted by your Bank to SC/ST communities have been growing year after year. This is evident from the fact that the outstanding advances granted to them went up from Rs 4,336.02 crore as at end-March, 2012 to Rs.4,712.66 crore as at end-March, 2013. In fact, the SC/ST communities accounted for a share of 27.64% in the total advances granted to **weaker sections** by your Bank during the year under review. Furthermore, a special thrust is laid by your Bank in financing SC/ST under various government sponsored schemes namely Swarnajayanti Gram Swarajgar Yojana (SGSY), Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc.

The Baroda Swarojgar Vikas Sansthas (BSVS) have been giving due preference to SC/ST communities while selecting the trainees. It is heartening to indicate that so far, these centres have trained 72,365 youths under the SC/ST category.

International Operations

It was a historic year in the International Operations of your Bank with opening of 100th overseas office at DIFC, Dubai. The branch was inaugurated by Shri P. Chidambaram, Union Minister of Finance, Government of India. Since its foray into

international arena in the year 1953, your Bank has been consistently expanding its overseas network to tap the global business opportunities.



Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Minister of Finance, Govt. of India inaugurating the 100th Overseas Office of Bank of Baroda at DIFC.

International Business

During the year, the major advanced economies continued to face sluggish growth, fiscal drag and severe austerity measures and its spillover effect continued to impinge on the other economies. Even during this difficult environment, the International Operations of your Bank maintained the healthy growth trend, by keeping a constant watch on the developments and taking pre-emptive steps by suitably adjusting the business model.

Your Bank kept a constant watch on the emerging opportunities and there was greater synergy amongst the overseas centres to derive the full benefit of the large network of branches.



Executive Directors of Bank of Baroda, Mr. P. Srinivas, Mr. S. K. Jain and Mr. Ranjan Dhawan interacting with Hon'ble Barry Robert O'Farrell, Premier of New South Wales and Minister for Western Sydney during his visit to Mumbai.

Your Bank continued with its initiatives for customer convenience through improvements/enhancements in its IT infrastructure, modifications in products and services in line with the local requirements, expanding the branch network and publicity through print and electronic media. The year also saw your Bank entering two new centres through branches in Sydney, Australia and DIFC, Dubai. The Joint Venture Bank in Malaysia – India International Bank (Malaysia) Bhd. was also made operational during the year.

Business & Profit Performance

During FY13, the total business (Deposits + Advances) of your Bank's overseas branches registered a growth of 24.2%. While its Customer Deposits increased by 24.3%, Total Deposits by 26.2 % and Advances by 21.8%.

During FY13, the International Operations contributed a sizeable 29.4% to your Bank's global business.



Business Review and Budget Meeting for Bank's International Operations in Mumbai

Total Assets

Total Assets of the Bank's International Operations showed a healthy growth of 30.1% on y-o-y basis, as they increased from Rs 1,28,398 crore as of March 2012 to Rs 1,67,038 crore as on March 2013.

Profit

Even during this challenging period of surplus liquidity in the system and slowdown in the credit offtake, the Gross Profit for the year FY13 registered a growth of 24.7% over the level of previous year due to enhanced business level and improvement in spreads. However, the Net Profit posted a negative growth of 19.20% during the year on account of higher provisions.

The contribution of international operations to the Bank's global Gross Profit was 24.6%.

Asset Quality

The wide spread international presence of your Bank exposes it to increased credit risk. Your Bank takes all steps for realistically assessing the credit needs of any project during the pre-disbursement stage and carefully monitors the appraisal and other technical, economic, commercial, organizational and financial aspects.

The global slowdown has impacted all sectors of the world economy and this has put added pressure on the quality of assets. In response to this, your Bank has further enhanced the monitoring techniques to maintain the quality of assets. This required timely identification of stressed accounts and taking all possible steps for recoveries. Furthermore, an enhanced monitoring of restructured accounts was effected so that these do not slip to NPA categories.

However, the external environment did impact the quality of assets and Gross NPAs as % to Total Advances increased from 0.68% as of Mar'12 to 1.37% as on Mar'13.

International Presence

Your Bank's international presence covered 24 countries through its 100 branches/offices during FY13 are as under:

Bank's Overseas Branches/ Offices	60
Bank's Representative Offices	1
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	39
TOTAL	100

The Bank also has the following Joint Ventures:

1. Indo Zambia Bank Ltd., Zambia having - 20 branches
2. India International Bank (Malaysia) Bhd., - 1 branch
Malaysia

Overseas Expansion

During FY13, your Bank opened 12 new branches/offices (including those of the subsidiaries). This included opening of the branches of the Bank at Sydney, Australia; DIFC, Dubai, Sohar, Oman; Rose Belle, Mauritius and Electronic Banking Service Unit (EBSU) at DMCC, Dubai.

The branches of the subsidiaries were opened at Wellington and Manukau in New Zealand; Entebbe, Kabale and Industrial Area, Kampala in Uganda; Tema in Ghana and Gaborone West in Botswana



Opening of a new branch at Industrial Area, Kampala of its subsidiary in Uganda – Bank of Baroda (Uganda) Ltd.

In addition, the Joint Venture Bank in Malaysia – 'India International Bank (Malaysia) Bhd. also commenced operations during the year.



Hon'ble Union Minister of State for Finance, Shri Namo Narain Meena lighting the lamp on inauguration of a JV Bank in Malaysia - 'India International Bank (Malaysia) Berhad.

Future Plans

In order to further expand the branch network, your Bank has identified upcoming centres in countries where it is already present. This will further consolidate your Banks' operations and improve/protect the market share. Your Bank also has plans to enter new countries offering opportunities for profitable growth of business.

Necessary infrastructure is being created in your Bank for further expanding the network in UAE, Uganda, Kenya, and Botswana. Your Bank is awaiting approval of the RBI for opening of two additional branches in the U.K.

The overseas expansion is being considered in line with the various directives issued from Ministry of Finance, Government of India regarding the overseas expansion of Public Sector Banks of India.

Syndication Centres

Your Bank has Global Syndication Centre at London and Regional Syndication Centres at Dubai and Singapore, which focus on the business of Syndication Loans in International Market. Your Bank has set up an International Merchant Banking Cell (IMBC) at Corporate Office, Mumbai, which mainly caters to the requirements of Indian corporates. Your Bank is an active player in the Syndication Loan Market and also participates in loan origination.

Products and Services

Your Bank is having a single Core Banking Solution at all its overseas branches and subsidiaries. This facilitates introduction of new products and services and also helps in carrying out modification/improvement in line with the requirements of customers in the country of operation.

The technology is being fully utilized by your Bank to have a competitive edge by continuous improvement and innovation. Due publicity is given through electronic and print media to the target customers of your Bank.

Technology in Overseas Operations

- The No. of ATMs at overseas Territories and subsidiaries increased to 89 (54 on-site and 35 off-site) as on 31st March, 2013 from 76 (45 onsite and 31 offsite) as on 31st March, 2012. Further, three more ATMs are in the process of being installed.



Inauguration of the Electronic Banking Service Unit - Multi Commodities Centre at Dubai

- Many of the territories/Subsidiaries are moving to Chip based debit cards.
- Transaction based internet banking branded as "Baroda Connect" is implemented in 12 overseas territories/subsidiaries viz UAE, United Kingdom, Oman, Mauritius, Fiji, Seychelles, Australia, Kenya, Uganda, Botswana, New Zealand and Ghana. Moreover, a "view-based internet banking" is implemented in Tanzania.
- Global Treasury Solution has been implemented at US, UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hongkong, Singapore and Belgium.
- Implementation of Centralized SWIFT activity has been completed and is operating from your Bank's Data Centre. Except US Territory, all Territories/Subsidiaries are routing their Swift operations through SWIFT Cell, Data Centre.
- Payment Messaging System is a middleware between Core Banking Solution (Finacle) and SWIFT which help in Straight through Processing of incoming and outgoing SWIFT messages with Anti Money Laundering check. The same has been implemented in all /Subsidiaries, except in the US Territory.
- The AML Erase (Batch mode) has been implemented in 21 Territories/Subsidiaries.
- The Anti Money Laundering Online List Matching solution has been implemented at 21 Territories/Subsidiaries, except the US territory.

Risk Management in Overseas Operations

The Basel II guidelines were implemented at all the overseas territories of your Bank with effect from 31st March, 2008 and your Bank has adopted a Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.

Your Bank has set up a separate Risk Management Department at overseas centres to deal with Credit, Market & Operational Risk and has posted specialized Risk Managers to such centres. This has resulted in strengthening of Risk Management Systems and their implementation.

The BOB RAM Model for internal Credit Rating implemented at overseas centres has further strengthened the credit monitoring process by capturing vital information related to advances accounts and their pricing.

The ASCROM Model for Asset Classification and Credit Monitoring has been implemented at all the overseas territories of your Bank.

Regulatory Compliance in Overseas Operations

Your Bank follows stringent of the home/host country regulatory norms and always remains a regulation-compliant Bank. All the regulatory guidelines/changes/issues are attended on top priority basis.

To handle the compliance issues, your Bank has posted dedicated officers at overseas centres whose skills are continuously enhanced through training and other avenues. The compliance is seen not merely a regulatory requirement



but also to protect the interest and reputation of the Bank and other stakeholders.

All the overseas territories/subsidiaries have the Policies/Manuals in varied areas of banking as per their respective regulatory requirements. These are periodically reviewed to ensure their conformity with the regulatory guidelines and requirements.

Treasury Operations

Your Bank operates a State of the Art Dealing Room at Baroda Sun Tower at its Corporate Office in Mumbai. Through this dealing room, your Bank is well positioned to scale up its Treasury Operations. The Treasury Division handles your Bank's domestic treasury operations and covers activities in various markets i.e. Foreign Exchange, Interest Rates, Fixed Income, Derivatives, Equity and other alternative asset classes. The advanced technology platforms are used by your Bank to offer a basket of financial products to its clients including interest rate swaps, currency swaps, forwards and options.

Your Bank has also put in place a sophisticated Automated Dealing system to offer the auto generated real time foreign exchange rates to the clients of its authorised branches spread across the country. As a customer friendly initiative, during the year FY13, enhancements were made by replacing the old servers with high end servers for BOB-Authorised Dealing System facilitating improved and faster processing of transactions cutting delays and breakdown in customer service.

Under the Business Process Re-engineering, your Bank has successfully implemented Global Treasury solution across major financial centers. The Global Treasury Platform is running smoothly in nine centres, notably, Mumbai, London, Bahamas, Brussels, Dubai, Bahrain, Singapore, Hong Kong and New York. The tenth implementation of Treasury solution at DIFC Dubai, an offshore Banking unit is on the cards.

During FY13, promotion of growth and control of stubborn inflation were the key monetary policy challenges. The RBI reduced the Repo and Reverse repo rates by 100 bps and infused liquidity by cutting CRR by 75 bps during the last year. The RBI also conducted Open Market Operations to the extent of Rs 1,27,180 crore to infuse liquidity into the system. Higher than announced borrowing programme and high inflation put pressure on Gilt yields until November, 2012. This and the pause by RBI in changing monetary policy rates resulted in the 10-year benchmark gilt to trade in the range of 8.05%-8.25% during July to December, FY13. However, after the resumption of Open Market Operations by the RBI in Dec, 2012 and easing of policy rates in January 2013, the 10 year Gilt touched a low of 7.80% while ending the year at 7.95%.

Against a backdrop of weak economic growth and corrective steps & measures by the government to control fiscal deficit, your Bank's Treasury accumulated securities offering higher yields and maintained a prudent duration for its fixed income portfolio. This strategy was useful for the Bank to maintain a good average yield on its Investments and also helped in booking of profit on sale of Investments when the rate cutting cycle resumed in the last quarter of the year. The average yield on Domestic SLR investments was 7.76%. During FY13, the Treasury earned Rs 7,450 crore as Interest/Discount earnings, while the Profit on Sale of Investment and Exchange Earnings were Rs 617 crore and Rs 803 crore, respectively.

Your Bank's Treasury offers customized solutions using available products viz Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps (CIRS), Forwards and Options to meet the Interest rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of the corporate clients. During the year, your Bank's Treasury actively participated in the arbitrage opportunities available between various asset classes including Money Market CBLO, Call, Market Repo, Government Securities and Forex markets. The Treasury actively utilised the market movements and used Overnight Indexed swaps for harnessing available hedging and trading opportunities.

The sentiment in Equity markets improved during second half of FY13 due to FII inflows, reform initiatives announced by the Government and improving fundamentals of the US economy. The Equity Desk of the Treasury actively churned its portfolio and booked profits at regular intervals whenever an opportunity emerged in the markets.

In line with the announcement of the Finance Minister in his budget speech for FY12, your Bank, last year, co-promoted the country's First Infrastructure Debt Fund – M/s India InfraDebt Limited to facilitate the flow of long term debt fund to infrastructure sector.

The Foreign exchange desk of the Treasury retained its position as one of the premier market players in the Forex desks of the Public Sector Banks. The Proprietary trading desk was active in cashing in of available arbitrages, using volatility in the markets and mobilised resources in a tight liquidity position impacting the Indian markets.

Your Bank's Treasury Mid-Office monitors market exposures and limits fixed by the Board of Directors, on a real time basis. The Risk Management parameters, including Value-at-risk (VaR) are used to measure Market Risk on all portfolios. These measures are backed up by the Back Testing on risk numbers and Stress Testing of various investment and currency portfolios.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a responsible corporate citizen, your Bank is considering donation to National/State Relief Funds and to any individual, trust, society, charitable/social institutes of repute engaged in social activities for the benefit of vast variety of people.

Donations are given to promote various activities. They are extended essentially as a social welfare measure on a non-commercial basis to individual trusts, social work organizations/institutions, etc.

In particular, your Bank has been giving donations for the following purposes:

- For the spread of education – including for the girl child and womenfolk in remote villages.
- To reputed colleges/public schools and other similar institutions.
- To reputed hospitals engaged in charity or in service of weaker sections
- Assisting families of soldiers died in wars and handicapped soldiers



- Old age homes
- Preservation of places of historical interest like gardens, forts, temples etc.
- Promotion of efforts for protection, conservation and cleaning of environment including plantation/re-plantation, rivers, lakes, forests, sanctuaries etc.
- Adoption of gardens in cities where your Bank's name can be publicized
- Family planning activities
- For measures promoting prevention of cruelty to animals and for setting up and maintaining animal and bird Hospitals
- For promoting the promotion and use of non exhaustible sources of energy like solar power, gobar gas plants in rural areas
- Vaccination projects for controlling spread of diseases/ epidemics
- Providing support to organizations extending support to handicapped persons like blind, lame, deaf and dumb, etc. or suffering from any other disabilities
- Promotion of measures for pollution control
- Other matters/ projects of social and human value



Visit of The Standing Committee of Parliament on Social Justice and Empowerment to Mumbai

During the Financial Year FY13, your Bank disbursed donations amounting to Rs.699.74 lakh to various organizations engaged in the field of education, health, women welfare etc. The activity-wise disbursement of donations are as follows.

Sr. No.	Activity	No. of Donations	Amount (Rs lakh)
1.	Education	4	24.00
2.	Health	3	4.50
3.	Women Welfare	1	2.00
4.	Social Welfare Activities	5	669.24
	TOTAL	13	699.74

Besides these activities, your Bank has established Baroda Swarozgar Vikas Sansthan for imparting training to unemployed youth, free of cost, for gainful self employment and entrepreneurship skill development which help them improve their family economic status and also gives a boost to various regional economies within these locations. All the Lead Districts of your Bank have Baroda Rural Self Employment Training Institute (R-SETI).

Your Bank has also established Baroda Gramin Paramarsh Kendra for knowledge sharing, problem solving and credit counseling for rural masses across the country. In order to spread awareness among the rural mass on various financial and banking services and to speed up the process of financial inclusion, your Bank has also established Financial Literacy and Credit counseling Centres (FLCC). As on 31st March, 2013 your Bank had 45 FLCCs.

Asset Quality Management

The year FY13 was a challenging year for the Indian banking industry from the perspective of Asset Quality due to a fragile economic environment. However, your Bank continued its practice of rigorous monitoring and recovery of the NPA portfolio to prevent any serious deterioration in its asset quality. Yet, an overstretched economic downturn did impact your Bank's asset quality to some extent during FY13.

Indian banks, in general, witnessed heavy incidence of slippages in FY13 due to volatile financial markets both within and outside India, higher inflation and higher interest rate regime throughout the year FY13.

In spite of various depressed economic parameters, the fresh slippages during the year, were at 2.29% of the opening Standard Advances of your Bank. Against the backdrop of high slippages, the ratio of Gross NPA to Gross Advances was at 2.40% as on 31st Mar, 2013. Consequently, the ratio of Net NPA to Net Advances increased to 1.28% by end-Mar, 2013.

However, your Bank's Loan Loss Coverage ratio (including the technical write-offs) was at 68.24% in FY13 - a relatively higher level, if compared to your Bank's peers from the PSU banking segment.

During the year under review, your Bank laid down a comprehensive structure of recovery and credit monitoring function at the Branch, Region, Zone and Corporate levels. Besides this, the Nodal officers at each DRT centre were advised to follow-up the legal cases on day to day basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution thereof in order to expedite and maximize recoveries. For Recoveries of all DRT Suit filed NPA accounts, the assets charged to the banks are now being sold through E-auction to get a fair market value of assets charged to the Bank. Additionally, ARCs have been appointed as recovery agents and consultants have been appointed for liaison with Official Liquidator to speed up the recoveries.

Your Bank continued its emphasis on follow-up mechanism to explore recovery prospects of NPA accounts. The system of monitoring of large value NPA accounts of say Rs 25 lakh and above, directly from the corporate office has ensured proactive action by branches, advocates and recovery agents. Therefore, the cash recovery in NPA accounts during FY13 was Rs 625.57

crore, higher than the cash recovery of Rs 580.46 crore during FY12. The upgradation was also higher at Rs 341 crore during FY13 compared to Rs 336 crore during FY12.

During FY13, your Bank laid specific focus on recovery of small accounts by organizing Lok Adalats and Recovery Camps at village/town level. Your Bank also launched an incentive linked recovery scheme called “Sankalp – V”, to enlist personalized attention of each and every staff member in pursuing recovery efforts of small value accounts with an outstanding up to Rs 15 lakh. The cash recovery made during the year FY13 under the scheme was very impressive at over Rs 231 crore.

The asset classification wise breakup of advances portfolio of your Bank is as under.

(₹ crore)

Asset Category (Gross)	31 st March 2013	31 st March 2012
Standard	324828.74	286542.59
Gross NPA	7982.58	4464.75
Total	332811.32	291007.34
Gross NPA is comprising of:		
Sub-standard	4981.15	2661.82
Doubtful	2628.33	1318.71
Loss	373.10	484.22
Total Gross NPA	7982.58	4464.75

Information Technology

Your Bank has undertaken a total end-to-end business and IT strategy project covering your Bank's domestic, overseas and subsidiary operations.

- Your Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and also a Disaster Recovery Site in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers. After successfully migrating Data Centre to new Data Centre in the Bank's own premises, your Bank had undertaken Disaster Recovery Centre expansion during the year to support its business growth and technology expansion.
- Your Bank has undertaken various other technology initiatives like windows server virtualization, desktop virtualization and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre operational efficiency, Application virtualization, Bandwidth up-gradation, ASM & RAC Implementation, migration of Bank wide network to new technology based on MPLS for improving uptime and on demand upgrade has been successfully implemented. Enterprise Management System was upgraded and new modules deployed to effectively manage and monitor Bank's growing IT infrastructure.
- The Core Banking infrastructure has been upgraded by your Bank from PA-RISC to Itanium servers in all 23 Overseas Territories for supporting additional business volumes. Various new Regulatory initiatives like Linking of UID numbers, Account number portability, Capturing KYC related information, Simplified account opening procedures, Addition of village codes in core banking system, Implementation of

Adhaar Payment Bridge System(APBS), Centralization of Loan Processing at RLF and SMEs, Biometric Authentication for CBS Login at Branches, Deployment of NPSLite (a scheme to provide financial security for economically disadvantaged people for protecting their future during old age), automated processing of payments to NREGA, NPS and MGPSYS beneficiaries etc were added during the year. Core Banking Solution was implemented in Sydney Branch, Australia. The robust technology platform has enabled your Bank to open 100th International Branch during the year. Your Bank's RRBs are also on CBS Platform and as notified by GOI, your Bank has successfully migrated RRBs of Central Bank of India and Punjab National Bank with 350 branches into one of RRBs' of your Bank.

Alternate Delivery channels

• Internet Banking - BARODA CONNECT

The Internet Banking, viz., Baroda Connect (Retail portal) has been completely revamped in your Bank to enhance its look and feel and user-friendliness. Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking channels. Other enhanced features such as Tax payments of various States, Integration of GRIPS (Government Revenue Receipts for West Bengal), Credit to Loan accounts, Bill payments, Online donations to Prime Minister Relief Fund, India Life Insurance premium payment through e-banking, IMPS(Immediate Payment services) through e-banking were added during the year. Your Bank's Internet banking facility is made available on all Smart-phones/ tablets offering comfort of anywhere Banking to its customers. Internet Banking has also been implemented in total 13 overseas territories viz. Tanzania, Uganda, Kenya, Mauritius, Seychelles, Botswana, New Zealand, UAE, FIJI and by adding Transaction based Internet Banking in UK, Oman and Ghana and view based in Australia during the Financial Year. View Based e-banking is also provided in all Bank sponsored RRBs. In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced enhanced security features by deploying Fraud Management Solution, including two factor authentications in India and 5 Overseas territories viz. UAE, UK, New Zealand, Kenya and Uganda by enabling ARCOT OTP, PULL OTP and SMS OTP.

Your Bank has initiated the process of implementing Fraud Management Solution for remaining six overseas territories where transaction-based e-Banking is implemented. View-based Internet Banking for US territory, PPF through e-banking, Inter-Bank fund transfer through Internet Banking for UAE have also been initiated by your Bank. Your Bank also proposes to implement Transaction based Internet banking for its sponsored RRBs, with two-factor authentication.

• Mobile Banking – BARODA M-CONNECT

As one more alternate delivery channel, many features were added to Mobile Banking by your Bank to provide various facilities to customers, viz., IMPS i.e. Immediate Payment Services Person to Account (P2A) fund transfer,

enabling mobile banking application in all i-Phones and i-Pads in addition to Blackberry, Android, Windows, enabling of NUUP(National Unified USSD Platform) etc.

Your Bank is also in process of implementing P2M (person to Merchant) fund transfer under IMPS and has acquired India First Life Insurance as the first merchant. Your Bank proposes to enable Mobile Banking application for Windows8, Implementation of Mobile banking in Uganda and UAE etc. It has also initiated implementation of Mobile banking in its sponsored RRBs.

• ATM

The ATM Switch is upgraded in your Bank to a higher version along with Hardware up-gradation with many enhanced features for better performance, speedy ATM transactions and ease of ATM expansion during the year. The ATM switch is upgraded for India, UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Tanzania, Botswana, T&T and New Zealand. Many customer centric initiatives such as implementation of Rupay ATM Cards, Rupay POS and Rupay KCC Cards, Brown label ATMs, Collection of Insurance premium for IndiaFirst Life Insurance Policy holders through ATMs, ATM Transaction receipt printing in HINDI, Regional Language Screen selection for Gujarati, Marathi and Tamil, Talking ATMs for visually impaired persons, implementation of Fraud management Solution in ATMs/ POS in India have been added during the year. Your Bank has successfully launched Rupay ATM and Rupay KCC cards for its RRBs also.

Your Bank has also proposed some more Customer Centric initiatives like Immediate Payment Services (IMPS) through ATMs, Regional Language screen selection in ATMs (for Malyalam, Telugu, Kannada, Bengali), Cheque book request through ATMs, NEFT through ATMs, Rupay e-commerce, multi-factor authentication for card not present transactions, Visa Debit card for UAE, BSP(Bank South Pacific) Interchange Implementation for FIJI, Prepaid card withdrawals through ATMs, Chip Based Card Implementation in India, Oman and Mauritius, Card to Card fund transfer, Bill Payment through ATMs etc.

Payment Systems

- All branches of your Bank (which are CBS-compliant) are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT. The RTGS and NEFT have also been interfaced with your Bank's internet banking portal. The Straight through Processing (STP) of NEFT & RTGS have been implemented for the Bank as well as RRBs. RTGS & NEFT has also been implemented in Uganda.
- Internet Payment Gateway services for debit cards/credit cards are increasingly offered to merchants and internet shopper as a safe and secure channel for online purchases.
- Cash Management System is a full-function web enabled cash management solution offered to your Bank's customers, covering services like Receipt Management (Collections), Payment Management and Invoice Management (Receivable and Payable Management).
- New Credit Card Management System has been implemented to provide comprehensive management and

support for your Bank's Credit Card operations.

- The SWIFT facility for worldwide inter-bank financial communication is provided at Foreign Exchange Authorized Branches in India as also in 22 overseas territories by adding UK and Australia during the year.
- The Payment Messaging Solution (PMS) is implemented in 22 overseas territories by adding UK and Australia during the year & all authorized branches in India. PMS facilitates validation and formatting of SWIFT messages generated from CBS as per SWIFT standards, and also goes through AML check.
- During the year under review, a grid based Cheque Truncation System (CTS) was implemented in all MICR Centres in Southern States, Kolkata, Ludhiana and Chandigarh in addition to Delhi. Your Bank has also initiated the process of implementation of CTS in Mumbai and Western Grid of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh.
- Automated Cheque Processing Centre (Inward & Outward) was implemented in Mumbai and Surat and Ahmedabad were added during the year, as a part of Business Process Re-engineering under its Project Navnirmaan.
- For regulatory compliance, the Anti Money Laundering (AML) has been implemented in India and 22 overseas territories by adding Belgium during the year. Your Bank has also implemented Risk Management solution. Your Bank has also implemented Phase I AML solution in all its sponsored RRBs and implementation for Phase II AML is in progress.

Other Initiatives

- Your Bank has implemented Customer Relationship Management as a new initiative for providing better services to customers through a contact centre over phone in order to improve their satisfaction and loyalty. Existing customers/Prospective customers may call on Toll Free no. (1800223344 & 18001024455) wherein following services can be availed of.
- Issuance of a cheque book
- Enquiry about products and services
- Account Enquiry – Balance, Transaction, Amount in Clearing etc.
- Hot-listing of ATM cards
- Stop payment marking / un-marking
- Request for issuance of debit card.
- Request for re-generation of debit card PIN
- Support for e-banking users
- Re-generation of mobile banking password
- On-line (paperless) TPIN generation facility

Other information regarding products and services of your Bank is also provided to prospective customers/account holders. The CRM applications is linked to sales offices like Retail Loan Factories (RLFs), City Sales Offices (CSOs) wherein the leads generated at contact centre on the basis of enquiry about the products by customers are transferred to these offices for further processing.

Your Bank has also completed a launch of recovery



processes through contact centre wherein customers are informed about the EMI and due amounts. This shall facilitate customers to deposit EMI/due amount on demand dates.

- The Retail Depository Services are made available to your Bank's Retail as well as Corporate customers. With a centralized depository application, branches are equipped to provide depository services for both NSDL as well as CDSL. With Online Trading System, your Bank will be able to provide complete suite of online services to the customers for trading in instruments like equities, mutual funds, bonds and initial public offering (IPOs).
- For improving your Bank's service delivery, the Back Office functions have been centralized at City Back Offices and Regional Back Offices. Your Bank now has 70 City Back Offices and 10 Regional Back Offices. The personalized cheque book issuance has been centralized. Your Bank has also started centralized FCNR operations.
- The Integrated Global Treasury Solution has been implemented in UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hongkong, Singapore, Belgium and in India, reducing the cost of operations and better fund management.
- Enterprise wide GL Solution has been implemented. This provides variety of inputs to your Bank for strategic decision making in business development and also generates enterprise wide consolidated reports.
- The Centralized Payroll, Salary module, e-TDS module and Leave Module have been implemented for all your Bank's offices in India.
- The Human Resource Networking for Employees Service has been implemented with the objective of creating a central database of the Bank employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR processes.
- Your Bank had also undertaken as a part of its business strategy, Data Warehouse for providing flexible and interactive source of strategic information, Customer Relationship Management for better customer insight and uniform customer view across channels.
- Your Bank has upgraded existing applications like Exchange, e-Business suite with enhanced features, encompassing Customer Relationship Management, HRNes and Enterprise wide GL modules.
- The IT setup has been developed for account opening process and transactions, both online and offline, to be carried out through Business Correspondent thus enabling Financial Inclusion. The Mobile Van Banking is launched in Gujarat, UP & Bihar on a pilot basis as the Bank's Financial Inclusion initiative.
- Your Bank has fully automated its Loan Processing (Retail, Agri and SME) modules for better and quick customer service. Your Bank also provides a single click Online loan Application feature for Home Loan, Auto Loan and Education Loan.

Your Bank has also initiated automation of Loan processing for MID-Corporate and Corporate customers.

- A robust Information Security Management System was put in place during the year under review to protect the technology against security threat. A Comprehensive Audit by External Agencies is being successfully carried out by your Bank for its Core Banking Solution and all other applications as well as for Data Centre/Disaster Recovery centre Infrastructure.
- Your Bank has set up a Security Operation Centre (SOC) for enhanced IT security.
- Your Bank's both Data Centre and Disaster Recovery Centre are ISO 27001 certified.
- Your Banks has Implemented Fraud Management Solution for Internet Banking, ATM & POS. In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced Fraud Management Solution, including two factor authentications in India and five Overseas territories viz. UAE, UK, New Zealand, Kenya and Uganda by enabling ARCOT OTP, PULL OTP and SMS OTP.
- As a security measure, Your Bank has also enabled SMS Alerts delivery facility to its customers for all transactions made through alternate delivery channels and for all CBS transactions worth Rs.5000 and more.
- Your Bank is regularly conducting VAPT (Vulnerability assessment & Penetration Testing) of external facing applications, eBanking log monitoring etc.
- Your Bank has enabled a Fraud Risk Management system for day-to-day monitoring of suspicious transactions at Branches for protecting interest of customers.
- While cyber-attacks have become more unpredictable and electronic payment systems vulnerable to new types of misuse, it is imperative that banks introduce certain minimum checks and balances to minimise the impact of such attacks and to arrest/minimise the damage. To minimise the damage, your Bank has initiated following additional security measures which will be enabled shortly.
 - All new debit and credit cards will be issued for domestic usage unless international usage is specifically sought by the customer.
 - Convert existing MagStrip Cards to EMV Chip card.
 - PIN enabled POS
 - Enabling additional security as addition of Digital signatures for Corporate Internet Banking.

Direct Benefit Transfer

- Your Bank has initiated Direct Beneficiary Transfer under Aadhaar Payment Bridge System (APBS) and wages payment for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
- For MGNREGA transactions, your Bank has started Pilot Project for Sanganer Block in State of Rajasthan during the year and processed 9,593 transactions amounting Rs. 86,54,676/-
- Under APBS, your Bank has linked 1, 31,735 Adhaar Card and provided credit to 6,635 beneficiary amounting Rs 49,01,659/-

Information Security



- Your Bank has also initiated another project for Direct Beneficiary transfer in association with Central Project Scheme Monitoring System (CPSMS).

E-business

Your Bank's e-business department provides different types of Alternate Delivery Channels (ADC) such as ATMs, Internet Banking (Baroda Connect), Mobile Banking, RTGS/NEFT, Phone Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Contact Centres etc. In addition to this, the e-banking department of your Bank looks after Depository Services, Cash Management Services.

This year, your Bank introduced different variants of Debit Cards i.e. Maestro PIN Debit Card and RuPay Debit Card. In addition to this, your Bank also launched a new variant of Pre-paid Card i.e. Baroda Travel Easy US Dollar Travel Card.

Also, Online Trading facility for Retail customers of your Bank was launched in July 2012.

The performance of various sections under the e-Business Department during FY13 is summarised below.

ATM/DEBIT Card Operations

Particulars	31/03/2012	31/03/2013	Addition during the year
No. of ATMs operationalised	2,012	2,630	618
No. of Debit Cards Issued (lakh)	80.44	103.76	23.32

New Initiatives & Achievement during FY13

- Maestro PIN Debit Card: Launched in April'12
- RuPay Debit Card : Launched in September'12
- Onsite ATM – Installation of Cheque Drop Box in all onsite ATMs
- Issuance of debit cards in Nagrik Bachat Khata with effect from 5th Dec, 2012.

Baroda Connect (Internet Banking)

Particulars	31/03/2012	31/03/2013	Addition during the year
No. of Users	8,10,430	10,76,635	2,66,205
No. of A/cs Linked	32,49,216	45,79,969	13,30,753

New Initiatives during FY13

- Credit/transfer to loan account through Baroda Connect.
- Online FDR for NRIs/PIO enabled.

- Online payment of premium of India First Insurance

BARODA RTGS/NEFT

Particulars	2011-12		2012-13	
	RTGS	NEFT	RTGS	NEFT
No. of Inward Transactions	16,62,070	61,37,139	21,83,550	1,31,42,497
No. of Outward Transactions	21,47,527	29,48,252	27,45,872	53,77,922
Avg Transactions per day (Inward) –during last month i.e. March	7,720	28,376	9,929	76,361
Avg Transactions per day (Outward) – during last month i.e. March	9,338	13,211	11,713	25,092

Baroda Cash Management Services

- During FY13, the total number of transactions in BCMS was 30.91 lakh as against 14.19 lakh during FY12, with a total turnover was Rs.27,480.62 crore as against Rs 10,355 crore during FY12 and a profit of Rs 97.27 lakh was earned during FY13.
- The number of customer has increased from 206 as on 31/03/12 to 308 as on 31/03/13.
- It is proposed to extend these services to 100 more centres in a phased manner.

Baroda e-Gateway (Internet Payment Gateway)

- As on 31st March 2013, a total of 148 Merchants were registered as against 124 as on 31st March 2012 and the total turnover during FY13 was Rs 50.85 crore. A Profit of Rs 65.68 lakh was earned during FY13 from this activity.

Other New Initiatives taken during FY13

- Online Trading launched for Retail Customers.
- Baroda Travel Easy US Dollar Travel Card has been launched.
- Debit Card failed transaction complaint registration through Contact Centre has been started.



Launching of First Contact Centre at Zonal Office, Lucknow to make banking more convenient for NRI Customers.

- Contact Centre for NRIs has also been launched.
- Standardized Public Grievance Redressal system has been launched from Contact Centre (for registration of customer complaints).
- Recovery of Retail Loans (EMIs) through ECS has been started on pilot basis in two Zones of your Bank, notably, the Greater Mumbai and Northern Zones in April 2013.
- Your Bank is ready for a pilot launch of National Automated Clearing House (ECS credits).
- The Complaints registration through Contact Centre (SPGRS Portal) has also been initiated in your Bank.

Proposed Initiatives/Strategies for FY14

- To launch 50 e-lobbies (with ATM, Bulk Note Acceptor, Self Service Passbook Printer Kiosk, Internet Banking Kiosk, Cheque Deposit Machine & Phone Banking facility).
- Installation of Self Service Passbook Printer Kiosks in all Baroda Next Branches.
- To install 50-100 Bulk Note Acceptors.

ATM/Debit Card

- Card to Card transfer
- ATM Bill Pay
- Non-Personalized Debit Card
- Biometric ATMs/Debit Card
- NEFT through ATM
- Talking ATM
- Request for Cheque book through ATM

Baroda Connect (Internet Banking)

- Online premature payment of Fixed Deposit Receipt
- Online facility of Saving Bank and Recurring Deposit
- Providing convenient login without one-time-password with the help of QNA (for registered customers).
- Revamping pages of "Baroda Connect" Corporate portal.
- IMPS payments through Net Banking.

Baroda M-Connect (Mobile Banking)

- Enabling Merchant Payments
- Implementation of Fraud Management Solution

Baroda Pre-paid Cards

- Online issuance of Baroda Gift Card
- Issuance of reloadable cards.

Contact Centre

- Outbound calls for Recovery and Sales.
- Web Chat
- SMS/Voice/Emails blasts
- Expanded IVR (i.e. Mini Statement, request for account statement)

Human Resources

Human resource Development is a critical element of your Bank's overall strategy for ensuring profitable and qualitative growth.

Today, your Bank is endowed with a competent and highly motivated employee base of around **43,108** people who are engaged in handling its mammoth business operations.



SPARSH
Human Touch For Business Excellence

Your Bank has adopted a very balanced people strategy to create a composite and responsible Human Resource culture in the Bank that can drive growth and also adequately face various challenges of the current times, viz. the large retirements, massive induction of talent, huge training requirements and challenges of succession and productivity. A comprehensive HR strategy and Framework has been drawn up to take care of all these challenges in an integrated manner through a focused HR transformation project called **Project SPARSH** which is unique and path-breaking in the entire industry.

This journey of HR Transformation was started in August'2011 and over the last one year, various landmark HR initiatives have been launched in your Bank which are futuristic and designed to make Bank of Baroda one of the best places to work for its employees. For this, your Bank wants to create cutting edge HR policies and processes through which it can become a role model for all other banks and in the process, leverage the full potential of its human capital to substantially improve the employee productivity.

Formulation of Talent Management system: Developing the next line of leaders in the Bank

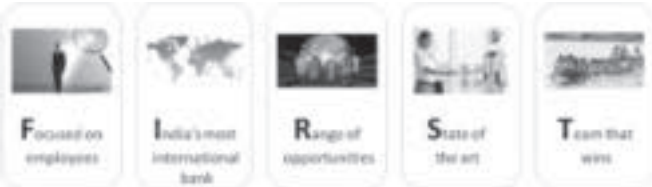
Your Bank took a big step for developing the next line of leaders for the future by putting in place a Talent Management system which proactively identifies future potential leaders to effectively mitigate the risks arising out of the anticipated leadership gaps in the next five years and also grooms these future leaders through a systematic development agenda. Through a systematic and structured process, the Bank was able to clearly identify around 15.0% to 20.0% people in specific scales of officers viz. in Scales III, IV, V and VI as the future leaders. A grooming plan has been laid down for each of them. The process is envisaged as an annual exercise so that the pool of identified people and the various talent management activities envisioned are continuously reviewed and refined. A first of its kind "**Baroda Annual Leadership Conclave**" was conceptualized to provide the members of the Talent pool to broaden their perspectives on banking and industry trends and help them connect and network with their peers and senior leadership in the Bank, and the first such conclave was held in Mumbai on 11-12 August, 2012.



Special Program organised to celebrate International Women's Day on 8th March 2013 at its Corporate Office, Mumbai.

Strategic workforce planning and Recruitment strategy

A scientific manpower planning model was developed by your Bank to estimate manpower needs by level, skills and by branch. With its help, your Bank has also undertaken the strategic workforce planning for the next few years to feed into various other HR functions like recruitment planning, career progression vacancies and postings & deployment. Your Bank has put in place a clearly defined Recruitment strategy which looks at broad-basing recruitment from different channels, hiring of larger numbers in view of the emerging requirements as thrown up by the strategic workforce planning and also articulating a clearly-defined Employer Value proposition with the acronym **"F I R S T"** as shown below:



A specially designed **'Career portal'** has been launched on the Bank's website which defines this Value proposition further with clearly laid out sections related to why your Bank should be the preferred choice for any prospective applicant, what is the career path, the recruitment channels available, different facets of working at Bank of Baroda and testimonials from Bank's existing employees. All these strategies are designed to improve Bank's Employer Branding significantly.

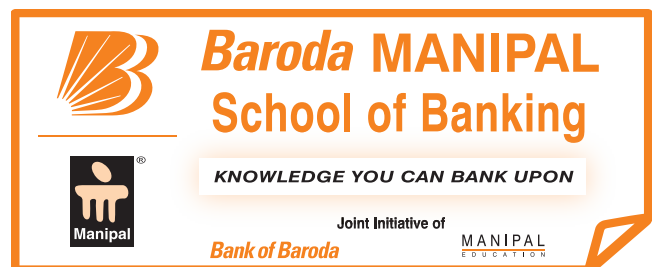


CMD, Shri S.S.Mundra launching the Bank's Career Portal and inaugurating the first HR Shared services back-office under Project SPARSH at Baroda

In order to tackle the challenge of making the large number of fresh recruits productive in the quickest possible time, your Bank initiated a very structured **"on-boarding programme"** consisting of both functional and cultural components which enabled them to be work-ready quickly and also helped in their cultural assimilation within the Bank.

"Baroda Manipal School of Banking"

The Baroda Manipal School of Banking is a special initiative taken jointly by Bank of Baroda and Manipal Global education to train students for a Banking career in Bank of Baroda on a "first-day, first-hour" productivity model. The students undergo a focused one-year programme which is tailored to the Bank's requirements and which leads to the award of a post-graduate diploma in Banking and Finance, before they are absorbed in your Bank as Probationary officers.



This innovative Resourcing channel was initiated during the year FY12 but after completing the one year course, the students have started joining the Bank from FY13 onwards. Around three batches of students numbering 526 have already joined the Bank while another four batches of students numbering around 864 are undertaking the said one-year course at present.



Shri S.S.Mundra, Chairman & Managing Director, addressing the students of BMSB.

Capability Building Initiatives



With the objective of bringing the desired focus and developmental orientation, your Bank rebranded its training system as **"Baroda Academy"** and launched various training initiatives under this Baroda Academy umbrella in order to create a learning organization, help in better grooming and development of its people and thereby significantly improve organization's performance.



On the processes side, several landmark initiatives were introduced like publication of a comprehensive annual training calendar, introduction of self-nominations as an additional channel of training nominations, introduction of the system of training credits, introduction of tests at the end of every training program, creation of a pool of expert practitioners as Associate Faculty, enhancement and standardization of course content, drive for building a directory of Case Studies for use in training programmes, preparation of a Training policy, Training Manuals, etc. All these initiatives have brought about a renewed focus to the Training and development function and helped in making training a very potent tool for human capital development in the Bank. Various IT tools have been put in place to streamline the training processes and enable large-scale implementation of all the training initiatives.

On specific capability building initiatives, your Bank has, in line with the renewed focus given to training, carried out substantial training and developmental activities during FY13, which included comprehensive grooming programmes in the area of Credit, Forex, Dealings, Branch Management, Planning, Risk Management, etc. besides soft skills programmes and ensuring all-round development and grooming of young officers and new recruits. Your Bank conducted 2,198 training programmes in-house (through its network of 12 Training Centres across the country, one IT training center and an Apex Training College at Ahmedabad) and thereby trained **43,465** people during the year. Besides, your Bank also sent around **2015** employees for undergoing training in various reputed external training institutes of the country and even abroad. As part of the overall grooming plan for the Talent pool members, customized programmes were conducted through specialized external training institutions covering specific developmental areas.

Select Deputy General Managers and Assistant General Managers of your Bank were sent to undergo a Top Management programme at one of India's best B-Schools viz. ISB, Hyderabad whereas in another initiative, your Bank trained an additional 150 specially identified people across the Bank to undergo a focused Mentoring programme so that they could act as 'mentors' to newly recruited officers, taking the total number of trained mentors in the Bank to around 500.

Leadership Development (Project UDAAN)

Taking into account the critical need for building leadership competencies in people, your Bank had launched a comprehensive leadership development program named as '**Project UDAAN**' in FY12, covering Branch Heads of all Urban/Metro Branches and all Assistant General Managers and Deputy General Managers with the objective of creating leaders for the future.



The programme was structured around three modules of leadership viz. 'Leading Self', 'Leading Others' and 'Leading Business' and each of the three modules are being addressed through a combination of off-site forum events and coaching clinics. The programme covered around 960 participants across seven zones of your Bank during the year FY12 and the same was continued in FY13 to cover an additional 760 more participants in another five batches. Such a massive and comprehensive leadership development effort is first of its kind for an Indian state-owned Bank.

Implementation of HR Technology

Your Bank has created a very comprehensive HR technology platform covering HRM, Training, Payroll & Leave modules christened as the Human Resources Network for Employee Services (HRNes). This technology platform has enabled automation of various HR functionalities and various modules/ various new processes were automated/ implemented during the year.

Recruitment Drive

Your Bank has been undertaking focused hiring efforts on a sustained basis year on year, to cater to superannuation, sustained business growth and rapid Branch expansion. Various recruitment exercises were undertaken during the year to address the emerging manpower requirements in your Bank. Recruitment of Specialist officers, probationary officers, recruitment of young MBAs directly from the campuses of renowned Business Schools were initiated to meet the needs of your Bank, both in terms of replacements for normal attrition and factoring in the business growth needs. Your Bank recruited **1,246 Officers** in various Grades/Scales (both Generalists & Specialists), **1,731 Clerks** and **700 Subordinate staff** members during FY13. The recruitment process is continued in the year 2013-14 also with various recruitment projects underway for filling up almost 2,800 posts of officers and 3,500 posts of clerks.

Framework for Career Progression

Special efforts were made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for faster career progression, thereby, motivating employees for higher productivity. Your Bank has been regularly promoting people in all grades / scales, year after year, without a break, in order to keep on continuously rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities faster. In keeping with this trend, a large number of promotion exercises were undertaken during FY13 also resulting in the **elevation of around 3,793 people within the Bank** in all cadres/grades/scales, as depicted in the table below.

Sub-Staff to Clerk	160
Clerk to Officer	553
JM-I to MM-II (Officer to Manager)	1332
MM-II to MM-III (Manager to Sr Manager)	1055
MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager)	480
SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager)	160
SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager)	35
TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)	18



Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

Your Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and other backward classes in the society. Your Bank is one of those banks in the entire banking industry that have the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment. Some of the highlights of your Bank's efforts for development and welfare of people belonging to SCs and STs are enumerated as under.

Reservation in Employment

Your Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India recruitment and local recruitment. Around 15.0% posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments as also for selection to Baroda Manipal School of Banking (i.e., another channel of resourcing started by the Bank). For other recruitments made on regional basis, appropriate percentage prescribed for various States is being observed. Special efforts are made like offering pre-recruitment orientation training to SC/ST applicants for recruitment in your Bank. Relaxation in age limit and qualifications are given and interviews of SC/ST candidates are taken on relaxed standards in order to ensure that appointment of candidates to the reserved posts happens. In the Interview Panel for recruitment, a member belonging to SC/ST is invariably associated. Candidates belonging to SC/ST, who are called for interview, are reimbursed traveling expenses. In addition to providing reservation in employment, your Bank is also providing reservation and other enabling mechanisms in career growth and promotions to SC and ST employees as per the existing guidelines. Pre-promotion training before participating in promotion exercises is also provided to these candidates. Around 10.0% of the available residential accommodation of your Bank is reserved for the SC/ST candidates.

The staff strength and representation of SCs and STs as of 31st March 2013 is as under.

Cadre	Total	SC	SC %	ST	ST%
Officers	17933	3044	16.97	1261	7.03
Clerks	16869	2392	14.18	1158	6.86
Substaff	8306	2836	34.14	769	9.26
Total	43108	8272	19.19	3188	7.39

SC/ST Cell

An exclusive SC/ST Cell in your Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/ST employees to ensure compliance of various guidelines pertaining to the SC/ST employees. A Liaison Officer for SC/ST has been appointed in each Zone of the Bank who takes care of all matters and

grievance redressal of SC/ST employees of that Zone.

Meeting with SC/ST Welfare Association

With a view to have direct dialogue and review of reservation and other special provisions for SC and ST, your Bank holds quarterly meetings with the representatives of SC/ST Welfare Association of the Bank. Your Bank's Chairman and Managing Director and Senior Executives including the Chief Liaison Officer for SC/ST participate in such meetings.

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust

Your Bank has established the "Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members. Apart from scholarships to children of employees belonging to SC/ST, the Trust also provides scholarship to needy students belonging to SC/ST community, in general, in major centres of the country.

Visit of National Commission for Scheduled Castes

The National Commission for Scheduled Castes visited your Bank at various places during the year as shown in the following table to review the implementation of the reservation policy of the Government of India for SCs in your Bank, had discussions and interactions and examined the level of implementation of the policies and programmes.

Sr No	Place of Meeting	Date
01	Jaipur	26.05.2012
02	Dehradun	25.07.2012
03	Bangalore	22.08.2012
04	Bhopal	27.09.2012

The National Commission for SCs for verification of Rosters and other working service safeguards visited the Bank at Baroda on 05.12.2012 and also at Jaipur on 31.01.2013. The suggestions and guidance of the Commission are being scrupulously observed by your Bank.

Various other commissions and parliamentary committees formed for promoting the welfare of different backward classes and safeguarding the interest/working conditions of different sections of society also visited your Bank as per the details given below and were apprised of the steps taken by the Bank in implementing all the relevant government guidelines and the different welfare measures adopted by the Bank to ensure their overall development and meeting of social objectives.

- The National Commission for Safai Karamcharis at Goa on 11.02.2013
- Study visit of the Committee on Government Assurances, Rajyasabha (for Persons with disabilities) at Mumbai on 22.01.2013
- Meeting with Parliamentary Committee on Welfare of OBCs at Mumbai on 07.02.2013.

Business Process Re-engineering (Project NAVNIRMAAN)

After almost four years of the BPR-led transformation, your Bank now stands tall in the Indian Banking space. First ever Annual Conference of Indian Public Sector Banks on Business Process Reengineering (BPR) was hosted by Bank of Baroda in Mumbai on 14 July, 2012, along with Union Bank of India under the aegis of the Ministry of Finance, Government of India.



Annual Conference of Indian Public Sector Banks on Business Process Reengineering (BPR) in Mumbai on 14 July, 2012

Key areas of the “NAVNIRMAAN” Transformation

- Your Bank has created the “Baroda-Next” line of branches with a modular design, clear front/back office separation, comfortable customer waiting area, suitable frontline automation and dedicated sales & service teams at all metro and urban centres.
- It has carried out the upgradation of Back Offices through:
 - Process Redesign
 - Workflow-based Systems replacing Manual process and use of machines.
 - Enlargement (to make room for new work-step migration)
- Your Bank has aggressively rolled out the Baroda-Next Branches and Back Offices across the country.
- Your Bank has created a Sustainability enabler e.g. Documentation, Technology enablement, Performance Management and Training and Re-training.



BPR Workshop

- Your Bank has rolled out the Sales processes at branch and enterprise-wide Sales Accountability Model (Baroda-Next Sales Operating Model).
- Your Bank undertakes periodic customer and Employee Satisfaction Surveys for impact evaluation.

The BPR performance of your Bank has created a positive impact both in terms of business growth and customer/employee satisfaction through the following.

- **Baroda-Next Branch-** Around 1,382 metro/urban branches have been rolled out as Baroda Next branches in your Bank so far.
- **Branch Front-end Automation-** The Queue Management System (QMS) & Cheque Deposit Machine (CDS) machines are installed in 93 and 40 branches, respectively.
- **City Back Office (CBO)** - Clearing operations have been centralized for all branches (linked to CBO). Three CBOs at Mumbai, Ahmadabad and Surat have been automated.
- **Regional Back Office (RBO)** - Altogether 2,925 and 3,900 branches are linked for CASA opening and PCB (Personalized Cheque Book) issuance, respectively.
- **Credit centralization Pilot (RLF/ SMELF)** – The Retail and SME credit centralization pilot is under progress at the Loan Factories in Baroda.
- **Rollout Sales Operating Model at each Baroda Next branch-** The Sales Operating Model at 32 Regions covering 739 Baroda-Next branches has been rolled out.
- **Mid-corporate vertical-** Separate Mid-corporate vertical has been created and 15 Mid-corporate branches have been opened at important locations.
- **Academy of Excellence-** Continuous sensitization, training and capability building at all levels remain an integral part of the Baroda Next rollout programme. It involves a Zonal /Regional Kick-off, Branch Meeting; Boot camp, Branch-based Training, External Sales Trainings and Conclaves.
- **Sustainability of Navnirmaan Initiatives/Impact-** A certification procedure for Baroda Next branches has been introduced in terms of which process compliance/adherence are being evaluated by your Bank's Internal inspectors and CSAT/ESAT are being evaluated externally by the Market Research Agencies.

Marketing

During FY13, your Bank continued to promote its brand and various products and services through advertising, customer engagement programs and in-branch display. In the process, your Bank endeavoured to use different media vehicles such as Print, Electronic and OOH apart from supporting the on-ground activities undertaken by branches in the Zones/Regions. The highlights of various marketing/communication activities undertaken during FY13 are given below.

Your Bank initiated a unique Brand Engagement Program titled ‘Bank of Baroda Canvass Competition’ on 14th November 2012 - Children's Day, to create a platform for building a long-term relationship with a younger audience as well as their influencers i.e. parents/teachers. The Competition was designed to invite entries from school children across the country on a pre-determined topic and winning entries were selected on National/Zonal/Regional levels by a select panel of judges. Your Bank's mascot i.e. ‘Stickman’ was also leveraged extensively during the Competition to help establish a brand-association with the Target audience. A judicious mix of Print

& Radio Media was used in the Campaign to maximise the number of entries in the Competition. Around cities, where our Regional Offices are present, were primarily targeted. A total of 1.98 Lakh students representing over 3,000 schools from across the country participated in the Competition, during a short span of 45 days, giving your Bank an opportunity to engage with them in the near future.



Your Bank undertook various Product Promotion Campaigns to promote its products and services amongst target audience through advertising across different geographies. The focus was on providing information on various products and services, particularly Savings Deposits, Current Deposits, NRI Deposits, Home Loan, Car Loan, SME Loans and Alternate Delivery Channels through judicious use of various media vehicles. Information relating to expansion of branch network, both domestic and overseas, was also given due publicity largely through print medium which helped in enhancing your Bank's brand image & visibility.

Your Bank also took the initiative of educating its customers through publication of special literature on Alternate Delivery Channels and products & services relating to SME segment. It also participated in various events such as Pravasi Bhartiya Diwas 2013, FICCI – IBA Banking Conference, Dun & Bradstreet – Exporter's Excellence Awards, MINT Annual Banking Conclave, CII's Manufacturing Summit and Standard Chartered Mumbai Marathon 2013, among many others to interact with customers and also for creating brand association with them.

During FY13, as part of its Public Relations task, your Bank had wide Media Coverage of its activities across the country which helped in maintaining the Bank's Brand image.

Your Bank also won several awards from reputed Media Houses and other Organizations during the Year on various business parameters, a list of which is appended below.



All India Marketing Officers' Conclave conducted at Staff College, Ahmedabad August 2012

Awards and Industry Recognition for Bank of Baroda

Your Bank received several awards during FY13, for its consistent outstanding and all-round performance (both business and financial), superior management, dedication to excellence and contribution to rural economy and financial inclusion.

Given below are a few select awards won by Bank during the year FY13

- Bloomberg UTV Financial Leadership Award –Best PSU Bank – 07.04.012, Mumbai
- Best CIO Award of BFSI sector from Institute of Public Enterprises, 2012 – June, Hyderabad
- Reserve Bank Rajbhasha Shield – 29.06.2012, Mumbai
 - a) First Prize in Region A
 - b) Second Prize in Region B
 - c) Consolation Prize in bilingual house journal – Bob Maitri



'Reserve Bank Rajbhasha Shield' from RBI.

- The Sunday Standard FINWIZ 2012 Awards – 20.08.2012, New Delhi
- Best Indian Bank – Large (Runner Up)
- Best Public Sector Banker – Large (Runner Up)
- Dun & Bradstreet – Polaris Financial Technology Banking Awards – 24.08.2012, Mumbai
 - a) Best Public Sector Bank under the category Global Business Development
 - b) Overall Best Public Sector Bank
- Banking Technology Award-2011 by IBA – 27.08.2012, Mumbai
 - a) Use of Technology in Training & e-learning – Winner
 - b) Best Customer Relationship initiatives – 1st Runner up
 - c) Best use of Business Intelligence – 1st Runner up
 - d) Best use of mobility tech in Banking – 2nd Runner up
 - e) Best Risk management & Security initiatives – 2nd Runner up
- Silver Trophy for effective implementation of Automated storage Management & Oracle RAC from SKOCH Digital Inclusion Award- 2012, 04.09.2012, New Delhi

- Business India Best Bank Award 2012 – 14.09.2012, Mumbai
- Indira Gandhi Rajbhasha Shield Competition, New Delhi
 - a) First Prize – 14.09.2012
 - b) Second Prize for Akshayyam in Hindi House – Journal Competition
- (Association of Business Communicators of India) ABCI Awards 2012, 19.10.2012
 - a) Special Column (English) - Bobmaitri, Silver Trophy
 - b) Special Column (Language) – Akshayyam, Silver Trophy
 - c) Corporate Web-site – Bank of Baroda website, Silver Trophy
- Forbes India Leadership Award – Best CEO Public Sector, 28.09.2012, Mumbai to Shri M D Mallya



CMD of Bank of Baroda awarded with Forbes India Leadership Award – 'Best CEO Public Sector', at Mumbai

- CNBC TV18 – 'India Best Banks and Financial Institutions Award 2012' – Best Public Sector Bank, 17.10.2012, Mumbai presented to Shri M D Mallya
- Best Large Bank 2012 – Business World November 26th 2012 Issue
- Best Large Bank 2012 – Business Today – KPMG – December 2012
- Best Public Sector Bank Award by State Forum of Bankers Club, Kerala, December 2012, at Ernakulam



Bank of Baroda, conferred with 'Best Public Sector Bank Award' by State Forum of Bankers Clubs, at Ernakulam.

- Business Standard Banker of the Year (2011-12) was conferred on Shri. M D Mallya, Former CMD of Bank of Baroda in January 2013. Conferred on 23.03.2013.
- My FM Stars of the Industry Award for Excellence in Banking (PSU) – Silver awarded by Radio FM on 14.02.2013 in Mumbai
- My FM Stars of the Industry Award for Excellence in Home Loan Banking – Bronze awarded by Radio FM on 14.02.2013 in Mumbai
- FE Best Banks Award 2011-12 for 'Best PSU Bank' awarded by Financial Express Group on 20.02.2013 in Mumbai



Bank of Baroda conferred with Best PSU Bank Award for the year 2011-12 by Financial Express- received by Shri S. S. Mundra (CMD)

- "Strategic Communication and Leadership Award" by Asian Confederation of Business and World CSR Congress at Corporate Affairs Award Ceremony, Mumbai on 18/02/2013
- The Most Efficient Public Sector Bank by Dalal Street Investment Journal on 23/03/2013.
- National Award for 2011-12, conferred for excellence in the field of Khadi & village Industries by Khadi & Village Industries Commission on 3rd April, 2013

Premises Re-Engineering and Ambience Enhancement

Given below are the major achievements of your Bank in the area of "Premises re-engineering and ambience enhancement" during the year FY13.

- Your Banks' administrative office cum residential complex at Jamshedpur was completed. It was equipped with ultra modern gadgets and systems with energy efficient equipments, rain water harvesting system and eco- friendly materials. Your Bank's presence by this building in the Steel City is admired by one and all. Now, it has become landmark building of Jamshedpur city.
- As per the directives from Ministry of Finance, your Bank linked its Corporate Office and all Zonal and Regional Offices through State-of-the Art Video Conferencing systems with MPLS Connectivity. Interaction of functional heads through VC has expedited the decision making process in a more efficient and cost effective manner.
- Your Bank is also marching towards technology based initiatives in the form of e-tendering, e-procurement, etc., and implemented these initiatives in a phased manner during FY13.

- All payments to vendors are being made through RTGS/ NEFT or credit to beneficiary account.
- In tune with your Bank's policy to have its administrative offices in owned premises, your Bank purchased land at Bangalore (Karnataka), Hyderabad (AP), Faizabad (UP) Indore (MP), Udaipur, Haldwani (Uttarakhand), Dehradun (Uttarakhand), Jaipur (Rajasthan) and New Raipur (Chhatisgarh) for construction of commercial buildings.



Inauguration of new Branch in Naharpur, DMR-I

- Looking to the ever increasing rentals, a need is being felt to use every nook and corner of the available premises. Layouts were revisited while renovation and furnishing of branches/offices was done by introducing eco-friendly and ergonomically designed sleek furniture items. The area norms for acquisition of the premises were also reviewed and implemented.
- To have uniformity in systems and procedures pan-India, Premises Policy Guidelines, Constructions Manual, Refurbishment Manual were formulated and agencies for modular and chairs were also identified for quick procurement of the furniture items and to have similar and identical design to get aesthetically pleasant look.

Projects implemented during FY13

- Your Bank constructed a commercial complex at Mylapore, Chennai having Zonal Office, Branch & Currency Chest.



New Premises at Mylapore, Chennai

- A residential complex at Cenotaph Road, Chennai was constructed wherein there were three 3-BHK flats, twelve 2-BHK and one General Guest house, and state of the art VIP guest house.



New Premises at Cenotaph Road, Chennai

- Your Bank constructed a residential complex at East of Kailash, New Delhi wherein there are 14 executive flats (four 3BHK flats, ten 2BHK flats) and one top executives/ guest house.



New residential premises at East of Kailash, New Delhi.

- The construction of commercial cum residential complex at (Tata Nagar) Jamshedpur was wherein there are 23 2-BHK flats.



New administrative cum residential building at Jamshedpur



Projects under implementation

- The construction of residential complex at Janakpuri, New Delhi of your Bank is in the advanced stage of completion.
- The construction of office building cum currency chest at Varanasi is also nearing the completion.
- The construction of Multi storey integrated office building at Jaipur is in the advanced stage of completion.
- The construction of BSVS at Ajmer, Banswada, Dungarpur, Pratapgarh are also under implementation.
- The construction of administrative and residential buildings at New Raipur is under implementation.
- The construction of residential cum commercial complex at Indore (MP) is under implementation.

Future Plans for Estate Management

- To facelift the Bank's Building at Parliament Street, New Delhi
- To redevelop the Ram Nagar Premises at Coimbatore, to have optimum utilisation of available space for Branch/officers' flats.
- To construct an own building for Disaster Recovery Site at Hyderabad.
- To renovate the Bank of Baroda Institute of Information Technology at Gandhinagar (Gujarat)
- To undertake the redevelopment of Bhandup Staff Quarters building, Mumbai, thereby to construct about 138 residential flats for transferee Officers/ Executives.
- To undertake the redevelopment of Jogeshwari Staff Quarters, Mumbai, to construct a building for residential and commercial use.
- To construct a training centre at Bangalore.
- To construct an Administrative Regional Office Building at Faizabad.
- To construct the BSVS at various centres across India as per the directives from the Government of India.

Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of "Subsidiaries, Joint Venture & Associates" of Bank of Baroda was satisfactory during FY13.

The BOBCARDS Limited turned around during FY11 and made profit during FY12 and FY13. The Company has focused on all qualitative aspects of business development, which has resulted in better profitability, quality card base and ME base. The Company has introduced a range of Platinum Cards with premium features like added privileges & offers. The Company has drawn up aggressive plans for enlargement of Card & Merchant Base.

The BOB Capital Markets Ltd. has been activated by recruiting a professional team. The focus is on investment advisory services, Debt & Equity Syndication and Capital market activities. The Company commenced institutional broking business and has also launched an Online Institutional Trading Platform from October 2009. The Company commercially launched an On-Line Retail Trading platform on July 20, 2012.

The Nainital Bank Ltd. was promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Vallabh Pant and others and became Associate Bank of Bank of Baroda in the year 1973. Today, the shareholding of Bank of Baroda in Nainital Bank Ltd. is 98.57% and is a subsidiary of the Bank. The State of Uttarakhand, vide its communiqué dated August 3, 2012, has notified that The Nainital Bank Limited be treated at par with other PSU Banks. The Bank has initiated branch expansion initiatives and has already established a Regional Office at Dehradun and has aggressive plans to ramp up its scale of operations. The Bank has launched e-stamping facility in 15 branches and has initiated several new IT initiatives such as Mobile banking & e-banking, etc.

Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. is a joint venture with Pioneer Global Asset Management SpA and is in its fifth year of operation. During the year under review, the Company was able to strengthen its AUM significantly which rose by 75.0% on year on year basis as of Mar'13 and was able to add one lakh folios despite weak sentiments prevailing in Debt & Equity markets. The key to this growth was strong focus on the institutional segment which helped the Company grow its debts & money market products coupled with focus on Systematic Investment Plans for retail investors. Several new NFOs were launched during the year and two new channels were added to take care of the third party products. The Company has increased the number of investor servicing points from 77 to 203 during the year under review.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd. is a joint venture company with Andhra Bank and Legal & General Group, U.K. It commenced its business operations on 16th November 2009 and has received an overwhelming response for its products across the country. The Company has outperformed the industry by having maximum year on year growth of 34.0%. The Company was the 22nd entrant in the Life Insurance space & has become the 8th largest player among private players within a span of less than four years. The IndiaFirst has launched MagicBoard, a one- of- its kind portable sales process tool. The Company has won Model Insurer Award (Asia) for the 3rd successive year.

India Infradebt Ltd. is a joint venture company with ICICI Bank Ltd., ICICI Home Finance Company Ltd., Citicorp Finance (India) Ltd. and Life Insurance Corporation of India. The Company was incorporated on Oct 31, 2012 in Mumbai and has been issued registration certificate No. N-13.022039 dated 08.02.2013 by the RBI to operate as an infrastructure



Debt Fund – Non Banking Financial Company (IDF-NBFC). The Company's principal activity is to refinance part of the debt liabilities of the project companies.

(₹ lakh)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd., 11 Mar, 1996	India	13,591.17	15,018.28	596.79	1	30
BOBCARDS Ltd., 29 Sept, 1994	India	14,546.46	16,019.04	1,922.74	33	102
Baroda Pioneer Asset Mgmt Co. Ltd., 5 Nov, 1992	India	1,749.46	2,525.75	-1,871.98	1	88
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., 19 June, 2008	India	37,586.92	4,19,621.90	-3,958.40	35	1,476
Nainital Bank Ltd., 31 July, 1922	India	40,065.36	4,31,808.79	5,106.10	107	830
India Infradebt Ltd. 31.10.2012	India	30,801.66	30,813.10	801.66	1	1

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the period under review, your Bank made significant progress with regard to implementation of Official Language policy and ensured compliance of various statutory requirements of Official Language Act/Official Language Rules. Your Bank could achieve all major targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme and fulfilled the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language.

In recognition of your Bank's outstanding performance, the Bank was awarded 1st prize in Indira Gandhi Rajbhasha Shield by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India. Your Bank's in-House Hindi Magazine-Akshayam was also awarded Second prize at the hands of Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India for the year FY12.



Releasing of a Hindi book "Financial Inclusions and Indian Languages" and a CD containing the Hindi version of the eight volumes of Book of Instructions.

During the year FY13, your Bank's In-House Magazine 'BOBMAITRI' and Hindi magazine 'AKSHYAAM' got 3rd prize in the RBI Rajbhasha shield Competition. The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur and Baroda under your Bank's convenorship were awarded

1st prize for their outstanding performance by the Department of Official Language, Government of India. Your Bank's Zonal Office at Pune, Regional office at Jodhpur and Zonal office at Ahmedabad too got 1st, 2nd and 3rd prizes, respectively. Your Bank's in-House Hindi Magazine 'Akshayam' was awarded with 'Gold Prize under Indian Language Publication category by the 'ABCI' and 'Apni Baat' with silver prize under special column (Language) category.

In addition to the above two magazines, a publication of your Bank's Hindi web Magazine Baroda Hindi.com has been popularising the use of Hindi language through technology. The Hindi magazines are regularly published by different Town Official Language Implementation Committees functioning under your Banks' convenorship.

The Town Official Language Implementation Committees functioning under the convenorship of your Bank discharged their responsibilities excellently. During the year, three newly constituted Town Official Language Implementation Committees started functioning at Jalandhar, Varanasi and Haldwani under your Bank's Convenorship and now your Bank is the Convenor of nine Town Official Language Implementation Committees.

The Third Sub-Committee of Parliament on Official Language visited your Bank's branches at Jaisalmer, Vikas Nagar and Rudraprayag and appreciated the efforts put in by the Bank in the area of Official Language Implementation.

Your Bank was able to come out with a Programme to generate and print pass books and account statements in Hindi at the branches situated in linguistic regions A and B, through Finacle System on the CBS platform.

During the year under review, your Bank started printing the ATM slips in Hindi for the convenience of customers and introduced a display of ATM screen in Gujarati and Marathi languages in addition to Hindi and English. During the year, 'Pragati online package' was also developed for consolidation of quarterly progress report regarding the use of Hindi and online submission of Hindi reports.

During FY13, Hindi version of your Bank's Book of Instructions was uploaded on the Bank's Intranet. During the year FY13, your Bank published two books in Hindi namely "Financial Inclusion & Indian Languages" and "Samvaad" for prorogating the use of Hindi in the Indian banking industry.

Board of Directors

Shri S. S. Mundra appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 21.01.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 31.07.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri P. Srinivas appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sudhir Kumar Jain appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Ranjan Dhawan appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.11.2012 by The Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri N. S. Srinath, a Whole Time Director (designated as Executive Director) ceased to be a Director with effect from 01.06.2012 on completion of his term.

Dr. (Smt.) Masarrat Shahid, a part time non- official Director ceased to be a Director with effect from 29.10.2012 on completion of her term.

Shri Rajiv Kumar Bakshi, a Whole Time Director (designated as Executive Director), ceased to be a Director with effect from 01.11.2012 on completion of his term.

Shri M. D. Mallya, Chairman and Managing Director, ceased to be a Director with effect from 01.12.2012 on completion of his term.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of financial year and of the profit of your Bank for the year ended on March 31, 2013;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of your Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of your Bank's staff at different levels, which enabled your Bank to record high quality, consistent growth year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,



S. S. Mundra

Chairman and Managing Director



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2012-13 Report on Corporate Governance 2012-13

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub-Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में सदस्यता के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
1	श्री एस.एस. मूंदड़ा Shri S. S. Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) Chairman and Managing Director (Executive)	510	9	2	2	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.01. 2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. वे 31.07.2014 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) बॉब काइर्स लिमिटेड (अध्यक्ष) वे भारतीय निर्यात आयात बैंक के निदेशक मण्डल की लेखा समिति तथा प्रबंध समिति के भी सदस्य हैं.

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2013 is as under:



क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
							Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 21.01.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 31.07.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of : (i) Export Import Bank of India (ii) BOBCARDS Ltd – (Chairman) He is also a member of the Management Committee and Audit Committee of the Board of Export Import Bank of India
2	श्री पि. श्रीनिवास Shri P. Srinivas	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	10	3	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06. 2012 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2016 तक अर्थात अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) बैंक ऑफ बड़ौदा गुयाना आईएनसी (अध्यक्ष) (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड (अध्यक्ष) (iii) इंडिया फर्स्ट लाईफ इंश्योरेंस कं. लि. Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of : (i) Bank of Baroda Guyana Inc – (Chairman) (ii) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. – (Chairman) (iii) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd
3	श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	10	3	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06. 2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. (अध्यक्ष) (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड (अध्यक्ष) (iii) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (एन पी सीआई) Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of : (i) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. – (Chairman) (ii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd - (Chairman) (iii) National Payments Corporation of India Ltd (NPCI)



क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub-Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
4	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	शून्य NIL	10	1	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.11. 2012 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2015 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं- (i) बाँब कैपिटल मार्केट लिमिटेड (अध्यक्ष) Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.11.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also a Director on the Board of : (i) BOB Capital Markets Ltd - (Chairman)
5	श्री आलोक निगम, आईएएस Shri Alok Nigam, IAS	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि Director (Non- Executive) Representing Central Government	शून्य NIL	8	1	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.12. 2009 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं - (i) वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सीईआरएसएआई) के तहत सेंट्रल रजिस्ट्री Nominated as a Director w.e.f. 09.12.2009 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders. He is also a Director on the Board of : (i) Central Registry under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (CERSAI)
6	श्री सुदर्शन सेन Shri Sudarshan Sen	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत Director (Non Executive) Recommended by RBI	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.05. 2011 की प्रभावी तारीख से नामित. वे आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.



क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub -Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
7	श्री विनिल कुमार सक्सेना Shri Vinil Kumar Saxena	निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen	620	1	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ई) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.07. 2011 की प्रभावी तारीख से वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. वे तीन वर्ष की अवधि के लिए या बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्कमैन कर्मचारी रहने आगामी आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f.25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.
8	श्री वी.बी. चव्हाण Shri V. B. Chavan	निदेशक (गैर कार्यपालक) अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Officer Employees	490	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा 11.03. 2011 की प्रभावी तारीख से नामित. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी रहने अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 11.03.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.
9	श्री अजय माथुर Shri Ajay Mathur	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	200	7	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत भारत सरकार द्वारा 05.05. 2010 से तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a part time non- official Director w.e.f. 05.05.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
10	श्री सत्य देव त्रिपाठी Shri Satya Dev Tripathi	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	4	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) तथा (3-ए) के तहत भारत सरकार द्वारा 31.08.2010 से तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a part time non- official Director w.e.f. 31.08.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (h) & (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.



क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
11	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव Shri Maulin Arvind Vaishnav	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	125	2	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12. 2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12. 2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित, निर्वाचित होने से पहले 24.12. 2008 से 23.12.2011 तक वे बैंक के शेयर धारक निदेशक भी थे. Re-Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. Prior to his re-election, he was also a shareholder director of the Bank from 24.12.2008 to 23.12.2011.
12	श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी Shri Surendra Singh Bhandari	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	200	4	3	8	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं: (i) वैभव ग्लोबल लि. (ii) एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड (iii) एशियन होटल्स (ईस्ट) लिमिटेड वे वैभव ग्लोबल लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, क्षतिपूर्ति समिति और शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति के भी सदस्य हैं. वे एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं. वे एशियन होटल्स (ईस्ट) लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं. Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. He is also a Director on the Board of (i) Vaibhav Global Ltd. (ii) Asian Hotels (West) Ltd. (iii) Asian Hotels (East) Ltd. He is also member of Audit Committee, Remuneration Committee, Compensation Committee and Shareholders/ Investor Grievances Committee of Vaibhav Global Ltd. He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of Asian Hotels (West) Ltd. He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of Asian Hotels (East) Ltd.



क्रम सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2013 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.3.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of member- ship in Sub- Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2013 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2013)
13	श्री राजीब सेखर साहू Shri Rajib Sekhar Sahoo	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	200	6	3	6	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत 23.12. 2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा 24.12. 2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित. वे निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी निदेशक हैं: (i) एनटीपीसी लि. (ii) टिहरी हाईड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लि. (iii) हिन्दुस्तान जिंक लि. वे एनटीपीसी लि. की लेखा परीक्षा समिति, कोयला आयात नीति की समीक्षा समिति, प्रबन्धन नियंत्रण समिति तथा विदेशी विनिमय जोखिम प्रबन्धन समिति के भी सदस्य हैं. वे टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं. Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. He is also a Director on the Board of (i) NTPC Ltd. (ii) Tehri Hydro. Development Corporation India Ltd. (THDC) (iii) Hindustan Zinc Ltd. He is also member of Audit Committee, Review of Coal import policy committee, Committee on Management Controls and Foreign Exchange Risk Management Committee of NTPC Ltd. He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of THDC India Ltd.

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

श्री एस.एस.मुंदड़ा : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.01.2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त. वे 31.07.2014 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.

श्री पि.श्रीनिवास : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2016 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.

श्री सुधीर कुमार जैन : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.

श्री रंजन धवन : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.11.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2015 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.

श्री एन.एस.श्रीनाथ, पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित), 01.06.2012 से कार्यकाल समाप्त होने के कारण निदेशक के रूप में नहीं रहे.

डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद, अंशकालिक अशासकीय निदेशक, 29.10.2012 से कार्यकाल समाप्त होने के कारण निदेशक के रूप में नहीं रहें.

श्री राजीव कुमार बक्षी, पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित), 01.11.2012 से कार्यकाल समाप्त होने के कारण निदेशक के रूप में नहीं रहे.

श्री एम.डी.मल्ल्या, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, 01.12.2012 से कार्यकाल समाप्त होने के कारण निदेशक के रूप में नहीं रहे.

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मण्डल की -17- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है.

13.04.2012	03.05.2012	04.05.2012	15.05.2012	30.05.2012
28.06.2012	20.07.2012	30.07.2012	30.08.2012	28.09.2012
21.10.2012	22.10.2012	29.11.2012	24.12.2012	03.02.2013
04.02.2013	02.03.2013			

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

Shri S. S. Mundra appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 21.01.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 31.07.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri P. Srinivas appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sudhir Kumar Jain appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Ranjan Dhawan appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.11.2012 by The Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri N. S. Srinath, a Whole Time Director (designated as Executive Director) ceased to be a Director with effect from 01.06.2012 on completion of his term.

Dr. (Smt.) Masarrat Shahid, a part time non- official Director ceased to be a Director with effect from 29.10.2012 on completion of her term.

Shri Rajiv Kumar Bakshi, a Whole Time Director (designated as Executive Director), ceased to be a Director with effect from 01.11.2012 on completion of his term.

Shri M. D. Mallya, Chairman and Managing Director, ceased to be a Director with effect from 01.12.2012 on completion of his term.

2.3 Board Meetings

During the Financial Year 2012-13, total - 17 - Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

निदेशक मंडल की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under :

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी.मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2012 to 30.11.2012	13	13
श्री एस.एस.मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	21.01.2013 to 31.03.2013	3	3
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	12	12
श्री एन.एस.श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2012 to 31.05.2012	5	4
श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	12	12
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	12	10
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	5	5
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	01.04.2012 to 31.03.2013	17	8
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	01.04.2012 to 31.03.2013	17	14
श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	01.04.2012 to 31.03.2013	17	17
श्री वी.बी.चव्हाण	Shri V. B. Chavan	01.04.2012 to 31.03.2013	17	17
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2012 to 31.03.2013	17	16
डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2012 to 28.10.2012	12	12
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.04.2012 to 31.03.2013	17	17
श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2012 to 31.03.2013	17	16
श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी	Shri Surendra S. Bhandari	01.04.2012 to 31.03.2013	17	16
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	01.04.2012 to 31.03.2013	17	17

2.4 आचार संहिता

निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक को अर्थात् कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन के पुष्टि कर दी है।

3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वड़ोदरा में गुरुवार, 28 जून, 2012 को हुई थी, जिसमें निम्न लिखित निदेशक उपस्थित थे।

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code.

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Thursday, 28th June, 2012 at Vadodara, where the following Directors were present.

1. श्री एम.डी.मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	Chairman and Managing Director
2. श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक	Executive Director
3. श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	कार्यपालक निदेशक	Executive Director
4. श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	निदेशक	Director
5. श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	निदेशक	Director
6. श्री वी.बी.चव्हाण	Shri V B Chavan	निदेशक	Director
7. श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी)	Director (Chairman – ACB)
8. डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	निदेशक	Director
9. श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	निदेशक	Director
10. श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	निदेशक - शेयर धारकों के प्रतिनिधि	Director - Representing Shareholders
11. श्री एस.एस. भण्डारी	Shri S. S. Bhandari	निदेशक - शेयर धारकों के प्रतिनिधि	Director - Representing Shareholders
12. श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	निदेशक - शेयर धारकों के प्रतिनिधि	Director - Representing Shareholders

4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
- निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति (सीएसीबी)
- शेयर/ बांड अंतरण समिति
- बोर्ड की आस्ति देयता प्रबन्धन तथा जोखिम प्रबन्धन उपसमिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
- निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति सम्बन्धी समिति
- निदेशक मण्डल की मानव संसाधन सम्बन्धी संचालन सम्बन्धी समिति
- वसूली निगरानी समिति
- शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रतिभागियों को समर्थन देने संबंधी समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खण्ड 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक (गण) और धारा 9(3) (सी) एवं 9(3) (जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है।

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (i) श्री एस.एस.मूंदड़ा | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| (ii) श्री पि.श्रीनिवास | - कार्यपालक निदेशक |
| (iii) श्री सुधीर कुमार जैन | - कार्यपालक निदेशक |
| (iv) श्री रंजन धवन | - कार्यपालक निदेशक |
| (v) श्री सुदर्शन सेन | - निदेशक |
| (vi) श्री अजय माथुर | - निदेशक |
| (vii) श्री विनिल कुमार सक्सेना | - निदेशक |
| (viii) श्री सत्य देव त्रिपाठी | - निदेशक |
| (ix) श्री राजीव सेखर साहू | - निदेशक |

4. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under :

- Management Committee of the Board (MCB)
- Credit Approval Committee of the Board (CACB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share / Bond Transfer Committee
- Sub Committee of the Board on ALM & Risk Management
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on High Value Frauds
- IT Strategy Committee of the Board
- Steering Committee of the Board on HR
- Committee for Monitoring of Recovery
- Committee to Support Candidates for Election of Shareholder Directors

4.1 Management Committee of the Board (MCB)

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (i) Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Sudhir Kumar Jain | - Executive Director |
| (iv) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (v) Shri Sudarshan Sen | - Director |
| (vi) Shri Ajay Mathur | - Director |
| (vii) Shri Vinil Kumar Saxena | - Director |
| (viii) Shri Satya Dev Tripathi | - Director |
| (ix) Shri Rajib Sekhar Sahoo | - Director |

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमबीबी) की निम्नांकित तारीखों को 29 बैठकें आयोजित हुई-

During the Financial Year 2012-13, the Management Committee of the Board (MCB) met on - 29 - occasions on the following dates :

13.04.2012	03.05.2012	15.05.2012	30.05.2012	19.06.2012	28.06.2012
20.07.2012	29.07.2012	10.08.2012	30.08.2012	13.09.2012	28.09.2012
11.10.2012	21.10.2012	06.11.2012	15.11.2012	29.11.2012	09.12.2012
18.12.2012	24.12.2012	28.12.2012	08.01.2013	19.01.2013	03.02.2013
09.02.2013	18.02.2013	02.03.2013	11.03.2013	20.03.2013	

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under :

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2012 to 30.11.2012	17	17
श्री एस.एस. मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	21.01.2013 to 31.03.2013	6	6
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	14	14
श्री एन.एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2012 to 31.05.2012	4	3
श्री पि. श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	25	23
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	25	19
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	15	14
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	01.04.2012 to 31.03.2013	29	25
श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	01.04.2012 to 30.04.2012	1	1
श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	01.12.2012 to 31.03.2013	12	11
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2012 to 31.03.2013	29	26
डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2012 to 31.05.2012	4	4
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	01.04.2012 to 31.07.2012	8	7
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	01.02.2013 to 31.03.2013	6	6
श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी	Shri Surendra S. Bhandari	01.05.2012 to 31.10.2012	13	12
श्री वी.बी. चव्हाण	Shri V. B. Chavan	01.06.2012 to 30.11.2012	13	13
श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.08.2012 to 31.01.2013	15	14
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.11.2012 to 31.03.2013	15	15

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (सीएसीबी)

भारत सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी 2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का गठन किया है। यह समिति रु. 400 करोड़ तक की राशि के ऋण अनुमोदन के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकारों से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों, जिन पर अब तक बोर्ड की प्रबन्धन समिति द्वारा विचार किया जाता है, के सम्बन्ध में अब बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2013 को इस समिति की संरचना इस प्रकार है:-

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| (i) श्री एस.एस. मूंदड़ा | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| (ii) श्री पि. श्रीनिवास | - कार्यपालक निदेशक |
| (iii) श्री सुधीर कुमार जैन | - कार्यपालक निदेशक |
| (iv) श्री रंजन धवन | - कार्यपालक निदेशक |

4.2 Credit Approval Committee of The Board (CACB)

In terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board (CACB) on 27th February, 2012. The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto Rs. 400 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Chairman and Managing Director and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB. The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under :

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (i) Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) Shri Sudhir Kumar Jain | - Executive Director |
| (iv) Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |



- (v) श्री वी.के.गुप्ता - महाप्रबन्धक (कार्पो.खाते, काराधान एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)
- (vi) श्री राजेश महाजन - महाप्रबन्धक (जोखिम प्रबन्धन)
- (vii) महाप्रबन्धक गण - ऋण / ट्रेजरी कार्यों से सम्बद्ध

- (v) Shri V. K. Gupta - GM(Corp.A/cs,Taxation & CFO)
- (vi) Shri Rajesh Mahajan - GM (Risk Management)
- (vii) General Managers - Dealing with respective credit / treasury functions

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों पर -33- बैठकें हुईं:

During the Financial Year 2012-13, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met - 33 - times on the following dates :

10.04.2012	18.04.2012	28.04.2012	15.05.2012	28.05.2012	08.06.2012
16.06.2012	26.06.2012	05.07.2012	16.07.2012	19.07.2012	28.07.2012
10.08.2012	22.08.2012	30.08.2012	06.09.2012	13.09.2012	20.09.2012
28.09.2012	11.10.2012	19.10.2012	25.10.2012	29.10.2012	09.11.2012
23.11.2012	29.11.2012	31.01.2013	18.02.2013	28.02.2013	12.03.2013
19.03.2013	26.03.2013	30.03.2013			

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार है:

The details of attendance of the Directors/Executives at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under :

नाम	Name	निदेशक / कार्यपालक Director / Executive	बैठकों की संख्या Number of Meetings	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	Chairman & MD	26	26
श्री एस.एस. मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	Chairman & MD	7	7
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Executive Director	23	23
श्री एन.एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	Executive Director	5	3
श्री पि. श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	Executive Director	26	20
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	Executive Director	26	23
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director	10	8
श्री वी.के. गुप्ता	Shri V. K. Gupta	Executive	31	22
श्री राजेश महाजन	Shri Rajesh Mahajan	Executive	32	27
श्री एन.रमणी	Shri N. Ramani	Executive	3	3
श्री जे.रमेश	Shri J. Ramesh	Executive	19	18
श्री वी.एच.थत्ते	Shri V. H. Thatte	Executive	27	25
श्री आर.एस.सेतिया	Shri R. S. Setia	Executive	12	10
श्री अरुण तिवारी	Shri Arun Tiwari	Executive	4	4
श्री आर.के.बंसल	Shri R. K. Bansal	Executive	14	13
श्री सिरिल पात्रो	Shri Cyril Patro	Executive	12	8
श्री एल.बी.शर्मा	Shri L. B. Sarma	Executive	7	7
श्री बी. श्रीनिवासन	Shri B. Srinivasan	Executive	3	3
श्री मोहर सिंह	Shri Mohar Singh	Executive	7	6
श्री आर.एस.अभ्यंकर	Shri R. S. Abhyankar	Executive	1	1
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	Executive	16	15
श्री आर.के.शर्मा	Shri R. K. Sharma	Executive	14	14
श्री एन.एन.भालेराव	Shri N. N. Bhalerao	Executive	3	3
श्री एस.के.पुजारी	Shri S. K. Poojary	Executive	1	1

4.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 7 निदेशक हैं। एक गैर कार्यपालक निदेशक, जोकि सनदी लेखाकार है, समिति के अध्यक्ष हैं।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री अजय माथुर	समिति के अध्यक्ष
(ii) श्री पि. श्रीनिवास	सदस्य
(iii) श्री सुधीर कुमार जैन	सदस्य
(iv) श्री रंजन धवन	सदस्य
(iv) श्री आलोक निगम	सदस्य
(v) श्री सुदर्शन सेन	सदस्य
(vi) श्री राजीव सेखर साहू	सदस्य

16.11.2012 से श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव एसीबी के सदस्य नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2013-13 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की -11- बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं:

25.04.2012	03.05.2012	15.05.2012	19.07.2012	29.07.2012	07.09.2012
21.10.2012	29.11.2012	24.12.2012	03.02.2013	01.03.2013	

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2012 to 31.03.2013	11	11
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	7	7
श्री एन.एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2012 to 31.05.2012	3	3
श्री पि. श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	8	8
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	8	7
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	4	4
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	01.04.2012 to 31.03.2013	11	3
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	01.04.2012 to 31.03.2013	11	10
श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2012 to 15.11.2012	7	7
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	16.11.2012 to 31.03.2013	4	4

लेखा परीक्षा समिति का अन्य बातों के साथ साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा और प्रबन्धन को तत्सम्बन्धी संस्तुति करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जिसमें संगठन, परिचालन तथा आंतरिक लेखा

4.3 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Seven Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under :

(i) Shri Ajay Mathur	- Chairman of the Committee
(ii) Shri P. Srinivas	- Member
(iii) Shri Sudhir Kumar Jain	- Member
(iv) Shri Ranjan Dhawan	- Member
(v) Shri Alok Nigam	- Member
(vi) Shri Sudarsan Sen	- Member
(vii) Shri Rajib Sekhar Sahoo	- Member

Shri Maulin Arvind Vaishnav ceased to be a member of ACB w.e.f. 16.11.2012.

During the Financial Year 2012-13, the Audit Committee of the Board (ACB) met on - 11 - occasions on the dates given below :

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under :

The main functions of Audit Committee, inter-alia, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit,

परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण कमियाँ और बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबन्धन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करती है।

4.4 शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक /निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- (i) कार्यपालक निदेशक गण एवं
- (ii) तीन अन्य गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

31 मार्च, 2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i) श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी	समिति के अध्यक्ष
(ii) श्री पि.श्रीनिवास	सदस्य
(iii) श्री सुधीर कुमार जैन	सदस्य
(iv) श्री रंजन धवन	सदस्य
(v) श्री सत्य देव त्रिपाठी	सदस्य
(vi) श्री राजीव सेखर साहू	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

03.05.2012	20.07.2012	06.11.2012	19.01.2013	
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:		The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under :		
निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी समिति के अध्यक्ष	Shri Surendra Singh Bhandari Chairman of the Committee	01.04.2012 to 31.03.2013	4	3
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	2	2
श्री एन.एस.श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2012 to 31.05.2012	1	1
श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	3	3
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	3	2
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	2	1
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
श्री राजीव सेखर साह	Shri Rajib Sekhar Sahoo	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.4 Shareholders' / Investors' Grievances Committee

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any

The Committee includes following members :

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Three Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

(i) Shri Surendra Singh Bhandari	Chairman of the Committee
(ii) Shri P. Srinivas	Member
(iii) Shri Sudhir Kumar Jain	Member
(iv) Shri Ranjan Dhawan	Member
(v) Shri Satya Dev Tripathi	Member
(vi) Shri Rajib Sekhar Sahoo	Member

The Committee met - 4 - times during the Financial Year 2012-13 on the following dates.



समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:

01.04.2012 को बकाया Pending as on 01.04.2012	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2013 को बकाया Pending as on 31.03.2013
32	34683	34696	19

वर्ष के दौरान बकाया सभी आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से सम्बन्धित अनुरोध पत्र थे तथा इसके संबंध में औपचारिकताएं प्रक्रिया अधीन हैं / कार्यवाही की जा रही है.

श्री विनय ए. शाह, उप महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबन्ध के खण्ड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

4.5 शेयर /बांड अंतरण समिति

शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण से सम्बन्धित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक गण, -2- महाप्रबन्धक तथा उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक (विधि) इसके सदस्य हैं. 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों / बाण्डों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की -55- बैठकें हुई जिनका विवरण निम्नानुसार है:

03.04.2012	10.04.2012	12.04.2012	23.04.2012	03.05.2012	09.05.2012
14.05.2012	22.05.2012	30.05.2012	05.06.2012	09.06.2012	15.06.2012
23.06.2012	03.07.2012	11.07.2012	16.07.2012	23.07.2012	25.07.2012
31.07.2012	09.08.2012	10.08.2012	16.08.2012	03.09.2012	06.09.2012
14.09.2012	20.09.2012	26.09.2012	04.10.2012	10.10.2012	18.10.2012
25.10.2012	31.10.2012	08.11.2012	16.11.2012	22.11.2012	27.11.2012
05.12.2012	13.12.2012	20.12.2012	27.12.2012	02.01.2013	09.01.2013
17.01.2013	24.01.2013	30-01-2013	31.01.2013	06.02.2013	14.02.2013
21.02.2013	26.02.2013	06.03.2013	14.03.2013	16.03.2013	19.03.2013
28.03.2013					

4.6 आस्ति देयता प्रबन्धन एवं जोखिम प्रबन्धन पर निदेशक मण्डल की उपसमिति

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन किया है जो आस्ति देयता प्रबन्धन एवं जोखिम प्रबन्धन पर निदेशक मंडल की उपसमिति के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित सम्पूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है.

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

All the pending cases as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect of which the necessary formalities were in process.

Shri Vinay A. Shah, Deputy General Manager & Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.5 Share/Bond Transfer Committee

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy/Assistant General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met on -55- occasions during the Financial Year 2012-13, on the following dates:

4.6 Sub Committee of the Board on ALM & Risk Management:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं तथा 31 मार्च 2013 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i)	श्री एस.एस.मूंदड़ा	अध्यक्ष
(ii)	श्री पि.श्रीनिवास	सदस्य
(iii)	श्री सुधीर कुमार जैन	सदस्य
(iv)	श्री रंजन धवन	सदस्य
(v)	श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

28.06.2012	30.08.2012	24.12.2012	02.03.2013
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2012 to 30.11.2012	2	2
श्री एस.एस.मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	21.01.2013 to 31.03.2013	1	1
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	2	2
श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	4	4
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	4	3
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	2	2
श्री सुरेन्द्र एस. भण्डारी	Shri Surendra S. Bhandari	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबन्धन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबन्धन ढाँचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक की सुरक्षा पर ध्यान देना है।

4.7 ग्राहक सेवा समितियाँ

(क) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो "ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च 2013 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

(i)	श्री एस.एस.मूंदड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री पि.श्रीनिवास	कार्यपालक निदेशक
(iii)	श्री सुधीर कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक
(iv)	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक
(v)	श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	निदेशक
(v)	श्री सत्य देव त्रिपाठी	निदेशक

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31st March, 2013 is as under :

(i)	Shri S. S. Mundra	Chairman
(ii)	Shri P. Srinivas	Member
(iii)	Shri Sudhir Kumar Jain	Member
(iv)	Shri Ranjan Dhawan	Member
(v)	Shri Surendra S. Bhandari	Member

The Committee met - 4 - times during the Financial Year on the following dates:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under :

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank.

4.7 Customer Service Committees

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March 2013:-

(i)	Shri S. S. Mundra	Chairman & Managing Director
(ii)	Shri P. Srinivas	Executive Director
(iii)	Shri Sudhir Kumar Jain	Executive Director
(iv)	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director
(v)	Shri Maulin Arvind Vaishnav	Director
(v)	Shri Satya Dev Tripathi	Director

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- (i) सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- (ii) अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- (iii) मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following :

- i. Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

During the Financial Year 2012-13, the Committee met - 4 - times on the following dates :

28.06.2012	30.08.2012	29.11.2012	09.02.2013
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of the Directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2012 to 30.11.2012	3	3
श्री एस.एस. मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	21.01.2013 to 31.03.2013	1	1
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2012 to 31.10.2012	2	2
श्री पि. श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	18.06.2012 to 31.03.2013	4	4
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	18.06.2012 to 31.03.2013	4	1
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	01.11.2012 to 31.03.2013	2	2
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2012 to 28.10.2012	2	2
श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2012 to 31.03.2013	4	4
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	29.11.2012 to 31.03.2013	2	2

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के तीनों कार्यपालक निदेशक, -4- महाप्रबन्धक तथा -3- अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं.

इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को

(b) Standing Committee on Customer Service

Besides, the Sub-Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members alongwith three the Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically,



युक्तिसंगत बनाने (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु किया गया है।

4.8 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बैंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय / अवार्ड की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

समिति की 31 मार्च, 2013 को संरचना इस प्रकार है-

- (i) श्री आलोक निगम
- (ii) श्री सुदर्शन सेन
- (iii) श्री अजय माथुर
- (iv) श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई अर्थात् 04.05.2012 तथा 30.05.2012. जिसमें 04.05.2012 की बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे. दिनांक 30.05.2012 की बैठक के दिन श्री सुदर्शन सेन स्वीकृत अवकाश के कारण अनुपस्थित थे. अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पूर्णकालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय लिया।

(iii) enhance the timelines and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

4.8 Remuneration Committee

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/ paid during the year.

The composition of the Committee as on 31 st March 2013 is as under

- (i) Shri Alok Nigam
- (ii) Shri Sudarshan Sen
- (iii) Shri Ajay Mathur
- (iv) Shri Surendra Singh Bhandari

During the Financial Year 2012-13, the Committee met two times i.e. on 04.05.2012 and 30.05.2012. On 04.05.2012 all members were present. Shri Sudarshan Sen was granted Leave of Absence for the meeting dated 30.05.2012. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives to the following Whole-time Directors as per details given below :

क्र. सं Sr. No	नाम / Name	पद / Designation	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कार्यनिष्पादन संबंध, प्रोत्साहन (₹) Performance Linked Incentives for the Financial Year 2011-12 (₹)
1	श्री एम.डी.मल्ल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	8,00,000
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	6,50,000
3	श्री एन.एस.श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यपालक निदेशक Executive Director	6,50,000

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अंतरण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयन हेतु यथोचित फिट एण्ड प्रॉपर मानदंड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नामांकित समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशानिर्देशों की अनुपालना में एक नामांकन समिति का गठन किया गया है।

4.9 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/ non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.





समिति की 31 मार्च, 2013 को संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री आलोक निगम
- (ii) श्री सत्य देव त्रिपाठी

श्री अजय माथुर 01.02.2013 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 03.05.2012 को एक बैठक हुई. समिति ने 03.05.2012 को आयोजित बैठक में तत्कालीन शेयर धारक निदेशकों के "फिट एण्ड प्रॉपर" स्टेटस की संवीक्षा की. समिति ने उन सब को "फिट एण्ड प्रॉपर" पाया.

4.10 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन वरिष्ठ स्तर के पदव्रति सम्बन्धी कार्यों के उद्देश्य से किया गया है. यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है.

31 मार्च, 2013 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एस.एस.मूंदड़ा
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) श्री सुदर्शन सेन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित विवरण अनुसार - 5 - बैठकें हुई :

28.06.2012	27.07.2012	27.07.2012	06.11.2012	03.02.2013
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की 31 मार्च, 2013 को संरचना इस प्रकार है:

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

- (i) Shri Alok Nigam
- (ii) Shri Satya Dev Tripathi

Shri Ajay Mathur ceased to be member of this committee w.e.f. 01.02.2013.

During the Financial Year 2012-13, the Committee met once on 03.05.2012. The Committee at its meeting held on 03.05.2012 ascertained the 'Fit & Proper' status of Shareholder Directors. The Committee found all of them "Fit and Proper".

4.10 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

- (i) Shri S. S. Mundra
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Shri Sudarshan Sen

The Committee met - 5 - times during the Financial Year 2012-13 on the following dates :

The details of attendance of directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	4	4
श्री एस.एस.मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	1	1
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	5	3
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	5	5

4.11 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ रु. 1.00 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि (क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा

4.11 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no.RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of Rs.1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management



भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग (ग) सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्यवाही, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

निदेशक मंडल के -5- सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित के अलावा निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्यों का समावेश है.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- श्री एस.एस.मूंदड़ा
- श्री आलोक निगम
- श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव
- श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी
- श्री राजीब सेखर साहू

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of - 5 - members of the Board of Directors: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

- Shri S. S. Mundra
- Shri Alok Nigam
- Shri Maulin Arvind Vaishnav
- Shri Surendra Singh Bhandari
- Shri Rajib Sekhar Sahoo

The Committee met -4- times during the Financial Year 2012-13 as per the details below :

30.05.2012	28.09.2012	06.11.2012	09.02.2013
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी.मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	3	3
श्री एस.एस.मूंदड़ा	Shri S. S. Mundra	1	1
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	4	1
श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	4	4
श्री सुरेंद्र एस. भण्डारी	Shri Surendra S. Bhandari	4	3
श्री राजीब सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	4	4

4.12 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साइबर फॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न लिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री राजीब एस.साहू - समिति के अध्यक्ष
- श्री पि.श्रीनिवास - कार्यपालक निदेशक
- श्री सुधीर कुमार जैन - कार्यपालक निदेशक
- श्री रंजन धवन - कार्यपालक निदेशक
- श्री अजय माथुर - निदेशक
- श्री दीपक बी. फाटक - बाह्य सू. प्रौ. विशेषज्ञ
- श्री आर. कोटीश्वरन - महाप्रबंधक (सूत्रों एवं परियोजना) बैठक के संयोजक

4.12 IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee, comprising the following members :

i.	Shri Rajib S. Sahoo	Chairman of the Committee
ii.	Shri P. Srinivas	Executive Director
iii.	Shri Sudhir Kumar Jain	Executive Director
iv.	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director
v.	Shri Ajay Mathur	Director
vi.	Dr. Deepak B. Phatak	External IT Expert
vii.	Shri R. Koteeswaran	General Manager (IT & Projects) – Convenor of the meeting.



इस समिति के संख्यात्मक स्वरूप (कोरम) में -3- सदस्य, जिनमें -2- सदस्य निदेशक मण्डल (इनमें से एक कार्यपालक निदेशक होंगे) से तथा एक बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति अन्य बोर्ड समिति तथा वरिष्ठ प्रबन्धन के साथ कार्य करते हुए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति के कार्यों की संवीक्षा करेगी ताकि कॉर्पोरेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों में परस्पर तालमेल तथा तदनुसार संवीक्षा एवं सुधार किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:

30.05.2012	28.09.2012	08.01.2013	20.03.2013
निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:		The details of attendance of directors are as under:	
नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	4	4
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	2	2
श्री एन.एस.श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	1	1
श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	3	3
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	3	3
श्री रंजन धवन	Shri Ranjan Dhawan	2	2
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	4	4
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	4	4

4.13 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

खंडेलवाल समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के अनुरूप 21 अक्टूबर, 2011 को संप्रेषित सन्देश में जानकारी दी गई कि मानव संसाधन मामलों पर बोर्ड की एक संचालन समिति का गठन किया जाए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों के अलावा सरकार की ओर से निदेशक तथा दो प्रबुद्ध मानव संसाधन से जुड़े पेशेवर व्यक्ति शामिल होंगे। तदनुसार बैंक ने दिनांक 27 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में मानव संसाधन पर एक संचालन समिति का गठन किया है जो कि मानव संसाधन से जुड़े मसलों का समाधान करेगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1.	श्री एस.एस.मूंदड़ा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री पि.श्रीनिवास	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री सुधीर कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री रंजन धवन	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री आलोक निगम	सरकार द्वारा नामित निदेशक
6.	डॉ. दीपक फाटक	प्रोफेसर, आईआईटी, मुम्बई
7.	डॉ आशा भंडारकर	प्रोफेसर, एमडीआई, गुडगांव

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की एक बैठक 29 अगस्त, 2012 को आयोजित की गई जिसमें श्री आलोक निगम के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

4.14 वसूली की मॉनीटरिंग के लिए समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा उनके पत्र क्रमांक एफ.नं.7/112/2012-बीओए

The quorum of the Committee is -3- members comprising two members from Board of Directors (one of which should be Executive Director) and external IT expert. The Committee shall oversee the functions of IT Steering committee of the Bank, besides working in partnership with other Board Committee and Senior Management to provide input, review and amend the aligned corporate and IT strategies.

The Committee met - 4 - times during the Financial Year 2012-13 as per the details below :

4.13 Steering Committee of the Board on HR

As per the recommendations of the Khandelwal Committee, Ministry of Finance, Government of India, vide its communication dated 21st October, 2011, conveyed that a Steering Committee of the Board on HR issues to be constituted with Government Director and two outstanding HR professionals, apart from Chairman and Managing Director and Executive Directors. Accordingly, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, has constituted a Steering Committee of the Board on HR to deal with the matters related to Human Resources. The Committee comprises of the following members :

(i)	Shri S. S. Mundra	Chairman & Managing Director
(ii)	Shri P. Srinivas	Executive Director
(iii)	Shri Sudhir Kumar Jain	Executive Director
(iv)	Shri Ranjan Dhawan	Executive Director
(v)	Shri Alok Nigam	Government Nominee Director
(vi)	Dr. Deepak Phatak -	Professor, I I T, Mumbai
(vii)	Dr. Asha Bhandarkar	Professor, MDI, Gurgaon.

During the Financial Year 2012-13 the Committee met on 29th August, 2012 - All members except Shri Alok Nigam attended the meeting.

4.14 Committee For Monitoring of Recovery

In terms of the guidelines received from Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services, New Delhi, vide letter No. F.No.7/112/2012-BOA



दिनांक 21 नवम्बर, 2012 के अनुसार वसूली के लिए सुदृढ़ व्यवस्था रखने के क्रम में बोर्ड को एक समिति गठित करने की आवश्यकता है जिसमें अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक होंगे जो वसूली की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखेंगे।

बैंक ने 29 नवम्बर, 2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में वसूली की मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन किया।

31.03.2013 को उक्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- | | | |
|-------|----------------------|----------------------------------|
| (i) | श्री एस.एस.मूंदड़ा | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| (ii) | श्री पि.श्रीनिवास | - कार्यपालक निदेशक |
| (iii) | श्री सुधीर कुमार जैन | - कार्यपालक निदेशक |
| (iv) | श्री रंजन धवन | - कार्यपालक निदेशक |
| (v) | श्री आलोक निगम | - भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक |

नवगठित समिति की बैठक 19 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। श्री आलोक निगम के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

4.15 शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन संबंधी समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा पत्र क्रमांक एफ.नं. 16/112/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के अनुसार वित्तीय संस्थाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों जिनमें हमारा बैंक समान शेयर धारक है, में शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन के संबंध में निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की समिति का गठन किया गया:

1. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक
2. कार्यपालक निदेशक
3. श्री अजय माथुर
4. श्री राजीव सेखर साहू

बैंक ने 13.04.2012 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के शेयर धारकों निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशी के समर्थन के लिए समिति का गठन किया।

31.03.2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- | | | |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| (i) | श्री श्री एस.एस.मूंदड़ा | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक |
| (ii) | श्री पि.श्रीनिवास | - कार्यपालक निदेशक |
| (iii) | श्री सुधीर कुमार जैन | - कार्यपालक निदेशक |
| (iv) | श्री रंजन धवन | - कार्यपालक निदेशक |
| (v) | श्री अजय माथुर | - निदेशक |
| (vi) | श्री राजीव सेखर साहू | - निदेशक |

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान नवगठित समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -03- बैठकें आयोजित की गईं:

dated 21st November, 2012, in order to have a robust monitoring mechanism for recovery, the Board is required to constitute a Committee of the Board, consisting of Chairman and Managing Director, Executive Directors and Government Nominee Director, to monitor the progress in recovery on regular basis.

The Bank at its Board meeting held on 29th November, 2012, constituted Committee for Monitoring of Recovery. The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under :

- | | | |
|-------|------------------------|----------------------------------|
| (i) | Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) | Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) | Shri Sudhir Kumar Jain | - Executive Director |
| (iv) | Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (v) | Shri Alok Nigam | - GOI Nominee Director |

This newly formed Committee met on 19th March, 2013 - All members except Shri Alok Nigam attended the meeting.

4.15 COMMITTEE TO SUPPORT CANDIDATES FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In terms of the guidelines received from Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services, New Delhi, vide letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012, a committee of the Board, for supporting candidates for election of Share Holder Directors in Financial Institutions and Public sector Insurance Companies in which our Bank has equity shareholding, was constituted with the following members:

1. Chairman and Managing Director
2. Executive Directors
3. Shri Ajay Mathur
4. Shri Rajib Sekhar Sahoo

The Bank at its Board meeting held on 13.04.2012, constituted Committee to support candidates for election of shareholder directors in Financial Institutions and Public Sector Insurance Companies.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under :

- | | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|
| (i) | Shri S. S. Mundra | - Chairman and Managing Director |
| (ii) | Shri P. Srinivas | - Executive Director |
| (iii) | Shri Sudhir Kumar Jain | - Executive Director |
| (iv) | Shri Ranjan Dhawan | - Executive Director |
| (v) | Shri Ajay Mathur | - Director |
| (vi) | Shri Rajib Sekhar Sahoo | - Director |

This newly formed Committee met - 3 - times during the Financial Year 2012-13 as per the details below:

21.06.2012	20.07.2012	28.09.2012
------------	------------	------------

निदेशकों का उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

The details of attendance of directors are as under :

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	3	3
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	3	3
श्री पि.श्रीनिवास	Shri P. Srinivas	3	3
श्री सुधीर कुमार जैन	Shri Sudhir Kumar Jain	3	3
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	1	-
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	3	2
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	2	2

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन का भुगतान:

5. REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman and Managing Director and Executive Directors (Four whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary paid during the Financial Year 2012-13 :

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	Amount (₹)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	2445265
2	श्री एस.एस.मूंदड़ा Shri S. S. Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	349654
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	1752674
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यपालक निदेशक Executive Director	676419
5	श्री पि.श्रीनिवास Shri P. Srinivas	कार्यपालक निदेशक Executive Director	1200790
6	श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain	कार्यपालक निदेशक Executive Director	1222208
7	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	665588



(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान

B. Performance Linked Incentives paid during 2012-13:

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	Amount (₹)
1	श्री एम.डी. मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	8,00,000
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	6,50,000
3	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यपालक निदेशक Executive Director	6,50,000

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर कार्यपालक निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क विवरण निम्नानुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2012-13 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India & RBI) :

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (₹.) Amount Paid in ₹
1	श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	230000
2	श्री वी.बी. चव्हाण	Shri V. B. Chavan	235000
3	श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	390000
4	डॉ (श्रीमती) मसरत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	155000
5	श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	280000
6	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	305000
7	श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी	Shri Surendra Singh Bhandari	280000
8	श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	325000

6. सामान्य सभा की बैठकें

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

6. GENERAL BODY MEETINGS

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
14 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 14th Annual General Meeting	5 जुलाई, 2010 प्रातः 10.30 बजे 5th July, 2010 At 10.30 a.m.	प्रो. सी. सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, 390002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2010, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2009-10.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	29 मार्च, 2011 प्रातः 10.30 बजे 29th March, 2011 at 10.30 a.m.	प्रो. सी. सी. मेहता ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, 390002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara 390 002	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 2,72,79,579 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन लेना. To seek approval of the shareholders for issuing and allotting 2,72,79,579 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.



बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
15वीं वार्षिक सामान्य बैठक 15th Annual General Meeting	4 जुलाई, 2011 प्रातः 10.30 बजे 04th July, 2011 at 10.30 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1 एफ.पी. 549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2010-11.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	23 दिसंबर, 2011 प्रातः 10.00 बजे 23rd December, 2011 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1 एफ.पी. 549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020	सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को रु. 775 करोड़ के इक्विटी शेयर/ वारंट जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन लेना तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ग) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 की अनुपालना में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना. To seek approval of the shareholders for issuing and to allot equity shares/warrants, aggregating to Rs.775 crores to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and to elect THREE Shareholder Directors of the Bank amongst shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	27 मार्च, 2012 प्रातः 10.00 बजे 27th March, 2012 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1 एफ.पी. 549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020	सेबी पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को तथा / अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं / म्युचुअल फंडों के लिए 1,95,77,304 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 1,95,77,304 equity shares to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC)/ Mutual Funds on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.
16 वी वार्षिक सामान्य बैठक 16th Annual General Meeting	28 जून, 2012 प्रातः 10.30 बजे 28th June, 2012 at 10.30 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2012 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2011-12.



बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	11 मार्च, 2013 प्रातः 10.00 बजे 11th March, 2013 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020	सेबी पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 1,01,32,920 इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 1,01,32,920 equity shares to Government of India (GOI) on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

7. प्रकटीकरण

- (क) सम्बद्ध पार्टी संयवहारों का प्रकटीकरण खातों पर टिप्पणियाँ शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.
- (ख) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है.
- (ग) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2013 को निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है.

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबन्धित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

7. DISCLOSURES

- a) The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts.
- b) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- c) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter-se as on 31st March 2013.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कम्पनी के खर्च पर करेंगे. Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है. Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यपालक निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज सम्बन्धी कम्पनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी. Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं. तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति कार्यरत है. Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive for executive directors in terms of guidelines issued by the Central Government.
3	गत -6- माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजी जाये Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	30.09.2012 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत -6- माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है. इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं. The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2012 including summary of significant developments during last six months to each shareholder. Besides the financial results are posted on Bank's website.
4	कम्पनी को अनक्वालीफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Company may move towards regime of unqualified financial statements.	बैंक ने अनक्वालीफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाए हैं. The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
5	कंपनी निदेशक मण्डल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कम्पनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कम्पनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करें. Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की सम्पूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई आयडीआरबीटी, हैदराबाद तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि., मुंबई पर प्रशिक्षण हेतु नामित करता है. A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai, IDRB, Hyderabad and National Stock Exchange of India Ltd., Mumbai.
6	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना. The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित / नामित निदेशकों पर बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं. A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status.
7	कम्पनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा सन्देहास्पद धोखाधड़ी आदि के सन्दर्भ में प्रबन्धन की चिंताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (बिसल ब्लोअर) नीति बनाए. The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	बैंक जनहित प्रकटीकरण तथा सूचना प्रदाताओं के संरक्षण प्रस्ताव (पीआईडीपीआई) के तहत बिसल ब्लोअर शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है. इसके अतिरिक्त बैंक की अपनी कोई बिसल ब्लोअर नीति नहीं है. Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Apart from that Bank does not have any Whistle Blower Policy of its own.

9. संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है.

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहाँ बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है. बैंक छाहरी आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है.

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दिए गए प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहते हैं. एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट (सीधा प्रसारण और संगृहित) को देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है.

10. कार्पोरेट गवर्नंस के तहत पर्यावरण उपाय

(क) सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें.

(ख) वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बन्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें.

9. MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>. The web cast (live and archived) of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website.

10. GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE:

- the shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.
- the shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.



11. पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी

निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं:

11.1 पारदर्शिता अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से सम्बद्ध सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबन्धन को अवगत कराना।
- आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा किए गए आरटीआई अनुरोधों के सम्बन्ध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना।
- आरटीआई से सम्बद्ध सभी मामलों में जनता के लिए एक सम्पर्क बिन्दु बनाना।

बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है और यह जानकारी समय समय पर अद्यतन की जाती है।

11.2 अनुपालन संबंधी कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2007 से अनुपालन विभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग विभिन्न विधायी संस्थाओं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम आदि में उल्लिखित विविध सांविधिक प्रावधानों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है, साथ ही, समय समय पर जारी किए गए अन्य नियंत्रक दिशानिर्देशों, भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानकों एवं संहिताओं, भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेदाई), फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए), केवाईसी मानदंडों / दिशानिर्देशों का तथा प्रत्येक बैंक की आंतरिक नीतियों एवं उचित व्यवहार संहिता का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है। अनुपालन कानूनों, नियम एवं मानकों में सामान्यतया बाजार व्यवहारों के समुचित मानकों का अनुपालन, परस्पर मतभेदों को सुलझाते हुए हितों की सुरक्षा, ग्राहकों से समुचित व्यवहार करना एवं ग्राहक परामर्श की समुचितता सुनिश्चित करने जैसे मामलों का समावेश होता है।

12. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभाई टावर्स, 25वां तल,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,
मुंबई 400 001
बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
“एक्सचेंज प्लाजा”
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
एनएसई कोड : BANKBARODA

11. TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further following additional functions also enhance Bank's commitment to more & more disclosures and compliance under corporate Governance mechanism of our Bank.

11.1 Transparency Officer

As per the directions of Central Information Commissioner (CIC), Bank has appointed one of the Senior Officer as Transparency Officer since February 2011. The Transparency Officer is responsible for the following.

- To oversee the implementation of the Section 4 of Right To information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the CIC regarding the progress in implementation of RTI act.
- Help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI-request by Central Public Information Officers (CPIOs), deemed-CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI-related matters.

The bank has uploaded all the information as directed in the specified format on website and this information is updated from time to time.

11.2 Compliance Function

The compliance department is set up since 2007 as per RBI directions. The department is ensuring strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc. as well as to ensure observance of other regulatory guidelines issued from time to time; standards and codes prescribed by Banking Codes & Standards Board of India, IBA, Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI), Fixed Income Money Market Derivatives Association of India (FIMMDA), KYC Norms/ Guidelines and also each bank's internal policies and fair practices code. Compliance laws, rules and standards generally cover matters such as observing proper standards of market conduct, managing conflicts of interest, treating customers fairly, and ensuring the suitability of customer advice.

12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001
BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,
“Exchange Plaza”
Bandra Kurla Complex,
Bandra, (East),
Mumbai - 400 051
NSE CODE : BANKBARODA





एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

12.1. प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास अपने शेयर को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2013 को बैंक के पास इक्विटी शेयर निम्नानुसार प्रत्यक्ष एवं अभौतिक रूप में धारित हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	Nature of Holding	मामले / Cases	शेयर / Shares	प्रतिशत / Percentage
भौतिक	PHYSICAL	50212	17991040	4.27
एनएसडीएल (अभौतिकीकृत)	NSDL (Dematerialized)	94194	175985024	41.78
सीडीएसएल (अभौतिकीकृत)	CDSL (Dematerialized)	34196	227280239	53.95
कुल	Total:	178602	421256303	100.00

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब्त किए गए जिनमें से 31 मार्च, 2013 तक 4800 इक्विटी शेयर (एन्यूल्ड) अभिशून्य किए गए।

12.1: Dematerialization of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2013 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below.

The Bank had forfeited 27,38,300 equity share in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2013.

12.2: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश / ब्याज इत्यादि की राशियाँ सम्बन्धित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं। बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केन्द्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की हैं।

एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट मंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

12.2: National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/ interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS facility.

The NECS/ Direct Credit mandate form is appended with the Annual Report.

12.3: शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अंतरण सम्बन्धी समस्त कार्य उनकी प्रस्तुति की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत रूप से सम्पन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों और बॉण्डों के अंतरण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है। ये समितियाँ नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर / बॉण्ड अंतरण, लाभांश / ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर / बॉण्ड जारी करने सम्बन्धी अन्य गतिविधियों / कार्यों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं।

मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

12.3: Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of -15- days from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)



प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज अस्पताल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधपुर
हैदराबाद - 500 081
फोन: (040) 23420815 से 820, फैक्स: (040) 23420814
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कम्पनी सचिव हैं। जहाँ शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वडोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक, सेवा विभाग तृतीय तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5812 / 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई-मेल : investorservices@bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध होने के करार के खंड 47(एफ) के अनुसरण में निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है)	बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक ग्राहक सेवा आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वडोदरा 390 005 टेलीफोन : 0265 - 2361724 फैक्स नं. : 0265 - 2361824 ई-मेल: customerservice@bankofbaroda.com
---	---

13. कार्पोरेट गवर्नंस रेटिंग

बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है। आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई, 2004 में "सीजीआर 2" रेटिंग प्रदान की गई। बैंक को यही रेटिंग अर्थात् सीजीआर 2 रेटिंग पुनः क्रमशः फरवरी 2006, सितम्बर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011 तथा अप्रैल 2013 में भी प्रदान की गई। सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के उक्त रेटिंग स्केल में सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है। सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परम्पराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नंस का आश्वासन प्रदान करता है। यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबन्धन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबन्धन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबन्धन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनायी जाती है, को दर्शाती है।

14. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone: (040) 23420815 to 820, Fax: (040) 23420814
E Mail: einward.ris@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/ requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda Investors' Services Department 3rd Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 66985000, 6698 5812 / 5846 Fax : (022) 2652 6660 E - mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)	Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : 0265 - 2361724 Fax No. : 0265 - 2361824 E-mail: customerservice@bankofbaroda.com
--	--

13. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010, March 2011 and April 2013 respectively. On a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

14. FINANCIAL CALENDAR

Financial Year 1st April, 2012 to 31st March, 2013

खातों (एकल एवं समेकित) एवं लाभांश सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	13.05.2013	Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated) and recommendation of dividend.	13.05.2013
---	-------------------	--	-------------------



17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	26 जून, 2013 प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरग्रह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007 - 2008) टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020	Date, Time & Venue of the 17th AGM	26th June 2013 At 10.30 a.m. Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020
बहियाँ बन्द करने की तारीख	15 जून, 2013 से 26 जून, 2013	Book Closure dates	15th June 2013 to 26th June 2013
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 जून, 2013	Last Date for receipt of Proxy Forms	21st June 2013
लाभांश भुगतान की तारीख	08 जुलाई, 2013	Dividend Payment date	8th July 2013

15. 31 मार्च 2013 को शेयरधारिता पैटर्न

15. SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31st MARCH 2013

क्रम सं. Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार (प्रवर्तक)	Govt. of India (Promoters)	2	233412499	55.41
2	म्यूच्युअल फंड / यूटीआई	Mutual Funds / UTI	158	24192201	5.74
3	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	Financial Institutions / Banks	31	587343	0.14
4	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	51	50231026	11.92
5	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	438	70211403	16.67
6	निगमित निकाय	Bodies Corporate	1756	19575555	4.65
7	निवासी वैयक्तिक	Resident Individuals	172589	20263732	4.81
8	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	3326	1991881	0.47
9	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	22000	0.01
10	समाशोधन सदस्य	Clearing members	213	419367	0.10
11	न्यास	Trusts	35	349296	0.08
	कुल	Total	178602	421256303	100.00



16. 31 मार्च, 2013 को एस्करो/उचंत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति

16. Status of Shares Lying In Escrow/Suspense Account as on 31st March 2013

16.क. उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की स्थिति (प्रत्यक्ष शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस किए गए)

16.a. Status of Shares lying in Suspense A/c (Physical Shares - returned undelivered)

01.04.2012 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2012		वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2012-13		वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2012-13		31 मार्च, 2013 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2013	
मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	शेयर / Shares	
76	18300	2	2	600	74	17700	

16.(ख). एस्करो / उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की स्थिति (अभौतिकीकृत शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस हुए)

16.b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares - returned undelivered)

01.04.2012 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2012		वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2012-13		वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2012-13		31 मार्च, 2013 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2013	
मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	शेयर / Shares	
178	20830	6	6	892	172	19938	

17. 31 मार्च, 2013 को शेयर धारकों का आबंटन संबंधी श्रेणी-वार विवरण

17. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS - CATEGORY WISE AS ON 31ST MARCH, 2013

Distribution Schedule As On 31/03/2013 (Total)					
क्रम सं. Sr. No.	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का % % of Cases	राशि (₹) Amount ₹.	राशि का % % of Amount
1	1-5000	174485	97.69	172630430.00	4.10
2	5001- 10000	2227	1.25	17704040.00	0.42
3	10001- 20000	724	0.41	11055620.00	0.26
4	20001- 30000	232	0.13	5999840.00	0.14
5	30001- 40000	115	0.06	4107810.00	0.10
6	40001- 50000	88	0.05	4094410.00	0.10
7	50001- 100000	162	0.09	12288810.00	0.29
8	100001& Above	569	0.32	3984682070.00	94.59
Total		178602	100.00	4212563030.00	100.00

**18. 31 मार्च, 2013 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से आबंटन संबंधी
(राज्य-वार) विवरण**
**18. GEOGRAPHICAL (STATE WISE) DISTRIBUTION OF
SHAREHOLDERS AS AT 31ST MARCH, 2013**

क्रम सं. Sr. No.	राज्य	State	मामले Cases	शेयर Shares
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	6791	903137
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	13	1257
3	असम	ASSAM	532	58629
4	बिहार	BIHAR	2830	276801
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	485	63395
6	दिल्ली	DELHI	8110	224660759
7	गोवा	GOA	1480	222616
8	गुजरात	GUJARAT	42542	5199673
9	हरियाणा	HARYANA	2242	240696
10	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	252	24187
11	जम्मू एवं कश्मीर	JAMMU & KASHMIR	219	29307
12	कर्नाटक	KARNATAKA	8451	831006
13	केरल	KERALA	3452	429009
14	मध्यप्रदेश	MADHYA PRADESH	5079	653103
15	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	46903	169292414
16	मेघालय	MEGHALAYA	95	11807
17	नागालैंड	NAGALAND	100	22025
18	उड़ीसा	ORISSA	1178	104209
19	अन्य	OTHERS	3273	11574894
20	पंजाब	PUNJAB	1698	200486
21	राजस्थान	RAJASTHAN	10673	1218499
22	तमिलनाडू	TAMIL NADU	12245	2475386
23	त्रिपुरा	TRIPURA	110	15604
24	उत्तर प्रदेश	UTTAR PRADESH	12969	1514360
25	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	6880	1233044
	कुल	Total	178602	421256303



19. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

(क). स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2012 से 31.03.2013)

19. SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

19. a Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2012 to 31.03.2013)

माह	Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) BSE Ltd. (BSE)		
		उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल 2012	APR 2012	810.05	740.55	9568574	808.60	740.50	988629
मई 2012	MAY 2012	773.90	615.00	31506032	774.00	615.00	3038814
जून 2012	JUN 2012	734.80	642.55	15831389	735.00	640.25	1745016
जुलाई 2012	JUL 2012	738.00	635.80	13375240	738.00	635.10	1677436
अगस्त 2012	AUG 2012	670.00	610.00	12815346	669.50	610.15	1543192
सितंबर 2012	SEP 2012	802.40	605.55	18994142	802.50	606.25	1789041
अक्तूबर 2012	OCT 2012	809.40	710.00	15230357	809.40	710.55	1573188
नवंबर 2012	NOV 2012	785.00	715.80	9802814	785.90	716.25	1359213
दिसंबर 2012	DEC 2012	875.50	755.20	13577654	874.90	756.00	1471238
जनवरी 2013	JAN 2013	899.00	828.25	17133507	899.65	828.65	1884317
फरवरी 2013	FEB 2013	876.10	685.80	22286756	876.00	687.60	2957332
मार्च 2013	MAR 2013	745.95	648.00	15473746	745.50	648.00	1593436

19.ख अप्रैल, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक इंडेक्स डाटा (मासिक समापन मूल्य)

19.b Index Data from April 2012 to March 2013 (Monthly Closing Values)

तारीख	Date	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S&P CNX NIFTY	बैंक निफ्टी BANK NIFTY	बॉब एनएसई BOB NSE	बीएसई सेन्सेक्स BSE SENSEX	बैंकेक्स BANKEY	बॉब बीएसई BOB BSE
30-अप्रैल-12	30-Apr-12	5248.15	10276.80	769.90	17318.81	11828.63	766.95
31-मई-12	31-May-12	4924.25	9441.00	688.75	16218.53	10884.53	687.00
29-जून-12	29-Jun-12	5278.90	10340.65	732.90	17429.98	11908.71	732.50
31-जुलाई-12	31-Jul-12	5229.00	10384.10	656.10	17236.18	11910.46	656.05
31-अगस्त-12	31-Aug-12	5258.50	9990.50	631.85	17429.56	11515.94	632.25
28-सितंबर-12	28-Sep-12	5703.30	11456.80	797.80	18762.74	13138.71	798.55
31-अक्तूबर-12	31-Oct-12	5619.70	11268.80	725.65	18505.38	12947.29	725.10
30-नवंबर-12	30-Nov-12	5879.85	12158.90	762.60	19339.90	13951.88	763.05
31-दिसंबर-12	31-Dec-12	5905.10	12474.25	866.45	19426.71	14344.99	866.95
31-जनवरी-13	31-Jan-13	6034.75	12708.60	867.75	19894.98	14580.26	867.40
28-फरवरी-13	28-Feb-13	5693.05	11487.35	695.65	18861.54	13203.87	702.90
28-मार्च-13	28-Mar-13	5682.55	11361.85	675.40	18835.77	13033.35	677.80





20. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

20.1 श्री सुभाष शिवरतन मूंदड़ा

20. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2012 –13

20.1 Shri Subhash Sheoratan Mundra

नाम	श्री सुभाष शिवरतन मूंदड़ा	Name	Shri Subhash Sheoratan Mundra
पता	154, गोयल नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश)	Address	154, Goyal Nagar, Kanadia Road, Indore (Madhya Pradesh).
जन्मतिथि	18 जुलाई, 1954	Date of Birth	18th July, 1954
आयु	59 वर्ष	Age	59 Years
योग्यता	1. वाणिज्य में स्नातकोत्तर (PG) 2. सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनांस (सीएआईआईबी)	Qualifications	1) Post Graduate Degree In Commerce 2) Certified Associate of Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.01.2013 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त. वे 31.07.2014 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.	Nature of appointment as Director	Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 21.01.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 31.07.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की तथा उन्हें तीन दशकों से भी अधिक का बैंकिंग अनुभव है. 2010 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने बैंक के भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की जिम्मेदारी का बहुत लम्बे समय तक निर्वहन किया. उन्हें ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन तथा साख जैसे क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है. वे -3- वर्ष तक बैंक ऑफ बड़ौदा के यू.के. परिचालन के मुख्य कार्यपालक भी थे.	Experience	He started his career as a Probationary Officer in Bank of Baroda in 1977 and has over three decades of experience in Banking. He has held wide range of responsibilities in Domestic as well as International Operations of the Bank, in various capacities before his elevation as Executive Director of Union Bank of India in 2010. He brings with him diverse experience in Treasury, International Operations and Credit. He was also the Chief Executive of Bank of Baroda's UK Operations for a period of -3- years.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	(i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) बॉब कार्ड्स लिमिटेड (अध्यक्ष) वे भारतीय निर्यात आयात बैंक के निदेशक मंडल की लेखा समिति तथा प्रबन्धन समिति के भी सदस्य हैं. वे गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के भी सदस्य हैं.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	(i) Export Import Bank of India (ii) BOBCARDS Ltd – (Chairman) He is also a member of the Management Committee and Audit Committee of the Board of Export Import Bank of India He is member of the Governing Council of National Institute of Bank Management (NIBM)
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	510	No. of Shares of Bank of Baroda held	510



20.2 श्री पेटलुरी श्रीनिवास

20.2 Shri Petluri Srinivas

नाम	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	Name	Shri Petluri Srinivas
पता	बी-23, श्रीनिवासानगर कॉलोनी, गुंटूर - 522006	Address	B – 23, Srinivasanagar Colony, Guntur – 522 006.
जन्मतिथि	10 जून, 1956	Date of Birth	10th June, 1956
आयु	57 वर्ष	Age	57 Years
योग्यता	1. बी.ई. 2. मानव संसाधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा	Qualifications	1. B. E. 2. Post Graduate Diploma in Human Resources
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2016 अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, to hold office up to 30.06.2016 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	उन्होंने नवम्बर 1978 में आन्ध्रा बैंक में सेवा ग्रहण की किया. उन्होंने बैंकिंग के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के साथ-साथ रुशीकुल्या ग्राम्य बैंक के अध्यक्ष, आंचलिक प्रबन्धक वारंगल, नई दिल्ली तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, परिचालन, खाते, क्रेडिट कार्ड विभाग के प्रभारी महाप्रबन्धक के रूप में कार्य किया. उन्हें 33 वर्ष का विशद बैंकिंग अनुभव है. उन्होंने आन्ध्रा बैंक की सभी शाखाओं के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के माइग्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर तथा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मनीला में भी विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया.	Experience	He joined Andhra Bank in November, 1978. He has worked in various capacities as Chairman of Rushikulya Gramya Bank, Zonal Manager, Warangal, New Delhi and as General Manager in charge of Department of Information Technology, Operations, Accounts, Credit Card. He has rich experience of over 33 years in Banking. He was also instrumental in the migration of all the branches of Andhra Bank to Core Banking Solution (CBS). He has attended several Management Training Programmes at IIM Ahmedabad, IIM Bangalore and also at Asian Institute of Management, Manila.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	(i) बैंक ऑफ बड़ौदा गुयाना आईएससी - (अध्यक्ष) (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद व टोबेगो) लिमिटेड - (अध्यक्ष) (iii) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	(i) Bank of Baroda Guyana Inc – (Chairman) (ii) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. – (Chairman) (iii) IndiaFirst Life Insurance Co
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares of Bank of Baroda held	NIL

20.3 श्री सुधीर कुमार जैन
20.3 Shri Sudhir Kumar Jain

नाम	श्री सुधीर कुमार जैन	Name	Shri Sudhir Kumar Jain
पता	483, कोकिल कुंज, पाल बीछला, अजमेर (राजस्थान) पिन- 305001.	Address	483, Kokil Kunj, Pal Beechla, Ajmer (Rajasthan), Pin – 305 001.
जन्मतिथि	21 जुलाई, 1960	Date of Birth	21st July, 1960
आयु	53 वर्ष	Age	53 Years
योग्यता	1. बी.कॉम (ऑनर्स) 2. एफ.सी.ए.	Qualifications	1. B. Com. (Honours) 2. F. C. A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 18.06.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 18.06.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	उन्होंने जून 1987 में देना बैंक में क्रेडिट मैनेजर के रूप में बैंक सेवा ग्रहण की. उन्हें 25 वर्ष का बैंकिंग का विशाल अनुभव है. उन्होंने देना बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में, कोलकाता, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली में कार्य किया तथा वे महाप्रबन्धक के रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में ट्रेजरी परिचालन, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, लेखा विभाग (तुलन पत्र), रिटेल बैंकिंग तथा इन्वेस्टर रिलेशन विभागों के प्रमुख रहे.	Experience	He joined Dena Bank in June, 1987 as Credit Manager. He has vast experience of over 25 years in Banking. As Regional Manager in Dena Bank, he had worked at Kolkata, Ahmedabad and New Delhi and as General Manager, he headed Treasury Operations, International Division, Accounts Department (Balance Sheet), Retail Banking and Investor Relations Department of its Head Office, Mumbai.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड - (अध्यक्ष) (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड - (अध्यक्ष) (iii) नेशनल पेमेंट कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआई)	Directorship or Committee Positions held in other Companies	(i) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. – (Chairman) (ii) Bank of Baroda (Botswana) Ltd - (Chairman) (iii) National Payments Corporation of India Ltd (NPCI)
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares of Bank of Baroda held	N I L

20.4 श्री रंजन धवन

20.4 Shri Ranjan Dhawan

नाम	श्री रंजन धवन	Name	Shri Ranjan Dhawan
पता	533, सैक्टर 16-डी, चण्डीगढ़	Address	533, Sector 16-D, Chandigarh.
जन्मतिथि	09 सितम्बर, 1955	Date of Birth	9th September, 1955
आयु	58 वर्ष	Age	58 Years
योग्यता	1. बी.कॉम 2. एम.बी.ए. (फायनांस) 3. ए.सी.एम.ए. (यू.के.) 4. सी.आई.ए. (यू.एस.ए.)	Qualifications	1) B. Com. 2) M. B. A. (Finance) 3) A. C. M. A. (UK) 4) C. I. A. (USA)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.11.2012 से पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2015 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.11.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 30.09.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
अनुभव	वे पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक थे. इन्हें 30 वर्ष का बैंकिंग का व्यापक अनुभव है. उन्होंने कोर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट बैंकिंग, सन्युक्त उद्यम तथा अनुषंगियों के क्षेत्र में कार्य किया है. वे -4 वर्ष तक पंजाब नैशनल बैंक के आस्ति प्रबन्धन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक भी रहे. उन्होंने विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर कई परिचालन स्थितियों में नेतृत्व किया जिसने विविधतापूर्ण क्षेत्रों में इनके अनुभव को सुदृढ़ किया. विदेशों में तैनाती तथा नेतृत्व प्रशिक्षण के फलस्वरूप उनकी वाणिज्यिक बैंकिंग में विशेषज्ञता और अधिक प्रखरित हुई.	Experience	He was Chief General Manager of Punjab National Bank. He has rich experience of over 30 years in Banking. He had exposure in key areas such as Corporate Credit, International Banking, Credit Card, Merchant Banking, Joint Ventures and Subsidiaries. He was Managing Director of Punjab National Bank Assets Management Company Limited for -4- years. He also headed several operational positions in different geographical locations that reinforced his experience in diversified areas. His wide exposure of overseas postings and leadership trainings further consolidated his expertise in Commercial Banking.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड (अध्यक्ष)	Directorship or Committee Positions held in other Companies	BOB Capital Markets Ltd - (Chairman)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares of Bank of Baroda held	NIL



घोषणा-पत्र

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 (1) (डी) के अनुसरण में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा.

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्यपालकों ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 49 (1) (डी) के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आचार संहिता के अनुपालन के बारे में प्रतिबद्धता दोहराई है. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

एस.एस.मूंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2013

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March, 2013 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

S. S. Mundra
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai

Date : 13th May, 2013



कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र-2012-13 Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance-2012-13

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करने सम्बन्धी करार के खण्ड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के सन्दर्भ में बैंक द्वारा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी शर्तों का अनुपालन करना प्रबन्धन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस सम्बन्धी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबन्धन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To: The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2013, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(गारे सुब्बा राव)
भागीदार
एम. नं.: 019579

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Garre Subba Rao)
Partner
M No.019579

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(एस. के. मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 008506

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(S. K. Mittal)
Partner
M. No. 008506

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेटी)
भागीदार
एम. नं.: 046940

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No.046940

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M. No. 056060

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम. नं.: 073063

For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(R. K. Agarwal)
Partner
M No.073063

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 13th May, 2013



व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 2012-13 (लिस्टिंग करार के खण्ड 55 के तहत)

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2012-13 (Under Clause 55 of Listing Agreement)

खण्ड - क : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

Section A: General Information about the Bank

1	कम्पनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not Applicable
2	कम्पनी का नाम Name of the Company	बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
3	पंजीकृत पता Registered address	"बड़ौदा हाऊस", पी.बी.नं. - 506, मांडवी, बड़ौदा - 390006 "Baroda House", P.B. No. 506, Mandvi, Baroda - 390 006
4	वेबसाइट Website	www.bankofbaroda.com
5	ई-मेल आईडी E-mail id	ed.skj@bankofbaroda.com
6	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष Financial Year reported	2012-13
7	क्षेत्र जिनमें कम्पनी शामिल है (कूट अनुसार औद्योगिक गतिविधियाँ) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	"बैंकिंग एवं वित्त" "Banking & Finance"
8	तीन मुख्य उत्पादों / सेवाओं की सूची जो कम्पनी निर्मित करती है / उपलब्ध कराती है (तुलन पत्र के अनुसार) List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. होलसेल बैंकिंग 2. रिटेल बैंकिंग 3. ग्रामीण तथा कृषि बैंकिंग 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural & Agri. Banking
9	कुल स्थानों की संख्या जहाँ व्यावसायिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व कम्पनी के द्वारा लिया जाता है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	
	i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों (कार्यालयों) की संख्या @ (5 बड़े स्थानों का विवरण उपलब्ध कराएं) Number of International Locations (Offices) @ (Provide details of major 5)	100 (यूएई, यूके, यूएसए, ब्रुसेल्स (बेल्जियम), सिंगापुर) [UAE, UK, USA, Brussels (Belgium), Singapore]
	ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	4,276
10	बाजार, जहाँ कम्पनी सेवाएं प्रदान करती है- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय Markets served by the Company-Local/State/National/ International	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय National & International

@31 मार्च, 2013 को बैंक ऑफ बड़ौदा 24 देशों में, 60 शाखाओं, 39 अनुषंगियों तथा एक प्रतिनिधि कार्यालय सहित कुल 100 स्थानों पर परिचालन कर रहा है।

@ As on 31st March, 2013, Bank of Baroda has operations in 24 countries with the number of branches at 60, the number of branches of its subsidiaries at 39 and one representative office, taking the total tally to 100.



खण्ड - ख : बैंक का वित्तीय विवरण

Section B: Financial Details of the Bank

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय ₹. में) Paid up Capital (INR)	₹ 422.52 करोड़ crore	
2.	कुल टर्न ओवर (भारतीय रूपयों में) (कुल व्यवसाय: जमा राशियां + अग्रिम) Total Turnover (INR) [Total Business: Deposits + Advances]	₹ 8,02,069.10 करोड़ crore	
3.	कर के पश्चात कुल लाभ (भारतीय रूपयों में) Total profit after taxes (INR)	₹ 4,480.72 करोड़ crore	
4.	कर के पश्चात प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	0.16%	
5.	गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-		
क्र.सं. Sr. No.	गतिविधि Activity	अनुदत्त दान (संख्या) No. of Donations	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
1.	शिक्षा Education	4	24.00
2.	स्वास्थ्य Health	3	4.50
3.	महिला कल्याण Women Welfare	1	2.00
4.	सामाजिक कल्याण गतिविधियां Social Welfare Activities	5	669.24
	कुल TOTAL	13	699.74

स्वीकृत दान का खण्डवार वर्गीकरण:

Segment-wise classification of donations sanctioned :

1. शिक्षा

1. Education

क्र.सं. Sr. No.	दानग्राही का नाम Name of Donee	उद्देश्य Purpose	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
1	महाराष्ट्र गर्ल्स एज्युकेशन सोसायटी, हुजूरपागा, लक्ष्मी रोड, पुणे - 411030 Maharashtra Girls Education Society, Huzurpaga, Laxmi Road, Pune -411 030	उनके नए भवन के 5 वें तल पर भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में सुविधाएं उपलब्ध कराना Providing amenities in physics & Chemistry Lab on 5th Floor of their New Building.	15.00
2	राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि, जयपुर Rajasthan Rajya Gandhi Smarak Nidhi, Jaipur	महात्मा गांधी की शिक्षा / उपदेशों तथा सिद्धांतों का प्रचार प्रसार Promotion of the teachings and principles of Mahatma Gandhi.	3.00
3	अक्षरा फाउंडेशन Akshara Foundation	स्कूली शिक्षा तथा बेहतर पढ़ाई का प्रचार प्रसार Promoting school education and learning well.	3.00
4	रामानुजन सोसायटी ऑफ मैथेमेटिक्स Ramanujan Society of Mathematics	गणित के अध्ययन तथा सैद्धांतिक विज्ञान के अनुप्रयोग का प्रचार प्रसार Promoting the application of pure sciences and study of mathematics.	3.00
	कुल Total		24.00

2. स्वास्थ्य
2. Health

क्र.सं. Sr. No.	दानग्राही का नाम Name of Donee	उद्देश्य Purpose	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
1	अमृता स्कूल, 117 / के / 100, सर्वोदय नगर, Amrita School, 117/K/ 100, Sarvodaya Nagar,	दिनांक 22.04.2012 को कानपुर में स्वलीनता जागरूकता कार्यक्रम का प्रायोजन Sponsorship of Autism Awareness Programme at Kanpur on 22.04.2012.	0.50
2	श्री एन.ए.ईश्वरप्पा प्रतिष्ठान, हुलियार, टुमकुर, जिला - कर्नाटक Shri N.A.Easwarappa Pratisthan, Huliyaar, Tumkur Dist., Karnataka	मोबाईल डिस्पेंसरी (एम्बुलेंस) का रखरखाव करना Maintaining mobile dispensary (Ambulance).	1.00
3	नारायणा हृदयालय चेरीटेबल ट्रस्ट Narayana Hrudalaya Charitable Trust	नेत्र विज्ञान तथा ट्रौमा अस्पताल, बहुविशेषज्ञ अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी देखरेख का प्रचार प्रसार Promotion of health and medical care through multi-specialty hospital, ophthalmology and trauma hospital.	3.00
कुल Total			4.50

3. महिला कल्याण
3. Women Welfare

क्र.सं. Sr. No.	दानग्राही का नाम Name of Donee	उद्देश्य Purpose	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
1	बड़ौदा शक्ति Baroda Shakti	समाज के उन्नयन के उद्देश्य के विभिन्न प्रयासों हेतु उन्हें सहयोग प्रदान करना. To facilitate them to undertake different initiatives for upliftment of the Society.	2.00
Total			2.00

4. समाज कल्याण गतिविधियाँ
4. Social Welfare Activities

क्र.सं. Sr. No.	दानग्राही का नाम Name of Donee	उद्देश्य Purpose	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
1	अक्षय पात्र फाउंडेशन, एच.के.हिल्स, चोर्ड रोड, बँगलोर - 560010 Akshay Patra Foundation, H.K.Hills Chord Road, Bangalore - 560 010	स्वराज माजदा कोस्मो - भोजन वितरण वाहन की खरीद के लिए Purchase of Swaraj Mazda Cosmo – Food distribution vehicle.	14.00
2	बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान ट्रस्ट Baroda Swarajgar Vikas Sansthan Trust	i. बड़ौदा आर-सेटी की गतिविधियों के लिए ii. वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र की गतिविधियों के लिए i. For Baroda R-SETI Activities ii. FLCC Activities	642.82
3	वायु सेना स्टेशन, 25 स्क्वाड्रन, वायु सेना स्टेशन, हरणी, न्यू वीआईपी रोड, वडोदरा - 390022 Air Force Station 25 Squadron, Air Force Station, Harni, New VIP Road, Vadodara – 390 022	वायु सेना स्टेशन, वडोदरा में अधिकारी भोजनालय में पुनर्मिलन समारोह तथा "बड़ा खाना" जैसे समारोह आयोजित करने के लिए For conducting functions viz. "Barakhana" and reunion function at Officers Mess at Air Force Station, Vadodara	1.00
4	मुम्बई शहर सैनिक कल्याण कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुम्बई - 400001 Mumbai City Sainik Welfare Office, Old Custom House, Fort, Mumbai – 400 001	भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों, युद्ध में हुई विधवाओं के साथ साथ निशक्त जवानों के कल्याण तथा पुनर्वास तथा युद्ध में घायल हुए सैनिकों के उपचार / पुनर्वास के लिए For the rehabilitation of battle casualty, resettlement and welfare of ex-servicemen and their families, war widow as well as disabled Jawans.	1.00



क्र.सं. Sr. No.	दानग्राही का नाम Name of Donee	उद्देश्य Purpose	राशि (₹. लाख में) Amount (Rs lakh)
2	राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष, सैशल्स को एस आर 250000 का दान Donation of SR 250,000 to the National Disaster Relief Fund, Seychelles	भारी वर्षा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सैशल्स के राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष में सैशल्स कार्यक्षेत्र द्वारा संवितरित दान Donation disbursed by Seychelles Territory to the National Disaster Relief fund set up by President of Seychelles for rehabilitation of victims affected by torrential rains.	10.42
Total			669.24

खण्ड -ग: अन्य विवरण

Section C: Other Details

1	क्या कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी / कम्पनियाँ हैं? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	हाँ बैंक की तीन भारतीय तथा 9 विदेशी अनुषंगियाँ हैं. Yes (The Bank has three Domestic and nine Foreign Subsidiaries)
2	क्या अनुषंगी कम्पनी / कम्पनियाँ मूल कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कम्पनियों की संख्या बताएं. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).	हाँ, दो अनुषंगियाँ बॉब कार्ड्स लिमिटेड तथा बॉब केपिटल मार्केट लिमिटेड व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं. Yes, two subsidiaries viz. BOBCARDS Limited and BOB Capital Market Limited participate in the BR initiatives of the Bank.
3	क्या अन्य कोई संस्था / संस्थाएं (जैसे-आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व पहलों में सहभागिता करके व्यवसाय करती हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार की संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].	शून्य Nil

खण्ड - घ: व्यावसायिक दायित्वों सम्बन्धी सूचना

Section D: BR Information

1. व्यावसायिक दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण
क. व्यावसायिक दायित्वों नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के नाम:

1. **Details of Director/Directors responsible for BR**
a) **Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	ब्यौरा Details
1.	डीआईएन नं. DIN Number	05318751
2.	नाम Name	सुधीर कुमार जैन Sudhir Kumar Jain
3.	पदनाम Designation	कार्यपालक निदेशक Executive Director

ख. व्यावसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

b) Details of the BR head

Sr. No.	Particulars	Details
1.	डीआईएन नं. (यदि लागू है) DIN Number (if applicable)	02237356
2.	नाम Name	एस.के.दास S. K. Das
3.	पदनाम Designation	मुख्य महाप्रबन्धक Chief General Manager
4.	टेलीफोन नं. Telephone number	+91-22-66985753
5.	ई-मेल आईडी e-mail id	gm.hrm.bcc@bankofbaroda.com



2 सिद्धांतवार (एन वी जी के अनुसार) बी आर नीति / नीतियाँ (उत्तर हां/नहीं)
2. Principle - wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y/N)

क्र.सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी1 P1	पी2 P2	पी3 P3	पी4 P4	पी5 P5	पी6 P6	पी7 P7	पी8 P8	पी9 P9
1. \$\$	क्या आपके पास इसके लिए नीति / नीतियाँ हैं... Do you have a policy/policies for....	हां* Y*	हां^ Y^	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
2	क्या नीति का प्रतिपादन सम्बन्धित हितधारकों से परामर्श कर किया जाता है? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
3.**	क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में) (कृपया पृष्ठ के नीचे की टिप्पणी देखें) Does the policy conform to any national/international standards? If yes, specify? (50 words) (Pl. see the footnote)	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां, तो क्या उस पर प्रबन्ध निदेशक/मालिक/सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	नहीं N	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
5	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की विशिष्ट समिति है? Does the company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
6	ऑनलाइन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं? Indicate the link for the policy to be viewed online?	हां Y	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	हां#
7	क्या नीति के बारे में समस्त आंतरिक व बाह्य हितधारकों को सूचित किया जाता है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
8	क्या कम्पनी की नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
9	क्या कम्पनी की हितधारकों की नीति/नीतियों से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए नीति / नीतियों सम्बन्धी शिकायत निवारण मशीनरी / व्यवस्था है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y
10	क्या कम्पनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से नीति की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन / लेखा परीक्षण करवाया गया है? Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	नहीं N	हां Y	हां Y

\$\$ बहुत सी नीतियाँ औपचारिक रूप से बैंक के द्वारा तैयार की गई हैं जो बैंक को विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं. तथापि इसके अलावा, बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिनका परिचालन इकाइयाँ तथा विद्यमान औपचारिक नीतियों के साथ साथ अनुसरण करती हैं. इसी प्रकार बैंक, बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करते समय विनियामकों सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा तैयार नीतियों और अन्य कानूनों / सांविधिक अपेक्षाओं को कार्यान्वित करता है.

* सिद्धांत 1 के तहत, बैंक प्राथमिक रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता नियम पुस्तक में दिए गए सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है. (लिंक: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ बैंक की घरेलू ऋण नीति द्वारा नियंत्रित सिद्धांत 2 के तहत विभिन्न गतिविधियाँ जो केवल आंतरिक प्रयोग के लिए होती हैं, तथा, इसलिए इन्हें ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता.

** क्र.सं. - 3: बैंक द्वारा सभी नीतियों का अनुपालन विभिन्न शासकों, सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत का संविधान, कानूनी अधिनियमों आदि के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. अतः ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं. लिंक: www.bankofbaroda.com

\$\$ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions.

*Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Domestic Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

** S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they conform to national standards.

#Link: www.bankofbaroda.com

2 क यदि किसी सिद्धांत के आगे क्र.सं. -1 का उत्तर 'नहीं' में है तो उसका कारण बतायें (2 विकल्पों तक पर निशान लगायें).

2a. If answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

क्र.सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी1 P1	पी2 P2	पी3 P3	पी4 P4	पी5 P5	पी6 P6	पी7 P7	पी8 P8	पी9 P9
1.	कम्पनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई The company has not understood the Principles									
2.	कम्पनी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने आप को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन की स्थिति में पा सके. The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं हैं. The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	इसे अगले 6 महीने में सम्पन्न किए जाने की योजना है It is planned to be done within next 6 months									
5.	इसे अगले 1 वर्ष में सम्पन्न किए जाने की योजना है It is planned to be done within the next 1 year									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया विवरण दें) ✓ Any other reason (please specify)✓									

सिद्धांत 7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:

हालांकि सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, बैंक देश के बड़े बैंकों में से एक होने के नाते नीति निर्धारकों तथा विनियामकों के सार्वजनिक हित, विशेष रूप से संचालन एवं प्रशासन के क्षेत्र में आर्थिक सुधार, सम्मिलित विकास नीतियों इत्यादि की बेहतरी के लिए सहयोगी है.

Reason for not having policy for P7

While there is no written policy for Principle 7, the Bank being one of the largest banks in the country is associated with policymakers and regulators for the advancement of public good, especially in the areas of governance & administration, economic reforms, inclusive development policies, etc.

3. व्यावसायिक दायित्वों से सम्बन्धित संचालन

3. Governance related to BR

निदेशक मण्डल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्यानिष्ठादन का आकलन करने के लिए सम्बन्धित आवधिकता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.	वार्षिक Annually
क्या कम्पनी व्यावसायिक दायित्व या प्रतिधारण (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है? Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	वर्तमान में प्रकाशित नहीं होती तथापि वर्ष 2013-14 से www.bankofbaroda.com इसे पर देखा जा सकता है. Currently not published. But from the year 2013-14, it can be viewed at www.bankofbaroda.com

खण्ड ड. - सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन स्थिति
Section E: Principle-wise performance

सिद्धान्त 1 Principle 1	"कारोबारी संव्यवहार नीतिपरक पारदर्शी तथा उत्तरदायी होने चाहिए" "Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability"
१. क्या नैतिक मूल्य, रिश्तखोरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी नीति में केवल संस्था से जुड़े मामले ही शामिल हैं ? 1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company?	जी हां, इसमें केवल बैंक से जुड़े मामले ही शामिल होते हैं। बैंक की स्थापना 20 जुलाई, 1908 को कंपनी अधिनियम, 1897 के अधीन केवल ₹.10 लाख मात्र की प्रदत्त पूंजी से की गई थी जो कि अब सुदृढ़ एवं विश्वसनीय वित्तीय संस्था के रूप में रुपांतरित हो चुका है। यह एक सुगठित एवं सुसंगत वृद्धि है जिसमें कार्पोरेट विवेक एवं विद्वता, सामाजिक गरिमा, परोपकारी दृष्टिकोण अर्थात् दूसरों के विकास में ही अपना उत्थान जैसा दर्शन शामिल है। बैंक की स्थापना सुदृढ़ नैतिक मूल्यों पर हुई तथा इन्हीं मूल्यों को ईमानदार एवं विवेकपूर्ण नेतृत्व ने आगे बढ़ाया है। वित्तीय निष्ठा व्यापारिक विवेक, सजगता एवं सावधानी तथा मेहनती लोगों द्वारा मेहनत से की गई कमाई के प्रति पूर्ण कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्य बैंक के केंद्रीय दर्शन में शामिल हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा व्यवसायगत निर्णय लिए जाते हैं। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद है। बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मेन्युअल में उल्लिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। इस दिशा में अनुपालन किए जा रहे कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:- • संबंध प्राधिकारियों से परामर्श कर ऐसे अधिकारियों जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। • विभिन्न स्तरों पर स्टाफ की रोटेशन संबंधी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को मासिक रिपोर्टों के माध्यम से भेजी जाती है। • उच्च पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवेदन फार्म / प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। • वित्त मंत्रालय द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू एकरूप मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) को बैंक में लागू कर दिया गया है। निविदा प्रलेखों के मूल्यांकन के पश्चात विभिन्न बोलीदाताओं की स्थिति तथा एल-1 अर्थात् जिसे कार्य सौंपा गया है, उस एजेंसी का नाम कार्पोरेट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। • विभिन्न अंचलों /क्षेत्रों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षणों तथा निवारक सतर्कता लेखा परीक्षा के दौरान स्टाफ सदस्यों के खातों की यादृच्छिक (रैंडम) जांच पड़ताल की जाती है। • बैंक में सभी शाखाओं का आवधिक आधार पर नियमित/ आकस्मिक निरीक्षण/ कनकरेंट ऑडिट किए जाने की एक प्रणाली है। • धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ग के स्टाफ सदस्यों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से अंचल/ क्षेत्रीय कार्यालय/ कार्पोरेट कार्यालय के सतर्कता अधिकारियों द्वारा निवारक सतर्कता ऑडिट किया जाता है। • सूचित अनियमितताओं में स्टाफ सदस्यों की जिम्मेदारी की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से प्रत्येक अंचल कार्यालय में अंचल सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की दृष्टि से सभी अनियमितताओं की प्रथमदृष्टया जांच करती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल निवारक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाए, जो अन्यो के लिए एक दृष्टांत हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्टाफ/जनसामान्य/ ग्राहकों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर सेमिनार, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है।

Yes, it covers the Bank only.

The Bank was set up on 20th July 1908, under the Companies Act of 1897, with a small paid up capital of Rs 10 lakh that has now translated into a strong and trustworthy financial body. It has been a well-orchestrated growth, involving corporate wisdom, social pride and the vision of helping others grow, and growing itself in turn.

The Bank has been founded on strong ethical values taken forward by its honest and prudent leadership. The financial integrity, business prudence, caution and an abiding care and concern for the hard earned savings of hard working people, have been the central philosophy around which business decisions are effected in the Bank.

The Bank has effective mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds. The Bank follows the guidelines strictly as per the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. Some of the guidelines being followed are as under:

- Annual review of Assets & Liabilities Returns filed by the Bank's officers.
- An Agreed List of officers whose honesty or integrity is under doubt or suspicion is prepared annually in consultation with the relevant authorities.
- Information on rotation of staff at different levels in the Bank is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports.
- To maintain utmost transparency, all application forms/proformae are made available on the websites in downloadable forms.
- Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) as advised by MOF for uniform implementation in PSBs made active. Summary of contracts after evaluation of tender documents showing position of various bidders and name of the agency L1 to whom the work is awarded, is displayed on the corporate website.
- Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of regular inspection and during the Preventive Vigilance Audits conducted by the Vigilance Officers of various Zones/ Regions.
- The Bank has a system of conducting Regular/Surprise inspections/ Concurrent audit of all the branches periodically.
- In order to bring awareness in the rank and file to curb occurrence of frauds/ misappropriation, Preventive Vigilance Audits by the Vigilance Officers at Zonal Offices/ Regional Offices / Corporate Offices are conducted.
- With a view to examine staff accountability in irregularities reported, Zonal Vigilance Committees have been constituted at each Zonal Office. The Vigilance Committee examines all irregularities prima facie warranting disciplinary action.
- The Chief Vigilance Officer ensures that prompt punitive action is taken against the delinquent officials as a deterrent and demonstrative action.
- Vigilance Awareness Week is observed annually as per CVC guidelines. Seminars, competitions etc. are organized at all levels to disseminate awareness against corruption amongst staff/ public/ customers.

क्या इसे समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/ एनजीओ/ नहीं / NO
अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

Does it extend to the Group/Joint Ventures /
Suppliers /Contractors/NGOs/Others?

2. विगत वित्त वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ? यदि शिकायतें प्राप्त हुईं हों तो 50 शब्दों में इसका विवरण दें.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

विगत वित्त वर्ष (2012-13) के दौरान 14843 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें से 14692 (99%) का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया. बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी कार्यरत है. बैंक ग्राहक की संतुष्टि तथा उनकी आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति सजग एवं जागरूक है. बैंक इस धारणा के प्रति प्रतिबद्ध है कि तकनीक प्रक्रिया, उत्पाद और स्टाफ कौशल का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं/अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाए.

इसके अलावा, वर्ष (2012-13) के दौरान 94 सतर्कता संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुईं. इन शिकायतों की विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल/खानबीन की गई. जिन शिकायतों में लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण नहीं पाया गया, उन्हें बंद कर दिया गया तथा जिन मामलों में आरोप तय पाए गए/स्टाफ उत्तरदायी पाए गए उनमें समुचित कार्यवाही की गई.

During the past financial year (2012-13), 14,843 number of customer complaints were received out of which 14,692 (99%) were satisfactorily resolved. The Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, and a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers without fail.

Also, during the year (2012-13), 94 vigilance complaints were received. All these complaints were examined/investigated through various authorities. Complaints where no substance was found in the allegations were closed, and suitable action was taken in cases where accountability was observed and determined.

सिद्धान्त 2 Principle 2

“व्यवसाय के माध्यम से इस प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाएं जो सुरक्षित एवं जीवनयापन में सहयोगी एवं मददगार हों.”

“Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle”

1. अपने -3- ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिम तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरूपित किया गया है.
List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

i. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों तक पहुंच बनाने, उनमें बचत की आदत विकसित करने और बैंक ऋण के माध्यम से उनके लिए आय के साधन जुटाने का एक किरायायती जरिया है. बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए नियमों/मानदण्डों को सरल बनाया है. बैंक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है.

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं उनके वित्त पोषण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है. बैंक वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश के चुनिंदा पिछड़े जिलों में महिला लाभार्थियों के वित्तपोषण संबंधी योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत न्यूनतम ₹.50,000/- के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं. इस योजना को लागू करने के लिए बैंक के छः अग्रणी जिलों को चुना गया है जहां गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल के जरिए केवल महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है.

ii. बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बड़ौदा आरसेटी)

ग्रामीण युवाओं को कार्यकुशल बनाने की आवश्यकता तथा उन्हें स्वरोजगार उद्यमों में लगाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक न्यास का गठन किया है. जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देशभर में 47 केन्द्र स्थापित किए गए हैं.

ये केन्द्र प्रशिक्षित युवाओं को बैंक ऋण प्राप्त करने तथा स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं. मार्च, 2013 तक बैंक ने 164742 अभ्यर्थियों को इसके तहत प्रशिक्षित किया है तथा इनमें से 102477 (62.20%) ने सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं.

iii. वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (सारथी)

समाज के वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लिए वित्तीय साक्षरता प्राथमिक आवश्यकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने देशभर में 45 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं, जो उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण दान हेतु वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं तथा जो वित्तीय कठिनाइयों में हैं, उन्हें परामर्श प्रदान करते हैं।

मार्च 2013 तक 46860 व्यक्तियों ने सेवाएं प्राप्त करने के लिए इन केन्द्रों से संपर्क किया। इन केन्द्रों पर संपर्क करने वालों को केन्द्रों पर कार्यरत सभी परामर्शदाता प्रत्यक्षतः सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परामर्शदाता दूरस्थ केन्द्रों पर शिविर लगाकर भी सेवाएं दे रहे हैं।

i. Self Help Groups (SHGs)

SHG is a cost effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habit amongst them as well as enabling them to undertake income generating activities through bank credit. The Bank has adopted more liberal norms of financing to SHGs. The Bank is also taking help of reputed NGOs for formation of SHGs.

Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs. The Bank is implementing the scheme of financing to women beneficiaries in identified backward districts of the country, as per the guidelines of the Ministry of Finance, wherein the minimum loan amount of Rs 50,000 is sanctioned. The Bank's six Lead districts are identified for implementation of this scheme under which exclusive women SHGs are formed under tie up arrangement with NGOs.

ii. Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (Baroda RSETI)

Identifying the need for imparting skills to rural youth and engaging them in self employment ventures, the Bank has formed a trust under which 47 centers are established all over the country to provide free of cost vocational training to the rural youth.

These centers are also providing handholding support to the trained youth in availing bank credit and in establishment of their ventures. The Bank has trained 1,64,742 candidates under this activity out of which 1,02,477 (62.20%) have established their ventures successfully up to March 2013.

iii. Financial Literacy & Credit Counseling centers (SARATHEE)

Financial literacy being a prerequisite for bringing the excluded sections of the society under the financial services, the Bank has established 45 Financial Literacy and Credit Counseling Centers all over the country which are providing financial literacy for responsible borrowing and also counseling to those who are under financial distress.

Till March 2013, 46,860 persons have visited these centers for availing the services. All the counselors at these centers are providing face to face services to the visitors at the centers as also conducting camps in the remote areas for providing their services.

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) संबंधी प्रति उत्पाद निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक)

- i. इस संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में संसाधनों/ उत्पादन/संवितरण के दौरान लाई गई कमी
- ii. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई जा सकी कमी.



For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional)	Not Applicable
i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	
3. क्या कंपनी की धारणीय संसाधन प्राप्ति के लिए प्रक्रिया/व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) i. यदि हां तो आपके इनपुट्स का कितना प्रतिशत धारणीय प्राप्त किया गया है ? 50 शब्दों में इसका विवरण भी दें. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	लागू नहीं Not Applicable
4. क्या कंपनी ने स्थानीय तथा लघु उत्पादकों, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास का समुदाय भी शामिल है, से उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां तो उनकी क्षमता तथा स्थानीय तथा छोटे वेन्डर्स की क्षमताओं में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं ? Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	लागू नहीं Not Applicable
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग के लिए कोई व्यवस्था है ? यदि हां तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की रिसाइकिलिंग का प्रतिशत कितना है ? (अलग-अलग <5%, 5-10%, >10%) 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	लागू नहीं Not Applicable



सिद्धान्त 3 Principle 3		"व्यवसाय से सभी कर्मचारियों की सुख-समृद्धि उन्नत होनी चाहिए." "Businesses should promote the wellbeing of all employees"	
1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं Please indicate the Total number of employees.		43,108 (31 मार्च, 2013 को) (as on 31st March 2013)	
2. कृपया अस्थायी / संविदा / आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis		1	
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं. Please indicate the Number of permanent women employees.		8,232	
4. कृपया अपंग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities		760	
5. क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबन्धन के द्वारा मान्य है? Do you have an employee association that is recognized by management?		जी हां, दो संगठन हैं (एक अधिकारी कर्मचारियों के लिए तथा एक लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए) Yes, Two Associations (one for Officer Employees & one for Clerical & Sub staff Employees)	
6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं? What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?		अधिकारी संगठन : 43.61% लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारी संघ: 49.22% Officers' Association 43.61% Clerical & Sub staff Employees' Union 49.22%	
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया शिकायतों की स्थिति दर्शाएं. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.			
क्र.सं. S. No.	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या No of complaints filed during the financial year	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या No of complaints pending as on end of the financial year
1.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी Child labour /forced labour/involuntary labour	शून्य Nil	शून्य Nil
2.	यौन उत्पीड़न Sexual harassment	2	शून्य Nil
3.	पक्षपाती रोजगार Discriminatory employment	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable
8. नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल विकास (अपग्रेडेशन) का प्रशिक्षण दिया गया? What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?			
• स्थायी कर्मचारी Permanent Employees		56.12% (23,758)	
• स्थायी महिला कर्मचारी Permanent Women Employees		52.00% (4,281)	
• आकस्मिक आधार पर लिए गए / अस्थायी / संविदा कर्मचारी Casual/Temporary/Contractual Employees		शून्य Nil	
• अशक्त कर्मचारी Employees with Disabilities		58.60% (443)	

सिद्धान्त 4 Principle 4	“व्यवसाय में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं, उनके हितों का सम्मान होना चाहिए तथा उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए.” “Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized”
1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं? Has the company mapped its internal and external stakeholders?	जी हां Yes
2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को चिह्नित कर लिया है? Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	जी हां Yes
3. क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने के लिये कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो इसका लगभग 50 शब्दों में विवरण दें. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	बैंक ने आंतरिक वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने तथा उनको लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं. इनमे से कुछ इस प्रकार के हैं: अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न कर, बैंक अपने सभी कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है. अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों के लिए बैंक कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता मुहैया करवाता है जैसे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट से छात्रवृत्ति. अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के कर्मचारियों से संबन्धित मुद्दों/ शिकायतों पर विचार करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारी तथा प्रत्येक अंचल (कुल 13) में संपर्क अधिकारी की व्यवस्था की है. साथ ही, बैंक ने प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में एक समर्पित अनुभाग की स्थापना भी की है जिसके अनुभवी एवं पेशेवर कर्मी अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण से संबन्धित मुद्दों को देखते हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. आयोग, सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क में रहते हैं ताकि अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो. कॉर्पोरेट स्तर एवं अंचल स्तर पर बैंक, अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संगठन के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के लाभ एवं आरक्षण से संबन्धित विभिन्न नीतियों के समुचित अनुपालन पर नियमित रूप से विचार किए/निर्णय लिए जाते हैं. अशक्त व्यक्ति एक नियोक्ता के तौर पर बैंक अपने सभी कर्मचारियों को एक समान अवसर प्रदान करता है. अशक्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं. अशक्त व्यक्तियों को काम सौंपते हुए इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी अशक्तता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य आसानी से कर सकें. इसके अलावा, अशक्त व्यक्तियों को विशेष रूप से निश्चित लाभ/प्रतिफल दिये जाते हैं जैसे प्राथमिकता के आधार पर बैंक के रिहायशी आवासों का आवंटन, श्रवण यंत्र (बहरे लोगों के लिए) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, कृत्रिम अंग (अस्थि विकलांगता के लिए) निश्चित सीमा के भीतर, अंधे एवं अस्थि विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते का भुगतान, सुविधाजनक स्थानों पर नियुक्ति, ग्रामीण/अर्ध शहरी स्थानों में नियुक्ति से छूट इत्यादि.

- बैंक ने बाह्य वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को इसमें समाहित करने तथा उनको लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं:
- क. ₹. 1 लाख तक के कृषि ऋण में मार्जिन एवं संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी आवश्यकता में छूट।
 - ख. बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (बीकेसीसी) के अंतर्गत बीकेसीसी धारक किसान वैयक्तिक ऋण सहित कृषि एवं परिवार के भरणपोषण, उपभोग की वस्तुओं एवं निवेश के लिए अग्रिम ले सकते हैं।
 - ग. ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत ऋणदाताओं से लिए गए ऋण के अधिग्रहण के समय ऋणग्रस्तता साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट। ₹. 25000/- तक के ऋण के लिए आवेदक द्वारा केवल स्व घोषणा दिये जाने की आवश्यकता है।
 - घ. छोटे एवं मझोले किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणी के ऋणकर्ताओं से कोई मार्जिन राशि लेने की आवश्यकता नहीं है जबकि विशेष विकास कार्यक्रमों जैसे एसजीएसवाई इत्यादि के तहत अनुदान की व्यवस्था है।
 - ड. खेतिहर मजदूर, बंटाईदार एवं अलिखित पट्टेदार को फसल उपजाने के लिए दिये जाने वाले ऋण की स्थिति में, स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र बैंक स्वीकार करता है।
 - च. कमजोर वर्गों के शिक्षा ऋणकर्ताओं एवं शहरी गरीबों के लिए आवास ऋण हेतु बैंक ऋण ब्याज अनुदान योजना संचालित कर रहा है।
 - छ. कृषि क्षेत्र में अग्रिम के लिए सरलीकृत ऋण दस्तावेजीकरण अर्थात एकल दृष्टिबंधन प्रक्रिया अपनाई गई है।
 - ज. बैंक के अन्य ग्राहकों के समान ही दृष्टिहीन ग्राहकों को वैकल्पिक डिलिवरी चैनल के माध्यम से बैंकिंग संव्यवहार कर पाने योग्य बनाने हेतु बैंक ने अपने कुछ चुनिन्दा एटीएम में ध्वनि निर्देशित परिचालन की व्यवस्था लागू की है।

The Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of them are as under:

SC/ST Employees

The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance to employees belonging to SC/ST category such as pre-recruitment training, pre promotion training and scholarship for meritorious students among children of employees belonging to SC/ST category, from Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust.

The Bank has a Chief Liaison Officer in the rank of General Manager at Head office level and Liaison officer at each zone (total 13) for effectively addressing issues/grievances of SC/ST employees. Also, there is a dedicated SC/ST cell at the Bank's Head Office, Baroda, manned by experienced professionals, which deals with issues related to SC/ST reservation and liaison with SC/ST commission, Government officials and other external agencies for ensuring strict compliance of SC/ST reservation guidelines.

The Bank conducts quarterly meetings with All India Bank of Baroda SC/ST Employees Welfare Association at corporate level as well as zonal offices level wherein regular view is made about the proper implementation of the various policies pertaining to reservation and benefits extended to employees belonging to SC/ST.

Persons with Disabilities

The Bank, as an employer, provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability.

Moreover, certain benefits/considerations are especially extended to persons with disabilities such as preferential allotment of the Bank's residential accommodation, financial assistance for buying hearing aid (for hearing impaired persons), artificial limbs (for orthopedically challenged) within certain limits, payment of conveyance allowance to blind and orthopedically handicapped employees, convenient place of posting, exemption from rural/semi-urban posting etc.

The Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the external disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Some of them are as under.

- a. Margin and collateral security requirements are waived for agricultural loans up to Rs 1 lakh.
- b. Under Baroda Kisan Credit Card (BKCC) Scheme, BKCC holder farmers can avail farm and family maintenance, consumption and investment credit including personal loans.
- c. Under the Debt Swap scheme for takeover of loans availed from non institutional lenders, the Bank has waived the requirement for any documentary evidence for indebtedness. Only self declaration for loans up to Rs 25,000 is required from the applicant.
- d. For small and marginal farmers, agriculture labourers and other specified categories of weaker sections, no margin from borrowers is required where subsidy is available under special development programmes like SGSY, etc.
- e. The Bank is accepting certificates provided by local administration/ Panchayati Raj institutions regarding the cultivation of crops in case of loans to landless laborers, sharecroppers and oral lessees.
- f. The Bank is implementing Interest Subsidy Scheme for Education Loan borrowers belonging to weaker sections and Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor.
- g. Simplified loan documentation i.e. Single hypothecation document is adopted for lending to Agriculture Sector.
- h. The Bank has implemented Voice Guidance Functionality on its select ATMs for assisting its Visually Challenged Customers to enable them to carry out banking transactions on alternate delivery channels and bring them to par with all other customers of the Bank.

सिद्धान्त 5 Principle 5

1. क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/ अन्य शामिल हैं?

Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

“व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्द्धन करना चाहिए.”

“Businesses should respect and promote human rights”

बैंक की मानवाधिकार नीतियाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल बैंक परिचालन से ही सम्बद्ध हैं और ये अनुषंगियों पर लागू नहीं होती.

बैंक इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान हैं और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान अवश्य होना चाहिए. बैंक ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिससे राष्ट्रीय मूल, नागरिकता, रंग, जाति, विश्वास, धर्म, पूर्वजों, वैवाहिक स्थिति, लिंग, अपंगता, उम्र, यौन उन्मुखता, जन्म स्थान, सामाजिक स्थिति, या नियम विरुद्ध अन्य किसी आधार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपात न हो.

कार्यस्थल पर मानवाधिकार संबंधी भारतीय संविधान के तथ्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बैंक अच्छी तरह समझता है. बैंक सगठनों की आजादी एवं परस्पर सहमति का सम्मान करता है.

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का बैंक निषेध करता है. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सेवा शर्तों में समुचित प्रावधान हैं. तदनुसार, बैंक ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर उप महाप्रबंधक स्तर की मुख्य महिला संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है.

सभी 13 अंचलों में, महिला कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों पर त्वरित एवं तत्परता से कारवाई करने के लिए एक महिला संपर्क अधिकारी की व्यवस्था है. इन महिलाओं को महिला कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवधिक प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं. महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों, उनके अधिकारों एवं यौन उत्पीड़न से रोकथाम के महत्व एवं इसकी संवेदनशीलता पर लगातार बल दिया जा रहा है. महिला कर्मचारियों के लाभ, अधिकार, यौन उत्पीड़न से रोकथाम, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं उन्हें लागू करने के लिए बैंक समय समय पर परिपत्र जारी कर सेवा शर्तों के नियमों को लागू करता है.

बैंक वेबसाइट के माध्यम से सूचना को जनता तक पहुंचाना

बैंक अपने उत्पादों/सेवाओं/ जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन जानकारी / कोई अन्य सूचना जो सार्वजनिक की जा सकती है, पब्लिक डोमेन में रखता है. एक अधिसूचित कंपनी होने के नाते सार्वजनिक सूचना के लिए बैंक अपने वित्तीय परिणाम को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गई सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और इसीलिए सर्व साधारण को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है.

शिकायतों का निपटारा

ग्राहक शिकायत को शीघ्रता से निपटने हेतु ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं. इनमें से एक है मानक जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस). ग्राहक शिकायत निपटान के लिए यह एक वेब आधारित मॉड्यूल है. यद्यपि, बैंक ग्राहकों के अधिकार का सम्मान करता है, फिर भी यदि वे अपनी शिकायत के निपटारे जाने से संतुष्ट नहीं हैं तो आरबीआई की लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत राज्यों की राजधानियों में स्थित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.

The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly, cover only the operations of the Bank and do not extend to its subsidiaries etc.

The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank follows such policies that, directly or indirectly, do not discriminate on the basis of national origin, citizenship, color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the law.

The Bank understands well the Human Rights content of the Constitution of India and other international laws on Human Rights at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at the work place. In the Service conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at workplace. Accordingly, for addressing issues related specifically to women employees in work places, the Bank has appointed Chief Lady Liaison Officer in the rank of Deputy General Manager at the Corporate office level.

At each of the 13 zones, there is one lady liaison officer to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. These ladies are given periodical training to equip themselves to handle grievance of women employees effectively. There are regular reinforcements regarding sensitivity and importance of matters relating to women employees, their rights and prevention of Sexual Harassment. The Bank issues circulars from time to time reinforcing service condition rules, benefits to women employees, rights of women employees, prevention of Sexual Harassment, guidelines issued by Supreme court of India and their implementation.

Dissemination of Information to public through the Bank's web site

The Bank places up-to-date information about its Products / Services / Facilities available to public/any other information, which can be disclosed, in public domain. Being a listed company, the Bank displays its financial results in the public domain for information to the public.

Bank of Baroda is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and, thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Redressal of Complaints

The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. One of such measures being Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS), a web based online customer complaint redressal module. However, the Bank respects the right of the customers, in case they are not satisfied with the redressal of their complaints, to approach The Banking Ombudsman located in State Capitals under RBI Ombudsman Scheme 2006.

2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया।

How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई जिन्हें बिना समय गंवाए संतोषपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया।

There were two complaints filed on Sexual Harassment during the financial year which were satisfactorily resolved without any loss of time.

सिद्धान्त 6 Principle 6	“व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना चाहिए” “Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment”
1. क्या कंपनी की सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य शामिल हैं? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures / Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	यह नीति केवल बैंक को कवर करती है। The policy covers the Bank only.
2. क्या कंपनी के पास भूमंडलीय वातावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन, भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/ कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें। Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.	जी हाँ क) बैंक की घरेलू ऋण नीति के अनुसार पर्यावरण को हानि पहुंचाने वालों उद्योगों को बैंक ऋण नहीं देता है जैसे ओज़ोन को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थ यथा- फोम उत्पादन, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, ऐरोसोल उत्पादन, सफाई वाले विलायकों में उपयोग की जा रही क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी - 11, 12, 113 & हैलॉस - 1211, 1301, 2402) ख) ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं को महत्ता एवं प्राथमिकता देता है ताकि कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा मिले जैसे पवन चक्की/सौर ऊर्जा परियोजना इत्यादि. ग) विषैले प्रदूषक उत्सर्जन वाली निर्माण इकाइयों के मामलों में, ऐसे प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ने से पहले इसके प्रसंस्करण के लिए जल प्रशोधन प्रणाली की स्थापना पर जोर देता है और सुनिश्चित करता है कि ऋणकर्ता ग्राहक ने केन्द्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। Yes a) As per the Bank's Domestic Loan Policy, the Bank is not extending any finance to the environmental hazardous industries viz. Industries using Ozone Depleting Substances such as Chlorofluoro carbon CFC-11,12,113 & Halons-1211, 1301, 2402 being used in Foam Products, Refrigerators & Air-conditioners, Aerosol products, Solvents in cleaning. b) While appraising the credit proposal, the Bank gives due weightage and preference to the environment friendly green projects which earn the carbon credits such as Wind Mills/ Solar Power projects. c) In case of manufacturing units, emitting toxic pollutants, the Bank insists upon installation of water treatment projects for processing of such pollutants before release into the environment and ensures that the borrower client also obtains NOC from Central/State Pollution Control Board.
3. क्या कंपनी पर्यावरण संभावित जोखिम को चिन्हित/ आकलन करती है? Does the company identify and assess potential environmental risks?	जी हाँ, टीईवी (तकनीक-आर्थिक-व्यवहार्यता) अध्ययन एवं परियोजना मूल्यांकन में, पर्यावरण संबंधी जोखिम को कम किए जाने को बैंक उचित महत्व देता है। Yes, in the TEV {Techno-Economic-Viability} study/project appraisal, the Bank gives due weightage to the mitigation of Environmental Risks. The sanction decisions are influenced by the considerations of environment protection.

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? अगर है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. और, यदि हाँ तो, क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?

Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

5. क्या कंपनी ने प्रदूषण रहित तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है. यदि हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. If yes, please give hyperlink for web page etc.

6. क्या आलोच्य वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का अवशिष्ट उत्पादन/ उत्सर्जन सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर है?

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने विभिन्न तकनीकी पहलें की हैं. प्रस्तावों की स्वीकृति के समय, कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ई-व्यवसाय दिशा - निर्देशों का अनुपालन तय/निर्धारित करता है. ज्यादातर एटीएम रहित क्षेत्रों में बैंक एटीएम की संस्थापना पर जोर देता है जिसे यात्रा में समय व पेट्रोल/डीजल की खपत कम होती है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है.

The Bank has taken various technological initiatives to promote paperless banking. While sanctioning proposals, the Bank stipulates compliance with e-business guidelines to promote paperless banking. The Bank also gives the old stationary for destruction only to the recycling units. The Bank is focusing on increasing installation of ATMs mostly in the uncovered areas, thereby, reducing the time and Petrol/Diesel consumption in travelling and helping in maintaining clean environment.

बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष परियोजना नहीं है लेकिन बैंक ने कई सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, लघु जल एवं पवन शक्ति परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है. पर्यावरण अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को बैंक प्राथमिकता देता है.

The Bank has no such direct project but the Bank has financed many Solar Power, Biomass, Small Hydro & Wind Power Projects. The Bank gives priority in financing environment friendly renewable energy projects.

बैंक सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है और इसलिए कोई विषैले/खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करता है. तथापि, निर्माण इकाइयों का वित्तपोषण करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना बैंक की प्राथमिक शर्तों में से एक है. वातावरण संबंधी अनुपालन को बैंक प्रमुख स्वीकृति शर्तों में रखता है.

The Bank is in service industry and, therefore, does not emit any toxic/hazardous pollutants. However, while financing to manufacturing units, obtaining NOC from Pollution Control Boards is one of the Bank's primary conditions. The Bank stipulates Environmental compliance as one of the main conditions of sanction.

इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है.

No such instance.



सिद्धान्त 7 Principle 7

“व्यवसाय जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो तो इसे जिम्मेदारी पूर्वक सम्पन्न किया जाना चाहिए”.

“Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner”

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संगठन की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय सम्बद्ध है?
1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.

- जी हाँ,
1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम)
 5. इंडियन मर्चेन्ट चैंबर (आईएमसी)
 6. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एमईडीसी)
 7. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (एफआईसीसीआई)
 8. उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (सीएफआरएल)
 9. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
 10. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)
 11. द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसएसओसीएचएम)
 12. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन सेमिनार (एसआईबीओएस)
- Yes.

1. Indian Banks Association (IBA)
2. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
4. National Institute of Bank Management (NIBM)
5. Indian Merchant Chamber (IMC)
6. Maharashtra Economic Development Council (MEDC)
7. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
8. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)
9. National Payments Corporation of India (NPCI)
10. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI)
11. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
12. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है. यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? If yes, specify the broad areas such as Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

देश के विशालतम वाणिज्यिक बैंकों में से एक होने के नाते बैंक नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों, मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशन संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है.

Bank being one of the largest commercial banks in the country works closely with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of the banking industry, monetary policy, financial inclusion related policies, and sustainable development of the banking industry.

सिद्धान्त 8 Principle 8
“व्यवसाय से समग्र वृद्धि तथा समान विकास को बल मिलना चाहिए”.
“Businesses should support inclusive growth and equitable development”

1. क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजना है. यदि हाँ, तो इसका विवरण दें.
1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

समाज की समग्र वृद्धि तथा समान विकास के लिए बैंक ने कई कार्यक्रम/परियोजनाएं/ पहल करने का प्रयास किया है.

विवरण निम्नप्रकार से है:

समग्र विकास के लिए बैंक ने वहन करने योग्य लागत पर बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की है और समान विकास के लिए इसे मुख्य आर्थिक धारा से जोड़ा है. इस वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक ने विशेष उत्पाद तैयार किए हैं जैसे बचत सह अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा, लचीली आवर्ती जमा, बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, बड़ौदा सामान्य क्रेडिट कार्ड तथा ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता को देखते हुए कम प्रीमियम पर बीमा उत्पाद. आवंटित गाँवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए बैंक ने आईसीटी आधारित बीसी मॉडल, मोबाइल वैन तथा ब्रिक एवं मोर्टर शाखा मॉडल लागू किया है.

बैंक ने अब तक विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत 4,959 गाँवों को कवर किया है जिसमें 3,474 बीसी मॉडल के अंतर्गत, 1,436 भौतिक शाखाओं एवं 49 गाँव मोबाइल वैन द्वारा कवर किए गए हैं. बैंक में 49.60 लाख मूल बचत बैंक जमा खाते खोले गए हैं जिनमें से 8.69 लाख खाते व्यवसाय प्रतिनिधि अभिकर्ताओं के माध्यम से खोले गए हैं. 10.33 लाख ग्राहकों ने केसीसी सुविधा प्राप्त की है जिसमें कुल बकाया शेष राशि ₹.10,404.38 करोड़ है. 0.15 लाख ग्राहकों ने जीसीसी सुविधा प्राप्त की है जिसमें कुल बकाया शेष राशि ₹.35.52 करोड़ है.

बैंक के सेवा क्षेत्र में लगभग 21,526 गाँव आते हैं और शेष गाँवों को विभिन्न मॉडलों के तहत अगले तीन वर्ष अर्थात् मार्च 2016 तक कवर करने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की है. बैंक की वर्ष 2013-14 में 6,165 गाँव, 2014-15 में 5,200 गाँव तथा शेष 5,202 गाँव वर्ष 2015-16 में कवर करने की योजना है.

The Bank has undertaken several initiatives/programmes/projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

Details are as under:

The Bank has implemented Financial Inclusion projects to provide banking services in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Considering the need of the segment, the Bank has devised special products such as Savings cum in-built Overdraft facility, Flexible Recurring Deposit, Baroda Kisan Credit Card, Baroda General Credit Card and Insurance product with low premium to cater to the needs of the rural masses. The Bank has implemented ICT based BC model, Mobile Van and Brick & Mortar branches models to provide banking services in the allocated villages.

The Bank has so far covered 4,959 villages through various models, out of which 3,474 are covered through BC model, 1,436 through brick and mortar branches and 49 through mobile van. The Bank has opened 49.60 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts, out of which 8.69 lakh accounts were opened through the Business Correspondent Agents. About 10.33 lakh customers availed KCC facility having balance outstanding Rs 10,404.38 crore and 0.15 lakh customers availed GCC facility having balance outstanding Rs 35.52 crore.

The Bank has approximately 21,526 villages in its service area and planned to cover all remaining villages in a phased manner during next three years i.e. by March 2016 through various models. It has planned to cover 6,165 villages during 2013-2014, 5,200 during 2014-2015 and remaining 5,202 during the year 2015-2016.

2. क्या यह कार्यक्रम/परियोजना आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है?

Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/ any other organization?

3. क्या आपने कभी अपने पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है ?
Have you done any impact assessment of your initiative?

वित्तीय समावेशन योजना आंतरिक टीम की मदद से चलाई जाती है. बैंक ने इस उद्देश्य के लिए पृथक विभाग की स्थापना की है जिसके प्रभारी महाप्रबंधक हैं.

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has set up a separate department headed by General Manager for this purpose.

जी हां, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मूल बचत योजना के अंतर्गत समूचे देश में कुल 49.60 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें से 8.69 लाख खाते व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से खोले गए हैं. यह महसूस किया गया है कि बचत के लिए बैंक खाते जैसा विश्वसनीय स्रोत/जरिया मिलने पर, वे लोग जो पहले बचत नहीं कर पाते थे अब पैसा बचाने की आदत डाल रहे हैं.

इस तथ्य को इस बात से भी बल मिलता है कि सीमित सुविधा वाले (नो फ्रिल) खातों में कुल औसत निधि लगातार बढ़ रही हैं. हमारे बैंक के पास दिनांक 31.03.2013 को यह निधि लगभग ₹.1,300 करोड़ थी. बैंक खातों की सुविधा के अभाव में या तो यह निधि मुख्य धारा बैंकिंग में नहीं आती या फिर उपभोग के रूप में व्यय हो जाती. व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष के दौरान 18.71 लाख अंतरण हुए हैं जिनमें ₹.203.34 करोड़ राशि के संव्यवहार हुए, जो यह दर्शाता है कि लोगों ने बैंकिंग सुविधा का उपयोग शुरू कर दिया है.

बैंक ने वित्तीय समावेशित ग्राहकों को काफी मात्रा में ऋण भी दिए हैं. ₹.2.96 करोड़ की अन्तर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग से न केवल उनको आसानी हुई है बल्कि धीरे-धीरे वे निजी ऋणदाताओं की पकड़ से बाहर आ रहे हैं.

Yes, as stated earlier, 49.60 lakh accounts were opened under Basic Savings Bank Deposit Schemes across the country. Out of which 8.69 lakh accounts were opened through Business Correspondents. It is observed that after getting a trustworthy source for saving of their surplus funds like bank account, the people who were earlier not able to save have started developing the habit of saving money.

It can be seen from the fact that average aggregate funds in no-frill accounts are continuously increasing. As on 31.03.2013, such funds were around Rs 1,300 crore with our bank. In the absence of bank account facility, these funds either would not have been brought into mainstream banking or would have been lost in consumption. About 18.71 lakh transactions amounting to Rs 203.34 crore have been processed during the financial year in the accounts opened through Business correspondents, thereby indicating that these people have started using banking facilities.

The Bank has also lent substantial amount to Financial Inclusion customers. The availability of up to Rs 2.96 crore in-built overdraft facility is not only giving them comfort but removing them slowly out of the clutches of private money lenders.

4. समुदाय विकास योजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है ? (राशि ₹.में और प्रारंभ की गई परियोजनाओं का विवरण)

What is your company's direct contribution to community development projects (Amount in INR and the details of the projects undertaken).

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगों ने सफलतापूर्वक अपनाया है. यदि हां तो, कृपया 50 शब्दों में विवरण दें.

Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

समुदाय विकास तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण गतिविधियों से जुड़े 13 विभिन्न संगठनों को बैंक ने कुल राशि ₹.699.74 लाख के ऋण वितरित किए हैं.

(कृपया अनुभाग ख मद संख्या 5 का संदर्भ लें)

The Bank has disbursed a sum of Rs 699.74 lakh to 13 organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities. (Pl. refer to Section B point no. 5)

पंजीकृत संगठन/संस्थान के सनदी लेखाकार से बैंक इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करता है कि बैंक द्वारा स्वीकृत दान का उपयोग संबंधित उद्देश्य के लिए हुआ है.

The Bank is obtaining a certificate issued by a Chartered Accountant of the done Organization/Institute confirming the end use of the donation for the purpose for which the donation was sanctioned by the Bank.

सिद्धान्त 9 Principle 9

“व्यवसाय को अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से महत्व देना चाहिए.”

“Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner”

1. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं ?	इस वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत तक कुल प्राप्त शिकायतों (14,692) की 1.03% (151) शिकायतें लंबित हैं.
1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?	1.03% (151) of the total number of complaints received (14,692) are pending as at the end of the financial year 2012-13
2. क्या कंपनी ने उत्पाद लेबल पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की हैं?	लागू नहीं. Not Applicable
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws?	
3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कंपनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है ? यदि है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें.	शून्य Nil
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति / उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	बैंक में वार्षिक आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया जाता है. वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बैंक वेबसाइट पर 16.10.2012 से 28.02.2013 तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण लिंक उपलब्ध कराया गया जिसमें ग्राहक सेवा संतुष्टि संबंधित 25 प्रश्न तैयार कर ग्राहकों से फीडबैक लिया गया. कुल मिलाकर, 12,512 उत्तरदाताओं ने सर्वेक्षण में भाग लिया, जिसमें से, 22% उत्तरदाताओं ने सेवा को बहुत अच्छा करार दिया. 22% उत्तरदाताओं ने सेवा को अच्छा कहा. 17% उत्तरदाताओं ने सेवा को संतोषजनक कहा. 15% उत्तरदाताओं ने सेवा को खराब कहा. 24% उत्तरदाताओं ने कोई मूल्यांकन नहीं दिया. A customer satisfaction survey is conducted in the Bank on annual basis. For the financial year 2012-13, an online Customer Satisfaction Survey was launched and a survey link containing set of 25 questions designed for study on customer service satisfaction was placed on the Bank's website from 16.10.2012 to 28.02.2013 to obtain feedback from the customers. In all, 12,512 respondents participated in the survey, of which 22% respondents rated the services as Very Good. 22% respondents rated the services as Good. 17% respondents rated the services as satisfactory. 15% respondents rated the services as poor. 24% respondents did not rate.



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस/वार्षिक रिपोर्टें तथा अन्य पत्राचार प्राप्त करना.

डिमेंट खातों में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेंट खाते में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद - 500 081
फोन नं. 040-2342 0815 से 820, फैक्स नं. 040-2342 0814
ई मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd., (Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081,
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820
Fax No. 040 – 2342 0814
E-mail : einward.ris@karvy.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधपुर,
हैदराबाद - 500 081

प्रिय महोदय,
मैं / हम _____
बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियोनम्बर: _____ ईमेलआईडी: _____

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081

Dear Sir,
I/ We _____ holding _____ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____ Email ID: _____

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

Signature of First Holder

प्रभावी व तत्काल सेवाओं के लिये शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयर को डीमैट करें
2. कृपया लाभांश सीधे अपने खाते में जमा करने के लिये अपना ईसीएस मैनडेट रजिस्टर करें
3. कृपया ई-मेल के माध्यम से सन्देश पाने के लिये अपनी ई-मेल आईडी रजिस्टर करें

अभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर सर्टिफिकेट के खोने का कोई डर नहीं
2. शेयर स्थानांतरण शुल्क अथवा स्टॉम्प नहीं
3. सरल / परेशानी रहित स्थानांतरण/ संचरण
4. नामांकन सम्भव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में
6. अस्बा (एसबीए) / आईपीओ आवेदन सम्भव

ईसीएस मैनडेट

1. लाभांश भुगतान की तारीख को ही लाभांश प्रत्यक्ष जमा करना
2. लाभांश वारंट में देरी/ अप्राप्ति / पुनर्वैधता की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. कारपोरेट सूचनाएं तत्काल प्राप्त करना जिसमें एजीएम व ईजीएम/ वार्षिक रिपोर्ट / छमाही सूचना इत्यादि की तत्काल प्राप्ति भी शामिल है

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares
2. Please register your ECS Mandate for direct credit of Dividend amount in your A/c
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of share certificate
2. No share transfer fees or stamp
3. Easy / hassle free transfer / transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA/IPO application possible

ECS Mandate

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Half Yearly communication, etc

बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण Basel II Pillar 3 disclosures

दिनांक 31.3.2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (सोलो आधार पर)

Disclosures (on solo basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India as on 31.03.2013

I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

- क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ़ बड़ौदा पर सोलो आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।
- ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की अनुषंगियां, सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम हैं :

I. Scope of application

- a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on solo basis, which is the top bank in the group.
- b. The Bank has following Subsidiaries, Associates and Joint ventures -- both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	अनुषंगी का नाम	Name of the subsidiary	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	अनुषंगी (घरेलू)	SUBSIDIARY (DOMESTIC)	
i	नैनीताल बैंक लिमिटेड	Nainital Bank Limited	98.57%
ii.	बॉबकार्ड्स लिमिटेड	BOBCARDS Limited	100.00%
iii.	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	BOB Capital Market Limited	100.00%
	अनुषंगी (विदेशी)	SUBSIDIARY (FOREIGN)	
iv.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (U.K.) Ltd	100.00%
v.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगान्डा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	80.00%
vi.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	86.70%
vii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) इंक.	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	100.00%
viii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	100.00%
ix.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	100.00%
x.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.	100.00%
xi.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Ghana) Ltd	100.00%
xii.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	100.00%

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाइयां भी हैं.

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	सहायक इकाई का नाम	Name of the associate	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	सहायक इकाइयां (घरेलू)	ASSOCIATES (DOMESTIC)	
i	बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	Baroda Pioneer Asset Management Company Limited	49.00%
ii	बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	Baroda Pioneer Trustee Company Co Ltd	49.00%
iii	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	Baroda Gujarat Gramin Bank	35.00%
iv	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank	35.00%
v	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	Baroda U P Gramin Bank	35.00%
	सहायक इकाइयां (विदेशी)	ASSOCIATE (FOREIGN)	
vi	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited	20.00%

बैंक के निम्नलिखित घरेलू संयुक्त उद्यम हैं.

The Bank has following domestic Joint Venture.

क्रम संख्या Sr. No.	संयुक्त उद्यम का नाम	Name of the Joint Venture	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	संयुक्त उद्यम (घरेलू)	JOINT VENTURE (DOMESTIC)	
i	इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड	India Infradebt Ltd	30.00%
ii	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	44.00%
	संयुक्त उद्यम (विदेशी)	JOINT VENTURE (FOREIGN)	
i	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	India International Bank (Malaysia) Bhd.	40.00%



भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानदंड 21, 23 तथा 27 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में क्रमशः अनुबंधित, सहायक इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों को पूर्णतः समेकित किया गया है।

ग. बैंक की किसी भी अनुबंधी के संबंध में पूंजी की कोई कमी नहीं है।

घ. बैंक का बीमा संस्थान में निम्न विवरणानुसार हित शामिल है।

I. बीमा संस्थान में बैंक के कुल हित का विद्यमान बही मूल्य - ₹165.46 करोड़।

II. नाम- इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड।

III. निगमित देश - भारत।

IV. स्वामित्व के हित का अनुपात - 44%।

बैंक ने अपनी पूंजी में से ₹165.46 करोड़ आहरित कर अपनी शेयर धारिता के रूप में इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. में निवेश किए हैं।

II. पूंजीगत ढांचा

क. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी, नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं। टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार डिस्काउण्टेड), सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं। उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं। बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की अवधि इस प्रकार है :

उच्च टियर 2 पूंजी :

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crs.
शृंखला VII	Series VII	9.30	28.12.2022	500.00
शृंखला VIII	Series VIII	9.30	04.01.2023	1000.00
शृंखला IX	Series IX	9.15	04.03.2024	1000.00
शृंखला XI	Series XI	8.38	08.06.2024	500.00
शृंखला XII	Series XII	8.54	08.07.2024	500.00
शृंखला XIII	Series XIII	8.48	31.05.2025	500.00
शृंखला XIV	Series XIV	8.48	30.06.2025	500.00
शृंखला XV	Series XV	8.52	10.08.2025	500.00
एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी)	MTN Tier II Bonds (Overseas)	6.625	25.05.2022 (25.5.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ) (with call option on 25.05.2017)	1628.55
कुल TOTAL				6628.55

न्यून टियर 2 पूंजी

Upper Tier 2 Capital:

Lower Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Cr
शृंखला IV	Series IV	5.85	02.07.2014	300.00
शृंखला V	Series V	7.45	28.04.2015	770.00
शृंखला VI	Series VI	8.95	15.05.2016	920.00
शृंखला X	Series X	8.95	12.04.2018	500.00
कुल TOTAL				2490.00

The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

c. There is no deficiency of capital in respect of any of the subsidiaries of the bank.

d. The Bank has interest in the Insurance entity as per the details given below.

I. The current Book value of Bank's total interest in the insurance entity – Rs.165.46 crores.

II. Name – IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

III. Country of Incorporation – India

IV. The proportion of ownership interest – 44%

The bank has deducted the investment of Rs.165.46 crores from its capital in respect of its equity holding in IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

II. Capital structure

a. The Tier-I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) and various types of reserves. The Tier-II capital consists of Revaluation Reserves (discounted as per provisions of RBI), General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:



ख. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crore)

i	कुल टियर - I पूंजी जिसमें से	i	Total Tier I Capital Out of which:	31794.64
ii	प्रदत्त शेयर पूंजी	ii	Paid up share capital	422.52
iii	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा प्रारक्षित निधियां	iii	Reserves excluding revaluation reserves	29460.41
iv	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	iv	Innovative Perpetual Debt Instrument	1911.70
v	कटौतियां	v	Deductions	932.82
vi	पात्र टियर I पूंजी	vi	Eligible Tier I Capital	30861.81

ग. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 9683.21 करोड़ रुपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 9683.21 Crore.

घ. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	6628.55
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	6628.55

ड. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2490.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	1420.00

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए टियर I और टियर II पूंजी में से निम्नानुसार कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, deductions as under have been done from Tier I and Tier II capital:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

क्रम संख्या Sr. No.	कटौती का स्वरूप	Nature of Deduction	टियर I से कटौती Deduction from Tier I	टियर II से कटौती Deduction from Tier II
1.	अन्य अगोचर आस्तियां (मेमन को-ऑपरेटिव बैंक की आस्ति एवं देयताओं को टेक ओवर करने पर रु. 62.20 करोड़ के घाटे तथा रु. 88.78 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों सहित घाटा)	Other intangible Assets (Which includes Rs 62.20 Crs unamortized deficit on account of take over of assets & liabilities of Memon co-operative Bank Ltd. and Rs 88.78 Crs toward deferred tax assets).	150.98	0.00
2.	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी इकाइयों में निवेश	Investment in subsidiaries/ JV / Associates	781.84	781.84
3.	कुल	Total	932.82	781.84

छ. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

टियर - I पूंजी	Tier – I Capital	30861.81
टियर - II पूंजी	Tier – II Capital	9683.21
कुल	TOTAL	40545.02

III. पूंजी पर्याप्तता

क. बैंक जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है. पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.

पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी संगृहीत करता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है और भारतीय रिज़र्व बैंक को भी प्रस्तुत की जाती है.

ख) 31.03.2013 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है:

III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. Capital Planning exercise of the bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis and the same is submitted to RBI also.

b. The position of Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2013 are as under:

(i) ऋण जोखिम :	(i) CREDIT RISK :	आरडब्ल्यूए (बासेल-II)/पूँजी RWA(Basel-II)/Capital (राशि करोड़ ₹ में/ Amount in ₹ Crore)
ऋण जोखिम के संबंध में मानकीकृत पद्धति के अध्यक्षीन संविभाग (आर डब्ल्यू ए)	Portfolios subject to standardised approach in respect of credit risk (RWA)	266758.43
प्रतिभूतीकरण एक्पोजर (आर डब्ल्यू ए)	Securitisation exposures (RWA)	NIL
ऋण जोखिम में कुल जोखिम धारित आस्तियां	Total RWAs in Credit Risk	266758.43
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Risk @9.00% of the RWAs	24008.26
(ii) बाजार जोखिम :	(ii) MARKET RISK :	RWA (Basel II)
ब्याज दर जोखिम (आर डब्ल्यू ए)	Interest rate risk (RWA)	8959.10
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) (आर डब्ल्यू ए)	Foreign exchange risk (including gold) (RWA)	225.00
इक्विटी जोखिम (आर डब्ल्यू ए)	Equity risk (RWA)	10611.22
बाजार जोखिम के संबंध में कुल आर डब्ल्यू ए	Total RWAs in respect of Market Risk	19795.32
आर डब्ल्यू ए के 9.00% की दर से बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Market Risk @9.00% of the RWAs	1781.57
(iii) परिचालन जोखिम :	(iii) OPERATIONAL RISK :	
आधारभूत संकेतक पद्धति (आर डब्ल्यू ए)	Basic Indicator Approach (RWA)	18203.00
आर डब्ल्यू ए, के 9.00% की दर से परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Operational Risk @9.00% of the RWAs	1638.27
(iv) कुल आर डब्ल्यू ए, पूँजी एवं सीआरएआर	(iv) TOTAL RWA, CAPITAL & CRAR	
ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए कुल आर डब्ल्यू ए	Total RWAs in respect of Credit, Market & operational Risk	304756.75
आर डब्ल्यू ए के 9.00% की दर से ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk @9.00% of the RWAs	27428.10
(v) वास्तविक स्थिति	(v) ACTUAL POSITION	
पात्र टियर I पूँजी	Eligible Tier I Capital	30861.81
पात्र टियर II पूँजी	Eligible Tier II Capital	9683.21
कुल पात्र पूँजी	Total Eligible Capital	40545.02
बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुल पूँजीगत अनुपात	Total capital ratio for Bank of Baroda:	
सीआरएआर	CRAR	13.30%
कुल आर डब्ल्यू ए के लिए टियर I पूँजी	Tier I capital to Total RWA	10.13%
कुल आर डब्ल्यू ए के लिए टियर II पूँजी	Tier II capital to Total RWA	3.17%

IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किस्त. अतिदेय हो जाती है.
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहता है.
- खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं.

IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।
- v. लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है।

किसी ओडी / सी सी भी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो। ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'अनियमित' खाते की श्रेणी में माना जायेगा।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी ऐसी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई देय तारीख को अदा नहीं की जाती है।

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है।

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ:

- (i) ब्याज / किस्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहता है।
- (ii) यह अधिमानी शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।
- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेयरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी 1/- रुपये किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- (iv) यदि निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा।
- (v) डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंडों के अध्यधीन हैं।

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- **अवमानक अस्तियां**
अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्ति से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो।
- **संदिग्ध अस्तियां**
किसी भी अस्ति को, 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
- **हानि वाली अस्तियां**
हानि वाली अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से है जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि वाली अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है।

- IV. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions. Those equity shares are also reckoned as NPI.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- (v) The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

● Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

● Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

● Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.

ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है, जो कि निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर (ऋण) सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप एवं उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक में विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण प्रक्रिया- स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकार करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली आदि के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

ग. बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है

ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोतरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों.
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जाएं.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी

b. Strategies and Processes

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.

नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।

- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना।
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना।
- निर्धारित नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

इ. 31.03.2013 को ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allows the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk as on 31.03.2013 are as under:

31.03.2013 को As on 31.03.2013
(राशि करोड़ रु. में Amount in Rs. Crores)

क्र.	उद्योग	Sr.	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
	कुल सकल ऋण जोखिम बकाया शेष (वैश्विक)		Total gross credit risk outstanding balance (global)	332811.32	60201.88	393013.20
	भौगोलिक संवितरण		Geographic distribution			
	1. घरेलू		1. Domestic	228557.09	50222.50	278779.59
	2. विदेशी		2. Overseas	104254.23	9979.38	114233.61
क्र. सं	उद्योग		Industry			
ए	खनन एवं उत्खनन	A	Mining and Quarrying	1182.34	749.78	1932.12
ए.1	कोयला	A.1	Coal	176.16	230.76	406.92
ए.2	अन्य	A.2	Other	1006.18	519.02	1525.20
बी.	खाद्य प्रस्करण	B.	Food Processing	5613.81	2446.68	8060.49
बी.1	चीनी	B.1	Sugar	1079.62	9.75	1089.37
बी.2	खाद्य तेल एवं वनस्पति	B.2	Edible Oils and Vanaspati	780.26	2122.50	2902.76



क्र.	उद्योग	Sr.	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
बी.3	चाय	B.3	TEA	39.19	1.74	40.93
बी.4	काफी	B.4	Coffee	10.17	0.00	10.17
बी.5	अन्य	B.5	Others	3704.58	312.67	4017.25
सी.	पेय पदार्थ	C.	Beverages	571.22	176.02	747.24
सी.1	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	C.1	Tobacco and tobacco products	276.23	153.94	430.17
सी.2	अन्य	C.2	Others	294.99	22.08	317.07
डी.	टैक्सटाइल	D.	Textiles	11562.30	1954.55	13516.85
डी.1	काटन टैक्सटाइल	D.1	Cotton Textile	5137.63	500.38	5638.01
डी.2	जूट टैक्सटाइल	D.2	Jute Textile	166.61	45.80	212.41
डी.3	हस्तशिल्प / खादी	D.3	Handicraft/Khadi	285.53	13.95	299.48
डी.4	सिल्क	D.4	Silk	256.81	32.64	289.45
डी.5	वूलन	D.5	Woollen	371.59	6.46	378.05
डी.6	अन्य	D.6	Others	5344.13	1355.31	6699.44
	डी में से स्पिनिंग मिल्स		Out of D to spinning Mills	2988.45	399.96	3388.41
ई.	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	E.	Leather and Leather products	409.00	61.02	470.02
एफ.	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	F.	Wood and Wood products	487.56	128.29	615.85
जी.	कागज एवं कागज उत्पाद	G.	Paper and Paper products	1611.94	340.62	1952.56
एच.	पेट्रोलियम	H.	Petroleum	2939.77	2632.90	5572.67
आय.	रसायन और रसायन उत्पाद	I.	Chemicals and Chemical Products	8538.52	2086.38	10624.90
आय.1	उर्वरक	I.1.	Fertilizers	1023.23	807.27	1830.50
आय.2	ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल	I.2	Drugs and Pharmaceuticals	2568.82	343.08	2911.90
आय.3	पेट्रो-केमीकल्स	I.3	Petro-Chemicals	1270.36	139.80	1410.16
आय.4	अन्य	I.4	Other	3676.11	796.23	4472.34
जे.	रबड प्लास्टिक एवं अन्य उत्पाद	J.	Rubber Plastic and their Products	2911.68	752.04	3663.72
के.	ग्लास एवं ग्लासवेयर	K.	Glass and Glassware	943.80	272.11	1215.91
एल.	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	L.	Cement and Cement Products	1357.63	155.91	1513.54
एम.	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	M.	Basic Metal and Metal Products	14755.47	4263.18	19018.65
एम.1	लौह एवं स्टील	M.1	Iron and Steel	11129.91	3207.83	14337.74
एम.2	अन्य मूल धातु एवं धातु उत्पाद	M.2	Other Metal and Metal Products	3625.56	1055.34	4680.90
एन.	समस्त इंजीनियरिंग	N.	All Engineering	6354.65	4808.44	11163.09
एन.1	इलैक्ट्रॉनिक्स	N.1	Electronics	1206.68	417.96	1624.64
एन.2	अन्य इंजीनियरिंग	N.2	Other Engg	5147.97	4390.48	9538.45
ओ.	वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर	O.	Vehicles, vehicle parts and Transport Equipments	1523.58	641.70	2165.28
पी.	जेम्स एवं ज्वैलरी	P.	Gems and Jewellery	1515.48	130.78	1646.26

क्र.	उद्योग	Sr.	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
क्यू.	निर्माण	Q.	Construction	5237.57	1095.70	6333.27
आर.	संरचना	R.	Infrastructure	31801.08	7319.02	39120.10
आर.1	परिवहन	R.1	Transport	7560.65	2086.56	9647.21
आर.1.1	रेलवे	R.1.1	Railways	15.56	2.42	17.98
आर.1.2	सड़क परिवहन	R.1.2	Roadways	5674.40	1765.33	7439.73
आर.1.3	विमानन	R.1.3	Aviation	555.03	6.32	561.35
आर.1.4	जल परिवहन	R.1.4	Waterways	436.65	90.23	526.88
आर.1.5	अन्य परिवहन	R.1.5	Others Transport	792.58	222.25	1014.83
आर.2	ऊर्जा	R.2	Energy	15991.22	3717.54	19708.76
आर.2.1	विद्युत जेन-ट्रांस-डिस्ट्रीब्यूशन	R.2.1	Electricity gen-trans--distribution	15989.31	3717.54	19706.86
आर.2.1.1	इनमें से राज्य बिजली बोर्ड	R.2.1.1	of which state electricity Board	5244.45	294.93	5539.38
आर.2.2	तेल	R.2.2	Oil	0.00	0.00	0.00
आर.2.3	गैस / एलएनजी (स्टोरेज एवं पाइप लाइन)	R.2.3	Gas/LNG (STORAGE AND PIPELINE)	1.91	0.00	1.91
आर.2.4	अन्य	R.2.4	Other	0.00	0.00	0.00
आर.3	टेलिकम्युनिकेशन	R.3	Telecommunication	5698.12	695.57	6393.69
आर.4	अन्य	R.4	others	2637.52	810.65	3448.17
आर.4.1	जल स्वच्छता	R.4.1	Water Sanitation	175.83	417.93	593.76
आर.4.2	सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना	R.4.2	Social and Commercial Infrastructure	398.15	165.29	563.44
आर.4.3	अन्य	R.4.3	Others	2063.54	236.12	2299.66
एस.	अन्य उद्योग	S.	Other Industries	2193.68	1225.03	3418.71
सभी उद्योग (कुल)			All Industries (Total)	101511.07	31240.15	132751.22

उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where out standing exposure is more than 5% of the total domestic credit exposure of the bank are as follows:

क्रम संख्या Sr no	उद्योग Industry	एक्सपोजर राशि (करोड़ रु. में) Exposure amt. (in cr.)	कुल घरेलू एक्सपोजर का % % of Total Domestic Exposure
1	विद्युत जेनट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन Electricity gen-trans-distribution	19706.85	7.07
2	लौह और इस्पात Iron and Steel	14337.74	5.14



च. आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण -

f. Residual maturity breakdown of assets

Residual contractual maturity breakdown of Assets - As on 31st March 2013

₹. करोड़ में Rs. In Crore

समयावधि	Time bucket	अग्रिम Advances				निवेश Investments			अन्य विदेशी मुद्रा आस्तियां Other Foreign Currency Assets			कुल आस्तियां Total Assets (A+B+C)	प्रतिशत %age
		घरेलू रु. Domestic Rupee	घरेलू विदेशी मुद्रा Domestic Fgn Currency	विदेशी Int'l	कुल (ए) Total (A)	घरेलू Domestic	विदेशी Int'l	कुल (बी) Total (B)	घरेलू Domestic	विदेशी Int'l	कुल (सी) Total (C)		
1 दिन	1 D	2256.94	29.77	2347.66	4634.37	2604.40	1.43	2605.83	495.64	11822.00	12317.64	19557.84	3.77%
2-7 दिन	2-7 D	5198.17	74.50	2995.90	8268.57	1922.49	13.38	1935.87	6587.51	4880.57	11468.08	21672.51	4.18%
8-14 दिन	8-14 D	7812.67	90.79	2977.95	10881.41	672.06	43.08	715.14	395.57	1845.37	2240.94	13837.49	2.67%
15-28 दिन	15-28 D	3130.77	439.38	5654.85	9225.00	564.54	23.85	588.39	325.71	6384.53	6710.24	16523.63	3.18%
29 दिन-90 दिन	29-90 D	21010.95	2214.41	21007.51	44232.88	9489.81	120.01	9609.82	3419.95	15605.25	19025.20	72867.90	14.04%
3 महीने-6 महीने	3 - 6 M	12540.57	1528.65	22473.01	36542.22	2821.39	574.24	3395.63	0.00	8819.65	8819.65	48757.50	9.39%
6 महीने-12 महीने	6 - 12 M	22559.65	1402.18	6305.45	30267.28	2476.69	287.97	2764.66	0.00	7680.61	7680.61	40712.54	7.84%
1 वर्ष-3 वर्ष	1 - 3 Y	74768.48	201.44	20326.73	95296.65	15708.01	906.86	16614.87	0.00	407.84	407.84	112319.36	21.64%
3 वर्ष-5 वर्ष	3 - 5 Y	21804.04	160.51	14740.88	36705.42	12281.62	1519.33	13800.94	0.00	37.10	37.10	50543.47	9.74%
5 वर्ष से अधिक	Over 5 Y	47056.41	14.07	5061.50	52131.98	68218.57	1144.00	69362.57	104.80	652.05	756.85	122251.40	23.55%
कुल	TOTAL	218138.63	6155.69	103891.4	328185.77	116759.5	4634.15	121393.73	11329.18	58134.97	69464.15	519043.64	100.00%

छ. गैर निष्पादक अग्रिमों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण

g. Disclosures in respect of Non Performing Advances and Investments

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ ₹ में Amount in ₹ Crores
i	एनपीए (सकल)	i NPAs (Gross):	7982.58
	अवमानक	Substandard	4918.70
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	1847.78
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	708.51
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	130.00
	हानि	Loss	377.59
ii	शुद्ध एनपीए	ii Net NPAs	
	कुल	Total	4192.02
iii	एनपीए अनुपात	iii NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances	2.40%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances	1.28%
iv	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	iv Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	4464.75
	जोड़	Additions	6843.80
	कमी	Reductions	3325.97

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ ₹ में Amount in ₹ Crores
	अन्तिम शेष	Closing balance	7982.58
v	एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट	v Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	2921.11
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provision made during the year	2989.52
	बढ़े खाते/अधिक प्रावधान का पुनरांकन	Write off/ Write back of excess provision	2120.08
	अन्तिम शेष	Closing balance	3790.55
vi	गैर निष्पादक निवेश	vi Non Performing Investments	
	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing Investments	405.25
	गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	303.56
vii	वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट	vii Movement of provisions for depreciation on investments during the year	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	703.88
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	*321.57
	पुनरांकन	Write-back	106.30
	अन्तिम शेष	Closing balance	919.15

* रु. 7.08 करोड़ के विनिमय उतार-चढ़ाव को अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए समायोजित किया गया है।

*Exchange fluctuation of Rs. 7.08 cr has been adjusted for international exposure.

V. ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टैंडर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है। निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

V. Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), ICRA, SMERA (SME Rating Agency of India Ltd.) and Brickwork India Pvt Ltd for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

राशि करोड़ रुपये में / Amount in Cr.

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	कुल/Total
100% जोखिम भार से कम	Below 100% risk weight	213762.75
100% जोखिम भार	100% risk weight	116768.59
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	33003.76
सीआरएम कटौती	CRM DEDUCTED	29478.11
कुल एक्सपोजर (एफ बी+एन एफ बी)	Total Exposure (FB+NFB)	393013.20

VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है, जहां कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ।
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की स्वाधिकृत जमाशायियाँ।
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआईसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित
7. ऋण प्रतिभूतियाँ - रेटिंग नहीं की गई कतिपय शर्तों के साथ एक बैंक द्वारा जारी
8. म्यूचुअल फंडों की यूनितें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक के पास, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति उपलब्ध है।

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति बासेल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटीदाताओं के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियाँ)
- कार्पोरेट्स / पी एस ई
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होते हैं अर्थात् ये कुल सीआरएम का प्रमुख भाग होते हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसई, काउंटर पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाएं (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबद्ध कंपनियाँ) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

VI. Credit risk mitigation:

a. Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency-with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates/PSEs
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies constitute a major percentile of total CRM.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSL, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.



ख. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

ऋण जोखिम संविभाग	Credit Risk Portfolio	वित्तीय संपार्श्विक (मार्जिन पश्चात्) Financial Collateral (post haircut)
देशी गारंटी	Domestic Sovereign	4.86
विदेशी गारंटी	Foreign Sovereign	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां	Public Sector Entities	634.23
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	103.55
प्राथमिक डीलर	Primary Dealers	0.00
कॉर्पोरेट	Corporates	17766.44
क्षेत्रीय रिटेल संविभाग	Reg Retail Portfolio	10142.60
आवासीय संपत्ति	Residential Property	77.61
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	102.41
विनिर्दिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	615.73
अन्य आस्तियां	Other Assets	30.68
कुल	TOTAL	29478.11

ग. एक्सपोजरों का विवरण, जो कि गारंटियों द्वारा कवर किए गए हैं, (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत)

c. Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

आस्ति श्रेणी	Asset category	ईसीजीसी ECGC	सीजीटीएमएसई CGTMSE	एए रेटेड तथा अधिक Rated AA and above	राज्य सरकार गारंटी Guarantee by State Govt	केन्द्रीय सरकार गारंटी Guarantee by Central Govt	केन्द्रीय सरकार गारंटी Guarantee by Bank
देशी गारंटियां	Domestic Sovereigns	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	Public Sector Entity	0.00	0.00	0.00	9030.13	45.63	9.74
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
कॉर्पोरेट	Corporates	4269.89	2.14	0.00	30.00	0.00	1033.60
विनियामक रिटेल संविभाग	Regulatory Retail Portfolio	297.53	979.39	0.00	0.00	0.00	103.40
आवासीय संपत्ति	Residential Property	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Comm. Real Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनिर्दिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	Other Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	TOTAL	4567.42	981.53	0.00	9060.13	45.63	3646.75

VII. प्रतिभूतीकरण

क. बैंक की प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2013 को बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

ख. प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है।

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

VII. Securitisation

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, and advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2013.

b. There is no case of retained exposure in respect of securitization.

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under:-

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

विदेशी ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी	Risk weight category as per external credit rating	बही मूल्य Book value	बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book	जोखिम भार % RW %	जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value
एएए - क्रिसिल	AAA – CRISIL	15.97	15.97	100	15.97
कुल	Total	15.97	15.97	100	15.97

ग. बैंक की वर्ष 2013-14 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण करने की कोई योजना नहीं है।

c. The bank does not presently plan to securitise any of its standard assets during the year 2013-14

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम प्रबंधित किए जाते हैं:

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानिरोधक सीमाएं, और मूल्य जोखिम सीमाएं। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। हानिरोधक सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों में ली जाती हैं।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है यथा मानकीकृत अवधि पद्धति। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-II के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2013 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं।

VIII. Market risk in trading book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-II.

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March, 2013 are as under:

(रु. करोड़ में Rs. in Cr.)

		जोखिम भार आस्तियां RWAs	9% पर न्यूनतम पूंजी प्रसार Minimum Capital Charge at 9%
ब्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	8959.10	806.32
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	10611.22	955.00
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	225.00	20.25
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	19795.32	1781.57

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है। मूल पद्धति के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति तक लाने को ध्यान में रखा गया है।

X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है।

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि):

इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है।

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है।
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं।
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है।

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके।

- इस पद्धति को आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है।
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

ख. ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव घरेलू परिचालनों के लिए रु. 335.20 करोड़ है (रुपया संसाधन एवं परियोजन) जबकि अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए यह 108.14 करोड़ रुपए है।

IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analysed under this approach.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as required by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration. The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. The net impact on Net Interest Income (NII) of the bank against 100 bps change in interest rates is Rs 335.20 Crore in the Domestic Operations (Rupee resources and deployment) and Rs. 108.14 Crore in International Operations.



महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)		7.78%	6.86%	6.97%	7.58%	7.34%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest Expenses / AWF		5.14%	4.42%	4.16%	4.95%	4.98%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (NIM)		2.91%	2.74%	3.12%	2.97%	2.66%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest Spread / AWF		2.64%	2.44%	2.80%	2.64%	2.36%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF		1.42%	1.15%	0.89%	0.87%	0.76%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating Expenses / AWF		1.84%	1.56%	1.47%	1.32%	1.24%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio		45.38%	43.57%	39.87%	37.55%	39.79%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) Profit / AWF		2.22%	2.03%	2.22%	2.19%	1.88%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net Profit / AWF		1.15%	1.26%	1.35%	1.28%	0.93%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth		19.48%	22.19%	21.42%	19.11%	14.59%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets		0.98%	1.10%	1.18%	1.12%	0.82%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets		1.10%	1.21%	1.33%	1.24%	0.90%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances		9.50%	8.55%	8.48%	9.39%	8.90%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits		5.71%	4.90%	4.56%	5.62%	5.80%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)		17.22%	20.90%	17.76%	16.22%	23.65%
16	ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio		81.94%	84.47%	86.77%	86.86%	82.03%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio		87.44%	88.74%	90.29%	90.36%	86.17%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल I) Capital Adequacy Ratio (BASEL I)		12.88%	12.84%	13.02%	12.95%	12.09%
	टीयर Tier - I		7.79%	8.22%	8.96%	9.56%	9.20%
	टीयर Tier - II		5.09%	4.62%	4.06%	3.39%	2.89%
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II) Capital Adequacy Ratio (BASEL II)		14.05%	14.36%	14.52%	14.67%	13.30%
	टीयर Tier - I		8.49%	9.20%	9.99%	10.83%	10.13%
	टीयर Tier - II		5.56%	5.16%	4.53%	3.84%	3.17%



क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)		36838	38960	40046	42175	43108
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)		2974	3148	3418	3959	4336
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)		8.63	9.81	12.29	14.66	16.89
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)		7.57	8.94	11.26	13.15	15.71
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)		11.69	12.67	17.43	20.35	20.88
6	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)		6.05	7.85	10.59	11.87	10.39
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per branch (Rs. in crore)		112.86	132.24	156.27	169.80	184.98
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)		1.45	1.57	2.04	2.17	2.08
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)		0.75	0.97	1.24	1.26	1.03
10	प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees)		61.14	83.96	116.37	127.84	108.84
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees)		313.82	378.44	505.71	637.37	729.11

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (जहां उचित लगा, पिछले वर्षों के आकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)

परिभाषाएं / Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly Average of Total Assets
औसत जमा राशियां	: कुल जमा राशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमा राशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits Plus Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिफल	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)
आस्तियों पर प्रतिफल	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by AWF
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमा राशियों की लागत	: जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमा राशियों से;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश, कारपोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमा राशियां (अर्थात् कुल जमा राशियां - घटाएँ अंतर बैंक जमा राशियां)	Credit - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमा राशि - अनुपात;	: (कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटाएँ अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: समग्र जमा राशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कुल कर्मचारियों की संख्या से	Business Per Employee	: Core Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमा राशियां औसत अग्रिम/विभाजित करें कुल कर्मचारी संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें, कुल कर्मचारी संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमा राशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें इक्विटी से X दस;	Earnings Per Share	: Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को विभाजित करें इक्विटी से X दस.	Book Value Per Share	: Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.



31 मार्च, 2013 का तुलन-पत्र Balance Sheet as on 31st March, 2013

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2013 को As on 31 st Mar, 2013 ₹	31 मार्च 2012 को As on 31 st Mar, 2012 ₹
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	422,51,75	412,38,46
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	31546,92,10	27064,46,61
जमा राशियां	Deposits	473883,33,75	384871,10,59
उधार ली गई राशियां	Borrowings	26579,28,18	23573,05,12
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	14703,38,25	11400,45,92
जोड़	T O T A L	547135,44,03	447321,46,70
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	13452,07,83	21651,45,96
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	71946,82,60	42517,08,16
निवेश	Investments	121393,72,44	83209,40,01
अग्रिम	Advances	328185,76,49	287377,29,35
अचल आस्तियां	Fixed Assets	2453,11,60	2341,50,20
अन्य आस्तियां	Other Assets	9703,93,07	10224,73,02
जोड़	T O T A L	547135,44,03	447321,46,70
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	204628,91,69	152502,81,31
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	25952,23,60	22766,99,37
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एस. एस. मुंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पि. श्रीनिवास
कार्यपालक निदेशक
श्री सुधीर कुमार जैन
कार्यपालक निदेशक
श्री रंजन धवन
कार्यपालक निदेशक
श्री वी.के. गुप्ता
महाप्रबंधक
(कापरेट खाते एवं कराधान एवं मुविअ)
श्री बी. इलंगो
सहा. महाप्रबंधक
(कापरेट खाते एवं कराधान)
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 13 मई, 2013

निदेशक
श्री आलोक निगम
श्री सुरेशन सेन
श्री विनिल कुमार सक्सेना
श्री वी. बी. चव्हाण
श्री सत्य देव त्रिपाठी
श्री मौलिन ए. वैष्णव
श्री सुरेंद्र एस भंडारी
श्री राजीव एस साहू

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244
कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001135 एन
(गौरव मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 099387

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ब्रह्मर्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825
कृते एनबीएस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेड्डी)
भागीदार
एम. नं.: 046940
कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060
कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002228सी
(आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम. नं.: 073063



31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2013

(000's अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2013 को Year ended 31 st March 2013 ₹	31 मार्च 2012 को Year ended 31 st March 2012 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	35196,65,44	29673,72,42
अन्य आय	Other Income	14	3630,62,49	3422,32,82
जोड़	T O T A L		38827,27,93	33096,05,24
II. व्यय	EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	23881,38,91	19356,71,23
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	5946,73,63	5158,71,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies		4518,43,39	3573,66,66
जोड़	T O T A L		34346,55,93	28089,09,62
III. लाभ	PROFIT			
अवधि का शुद्ध लाभ	Net Profit for the period		4480,72,00	5006,95,62
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		4480,72,00	5006,95,62
विनियोजन	Appropriations			
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		1120,18,00	1251,73,91
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		81,44,81	22,39,86
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		1369,46,69	2453,86,08
II) आयकर अधिनियम 1960, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1960 Income Tax Act, 1961		850,00,00	533,84,66
III) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	III) Statutory Reserve (Foreign)			1,55,80
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		1059,62,50	812,29,04
ङ) निवेश प्रारक्षित खाता	e) Investment Reserve Account		--	(68,73,73)
जोड़	T O T A L		4480,72,00	5006,95,62
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹10)	Basic & Diluted Earnings per Share (₹) (Nominal value per share ₹10)	18 (B-5)	108.84	127.84
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न भाग हैं.	The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.			

S S MUNDRA
Chairman & Managing Director
P Srinivas
Executive Director
Sudhir Kumar Jain
Executive Director
Ranjan Dhawan
Executive Director
Shri V K Gupta
General Manager
Corp A/cs & Taxation and CFO
Shri B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri Sudarshan Sen
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri V B Chavan
Shri Satya Dev Tripathi
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Surendra S Bhandari
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
For Laxminiwas Neeth & Co For Brahmayya & Co For Ray & Ray
Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants
FRN: 002460S FRN: 000511S FRN: 301072E
(Dayaniwas Sharma) (Jitendra Kumar) (Amitava Chowdhury)
Partner Partner Partner
M No. 216244 M No. 201825 M No. 056060
For S. K. Mittal & Co. For For N B S & Co For KASG & Co.
Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants
FRN: 001135N FRN: 110100W FRN: 002228C
(Gaurav Mittal) (Pradeep J. Shetty) (R. K. Agarwal)
Partner Partner Partner
M. No. 099387 M No. 046940 M No.073063

Place : Mumbai
Date : 13th May 2013





तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL				
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 10/- के)	300,00,00,000 Shares of ₹10/- each (previous year 300,00,00,000/- shares of ₹10/- each)		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रति ₹ 10/- के 42,39,89,803 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 41,38,56,883 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/- के)	42,39,89,803 Equity Shares of ₹10/- each (previous year 41,38,56,883 shares of ₹. 10/- each)		423,98,98		413,85,69
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL				
प्रति ₹ 10/- के 42,12,56,303 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 41,11,23,383 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 233.41 करोड़ राशि के 23,34,12,499 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 22,32,79,579 शेयर) शामिल हैं.	42,12,56,303 (previous year 41,11,23,383) Equity Shares of ₹10 each including 23,34,12,499 Equity Shares (previous year 22,32,79,579 Shares) amounting to ₹ 233.41 crores held by Central Government		421,25,63		411,12,34
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12		1,26,12
जोड़	Total		422,51,75		412,38,46
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	5863,91,33		4612,17,42	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	1120,18,00	6984,09,33	1251,73,91	5863,91,33
II प्रारक्षित पूंजी	II Capital Reserves				
(₹ 1104.26 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछले वर्ष ₹ 1173.68 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 1104.26 crores (previous years ₹ 1173.68 crores)				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	1974,89,59		2021,30,70	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	81,44,81		22,39,86	
वर्ष के दौरान समायोजन	Adjustments during the year	(42,50)		7,63,41	
		2055,91,90		2051,33,97	
कटौतियां :	Deductions:				
लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account	(68,99,00)	1986,92,90	(76,44,38)	1974,89,59
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium				
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	6332,71,79		4707,60,59	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	839,86,71	7172,58,50	1625,11,20	6332,71,79

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013	31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012
		₹	₹
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी) SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS (Contd.)			
IV राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV Revenue & Other Reserves		
क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	102,61,85	89,21,65
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	-	1,55,80
वर्ष के दौरान समायोजन	Adjustments during the year	3,78,07	11,84,40
		106,39,92	102,61,85
ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1559,23,66	1025,39,00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	850,00,00	533,84,66
		2409,23,66	1559,23,66
ग. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	696,58,14	49,35,70
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Adjustments during the year	285,65,28	647,22,44
		982,23,42	696,58,14
घ. प्रारक्षित निवेश खाता	d) Investment Reserve Account	-	68,73,73
लाभ-हानि विनियोजन खाते में अंतरण	Transferred to P&L Appropriation A/c		(68,73,73)
ङ. अन्य प्रारक्षित निधियां	e) Other Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	10534,50,25	8076,93,79
प्रारक्षित निवेश खाते को अन्तरित	Transferred to Investment Reserve Account	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	1369,46,69	2453,86,08
वर्ष के दौरान समायोजन	Adjustments during the year	1,47,43	37038
		11905,44,37	10534,50,25
जोड़ - IV (क, ख, ग, घ और ङ)	TOTAL - IV (a, b, c, d & e)	15403,31,37	12892,93,90
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)	31546,92,10	27064,46,61

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-3 जमाराशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1404,99,05		1124,43,94	
ii) अन्य से	ii) From Others	34273,31,59		35678,30,64	
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits	84302,60,67		27819,92,29	
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits			28944,36,23	
i) बैंकों से	i) From Banks	72421,97,80		52907,06,49	
ii) अन्य से	ii) From Others	281480,44,64		353902,42,44	
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)	473883,33,75		228440,15,05	
				281347,21,54	
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	341705,59,38		280135,25,38	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	132177,74,37		104735,85,21	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	473883,33,75		384871,10,59	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I. Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	335,41,89		168,00,19	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	205,09,01		410,20,99	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रूप में जारी हाय ब्रिड ऋण पूंजी	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5000,00,00		5000,00,00	
vi) गौण बांड	vi) Subordinated Bonds	2490,00,00		2490,00,00	
जोड़ (i to iv)	TOTAL (I to VI)	9942,20,90		9979,91,18	
II. भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां (₹ 1628.55 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष ₹ 1526.25 करोड़)	Borrowings outside India (includes MTN Bonds of USD 300 mn, INR equivalent of ₹ 1628.55 crores (previous year ₹ 1526.25 crores))	16637,07,28		13593,13,94	
जोड़ - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)	26579,28,18		23573,05,12	
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above	2767,77,47		523,16,34	

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013	31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012
		₹	₹
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5		
अन्य देयताएं और प्रावधान :	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I देय बिल	I Bills Payable	1427,03,70	1366,84,43
II अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II Inter Office Adjustments (Net)	360,51,59	-
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	3259,39,79	2805,96,51
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	1820,37,84	1390,06,06
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)	7836,05,33	5837,58,92
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)	<u>14703,38,25</u>	<u>11400,45,92</u>
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	1559,50,62	1200,78,63
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account	11892,57,21	20450,67,33
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	<u>13452,07,83</u>	<u>21651,45,96</u>

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1191,50,73		254,43,24	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	3448,27,37	4639,78,10	3554,22,95	3808,66,19
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	2445,00,00		50,00,00	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	6411,69,11	8856,69,11	-	50,00,00
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		13496,47,21		3858,66,19
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	11638,16,35		7773,20,19	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	24558,99,01		15668,49,67	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	22253,20,03		15216,72,11	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		58450,35,39		38658,41,97
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		71946,82,60		42517,08,16



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013	31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012
		₹	₹
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	117537,50,11	79818,79,65
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	777,92,85	553,80,22
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India	116759,57,26	79264,99,43
अलग-अलग विवरण	BREAK - UP		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	102044,53,23	69188,19,52
(क्विलयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹772.28 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹386.90 करोड़) के ₹815.00 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹395.00 करोड़) शामिल है	[Includes ₹ 772.28 crores (Previous year ₹ 386.90 crores) face value of ₹ 815.00 crores (Previous year ₹ 395.00 crores) lodged with Clg. Corp. of India]		
[एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹19.70 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹19.70) के ₹20.30 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹20.30)]	[Includes ₹ 19.70 crores (Previous year ₹ 19.70 crores) face value of ₹ 20.30 crores (Previous year ₹ 20.30 crores) lodged with MCX]		
[एनएसई के पास लॉज किए गए ₹24.27 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹24.27 करोड़) के ₹25.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹25.00 करोड़) शामिल है	[Includes ₹ 24.27 crores (Previous year ₹ 24.27 crores) face value of ₹ 25.00 crores (Previous year ₹ 25.00 crores) lodged with NSE]		
[यूएसई में जमा 14.97 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹14.97 करोड़) के ₹15.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.25 करोड़) शामिल है	[Includes ₹ 14.97 crores (Previous year ₹14.97 crores) face value of ₹ 15.25 crores (Previous year ₹15.25 crores) lodged with USE]		
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	133,23,00	163,26,00
iii) शेयर	iii) Shares	1504,91,18	1459,93,49
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2947,38,22	2959,98,37
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम [इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट ₹152.91 करोड़] (पिछले वर्ष ₹112.82 करोड़) शामिल हैं.]	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of ₹152.91 crores (Previous year ₹ 112.82 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	826,57,58	697,59,53
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि)	vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	9302,94,05	4796,02,52
		116759,57,26	79264,99,43



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013	31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012
		₹	₹
अनुसूची-8 निवेश (जारी)			
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (contd.)			
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	4775,37,26	4094,48,61
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	141,22,08	150,08,03
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India	4634,15,18	3944,40,58
अलग-अलग विवरण	BREAK - UP		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	1114,75,53	1059,64,08
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	737,10,40	537,34,74
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉन्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	2782,29,25	2347,41,76
		4634,15,18	3944,40,58
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)	121393,72,44	83209,40,01
अनुसूची-9 अग्रिम			
SCHEDULE - 9 ADVANCES			
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	48409,29,55	39117,90,23
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकाती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	138333,54,50	121401,49,70
iii) मियादी ऋण	iii) Term Loans	141442,92,44	126857,89,42
जोड़ क (i से iii)	TOTAL A (i to iii)	328185,76,49	287377,29,35
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूति (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	226454,54,33	190080,43,40
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	59970,69,98	50360,86,29
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	41760,52,18	46935,99,66
जोड़ ख (i से iii)	TOTAL B (i to iii)	328185,76,49	287377,29,35
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	79467,14,90	64909,93,48
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	22539,06,68	23704,48,27
iii) बैंक	iii) Banks	2571,30,19	2095,10,85
iv) अन्य	iv) Others	119716,80,90	111365,86,96
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i) बैंकों से प्राप्य	i) Due from Banks		
ii) अन्य से प्राप्य	ii) Due from Others		
क) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	41450,89,46	33315,39,60
ख) सिंडिकेट ऋण	b) Syndicated Loans	14772,30,59	12068,97,80
ग) अन्य	c) Others	47668,23,77	39917,52,39
जोड़ ग(I और II)	TOTAL C (I & II)	328185,76,49	85301,89,79
			287377,29,35

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2584,13,89		2488,44,27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/adjustments during the year	44,92,66		96,96,40	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	2629,06,55		2585,40,67	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the year	-		1,26,78	
		2629,06,55		2584,13,89	
आज की तारीख तक मूल्यहास/परिशोधन	Less: Depreciation/Amortisation to date	907,63,28	1721,43,27	813,03,56	1771,10,33
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2337,44,82		2059,71,72	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions/adjustments during the year	473,09,13		337,57,40	
		2810,53,95		2397,29,12	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/adjustments during the year	58,63,74		59,84,30	
		2751,90,21		2337,44,82	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less : Depreciation to date	2020,21,88	731,68,33	1767,04,95	570,39,87
जोड़ (I से II)	TOTAL (I to II)		2453,11,60		2341,50,20



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची -11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I Inter-Office Adjustments (Net)	-		354,64,99	
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	3636,82,35		3515,91,88	
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	3374,52,25		1993,11,31	
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps	6,53,06		7,07,33	
V अन्य	V Others	2686,05,41		4353,97,51	
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)	<u>9703,93,07</u>		<u>10224,73,02</u>	
अनुसूची -12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	54,09,58		64,73,47	
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00		28,00	
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	136024,70,55		93031,85,80	
IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	14271,45,36		13765,92,57	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	14181,13,88	28452,59,24	9979,65,84	23745,58,41
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	18995,94,13		17950,28,63	
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable	21101,30,19		17710,07,00	
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>204628,91,69</u>		<u>152502,81,31</u>	

लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Profit & Loss Account

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को Year Ended 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को Year Ended 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-13	SCHEDULE - 13				
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills	25867,05,54		22369,40,96	
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	7483,38,60		6184,72,95	
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1443,02,26		837,43,27	
IV अन्य	IV Others	403,19,04		282,15,24	
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)	<u>35196,65,44</u>		<u>29673,72,42</u>	
अनुसूची - 14	SCHEDULE - 14				
अन्य आय	OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	1257,35,64		1226,08,44	
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	628,76,73		643,15,79	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	<u>11,47,74</u>	617,28,99	<u>36,48,69</u>	606,67,10
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	1,23,97		2,57,17	
घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	<u>2,03,60</u>	(79,63)	<u>1,76,03</u>	81,14
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	804,06,16		690,77,15	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	<u>1,55,52</u>	802,50,64	<u>4,66,14</u>	686,11,01
V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India	38,32,24		25,57,86	
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	915,94,61		877,07,27	
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>3630,62,49</u>		<u>3422,32,82</u>	

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को Year Ended 31 st Mar, 2013		31 मार्च, 2012 को Year Ended 31 st Mar, 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-15	SCHEDULE - 15				
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	22445,69,11		17770,71,70	
II भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	461,09,24		631,14,76	
III अन्य	III Others	974,60,56		954,84,77	
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)	<u>23881,38,91</u>		<u>19356,71,23</u>	
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	3449,64,85		2985,57,91	
II किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting	523,75,72		415,73,56	
III छापाई और लेखन सामग्री	III Printing and Stationery	56,07,26		38,80,56	
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	61,06,31		58,15,34	
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	V Depreciation on Bank's Property	369,62,71		353,00,90	
घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास	Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	68,99,00	300,63,71	76,44,38	276,56,52
VI निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,24,84		1,17,59	
VII लेखा परीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	33,83,02		39,64,82	
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	30,53,23		22,12,49	
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	118,54,21		99,32,85	
X मरम्मत और रखरखाव	X Repairs and Maintenance	183,67,75		168,90,38	
XI बीमा	XI Insurance	296,65,20		277,20,30	
XII अन्य खर्च	XII Other Expenditure	891,07,53		775,49,41	
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)	<u>5946,73,63</u>		<u>5158,71,73</u>	

अनुसूची-17 : 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year ended March 31, 2013

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें

- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहन, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि सम्मिलित है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

- a "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills,

संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'बाजार' के रूप में चिन्हित किया जाता है।

“व्यापार के लिए धारित” एवं “बिक्री के लिए उपलब्ध” के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिपवार बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को “लाभ हानि खाते” के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यों के अनुसार तिमाही आधार पर किया जाता है।

“व्यापार के लिए धारित” तथा “बिक्री के लिए उपलब्ध” श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफडीआईआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- | | |
|---|---|
| क) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां | - “परिपक्वता प्रतिफल” के आधार पर |
| ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर | - अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1/- प्रति कंपनी. |
| ग) अधिमानी शेयर | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर |
| घ) पीएसयू बांड | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर. |
| ड.) म्यूचुअल फंड की यूनिटें | फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/ एन.ए.वी. पर |
| च) उद्यम पूंजी | लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/- |

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है

Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in “Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

- | | |
|---|--|
| a Government / Approved securities | - on Yield to Maturity basis. |
| b Equity Shares, PSU and Trustee shares | - at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c Preference Shares | - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark- up |
| d PSU Bonds | - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| e Units of Mutual Funds | - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme. |
| f Venture Capital | - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF. |

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related

तथा “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है। ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातों में प्रभारित किया जाता है।

- 3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है।
- 3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
- 3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- 3.9 **पुनः खरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद**

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनः खरीद का करार किया जाता है। पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता। लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखांकित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नाम/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स मार्केड टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वेप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

- 3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.
- 3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.
- 3.9 **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge(market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.

मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

तुलन पत्र की तिथि को 'फेडरै' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचित ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। तथा इस पर मूल्यहास को इसमें से घटाया जाता है।
- 5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

- 7.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 7.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, surplus is carried forward and utilised to meet the shortfall/ loss on account of subsequent sale of non-performing financial assets.

5 FIXED ASSETS

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 5.2 Premises include land and building under construction.

6 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7 REVENUE RECOGNITION

- 7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis.

कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

- 7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

8.2 उपदान

बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ बड़ौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

8.3 पेंशन

8.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियमों के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

8.3.2 जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित होता है।

8.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश (अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश सहित) का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी हित (लाभ) यथा छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

- 7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

- 7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.



9. मूल्यहास

- 9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित मूल्यहासित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।
- 9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- 9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का पूर्ण मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया जाता है।
- 9.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
- 9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10. आस्तियों का अनर्जन

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन एएस 11 के अनुरूप किया गया है।
- 11.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - क) एकीकृत परिचालनों एवं
 - ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।
- 11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :
 - (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
 - (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

9 DEPRECIATION

- 9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 9.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.
- 11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 11.3 Translation in respect of Integral Operations
 - a The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.



(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

(घ) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

(क) आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।

(ख) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर व वायदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है।

(ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।

(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति,

c The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

a Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected



रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change

13 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

क-1. पूंजी

A-1. Capital

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) सी आर ए आर (%) बासेल-II	i) CRAR % Basel-II	13.30 %	14.67 %
ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%) बासेल-II	ii) CRAR - Tier I Capital (%) Basel-II	10.13 %	10.83 %
iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%) बासेल-II	iii) CRAR - Tier II Capital (%) Basel-II	3.17 %	3.84 %
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	55.41 %	54.31 %
v) टियर-II पूंजी के अनुसार सबऑर्डिनेट ऋण की राशि	v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II Capital	-	-
vi) आईपीडीआई निर्गमित कर प्राप्त राशि	vi) Amount raised by issue of IPDI	-	-
vii) अपर टियर II लिखतों को निर्गमित कर प्राप्त राशि	vii) Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	-	-

2. निवेश

A-2. Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	1,17,537.50	79,818.80
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	4,775.37	4,094.49
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	777.92	553.80
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	141.22	150.08
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	1,16,759.58	79,265.00
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India.	4,634.15	3,944.41
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	703.88	480.17
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	314.48	343.55
(iii) घटाए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बटुटाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	99.22	119.84
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	919.14	703.88



2.1 रिपो संव्यवहार (अंकित मूल्य में)

A-2.1 Repo Transactions (in face value terms)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2013 को बकाया शेष Outstanding as on 31st March 2013
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	339.68	7,970.68	110.17	0.00
(ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	548.00	841.00	0.00	570.00
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	215.00	22,917.55	2,507.23	7,875.00
(ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

क-2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड के नीचे की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)	पीएसयू	PSUs	1,230.08	354.61	0.00	0.00	113.36
(ii)	एफआई	FIs	1,010.03	936.08	71.14	0.00	71.14
(iii)	बैंक	Banks	7,957.23	1,159.51	374.82	41.39	48.15
(iv)	निजी निगम	Private Corporate	2,419.54	1,010.14	738.40	341.07	104.82
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,569.54	1,569.54	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	Others	5,916.67	522.38	980.32	54.29	54.29
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	-919.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	Total	19,183.95	5,552.26	2,164.68	436.75	391.76

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	339.55	250.70
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	93.39	77.79
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	27.69	-11.06
अंतिम शेष	Closing balance	405.25	339.55
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	303.57	290.98



क-2.3. वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के एचटीएम में रखे गए निवेशों की बिक्री

A-2.3 Sale of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

निवेश का आरंभिक शेष (एचटीएम) 01.04.2012 Opening Bal. of investment (HTM) 01.04.2012	वर्ष के दौरान बिक्री/ अंतरण Sale/ transfer during the year	परिवर्द्धन Addition	निवेशों का समाप्ति शेष 31.03.2013 Closing Bal. of Investment (HTM) 31.03.13	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाज़ार मूल्य 31.03.2013 Market value of investment (HTM) category 31.03.13
-	-	-	-	-

क-2.4. एसएलआर निवेश

A-2.4 SLR Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	बही मूल्य Current Year Book Value	मार्केट मूल्य Market Value	बही मूल्य Previous Year Book Value	मार्केट मूल्य Market Value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)* Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	1,02,076.7	1,02,076.7	69,207.34	69,207.34
अनुमोदित प्रतिभूतियां – एसएलआर Approved sec-SLR	133.23	133.23	163.26	163.26

*इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं।

* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

क-2.5. एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-2.5 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2013	-	-	-
2012	-	-	-

क-2.6 डेरीवेटिव्स

A-2.6 Derivatives

क-2.6.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.6.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि The notional principal of swap agreements	21,009.52	17,477.59
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	258.52	179.62
iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित कोलैटरल Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	979.59	977.85
v) स्वैप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	692.50	732.07

क-2.6.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स :
A-2.6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार) A. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A. Interest Rate Future (IRF)	-
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की 31 मार्च, 2013 के अनुसार (लिखतवार) बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2013	-
(iii)	नोशनल प्रिंसिपल राशि वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) (instrument-wise)	-
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिव्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-

क-2.6.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण
A-2.6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण
(i) Qualitative Disclosure

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिव्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टाप लॉस लिमिट तथा काउन्टर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

The Bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम. बैंक की मूल्य जोखिम, जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं. इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनिटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

लेनदेनों की काउन्टर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं. अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं. डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टू-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउन्टर पार्टी से

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from



धन प्राप्त करना है। तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हैजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वेप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वेप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	872.87	20,158.65
	क) हैजिंग के लिए	850.87	8,850.52
	ख) ट्रेडिंग के लिए	22.00	11,308.13
(ii)	मार्कड टू मार्केट पोजिशन (1)	66.53	626.03
	क) आस्तियां (+)	76.11	682.88
	ख) देयताएं (-)	-9.58	-56.85
(iii)	ऋण जोखिम (2)	127.99	946.54
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	0.21	407.56
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	0.18	222.21
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	0.03	185.35
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	4.85 & 0.21	472.35 & 389.64
	क) हैजिंग पर	4.25 & 0.18	282.48 & 222.00
	ख) ट्रेडिंग पर	0.6029 & 0.0320	189.87 & 167.64

क-2.6.4 ऋण चूक स्वेप (सीडीएस)

सीडीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.05.2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी सीडीएस संविदाओं के मूल्यांकन हेतु फिमडा द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व अथवा इससे अधिक संरक्षित मूल्यांकन होने पर किसी अन्य स्वामित्व मॉडल का उपयोग करना आवश्यक है। अपनी सीडीएस स्थितियों के मूल्यांकन के लिए हमारा बैंक फिमडा कर्व का ही उपयोग करता है, सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक स्वामित्व मॉडल का उपयोग नहीं करता है।

A.2.6.4 Credit Default Swaps (CDS)

As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the Banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA or any other proprietary model if it results in a more conservative valuation. Our Bank uses the FIMMDA curve for valuing our CDS positions, Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation.


क-2.7 आस्ति गुणवत्ता
क-2.7.1 गैर निष्पादक आस्तियां

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A-2.7 Asset Quality
A-2.7.1 Non Performing Assets

A. Movement of NPAs

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल, 2012 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 1st April 2012 (Opening Balance)	4,464.75	3,152.50
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	6,843.80	3,443.31
उप जोड़ (क)	Sub-Total (A)	11,308.55	6,595.81
घटाएं :	Less : -		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	340.93	335.55
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	625.57	580.46
(iii) बड़े खाते डाली गई राशि	(iii) Write-offs	2,359.47	1,215.05
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	3,325.97	2,131.06
31 मार्च, 2013 के सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	Gross NPAs as on 31st March 2013 (closing balance) (A-B)	7,982.58	4,464.75

ख) गैर निष्पादक आस्तियां

B) Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.28	0.54
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	Movement of NPAs (Gross)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	4,464.75	3,152.50
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	6,843.80	3,443.31
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	3,325.97	2,131.06
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	7,982.58	4,464.75
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन	Movement of Net NPAs		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	1,543.64	790.88
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	3,854.28	1,988.72
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	1,205.89	1,235.96
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	4,192.03	1,543.64
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	2,921.11	2,361.62
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Provisions made during the year	2,989.52	1,836.42
(ग) आधिक्य प्रावधानों को बड़े खाते डालना/पुनःहिसाब में लेना	(c) Write-off/ write-back of excess provisions	2,120.08	1,276.93
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	3,790.55	2,921.11

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C) Sector-wise NPAs

क्रमांक Sl. No.	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	4.91	3.99
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.31	1.12
3	सेवाएं	Services	5.27	2.72
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal Loans	6.87	3.66

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	16,5731.12	12,7861.71
कुल एन पी ए	Total NPAs	1,431.76	582.92
कुल राजस्व	Total Revenue	4,950.58	4,032.74

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्रम संख्या S. No.	पुनर्गठन के प्रकार Type of Restructuring	सी डी आर कार्यवाही के अंतर्गत Under CDR Mechanism						एस एम ई ऋण पुनर्गठन कार्यवाही के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others				कुल Total			
		मानक Standard	अप्रमाणिक Sub- standard	संदीप्य Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अप्रमाणिक Sub- standard	संदीप्य Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अप्रमाणिक Sub- standard	संदीप्य Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अप्रमाणिक Sub- standard	संदीप्य Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2012 को पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on April 01, 2012	26	0	5	0	31	836	233	821	131	2021	6989	1337	4286	654	13266	7851	1570	5112	785	15318
	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	2456.28	0.00	235.90	0.00	2692.18	1919.85	162.29	330.18	23.86	2436.18	11567.39	193.12	388.20	178.60	12327.31	15943.52	355.41	954.28	202.46	17455.67
	बकाया राशि Amount outstanding	279.23	0.00	21.46	0.00	300.69	25.69	1.35	3.76	0.00	30.80	44.88	6.03	7.86	0.00	58.77	349.80	7.38	33.08	0.00	390.26
	उत्तर प्रदान Provision thereon	22	5	0	0	27	743	44	9	0	796	17460	615	349	0	18424	18225	664	358	0	19247
	ऋणकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1593.65	506.57	0.00	0.00	2100.22	950.61	52.19	20.43	0.00	1023.23	4850.22	56.76	475.64	0.00	5382.62	7394.48	615.52	496.07	0.00	8506.07
	बकाया राशि Amount outstanding	126.33	56.27	0.00	0.00	182.60	11.05	0.02	0.04	0.00	11.11	270.78	1.13	10.86	0.00	282.77	408.16	57.42	10.90	0.00	476.48
	उत्तर प्रदान Provision thereon	3	-3	0	0	0	16	-16	0	0	0	156	-154	-2	0	0	175	-173	-2	0	0
3	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में अप्रमाणिक Upgradation to restructured standard category during the FY 2012-13	380.89	-380.89	0.00	0.00	0.00	2.72	-2.72	0.00	0.00	0.00	29.72	-11.29	-18.43	0.00	0.00	413.33	-394.90	-18.43	0.00	0.00
	बकाया राशि Amount outstanding	43.05	-43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	-1.07	0.00	0.00	0.00	44.12	-44.12	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदान Provision thereon	-4	0	0	0	-4	-79	0	0	0	-79	-848	0	0	0	-848	-931	0	0	0	-931
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिससे उच्च प्रवर्धनीकरण और/वा वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार समाप्त और आगे वित्त वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रद्द में दिखाना आवश्यक नहीं है। Restructured standard advances which ceased to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	-181.90	0.00	0.00	0.00	-181.90	-375.01	0.00	0.00	0.00	-375.01	-1708.63	0.00	0.00	0.00	-1708.63	-2265.54	0.00	0.00	-2265.54	
	बकाया राशि Amount outstanding	-2.53	0.00	0.00	0.00	-2.53	-3.13	0.00	0.00	0.00	-3.13	-14.32	0.00	0.00	0.00	-14.32	-19.98	0.00	0.00	0.00	-19.98
	उत्तर प्रदान Provision thereon	-3	1	1	1	0	-338	89	243	6	0	-1258	543	525	190	0	-1599	633	769	197	0
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का इन्वर्ग्रेशन Downgradation of restructured accounts during the FY	-294.55	110.29	159.89	24.37	0.00	-304.06	178.82	124.77	0.47	0.00	-1455.03	772.65	676.27	6.11	0.00	-2053.64	1061.76	960.93	30.95	0.00
	बकाया राशि Amount outstanding	-16.60	9.33	7.27	0.00	0.00	-3.19	0.34	2.85	0.00	0.00	-7.95	3.26	4.69	0.00	0.00	-27.74	12.93	14.81	0.00	0.00
	उत्तर प्रदान Provision thereon	-2	0	0	0	-2	-310	-42	-134	-43	-529	-2694	-469	-541	-54	-3758	-3006	-511	-675	-97	-4289
6	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बूझ जाते में खाते पुनर्गठित खाते Write off of restructured accounts during the FY 2012- 13	-119.64	0.00	0.00	0.00	-119.64	-132.15	-2.24	-56.36	-1.06	-191.81	-599.94	-8.32	-863.42	-0.67	-1472.35	-851.73	-10.56	-919.78	-1.73	-1783.80
	बकाया राशि Amount outstanding	-9.17	0.00	0.00	0.00	-9.17	-0.04	0.00	-0.07	0.00	-0.11	-2.01	0.00	0.00	0.00	-2.01	-11.22	0.00	-0.07	0.00	-11.29
	उत्तर प्रदान Provision thereon	42	3	6	1	52	868	308	939	94	2209	19805	1872	4617	790	27084	20715	2183	5562	885	29345
7	31 मार्च 2013 को पुनर्गठित खाते Restructured accounts as on March 31, 2013	3889.65	236.07	395.79	24.37	4545.88	1959.28	388.98	419.67	23.27	2791.20	13412.90	1003.52	679.81	184.04	15280.27	19261.83	1628.57	1495.27	231.68	22617.35
	बकाया राशि Amount outstanding	414.85	22.55	16.86	0.00	454.26	27.31	1.38	4.86	0.00	33.55	314.74	8.74	20.35	0.00	343.83	756.90	32.67	42.07	0.00	831.64
	उत्तर प्रदान Provision thereon																				

क-2.7.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	-	3
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	-	6.52
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) शुद्ध बही कीमत पर कुल लाभ / हानि	Aggregate gain/loss over net book value	-	6.52

क-2.7.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.7.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	(a) No. of accounts purchased during the year	-	-
ख. समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-
2. क. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
ख. सकल बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	No. of accounts sold	-	3
2. समग्र बकाया	Aggregate outstanding	-	68.33
3. समग्र प्रतिफल प्राप्ति	Aggregate consideration received	-	6.52

क-2.7.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.7.5 Provisions on Standard Asset

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	1,820.38	1,390.06


क-2.7.6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का केन्द्रीकरण
क) जमाओं का केन्द्रीकरण

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	49,049.33	36,576.98
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	10.35	9.50

A-2.7.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs
a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण
b) Concentration of Advances

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	49,035.28	42,897.70
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	9.53	10.22

ग) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण
c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	51,573.39	44,872.71
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	8.16	8.99

घ) एनपीए का केन्द्रीकरण
d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	1,067.66	709.92

ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात
e) Provision Coverage Ratio

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए में प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बड़ाकरण सहित)	Provision Coverage Ratio	68.24%	80.05%



क-2.8 व्यावसायिक अनुपात

A.2.8 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	7.34	7.58
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.76	0.87
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	1.88	2.19
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.90	1.24
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	16.89	14.66
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹ in Crores)	0.10	0.12

क-2.9 आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A. 2.9 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months	6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	5142.66 (2925.19)	23513.87 (21239.74)	15185.67 (11003.69)	18126.44 (14239.70)	64889.29 (57524.98)	52890.56 (46899.67)	131681.42 (101186.09)	82863.02 (69782.90)	18095.14 (14480.81)	61493.2 (45498.33)	473881.27 (384871.11)
अग्रिम	Advances	4634.37 (2219.76)	8268.57 (6010.72)	10881.41 (8268.23)	9225.00 (6769.28)	44232.88 (37969.99)	36542.22 (31238.21)	30267.28 (30909.28)	95296.65 (89550.20)	36705.42 (31298.26)	52131.98 (43143.37)	328185.77 (287377.29)
निवेश	Investments	2605.83 (419.65)	1935.87 (1186.93)	715.14 (290.33)	588.39 (764.51)	9609.82 (5737.41)	3395.63 (1231.49)	2764.66 (1633.10)	16614.87 (12828.27)	13800.94 (10593.25)	69368.43 (48524.47)	121399.59 (83209.40)
उधार	Borrowings	476.86 (61.03)	484.49 (508.80)	269.34 (39.32)	549.05 (25.44)	2385.78 (1751.06)	3506.20 (2387.02)	1880.69 (2042.77)	5112.73 (1399.66)	5969.16 (4729.69)	5944.99 (10628.26)	26579.28 (23573.05)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	14200.86 (8545.19)	7964.35 (10212.72)	4957.19 (4883.32)	12502.61 (6054.54)	38947.18 (29164.67)	33395.54 (23826.91)	15676.21 (15119.93)	21842.87 (18048.40)	16457.82 (12170.83)	6871.62 (5106.43)	172816.26 (133132.84)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	3555.66 (1737.17)	17430.51 (17556.76)	8384.56 (5960.54)	11463.65 (5852.08)	30088.97 (27105.95)	24897.52 (22690.71)	30426.44 (21937.97)	11107.99 (4997.56)	18837.03 (16567.48)	3779.70 (8926.66)	159972.03 (133332.88)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं. Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन 'बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन एवं समूह जोखिम नीति 2011' के अनुसार किया गया है. The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Asset Liability Management and Group Risk Policy-2011" of the Bank
- कुल अग्रिमों की गणना में प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है. The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.
- विदेशी मुद्रा की देयताओं का विभाजन मूल देयता विभाजन के अनुपात में किया गया है. Distribution of provision on foreign currency liabilities has been done in proportion to the distribution of the parent liability.



क-2.10 एक्सपोजर

क-2.10.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.10 Exposure

A-2.10.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक –	(i) Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज, इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र हैं.	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	17,702.43 (10,535.17)	15,729.00 (9,880.57)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	ii) Commercial Real Estate –	6,727.22	5,834.96
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्पस कमर्शियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कमर्शियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
क. आवासीय	a. Residential,	14.98	0.41
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate.	43.83	13.13
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा	(i) National Housing Bank (NHB)	60.91	83.18
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	6,312.11	5,496.72
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	30,861.48	27,157.40



क-2.10.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

A- 2.10.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉर्पस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,782.26	1,846.09
(ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	65.03	70.6
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	27.10	12.57
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपादित प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है।	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	875.18	116.39
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	351.95	159.72
(vi) कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	0.60
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	2.06	1.90
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) का जोखिम	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	779.24	731.52
पूंजी बाजार में कुल जोखिम	Total Exposure to Capital Market	3,882.82	2,939.39

पूंजी बाजार में ₹ 3,882.82 करोड़ का ऋण कुल ऋण की सीमा राशि ₹10,481.47 करोड़ के भीतर है। (अर्थात् 31.03.2012 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹26,203.67 करोड़ का 40%)। पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 2,655.69 करोड़ है और दिनांक 31.03.2012 को बैंक की निवल मालियत 26,203.67 करोड़ का 20% अर्थात् ₹ 5,240.73 करोड़ की सीमा के भीतर है।

The exposure to Capital Market of ₹ 3,882.82 Crores is within the limit of ₹ 10,481.47 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 26,203.67 Crores as on 31.03.2012). The direct exposure to Capital Market is ₹ 2,655.69 Crores and is within the limit of ₹ 5,240.73 crores i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 26,203.67 crores as on 31.03.2012.





क-2.10.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

A-2.10.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2013 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as on 31st March 2013	31 मार्च 2013 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2013	31 मार्च 2012 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as on 31st March 2012	31 मार्च 2012 को प्रावधान Provision held as on 31st March 2012
महत्वहीन	Insignificant	27,244.70	19.61	16,820.37	8.78
न्यून	Low	15,260.64	16.05	13,082.91	13.85
मध्य	Moderate	1,126.05	--	479.44	--
उच्च	High	1,844.36	--	62.23	--
अधिक उच्च	Very High	17.48	--	1,577.95	--
सीमित	Restricted	0.81	--	22.05	--
ऋण से इतर	Off-credit	2.53	--	0.38	--
कुल	Not Rated	20.96	--	--	--
	Total	45,517.53	35.66	32,045.33	22.63

क-2.10.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य

A-2.10.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of the borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure Limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31st March
2012-13	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of the borrower	समूह कर्जदार एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure Limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on 31st March
2012-13	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-

क-2.10.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

ऐसे अग्रिमों जिनमें हकदारी, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार हेतु अमूर्त प्रतिभूतियां जमानत के रूप में ली गई हैं, की राशि ₹ 333.35 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1,033.30 करोड़) है और उन्हें गैर जमानती अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया गया है जैसा कि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में उल्लिखित है। कुल गैर जमानती अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश 0.79 % (गत वर्ष 2.20%) है। मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 31 दिसंबर 2010 के अनुसार अमूर्त संपार्श्विक मूल्यांकन ₹ 3268.14 करोड़ की गई है।

A-2.10.5 Amount of Unsecured Advances

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as security is ₹ 333.35 crores (previous year ₹ 1,033.30 Crores) and the same has been classified as unsecured, forming part of unsecured advances as reflected in schedule 9 of the balance sheet. Such advances to total unsecured advances are 0.79 % (previous year 2.20%). The intangible collateral valued at ₹ 3268.14 crores as per valuation report dated 31st December 2010.

क-2.11 विविध

A-2.11 Miscellaneous

क-2.11.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.11.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित के करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	904.33	1,443.98
घटाए - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less reversal of Tax Provisions relating to previous years	553.82	425.14
कर के लिए नेट प्रावधान	Net provision for Tax	350.51	1,018.84



क-2.11.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किसी भी अपेक्षा की अवहेलना अथवा गैर अनुपालना के लिए बैंक पर कोई दण्ड नहीं लगाया गया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक की करेंसी चेस्ट से संबंधित विभिन्न नियमों के कारण बैंक को वित्तीय वर्ष 2012-13 में लिए ₹ 0.02 करोड़ दंड स्वरूप चुकाना पड़ा है।

A-2.11.2 Disclosure of penalties imposed by RBI

During the financial year 2012-13, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949. However, under various rules of RBI related to Currency chest, the Bank has paid penalty of ₹ 0.02 crores during the financial year 2012-13.

क-2.11.3 प्रायोजित एसपीवी ऑफ बैलेंस शीट (जिसे लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)

A-2.11.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

क-2.11.4 प्रतिभूतीकरण

A-2.11.4 Securitisation

S.No.	विवरण	Particulars	संख्या/ राशि (₹ करोड़ में) No. / Amount (₹ in crores)
1.	प्रतिभूतीकरण अंतरण के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	No. of SPVs sponsored by the bank for Securitisation transaction	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूतीकरण आस्तियों की कुल राशि	Total amount of Securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	
3.	तुलनपत्र की तिथि को न्यूनतम धारण आवश्यकता (एमआरआर) के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित जोखिम की कुल राशि	Total amount of exposures retained by the bank to comply with minimum retention requirement (MRR) as on the date of Balance Sheet	
	क) तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures	
	मूल घाटा	First Loss	
	अन्य	Others	
	ख) तुलनपत्र का जोखिम	b) On balance sheet exposures	
	मूल घाटा	First Loss	
	अन्य	Others	
4.	एमएमआर के अलावा प्रतिभूतीकरण अंतरण से जोखिम की राशि	Amount of Exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य NIL
	क) तुलनपत्रेतर जोखिम	a) Off-balance sheet exposures	
	i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम	i) Exposures to own securitisations	
	मूल घाटा	First Loss	
	अन्य घाटा	Loss/Others	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण से जोखिम	ii) Exposures to third party securitisations	
	मूल घाटा	First Loss	
	अन्य घाटा	Others	
	ख) तुलनपत्र का जोखिम	b) On-balance sheet exposures	
	i) अपने प्रतिभूतीकरण से जोखिम मूल घाटा	i) Exposures to own securitisations	
	अन्य घाटा	First Loss	
	अन्य घाटा	Loss/Others	
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण से जोखिम	ii) Exposures to third party securitisations	
	मूल घाटा	First Loss	
	अन्य घाटा	Others	

क-3. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

क-3.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:

A-3. Break up of Provisions and Contingencies

A-3.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित)	Provision for depreciation on investment (net of written back)	225.45	236.33
बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध प्रलेखित)	Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	3,067.02	1,568.87
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	393.80	448.17
कर हेतु प्रावधान आस्थगित करों, और संपदा कर सहित (शुद्ध प्रतिवर्तित प्रावधान)	Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	350.51	1,018.84
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाईस हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	382.42	296.32
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	13.03	5.22
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य	Others	61.20	-25.08
कुल	Total	4,518.43	3,573.67

क-3.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण
A-3.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	850.35	850.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	850.35	850.35

क-3.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

A-3.3 Draw Down from Reserves

During the financial year 2012-13, there has been no draw down from Reserves.

क- 4. शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायत

A-4. Disclosure of complaints

I. Customer Complaints

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	636	160
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	14843	11365
(ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	15328	10889
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	* 151	636

* इनमें से 142 शिकायतें (गत वर्ष 525 शिकायतें) 30 दिनों से कम पुरानी हैं.

* Out of these 142 nos. of complaints (Previous year 525 nos.) are pending for less than 30 days.

II. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

II. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	4	01
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	11	12
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	(c) No. of Awards implemented during the year	15	09
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	--	04



क-5. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

- (I) **चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**
बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।
- (II) **31.03.2013 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति**
बैंक ने निम्नलिखित आश्वासन जारी किया है।
- (i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी/देशीय विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगियों की स्थापना / शाखाएं खोलने हेतु उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का उस देश में बैंक की अनुषंगी के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया था। दि.31.03.2013 के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार अनुषंगी की जमाएं ₹.98.56 करोड़ एवं बाहरी देयताएं ₹.0.60 करोड़ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किया गया एलओसी ₹.99.16 करोड़ की समस्त राशि अर्थात् जमाराशि एवं बाहरी देयताओं को कवर करता है। तथापि 31.03.2013 को इस अनुषंगी की शुद्ध मालियत ₹.186.80 करोड़ है इसलिए यह संपूर्ण जमा राशि और बाहरी देयताओं को कवर करता है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है। दिनांक 31.03.2013 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 183.71 करोड़ एवं अन्य देयताएं ₹ 9.63 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 193.34 करोड़ है। दिनांक 31.03.2013 को इस अनुषंगी की निवल मालियत ₹.534.96 करोड़ है।

क-6 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

विवरण	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	18.36	19.30
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	11.98	11.33
म्यूचुअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund projects	3.17	1.73
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.33	0.46
बैंकश्योरेंस व्यवसाय	Bancassurance Business	0.00	0.21

ख. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

ख-1. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

ख-1.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीआईआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है। यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया।

ख-1.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है।

A-5. Status of Letters of Comfort

I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year

During the current financial year, the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.

II Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2013

The Bank has issued the following Letter of Comforts

- (i) During financial year 2008-09 to meet the requirements of the overseas/ domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries/ opening of branches, the Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country. As per audited accounts as on 31.03.2013, the deposits of the Subsidiary are ₹ 98.56 Crores and outside liabilities are ₹ 0.60 Crores. The LOC issued by Bank of Baroda covers this entire amount of ₹ 99.16 Crores i.e. deposit and outside liabilities. However, the net worth of the Subsidiary as on 31.03.2013 is ₹ 186.80 Crores and therefore it covers the entire deposits and outside liabilities.
- (ii) During financial year 2010-11, the Bank has issued Letter of comfort to the Bank of Negara Malaysia to the extent of the Bank's 40% shareholding in the joint venture Bank – India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB). As on 31.03.2013, the deposits of the Bank are ₹ 183.71 Crores and other liabilities are ₹ 9.63 Crores i.e. total of ₹ 193.34 Crores. The net worth of the Subsidiary as on 31.03.2013 is ₹ 534.96 crores.

A-6 Income earned for marketing third party products

(₹ in Crores)

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1. (AS-15) Employee Benefits

B-1.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007.

B-1.2 GRATUITY

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds



निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेजुटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

ख-1.3 पेंशन

ख-1.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं हैं।

ख-1.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है। यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है।

ख-1.3.3 विवेकपूर्ण विनियामक पद्धति (पेंशन का विकल्प)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः दिया था, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प न लिया हो। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया के माध्यम से 18,989 कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना, जिससे बैंक के लिए ₹.1829.90 करोड़ की देयताएं उत्पन्न हुईं।

एस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जाती है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि.9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेजुटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपीबीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया था। जिसके द्वारा ऐसे पेंशन की राशि को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक परिशोधित किया जा सकता है। तदनुसार 31 मार्च, 2013 तक बैंक ने ₹ 1,097.94 करोड़ की राशि (₹1829.90 करोड़ का 3/5) लाभ-हानि खाते को प्रभारित की है। ₹ 731.96 करोड़ की अनिर्धारित शेष राशि का उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्टानुसार शेष अवधि में हिसाब में लिया जाएगा तथा प्रभारित किया जाएगा। इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है।

is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-1.3 PENSION

B. 1.3.1 Bank of Baroda pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B. 1.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organisations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution by the Bank is being made.

B-1.3.3 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension)

During the financial year 2010-11, the Bank had reopened the Pension Option for such of its employees who had not opted for the Pension Scheme earlier. As a result of exercise of such option by 18,989 number of employees, the Bank had incurred a liability of ₹1,829.90 Crores.

In terms of the requirements of AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹ 1,829.90 Crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI had issued a circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated February 9, 2011, by which such pension amount can be amortised over a period of five year. Accordingly, the Bank has charged an amount of ₹ 1,097.94.Crores (representing three-fifth of ₹1,829.90 Crores) upto March 31, 2013. The unrecognised balance amount of ₹ 731.96 Crores shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in the said circular. This amount does not include any employee relating to separated/ retired employees.

ख-1.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ़ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ख-1.5 छुट्टी का नकदीकरण

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

ख-1.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने का हकदार होगा बशर्ते कि अधिकारी ने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टाफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते अवार्ड स्टाफ ने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या पर ध्यान न रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख-1.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकिक अवधारणाएं (वैटज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

B-1.4 PROVIDENT FUND

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-1.5 LEAVE ENCASHMENT

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-1.6 ADDITIONAL RETIREMENT BENEFIT

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the officer had completed-twenty five-years of service in Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service.

B-1.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

योजना का स्वरूप		TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
हास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	-	8.00%	-
मृत्युदर : एलआईसीआई 1994-96	Mortality Rate : LIC 1994-96				

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) 1/4/2012 को पीवीओ	a) PVO as at 01.04.2012	7,033.55	566.01	1,416.85	446.62
ख) जोड़ें: ब्याज की लागत	b) Add- Interest Cost	563.49	44.19	110.63	35.26
ग) जोड़ें: चालू सेवा लागत	c) Add- Current Service Cost	1,064.59	124.64	103.90	4.72
घ) घटायें: लाभ भुगतान	d) Less- Benefits Paid	406.69	60.66	151.78	38.46
ङ) जोड़ें: पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	e) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	-752.90	35.55	26.53	144.31
घ) 31.03.2013 को पीवीओ	f) PVO as at 31.03.2013	7,502.04	709.73	1,506.13	592.45

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN	
		पेंशन PENSION	ग्रेच्युटी Gratuity
क) 01-04-2012 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	a) Fair Value of plan assets as on 01-04-2012	5,740.29	1,308.84
ख) जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	b) Add- Expected Return on Plan Assets	459.22	104.71
ग) जोड़ें: अंशदान	c) Add- Contributions	767.51	108.01
घ) घटायें: प्रदत्त लाभ	d) Less- Benefits Paid	406.69	151.78
ङ) जोड़ें: बीमाकिक लाभ / (-) हानि	e) Add- Actuarial gain/(-)loss	97.99	3.35
च) 31.03.2013 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	f) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2013	6,658.32	1,373.13

तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	7,502.04	709.73	1,506.13	592.45
ख) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	6,658.32	-	1,373.13	-
ग) अन्तर	c) Difference	843.72	709.73	133.00	592.45
घ) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	731.96	-	-	-
ङ) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	111.76	709.73	133.00	592.45

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि
Amount recognized in the P & L Account
(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

			योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
			पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति- सेवा लाभ ARB
क)	चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1,064.59	124.64	103.90	4.72
ख)	ब्याज लागत	b) Interest Cost	563.49	44.19	110.63	35.26
ग)	योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-459.22	-	-104.71	-
घ)	निर्धारित पिछली सेवा लागत (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	-850.88	35.55	23.18	144.31
ङ)	वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता	e) Transitional liability recognized in the year	365.98	-	-	-
च)	लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च	f) Expenses Recognised in P&L	683.96	204.38	133.00	184.29

अगली अवधि (2013-14) के लिए संभावित अंशदान
Expected contribution for next period (2013-14)
(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	पेंशन / Pension	ग्रेच्युटी / Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	500.00	80.00

निवेश पैटर्न
Investment Pattern

विवरण	Particulars	Pension	Gratuity
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	Central Govt. Securities	23.47 %	21.03 %
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	State Government Securities	20.01 %	25.64 %
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	29.80 %	29.50 %
कार्पोरेट (प्राइवेट)	Corporate (Private)	2.82 %	1.53 %
अन्य	Others	23.90 %	22.30 %
कुल	Total	100.00 %	100.00 %



ख-2. (ए.एस.-17) सेगमेंट रिपोर्टिंग :
भाग - क : कारोबार खंड

B.2. (AS-17) Segment Reporting
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

Business Segment		ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
Particulars		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year
राजस्व	Revenue	9199.48	7325.07	15026.66	13132.60	9604.56	8488.31	4996.58	4150.07	38827.28	33096.05
परिणाम	Result	1070.13	887.72	-103.95	965.87	3085.71	2782.37	2221.71	2959.73	6273.60	7595.69
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1442.37	1569.89
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									4831.23	6025.80
आयकर	Income taxes									350.51	1018.84
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-ordinary Profit/loss									-	-
शुद्ध लाभ	Net Profit									4480.72	5006.96
अन्य सूचना	Other Information									-	-
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	145932.25	103694.34	152789.37	140207.90	73229.18	63161.52	169832.62	135618.27	541783.42	442682.03
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									5352.02	4639.44
कुल आस्तियां	Total Assets									547135.44	447321.47
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	137405.34	97324.89	143861.80	131595.59	68950.36	59281.81	159909.20	127287.87	510126.70	415490.16
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									5039.30	4354.46
कुल देयताएं	Total Liabilities									515166.00	419844.62
नियोजित पूंजी	Capital employed	8526.91	6369.46	8927.57	8612.31	4278.82	3879.71	9923.42	8330.39	31656.72	27191.87
अनाबंटित	Unallocated									312.72	284.98
कुल पूंजी	Total Capital									31969.44	27476.85

भाग - ख : भौगोलिक खंड :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट → विवरण ↓	Segments → Particulars ↓	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr
राजस्व	Revenue	33,876.70	29,063.31	4,950.58	4,032.74	38,827.28	33,096.05
आस्तियां	Assets	3,81,404.32	3,19,459.76	1,65,731.12	1,27,861.71	5,47,135.44	4,47,321.47

सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी

- आईसीएआई द्वारा सेगमेंट रिपोर्टिंग पर जारी लेखा मानक ए.एस.-17 की अनुपालना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन, थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आबंटित कर दी गयी है।
- अन्य बैंकिंग परिचालनों में परिणाम राजस्व तथा लगायी गयी पूंजी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

ख-3. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

क) अनुषंगियां

- बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- नैनीताल बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएससी.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(ख) सहयोगी इकाइयां

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
- इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
- बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम

- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
- इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि.

Notes on Segment Reporting

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, The Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on segment Reporting issued by ICAI.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
- Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.
- Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in other banking operations.

B-3. Related Party Disclosures (AS – 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

- BOB Capital Markets Limited
- BOB Cards Limited
- The Nainital Bank Limited
- Bank of Baroda (Botswana) Limited
- Bank of Baroda (Kenya) Limited
- Bank of Baroda (Uganda) Limited
- Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- Bank of Baroda (UK) Limited
- Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

(b) Associates

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
- Baroda Gujarat Gramin Bank
- Baroda Pioneer Asset Management Company Limited
- Indo Zambia Bank Limited
- Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited

(c) Joint Ventures

- India First Life Insurance Company Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Bhd.
- India Infradebt Limited

(घ) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

(d) Key Management Personnel:

S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री एस.एस. मुंदड़ा Shri S. S. Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (w.e.f. 21st Jan 2013)	3,49,654	-
2	श्री एम.डी. मल्ल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (upto 30th November 2012)	32,45,265	25,37,459
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 31st October 2012)	24,02,674	21,97,317
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 31st May 2012)	13,26,419	21,22,495
5	श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 18th June 2012)	12,22,208	-
6	श्री पि. श्रीनिवास Shri P. Srinivas	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 18th June 2012)	12,00,790	-
7	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 01st November 2012)	6,65,588	-

आईसीएआई द्वारा जारी संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर के ए एस-18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुबंधित और सहयोगी बैंकों के साथ संव्यवहार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियन्त्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेन-देनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से रोकता है, जो भी राज्य नियंत्रित है।

The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) -18 Related Party Disclosures issued by ICAI, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to transactions with other related state controlled enterprises.

ख-4. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

B-4. Earning Per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कर के बाद शुद्ध लाभ (₹. करोड़ में)	Net profit after tax (₹ in Crores)	4,480.72	5,006.96
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Shares (weighted)	41,16,78,611	39,16,53,059
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earning per share	₹108.84	₹ 127.84
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	₹ 10.00	₹ 10.00

ख-5. आय कर की गणना (एस-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2013 को आस्थगित कर देयताओं का नेट बैलेंस ₹88.81 करोड़ है, जो इस प्रकार है :-

B-5. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax assets as on 31st March 2013 amounting to ₹ 88.81 Crores consists of the following:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2013		31.03.2012	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	-	44.44	-	89.93
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	-	-	-	-
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	-	92.73	-	426.45

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2013		31.03.2012	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	1.74	-	9.84	-
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	221.16	-	174.43	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों (विदेशी) के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	3.08	-	76.14	-
जोड़	Total:	225.98	137.17	260.41	516.38
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	Net Deferred Tax Assets/(Liability)	88.81			(255.97)

ख-6. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

ख-7. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 “आस्तियों का इंपेयरमेंट” के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

ख-8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

ख-8.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

B-6. Discontinuing operations (AS 24)

During the financial year 2012-13 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-7. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

B-8. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

B-8.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
मुकदमों / आकस्मिक खर्च	Legal Cases / contingencies		
1 अप्रैल 2012 को शेष	Balance as on 1st April 2012	10.01	8.70
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	34.50	1.31
31 मार्च 2013 को शेष	Balance as on 31st March 2013	44.51	10.01
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

बैंक ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

ख-8.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र.सं.(i) से (iv) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां
ग-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2013 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है।

ग-2. पूंजी

वर्ष के दौरान, बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रिफरेंशियल आधार पर ₹. 10/- प्रत्येक के 1,01,32,920 इक्विटी शेयरों को

The Bank has provided for claims against it, which have not been acknowledged as debt as per the policy framed by it.

B-8.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals. No reimbursement is expected in such cases.

C. Other Notes to Accounts
C-1. Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed upto 31.03.2013, the reconciliation of which is in progress.

C-2. Capital

During the year, the Bank has allotted 1,01,32,920 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 828.85 per share to Government of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI Issue of Capital and Disclosures Requirements Regulation on preferential

₹.828.85 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आर्बिट्रिज किए हैं। इसके फलस्वरूप, बैंक को ₹.850.00 करोड़ की कुल राशि पूंजी के रूप में प्राप्त हुई।

ग-3. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है।

ग-4. निवेश

ग-4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में अंतरित कर दिया है। 20.69 करोड़ रुपए (गत वर्ष 46.64 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभावित कर दिया गया है।

ग-4.2 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि ₹47.45 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद ₹ 24.04 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित किया गया है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अंतर्गत ₹ 8.01 करोड़ सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित किया गया है।

ग-5. करों के लिए प्रावधान

ग-5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है।

ग-5.2. "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹3,374.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,993.11 करोड़) शामिल है। आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है।

ग-5.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 850.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹533.85 करोड़) विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं। तथा इसे अन्य प्रारक्षित निधि के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है।

ग-6. परिसर

ग-6.1 बैंक की कुल ₹ 65.30 करोड़ (मूल लागत) - (पिछले वर्ष ₹ 78.37 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

ग-6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में परिसर शीर्षक के अंतर्गत कुल ₹ 1,778.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,777.43 करोड़), विदेशी कार्यालयों को ₹ 31.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.55 करोड़) की राशि सहित पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है। शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 1,104.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,173.68 करोड़) है।

ग-6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹ 98.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.87 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं।

ग-7. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी।

basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is ₹ 850.00 Crores.

C-3. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

C-4. Investments

C-4.1 In terms of RBI Guidelines, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category during the year. The resultant depreciation of ₹ 20.69 Crores (previous year ₹ 46.64 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-4.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to ₹ 47.45 Crores on redemption of units of Venture Capital funds has been taken to the Profit and Loss Account initially and thereafter an amount of ₹ 24.04 Crores has been appropriated to the Capital Reserve net of taxes and ₹ 8.01 crores has been transferred to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

C-5 Provision for Taxes

C-5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C-5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 3,374.52 Crores (previous year ₹ 1,993.11 Crores) represents amount adjusted by the Department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

C-5.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of ₹ 850.00 Crores (previous year ₹ 533.85 crores) to the corresponding Special Reserve account during the financial year 2012-13 and reported under Other Reserve.

C-6. Premises

C-6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 65.30 Crores (Previous Year ₹ 78.37 Crores) – (Original Cost).

C-6.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 1,778.33 Crores (previous year ₹ 1,777.43 crores) including ₹ 31.45 Crores at overseas offices (previous year ₹ 30.55 crores). The revalued amount net of depreciation is ₹ 1,104.26 Crores (Previous Year ₹ 1,173.68 Crores).

C-6.3 Premises include assets under construction/acquisition amounting to ₹ 98.73 Crores (Previous Year ₹ 51.87 Crores).

C-7. BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda (BOB), had passed a special resolution for voluntary winding up of the Company on 24.09.1990 and the Liquidator was appointed for the same.



बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बॉब एफएसएल की वार्षिक सामान्य बैठक में बॉब एफएसएल को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

निदेशक मंडल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मैसर्स बॉब फिसकल सर्विसेस लि. के सम्मेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बॉब के साथ बॉब एफएसएल सम्मेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए प्रबंधन को प्राधिकृत किया।

ग-8 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. यूबीडी.सीओ.एमईआरआईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। प्रारंभिक रूप से डीआईसीजीसी दावा से मिलने वाली राशि ₹ 61.10 करोड़ को ध्यान में रखते हुए ₹ 149.25 करोड़ के घाटे की गणना की गई थी। उक्त अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 149.25 करोड़ के हुए घाटे में से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी. 1311/21.01.048/2012-11 दि. 25 जुलाई, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 49.75 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की है और ₹ 99.50 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की शेष अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से प्रभारित करने के लिये आगे स्थानांतरित की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा डीआईसीजीसी से अंतिम निस्तारण के रूप में ₹ 23.75 करोड़ प्राप्त की गई, परिणामस्वरूप ₹ 37.35 करोड़ का घाटा और बढ़ गया। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 74.64 करोड़ (₹ 49.75 करोड़, मूल घाटा ₹ 149.25 करोड़ का एक तिहाई एवं ₹ 24.89 करोड़, डीआईसीजीसी दावों में ₹ 37.35 करोड़ के घाटे का दो तिहाई) प्रभारित की गई, शेष ₹ 62.20 करोड़ (मूल घाटा ₹ 149.25 करोड़ का एक तिहाई एवं डीआईसीजीसी दावा प्राप्ति में घाटे का एक तिहाई ₹ 12.45 करोड़) अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभारित की जाएगी।

ग-9 बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों पर 15% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 20% का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने कुछ अनर्जक घरेलू अग्रिम खातों में 31 मार्च 2013 को ₹ 136.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 342.79 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

ग-10 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01/11/2012 के अनुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्रमशः बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में सम्मेलन कर दिया गया।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2013 के अनुसार, हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) एवं राजस्थान ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित) को बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) में सम्मेलित कर दिया गया। सम्मेलन के समय, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर दिया गया।

ग-11 मौजूदा अवधि / वर्ष के वर्गीकरण के तदनुरूप, जहां कहीं आवश्यक है, पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

BOBFSL had entered into an agreement with BOB pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the Company could not be liquidated due to pending legal cases, a decision to merge BOBFSL with BOB was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Board of Directors of BOB has approved the merger of BOBFSL with BOB in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized the Management to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the Bombay High Court.

C-8. The Bank has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD.CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March, 2011. Initially, ₹ 149.25 crores of deficit was calculated considering ₹ 61.10 crores as receivable from DICGC claims. Out of the deficit of ₹ 149.25 Crores on account of the said take over, the Bank has proportionately charged ₹ 49.75 Crores of the said deficit to the Profit and Loss Account during the financial year 2011-12 as approved by RBI vide letter no. DBOD.No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011 and an amount of ₹ 99.50 crores was carried forward to be charged proportionately during the remaining period till the financial year 2013-14. During the financial year 2012-13, ₹ 23.75 crores has been received by the Bank from DICGC as final settlement and consequently the deficit increased by ₹ 37.35 crores. Accordingly, an amount of ₹ 74.64 crores (₹ 49.75 crores being 1/3rd of original deficit of ₹ 149.25 crores and ₹ 24.89 crores being 2/3rd of deficit of DICGC claims of ₹ 37.35 crores) is charged to Profit and Loss Account during the current financial year. The balance amount of ₹ 62.20 crores (1/3rd of original deficit of ₹ 149.25 crores and 1/3rd of deficit of DICGC claim receipt of ₹ 12.45 crores) will be charged during the next financial year 2013-14.

C-9. The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%.

Further the Bank has made an additional ad-hoc provision of ₹ 136.75 Crores for the year ended March 31, 2013 (previous year ₹ 342.79 Crores) in certain non performing domestic advance accounts.

C-10. As per the Government of India notification dated 01st November 2012, Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank and Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank sponsored by Bank of Baroda were amalgamated into Narmada Jhabua Gramin Bank under the sponsorship of Bank of India and Uttarakhand Gramin Bank under the sponsorship of State Bank of India respectively, from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Further, as per the Government of India notification dated 1st January 2013, Hadoti Kshetriya Gramin Bank (sponsored by Central Bank of India), and Rajasthan Gramin Bank (sponsored by the Punjab National Bank) were amalgamated with Baroda Rajasthan Gramin Bank (sponsored by Bank of Baroda). On amalgamation, the name of Baroda Rajasthan Gramin Bank was changed to Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

C-11. Figures of previous year have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2013

(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	4831,22,96	6025,79,75
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	300,63,71	276,56,52
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	225,45,52	236,32,83
बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	3449,44,24	1865,19,16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	393,80,02	448,16,58
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	99,22,65	5,13,96
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	79,63	-8114
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	930,27,55	914,36,03
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(38,32,24)	(25,57,86)
उप-जोड़	Sub total	10192,54,04	9745,15,83
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(38081,04,24)	(12216,12,13)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(44257,91,38)	(60566,12,42)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	1902,20,89	(3321,50,31)
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	2903,93,06	1076,82,45
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	89012,23,16	79431,62,40
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	2853,04,48	1952,31,61
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1731,91,90)	(1695,67,09)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	22793,08,11	14406,50,34



(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(518,01,79)	(434,53,80)
अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	35,98,05	40,55,67
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(328,73,71)	31,02,38
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	38,32,24	25,57,86
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(772,45,21)	(337,37,89)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	10,13,29	19,57,73
शेयर प्रीमियम	Share premium	839,86,71	1625,11,20
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	102,30,00	188,37,19
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(812,29,04)	(753,35,20)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(930,27,55)	(914,36,03)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	(790,26,59)	165,34,89
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	21230,36,31	14234,47,34
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	64168,54,12	49934,06,78
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	85398,90,43	64168,54,12
टिप्पणी:	Notes:		
1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है.	1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2. Components of Cash & Cash Equivalents	As on 31st March 2013	As on 31st March 2012
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेन्स	Cash & Balance with RBI	134520783	216514596
बैंकों के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	719468260	425170816
कुल	Total	853989043	641685412

वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on the Financial Statements

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

1. हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2013 की वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च 2013 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 1848 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 49 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 2408 शाखाओं (इनमें एक विदेश में स्थित इकाई भी शामिल है) की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 6.86 प्रतिशत अग्रिम, 12.43 प्रतिशत जमा राशियां, 6.17 प्रतिशत ब्याज-आय और 13.24 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस दायित्व में वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रूपरेखा सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त हैं।

4. लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरणियों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु इकाई के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है ताकि परिस्थिति अनुसार

To

The Shareholders of Bank of Baroda

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as on 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as on 31st March, 2013, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1848 branches audited by branch auditors and 49 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2408 branches (including 1 Offshore business unit) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.86 per cent of advances, 12.43 per cent of deposits, 6.17 per cent of interest income and 13.24 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used

उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है.

5. हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है.

6. महत्वपूर्ण विषय

अपनी राय देने से पहले हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- i वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक ख-1.3.3 जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प शीर्षक के तहत इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी बीसी/80 /21.04.018/ 2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुरूप लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के प्रावधानों ने इसके अंतर्गत 31 मार्च 2013 को ₹ 731.96 करोड़ की राशि आस्थगित की है.
- ii वित्तीय विवरण की नोट संख्या ग-8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र क्र.डीबीओडी/ संख्या/बीपी.1311/21.04.048/2010-11 दिनांक 25 जुलाई द्वारा प्राप्त अनुमोदन के तहत को-ऑपरेटिव बैंक लि. की विशिष्ट संपत्ति और देयताओं को टेक ओवर करने से 31 मार्च 2013 को हुए गैर मान्यता प्राप्त घाटे की कुल 62.20 करोड़ की राशि को वर्ष 2013-14 तक आनुपातिक आधार पर हटाया जाये.

7. राय

हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- i नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2013 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
- ii लाभ-हानि लेखा, दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
- iii नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.
9. उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी

and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

- 5 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6 Matter of Emphasis

Without qualifying our opinion, we draw our attention to

- 1) Note No. B.1.3.3, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹ 731.96 Crores as on 31st March, 2013 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India (RBI) to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised), Employee Benefits issued by Institute of Chartered Accountant of India, vide its circular no. DBOD. BP/BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
- 2) Note No C-8 of the Financial Statement, which describes that the unrecognized deficit aggregating ₹ 62.20 crores as on 31st March, 2013, arising out of the take over of specified assets and liabilities from the Memon Cooperative Bank Limited to be charged off proportionately till the financial year 2013-14 as per approval received from Reserve Bank of India vide letter No. DBOD. No. BP. 1311 / 21.04.048 /2010-11 dated July 25, 2011.

7 Opinion

In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on 31st March, 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 9 Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to

उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि :

- i हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
- ii बैंक के संव्यवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.
- iii बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं.

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ/हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप है.

5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

10 In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(गरे सुब्बा राव)
भागीदार
एम. नं.: 019579
For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Garre Subba Rao)
Partner
M No.019579

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825
For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060
For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M. No. 056060

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(एस के. मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 008506
For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(S.K. Mittal)
Partner
M. No. 008506

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेट्टी)
भागीदार
एम. नं.: 046940
For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No.046940

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम. नं.: 073063
For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(R. K. Agarwal)
Partner
M No.073063

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 13th May, 2013



31 मार्च 2013 का समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2013

(₹ in 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2013 को For the Year ended 31st Mar, 2013	31 मार्च 2012 को For the Year ended 31st Mar, 2012
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	422,51,75	412,38,46
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	32859,25,25	28103,91,87
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	110,05,39	91,18,16
जमा राशियां	Deposits	482638,89,30	392615,94,50
उधार ली गई राशियां	Borrowings	26552,94,25	23598,05,84
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	16804,67,25	12590,51,75
जोड़	TOTAL	559388,33,19	457412,00,58
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	14151,18,45	22268,34,40
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	73550,88,21	43542,00,27
निवेश	Investments	125617,05,26	86697,00,36
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	333625,19,72	292077,13,69
अचल आस्तियां	Fixed Assets	2550,42,95	2428,19,01
अन्य आस्तियां	Other Assets	9893,58,60	10399,32,85
जोड़	TOTAL	559388,33,19	457412,00,58
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	205377,49,46	153154,98,92
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	26021,10,29	22862,48,49
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एस. एस. मुंदड़ा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पि. श्रीनिवास
कार्यपालक निदेशक
श्री सुधीर कुमार जैन
कार्यपालक निदेशक
श्री रंजन धवन
कार्यपालक निदेशक
श्री वी. के. गुप्ता
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान एवं मुविअ)
श्री बी. इलंगो
सहा. महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 13 मई, 2013

निदेशक
श्री आलोक निगम
श्री सुदर्शन सेन
श्री विनिल कुमार सक्सेना
श्री वी. बी. चव्हाण
श्री सत्य देव त्रिपाठी
श्री मौलिन ए. वैष्णव
श्री सुरेंद्र एस भंडारी
श्री राजीव एस साहू

लेखा परीक्षक
सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244
कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(गौरव मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 099387
कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825
कृते एनबीएस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेड्डी)
भागीदार
एम. नं.: 046940
कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060
कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम. नं.: 073063



31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2013

(000' अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2013 ₹	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2012 ₹
आय	I. INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	36442,05,74
अन्य आय	Other Income	14	4510,62,31
जोड़	TOTAL		40952,68,05
व्यय	II. EXPENDITURE		
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	24486,41,13
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	6306,36,43
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies	19 (8)	5409,42,73
जोड़	TOTAL		36202,20,29
माइनोरिटी इन्टरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		4750,47,76
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	78,54,25
माइनोरिटी इन्टरेस्ट राशि कम करने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		4829,02,01
घटाएं : माइनोरिटी इन्टरेस्ट	Less : Minority Interest		24,79,00
वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		4804,23,01
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		178,72,72
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		4982,95,73
विनियोग	III. APPROPRIATIONS		
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		1148,70,91
पूंजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Capital Reserve		81,44,81
धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		852,48,82
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		1559,49,62
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		1059,62,50
समेकित बैलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		281,19,07
निवेश रिज़र्व खाता	Investment Reserve Account		-
जोड़	TOTAL		4982,95,73
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) (₹.) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹10)	Earnings per Share (Basic & Diluted) (₹.) (Nominal value per share ₹ 10)	19 (12)	116.70
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	
ऊपर दर्शाई गई अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग हैं The Schedules referred to above form an integral part of Balance sheet			

S S MUNDRA
Chairman & Managing Director
P Srinivas
Executive Director
Sudhir Kumar Jain
Executive Director
Ranjan Dhawan
Executive Director
Shri V K Gupta
General Manager
Corp A/cs & Taxation and CFO
Shri B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri Sudarshan Sen
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri V B Chavan
Shri Satya Dev Tripathi
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Surendra S Bhandari
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
For Laxminiwas Neeth & Co
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma)
Partner
M No. 216244
For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(Gaurav Mittal)
Partner
M. No. 099387
For Brahmayya & Co
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(Jitendra Kumar)
Partner
M No. 201825
For N B S & Co
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No. 046940
For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M No. 056060
For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(R. K. Agarwal)
Partner
M No.073063

Place : Mumbai
Date : 13th May 2013





समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी (प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000/- शेयर)	AUTHORISED CAPITAL (300,00,00,000 Shares of ₹.10/- each) (previous year 300,00,00,000-shares of ₹.10/- each)		3000,00,00	3000,00,00	
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी प्रत्येक ₹10/- के 42,39,89,803 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 41,38,56,883 शेयर) -	ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL 42,39,89,803 Equity Shares of ₹10/- each (previous year 41,38,56,883 shares of ₹. 10/- each)		423,98,98	413,85,69	
मांगी गई एवं प्रदत्त पूंजी प्रत्येक ₹10/- के 42,12,56,303 (पिछले वर्ष 41,11,23,383) इक्विटी शेयर) जिसमें 23,34,12,499 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 22,32,79,579 शेयर) शामिल हैं, जिसकी कुल राशि ₹ 233.41 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है.	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL 42,12,56,303 (previous year 41,11,23,383) Equity Shares of ₹10 each including 23,34,12,499 Equity Shares (previous year 22,32,79,579 Shares) amounting to ₹ 233.41 crores held by Central Government		421,25,63	411,12,34	
जोड़े : जब्त शेयर	Add: Forfeited Shares		1,26,12	1,26,12	
जोड़े	TOTAL		<u>422,51,75</u>	<u>412,38,46</u>	
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
i सांविधिक प्रारक्षित निधियां	i Statutory Reserves				
आरंभिक शेष	Opening Balance	5961,90,74		4680,52,76	
जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	1148,70,91		1272,75,29	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	(6,727)	7109,94,38	8,62,69	5961,90,74
ii क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व सहित)	ii a) Capital Reserves (Including Revaluation reserve)				
आरंभिक शेष	Opening Balance	1994,15,79		2087,59,50	
जोड़े/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add/(Less): Transfer from P&L Accounts	81,44,81		47,72,04	
जोड़े/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	(91,33,11)	1984,27,49	(141,15,75)	1994,15,79
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation				
आरंभिक शेष	Opening Balance	67,90,84		55,21,69	
जोड़े : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustments during the year	2,27,92	70,18,76	12,69,15	67,90,84
iii शेयर प्रीमियम	iii Share Premium				



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
आरंभिक शेष	Opening Balance	6389,91,79		4764,80,59	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	839,86,71	7229,78,50	1625,11,20	6389,91,79
iv राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	iv Revenue & Other Reserves				
क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां	a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1567,55,20		1030,39,87	
जोड़ें/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add/(Less): Transfer from P&L Account	852,48,82	2420,04,02	537,15,33	1567,55,20
ख. रूपांतरण प्रारक्षित निधियां	b. Translation Reserves		1027,53,49		758,98,33
ग. निवेश रिज़र्व खाता	c. Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance				
अन्य रिज़र्व से अंतरित	Transferred from Other Reserves	-		68,73,73	
लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में अंतरित	Transferred to P&L Appropriation A/c	-	-	(68,73,73)	-
घ. राजस्व प्रारक्षित निधियां	d. Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	11184,76,46		8595,64,29	
जोड़े : लाभ और हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	1559,49,62		2607,32,89	
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	(7,96,54)	12736,29,54	(18,20,72)	11184,76,46
v लाभ/हानि खाते में शेष	v Balance in Profit & Loss Account		281,19,07		178,72,72
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to v)		32859,25,25		28103,91,87
अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी इन्टररेस्ट	SCHEDULE - 2A- Minority Interest				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	91,18,16		72,90,64	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	18,87,23	110,05,39	18,27,52	91,18,16
कुल माइनोरिटी इन्टररेस्ट	Total Minority Interest		110,05,39		91,18,16
अनुसूची - 3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग जमा राशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1321,42,53		1052,06,30	
ii) अन्यो से	ii) From Others	35145,20,17	36466,62,70	28460,40,59	29512,46,89
II बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits		86416,08,82		76429,30,62
III मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	72655,88,98		53301,53,18	
ii) अन्यो से	ii) From Others	287100,28,80	359756,17,78	233372,63,81	286674,16,99
जोड़ (I, II एवं III)	TOTAL (I, II and III)		482638,89,30		392615,94,50
ख. I भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India	345069,65,33		283253,58,77	
II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India	137569,23,97		109362,35,73	
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)	482638,89,30		392615,94,50	



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 4 उधार राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
I भारत में उधार राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	335,41,89		168,00,86	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	98,70,15		377,06,24	
iv) आईपीडीआई	iv) IPDI	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रूप में जारी हाइब्रिड ऋण पूंजी लिखतें	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5000,00,00		5000,00,00	
vi) गौण ऋण	vi) Subordinate debt	2490,00,00	9835,82,04	2490,00,00	9946,77,10
II भारत से बाहर उधार राशियां (इसमें ₹1628.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1526.25 करोड़) के एमटीएन बाण्ड शामिल हैं)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of ₹ 1628.55 crs (previous year ₹1526.25 crs))		16717,12,21		13651,28,74
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)		26552,94,25		23598,05,84
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		2767,77,47		523,16,34
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1467,52,72		1390,73,66
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		3330,48,89		2837,26,46
III अन्त : कार्यालय समायोजन	III Inter office Adjustments		416,48,83		-
IV आस्थगित कर देयता	IV Deferred Tax Liabilities		1,11,60		256,73,26
V मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	V Contingent Provision against Standard Advances		1834,11,82		1402,80,16
VI अन्य (प्रावधानों सहित)	VI Others (including provisions)		9754,93,39		6702,98,21
जोड़ (I एवं VI)	Total (I to VI)		16804,67,25		12590,51,75
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		1648,75,55		1267,80,21
II भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय बैंक के पास शेष	II Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	12261,30,04		20901,20,65	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	241,12,86	12502,42,90	99,33,54	21000,54,19
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)		14151,18,45		22268,34,40
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7				
बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
(क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1412,54,03		330,76,38	
(ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	4220,57,71	5633,11,74	4105,69,13	4436,45,51





(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय	ii) Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास	a) with Banks	2445,00,00		60,00,00	
(ख) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other Institutions	64,116,911	8856,69,11	-	60,00,00
जोड़ (i एवं ii)	Total (i and ii)		14489,80,85		4496,45,51
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	11931,49,49		7968,12,23	
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	24771,17,03		15829,53,01	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	22358,40,84		15247,89,52	
जोड़ (i, ii एवं iii)	Total (i, ii and iii)		59061,07,36		39045,54,76
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I and II)		73550,88,21		43542,00,27
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निम्न में निवेश	I Investments in India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	103105,14,17		70043,86,02	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	877,97,02		354,75,58	
iii) शेयर	iii) Shares	1963,98,98		1868,03,03	
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	3237,12,77		3292,91,03	
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश [इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी के रूप में बैंक का अग्रिम अंशदान ₹152.91 करोड़. (पिछले वर्ष ₹112.82 करोड़) शामिल है जो आबंटन हेतु लम्बित हैं.]	v) Investment in Associates [includes Bank's share of contribution as advance of ₹ 152.91 Crores (Previous year ₹112.82 Crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	442,62,67		324,61,23	
vi) अन्य	vi) Others	9481,72,61		5084,31,81	
जोड़ (i से vi)	Total (i to vi)		119108,58,22		80968,48,70
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	3654,33,68		3313,60,80	
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	52,13,96		45,71,39	
iii) अन्य	iii) Others	2801,99,40		2369,19,47	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		6508,47,04		5728,51,66
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I & II)		125617,05,26		86697,00,36
III भारत में निवेश	III Investments in India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	119888,51,17		81529,17,41	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	779,92,95		560,68,71	
शुद्ध निवेश	Net Investments	119108,58,22		80968,48,70	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	6649,69,12		5878,59,69	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	141,22,08		150,08,03	
शुद्ध निवेश	Net Investments	6508,47,04	125617,05,26	5728,51,66	86697,00,36



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013	31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012
		₹	₹
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	48465,25,50	39163,13,03
ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	141144,04,92	123765,58,53
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	144015,89,30	129148,42,13
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)	<u>333625,19,72</u>	<u>292077,13,69</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (Includes advances against book debts)	231529,38,59	194479,76,82
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	60096,36,34	50443,30,96
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	41999,44,79	47154,05,91
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)	<u>333625,19,72</u>	<u>292077,13,69</u>
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India		
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	80547,18,49	65858,35,26
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	22539,48,53	23704,68,11
iii बैंक	iii Banks	2602,37,07	2112,62,71
iv अन्य	iv Others	120815,39,87	226504,43,96
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India		
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	-	-
ii अन्यो से प्राप्य	ii Due from Others		
क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	41504,68,62	33344,02,10
ख. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	14805,44,76	12087,44,47
ग. अन्य	c) Others	50810,62,38	107120,75,76
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I + C.II)	<u>333625,19,72</u>	<u>292077,13,69</u>
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10		
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS		
I परिसर	I Premises		
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2628,79,85	2530,11,73
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन (पुनर्मूल्यित राशि सहित)	Additions/Adjustments during the year (Includes revalued amount)	48,96,79	99,94,90
		<u>2677,76,64</u>	<u>2630,06,63</u>
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	Less : Deductions/adjustments during the year	71,41	1,26,78
		<u>2677,05,23</u>	<u>2628,79,85</u>
अद्यतन तारीख को मूल्यहास	Depreciation to date	922,67,95	1754,37,28
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :		
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2459,32,73	2167,11,20



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2013 को As on 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	509,17,07		352,91,50	
		2968,49,80		2520,02,70	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	62,68,29		60,69,97	
		2905,81,51		2459,32,73	
अद्यतन तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	2114,44,85	791,36,66	1841,74,57	617,58,16
II पट्टे पर दी गई आस्तियां	II Leased Assets				
लागत पर	At cost	8,66,05		19,34,17	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	1,96,06		3,27,77	
		10,62,11		22,61,94	
वर्ष के दौरान कटौतियां प्रावधानों सहित.	Deductions during the year incl. Provisions	3,28,07		13,95,89	
		7,34,04		8,66,05	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	2,65,03	4,69,01	1,57,13	7,08,92
जोड़ (I, II एवं II क)	Total (I, II and IIA)		2550,42,95		2428,19,01
अनुसूची - 11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter-Office Adjustments (Net)		-		392,47,97
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		3704,32,84		3530,54,00
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of Provisions)		3401,38,01		2017,81,20
IV स्टेशनरी एवं स्टैम्प	IV Stationery and Stamps		6,66,61		7,18,28
V आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax assets		97,95,60		11,90,31
VI अन्य	VI Others		2683,25,54		4439,41,09
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		9893,58,60		10399,32,85
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		69,20,11		78,60,61
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		28,00		28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		136045,12,51		93060,59,01
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	14304,50,45		13791,49,63	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	14693,49,97	28998,00,42	10331,24,44	24122,74,07
V स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		19163,58,23		18165,81,55
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		21101,30,19		17726,95,68
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		205377,49,46		153154,98,92

समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

		31 मार्च, 2013 को Year ended 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को Year ended 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	I Interest/Discount on Advances/Bills	26611,34,35		22866,00,82	
II निवेश पर आय	II Income on Investments	7887,88,36		6435,99,52	
III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1538,39,38		901,69,34	
IV अन्य	IV Others	404,43,65		284,79,68	
जोड़ (I से IV)	TOTAL Total (I to IV)	<u>36442,05,74</u>		<u>30488,49,36</u>	
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	1313,28,56		1274,15,11	
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	II Profit / (Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	(1,22,56)		7987	
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)	822,55,53		702,63,74	
IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments (Net)	635,21,53		609,46,61	
V निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (शुद्ध)	V Profit / (Loss) on revaluation of Investments (Net)	1,44,54		52,17	
VI अर्जित प्रीमियम	VI Premium earned	569,52,83		569,52,83	
VII विविध आय	VII Miscellaneous Income	1169,81,88		943,31,33	
जोड़ (I से VII)	TOTAL Total (I to VII)	<u>4510,62,31</u>		<u>4100,41,66</u>	
अनुसूची - 15 ब्याज व्यय	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits	23062,97,76		18146,99,74	
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	466,94,52		641,92,27	
III अन्य	III Others	956,48,85		935,42,34	
जोड़ (I से III)	TOTAL Total (I to III)	<u>24486,41,13</u>		<u>19724,34,35</u>	

		31 मार्च, 2013 को Year ended 31st March 2013		31 मार्च, 2012 को Year ended 31st March 2012	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		3615,95,10		3117,26,75
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting		556,35,16		439,41,97
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery		60,63,22		42,01,31
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		74,27,02		75,21,34
V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	320,60,26		294,47,07	
ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	1,09,86	321,70,12	1,01,09	295,48,16
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		3,28,81		2,49,19
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		35,84,73		41,11,14
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges		34,61,22		24,03,73
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		124,49,82		103,65,53
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance		190,98,91		174,32,70
XI बीमा	XI Insurance		305,06,35		284,13,69
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure		983,15,97		856,38,98
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)		6306,36,43		5455,54,49
अनुसूची - 17 सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES				
I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I RRB's		80,07,16		51,38,36
II अन्य	II Others		(1,52,91)		1,74,04
जोड़ (I और II)	Total (I & II)		78,54,25		53,12,40

अनुसूची 18: 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2013

1. समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार

1.1 तैयारी करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचालित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, बनाई गई हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (12 अनुषंगियां, 6 सहयोगी इकाइयों तथा 3 संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई हैं :

- क) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
- ख) अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ लाइन-टू-लाइन एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस-21) के अनुसार सभी इन्द्रा ग्रुप शेषों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए।
- ग) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- घ) संयुक्त उद्यमों में निवेश, आईसीएआई द्वारा जारी एस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ़ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित "समानुपातिक आधार" पर समेकित किया गया है।

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यवहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।

2.3 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है।

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1.1 1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -6- Associates and -3- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

- a. Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
- b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- c. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- d. Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.



2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- (क) "परिपक्वता तक धारित" निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त "क" तथा "ख" में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, यदि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है। विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

23.08.2006 के पश्चात् मूल द्वारा वीसीएफ की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें एफएस में अंतरिम का दिया जाएगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार चिन्हित रखा जाएगा।

"व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिह्नित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

व्यापार के लिए धारित श्रेणी के तहत ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में मूल बैंक द्वारा किये गये निवेश का रख-रखाव लागत पर मूल्यांकन किया गया है।

"व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. INVESTMENTS:

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- (a) "Held to Maturity" (HTM) comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) "Held for Trading" (HFT) comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) "Available for Sale" (AFS) comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent's investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Parent as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in HFT and AFS categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI)/ Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

क. सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	- परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	- अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
ग. अधिमानी शेयर	- परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर, समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्कअप सहित
घ. पीएसयू बॉन्ड	- समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्कअप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
ङ. म्यूचुअल फंड की यूनिटें	- फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर
च. उद्यम पूंजी	- लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) ₹1/-

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुई लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

3.5 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।

3.6 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों, का अनुपालन किया जाता है। ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है।

3.8 घरेलू गैरनिष्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित आय को नहीं लिया गया है। और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित

Bank of India, which are as under: -

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
f	Venture Capital	-	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

3.4 Disposal of Investment

Profit / loss on sale of investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.

3.5 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of

करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय जैसा भी मामला हो के हिसाब से की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की गयी हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया गया है। इन पर व्यय / अर्जित किये गए ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया गया है।

3.10 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशन्स को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है। लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। ब्याज दर स्वेप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है। ट्रेडिंग स्वेप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वेप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वेप समझौतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा। इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है।

4. अग्रिम

- 4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, के अनुरूप किया गया है, इन में से जो भी अधिक कठोर हो।

market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES:

- 4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.



- 4.2 अग्रिम राशि, उच्चतम खाते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान के बाद की राशि है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया गया है अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया गया है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है।
- 5.2 “परिसर” में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

- क. जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय (पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है।
- ख. शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। अनुबंधित, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों में लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है।
- घ. परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतानों को आईसीएआई द्वारा जारी एस 19 (लीज) के अनुसार लीज टर्म पर लाभ एवं हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

8. जीवन बीमा कम्पनी

क. प्रीमियम आय

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोग इकाइयां सृजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है।

कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं।

- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-filed Sundry Deposit and Claims Received.

- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.

- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the Profit and Loss Account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is carried forward and utilised to meet the shortfall /loss on account of subsequent sale of non-performing financial assets.

5. FIXED ASSETS:

- 5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

- 5.2 Premises include Land and Building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUE RECOGNITION:

1. Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
2. Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
3. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.
4. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 LIFE INSURANCE COMPANY:

1. Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.



पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है।

ख. लिंक्ड निधियों से आय

लिंक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से आय को जारी की गई पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिंक्ड निधियों से वसूल किया जाता है।

ग. पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गई शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय हिसाब में लिया जाता है। पुनर्बीमा पर लाभ कमशीन, पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर नेटेटे ऑफ़ किया जाता है।

घ. प्रदत्त लाभ (दावों सहित)

प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं।

मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है।

लिंक्ड पालिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है। जब अनुषंगी यूनिटें निरस्त हो जाती हैं। दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है।

ड. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत ऐसी लागत है जो भिन्न-भिन्न होती हैं और बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से मुख्यतः समबद्ध होती हैं और व्यय होते हैं जोकि खर्च की अवधि से संबद्ध होते हैं।

च. जीवन बीमा पालिसियों के लिए देयता

कंपनी की बीमांकिक देयताओं की बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं के सोल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार गणना की जाती है।

ज. निवेश

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ़ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदानों को लाभ/हानि खाते पर प्रभारित किया जाता है। निधियों का

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

2. Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

3. Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

4. Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

5. Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

6. Liability for life policies:

Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.

7. Investments:

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

9. EMPLOYEES BENEFITS:

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is

प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है

9.2 ग्रेच्युटी

बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियमों एवं विनियमों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता एक सांविधिक दायित्व है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

9.3 पेंशन

9.3.1 बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्त वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है।

9.3.2 नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति

संचित अनुपस्थिति क्षतिपूर्तियों जैसे कि अधिकारजन्य अवकाश (पीएल) तथा रुग्ण अवकाश को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़, संबंध देश में लागू कानून के आधार पर लेखाकृत किया गया है।

10. मूल्यहास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 एवं 10.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 10.3 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबंध देश में लागू व्यवहारों पर प्रदान किया गया है।

10.3 कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कम्प्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य अंग हैं, उनपर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है पर मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।

managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

9.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

9.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10. DEPRECIATION:

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred to in Para 10.3 & 10.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a, as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

- 10.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% प्रतिवर्ष की दर से स्ट्रेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है।
- 10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10.6 पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

11. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों की क्षति, यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 12.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुरूप किया गया है।
- 12.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।
- 12.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।
 - (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
 - (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।
 - (घ) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है। परिणामी वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- 12.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में संव्यवहार
- (क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।
 - (ख) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदादरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है।
 - (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।

- 10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 10.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 10.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

11. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

12. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.
- 12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 12.3 Translation in respect of Integral Operations:
- a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.
 - d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss included in the Profit and Loss Account.
- 12.4 Translation in respect of Non Integral Operations:
- a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
 - c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

- (घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

12.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पोट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अधधीन हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है। कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित ईक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण नहीं माना गया है। क्योंकि इसकी आय, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है, के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकती है।

- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

13 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट

Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2013

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं।

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

1.1 अनुषंगियां	देश, जहां विद्यमान है	स्वामित्व का अनुपात 31.03.13	31.03.12
1.1.1 देशीय अनुषंगियां			
क) बैंकिंग			
1) नैनीताल बैंक लि.	भारत	98.57%	98.57%
ख) गैर बैंकिंग			
i) बॉब कैपिटल मार्केट लि.	भारत	100.00%	100.00%
ii) बॉब कार्ड्स लि.	भारत	100.00%	100.00%
1.1.2 विदेशी अनुषंगियां			
क) बैंकिंग			
i) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	बोत्सवाना	100.00%	100.00%
ii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	केन्या	86.70%	86.70%
iii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	यूगांडा	80.00%	80.00%
iv) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी	गुयाना	100.00%	100.00%
v) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	तंजानिया	100.00%	100.00%
vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबेगो लिमिटेड	त्रिनिदाद एवं टोबेगो	100.00%	100.00%
vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	घाना	100.00%	100.00%
viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	न्यूजीलैंड	100.00%	100.00%
ख) गैर बैंकिंग			
i) बॉब (यू के) लि.	यूनाइटेड किंगडम	100.00%	100.00%

1.1 Subsidiaries	Country of Incorporation	Percentage of Ownership as on 31.03.13	31.03.12
1.1.1 Domestic Subsidiaries			
a) Banking:			
i) The Nainital Bank Ltd.	India	98.57	98.57
b) Non Banking:			
i) BOB Capital Markets Ltd.	India	100.00	100.00
ii) BOB Cards Ltd.	India	100.00	100.00
1.1.2 Overseas Subsidiaries:			
a) Banking:			
i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	Botswana	100.00	100.00
ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	Kenya	86.70	86.70
iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	Uganda	80.00	80.00
iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	Guyana	100.00	100.00
v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100.00	100.00
vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.	Trinidad & Tobago	100.00	100.00
vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	Ghana	100.00	100.00
viii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100.00	100.00
b) Non Banking:			
i) BOB (UK) Ltd.	United Kingdom	100.00	100.00

1.2 सहयोगी इकाइयां
समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates
The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	31.03.13	31.03.12
(क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	(a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20	20	
(ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	(b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत / India	49	49	
(ग) बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	(c) Baroda Pioneer Trustee Company Private Limited	भारत / India	49	-	
(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	(d) Regional Rural Banks				
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत / India	35	35	
ii) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक)	ii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35	35	
iii) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35	35	
iv) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	iv) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	भारत / India	-	35	
v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank	भारत / India	-	35	



1.3 संयुक्त उद्यम

1.3 Joint Ventures

नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership (%) as on	
		31.03.2013	31.03.2012
क) इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. a) IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	भारत India	44	44
ख) इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. b) India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया Malaysia	40	40
ग) इण्डिया इन्फ्राडेब्ट लि. c) India Infradebt Ltd.	भारत India	30	-

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	194.31	152.94
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	-
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
(घ)	पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि और एफसी संव्यवहार प्रारक्षित निधि के खाते में परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	2.31	3.54
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त गुड विल/आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	323.42	239.11
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31st March (a -b-c+d+e)	494.77	370.32
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	442.63	324.61
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	52.14	45.71
(झ)	कुल (छ + ज)	i.	Total (g + h)	494.77	370.32

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates

3.1. अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां, बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट यूगांडा लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर, जिनकी 31 मार्च, 2013 तक तैयार की गई है उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है। उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं। प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है।

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2013 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn up to 31st December, 2012. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2013 to 31st March, 2013 requiring adjustment therein. (3.1.2 CFS for the year 2011-12 of the group includes unaudited financial statements of subsidiaries viz., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd.

3.2 बैंक वित्तीय वर्ष 2012-2013 की समेकित वित्तीय विवरणी में संयुक्त उपक्रमों अर्थात इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाड (आई.आई. बी.एम. बी.) के अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों का भी समावेश है जो कि 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार तैयार की गई है प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार अथवा अन्य वृत्तांत नहीं हुआ।

3.2 CFS for the financial year 2012-13 of the Group also includes unaudited financial statements of Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB), the accounts of which has been drawn upto 31st December 2012. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 01st January 2013 to 31st March 2013, requiring adjustment therein.



4. 31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं :

- 1) बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
- 2) बॉब कार्ड्स लि.

5. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं प्रारक्षित निधि में अंतरण के पश्चात्) तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं / औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

6. करों के लिए प्रावधान

6.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.

6.2 अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर, प्रावधान के उपरांत है एवं यह 'अन्य आस्तियों' के तहत ₹3401.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2017.81 करोड़) रखा गया है. इसमें मूल का ₹3374.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1993.11 करोड़) शामिल है जो विभिन्न वर्षों के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए विवादित कर मांगों के भुगतान से संबंधित समायोजित राशि है. उक्त मांगों के संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय तथा उसके काउंसिलो की राय और/अथवा न्यायिक घोषणाओं के अनुसार निर्धारण कर्ता अधिकारी द्वारा परिवर्धन/अस्वीकृति अनियत है.

7. बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्यित राशि के आधार पर दर्शायी गयी हैं. परिसर की लागत सहित वर्ष के अंत तक कुल पुनर्मूल्यन राशि ₹1778.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1777.43 करोड़) जिसमें विदेशी कार्यालयों के ₹31.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.55 करोड़) शामिल है मूल्यहास के उपरांत पुनर्मूल्यन राशि ₹1104.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1173.68 करोड़) है.

8. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2013 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:

- 1) BOB Capital Markets Ltd.
- 2) BOB Cards Ltd.

5. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

6. Provision for Taxes

6.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of Consultant.

6.2 Tax paid in advance / tax deducted at source is net of provisions and is appearing under "Other Assets" amounting to ₹ 3401.38 crores (previous year ₹ 2017.81 crores), includes ₹ 3374.52 crores of the parent (previous year ₹ 1993.11 crores), represent amount adjusted by the department / paid by the Parent in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the parent's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

7. Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation included in cost of premises as at end of the year is ₹ 1778.33 Crores (previous year ₹ 1777.43 crores) including ₹ 31.45 Crores at overseas offices (previous year ₹ 30.55 crores). The revaluated amount net of depreciation is ₹ 1104.26 Crores (Previous Year ₹ 1173.68 Crores).

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बड़ेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	3118.59	1595.98
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	382.42	296.32
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	13.03	5.22
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	444.14	1087.98
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for Depreciation on investment	220.56	238.81
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	395.22	449.66
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	25.00
अन्य	Others	810.47	493.76
जोड़	Total	5409.43	4192.73





9. ए एस-15 - कर्मचारी लाभ (बैंक)

लेखा मानक प्रकटीकरण -

मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

9. AS-15 Employee Benefits [Parent]

Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
हास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	-	8.00%	-

मॉर्टलिटी रेट : एलआईसीआई 1994-96

Mortality Rate : LIC 1994-96

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
1/4/2012 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2012	7033.55	566.01	1416.85	446.62
जोड़ें-ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	563.49	44.19	110.63	35.26
जोड़ें-चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	1064.59	124.64	103.90	4.72
घटायें-प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	406.69	60.66	151.78	38.46
जोड़ें-दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	-752.90	35.55	26.53	144.31
31.03.2013 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2013	7502.04	709.73	1506.13	592.45

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
1/4/2012 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2012	5740.29	1308.84
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	459.22	104.71
जोड़ें- अंशदान	Add- Contributions	767.51	108.01
घटायें-प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	406.69	151.78
जोड़ें-बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	97.99	3.35
31.03.2013 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2013	6658.32	1373.13

तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
क) दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	7502.04	709.73	1506.13	592.45
ख) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	6658.32	-	1373.13	-
ग) अन्तर	c) Difference	843.72	709.73	133.00	592.45
घ) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	731.96	-	-	-
ङ) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	111.76	709.73	133.00	592.45

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
क) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	1064.59	124.64	103.90	4.72
ख) ब्याज लागत	b) Interest Cost	563.49	44.19	110.63	35.26
ग) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-459.22	-	-104.71	-
घ) निर्धारित पिछली सेवा लागत (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	-850.88	35.55	23.18	144.31
ङ) वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता	e) Transitional liability recognized in the year	365.98	-	-	-
च) लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च	Expenses Recognised in P&L	683.96	204.38	133.00	184.29

अगली अवधि (2013-14) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2013-14)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	पेंशन / Pension	ग्रेच्युटी / Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	500.00	80.00

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	पेंशन / Pension	ग्रेच्युटी / Gratuity
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	Central Government Securities	23.47 %	21.03 %
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	State Government Securities	20.01 %	25.64 %
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	29.80 %	29.50 %
कार्पोरेट (प्राइवेट)	Corporate (Private)	2.82 %	1.53 %
अन्य	Others	23.90 %	22.30 %
कुल	Total	100.00 %	100.00 %


10. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस 17)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -
भाग क बिजनेस सेगमेंट

10. Segment Reporting (AS – 17)

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting
Part A: Primary Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
राजस्व	Revenue	9352.38	7453.90	15095.11	13185.19	9887.97	8730.83	6617.22	5218.99	40952.68	34588.91
परिणाम	Result	1119.50	925.50	-92.52	980.42	3144.72	2849.50	2545.30	3173.47	6717.01	7928.90
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1468.64	1592.86
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									5248.37	6336.04
आयकर	Income taxes									444.14	1087.47
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									-	---
शुद्ध लाभ	Net Profit									4804.23	5248.57
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	147809.92	105423.13	153499.37	140909.25	75107.47	64819.14	177606.33	141608.18	554023.08	452759.70
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									5365.25	4652.31
कुल आस्तियां	Total Assets									559388.33	457412.01
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	139015.71	98850.77	144366.66	132124.59	70638.82	60778.14	167039.33	132779.94	521060.52	424533.44
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									5046.04	4362.27
कुल देयताएं	Total Liabilities									526106.56	428895.71
नियोजित पूंजी	Capital Employed	8794.21	6572.36	9132.71	8784.66	4468.65	4041.00	10566.99	8828.24	32962.56	28226.26
अनाबंटित	Unallocated									319.21	290.04
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									33281.77	28516.30

भाग-ख - भौगोलिक सेगमेंट / Part B : Geographical Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल / Total	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
राजस्व	Revenue	35196.20	30048.39	5756.48	4540.52	40952.68	34588.91
आस्तियां	Assets	386487.80	323453.13	172900.53	133958.87	559388.33	457412.00

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गैर / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के लिए आनुपातिक तौर आबंटित किया गया है।

Notes:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
- Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
- Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.



11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

11. Related Party Disclosures (AS-18)

S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक चालू वर्ष Current Year	Remuneration पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री. सुभाष शिवरतन मूंदडा Shri Subhash Sheoratan Mundra	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (w.e.f. 21st Jan 2013)	3,49,654	-
2	श्री. एम. डी मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (upto 30th November 2012)	32,45,265	25,37,459
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 31st October 2012)	24,02,674	21,97,317
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N.S.Srinath	कार्यपालक निदेशक Executive Director (upto 31st May 2012)	13,26,419	21,22,495
5	श्री सुधीर कुमार जैन Shri Sudhir Kumar Jain	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 18th June 2012)	12,22,208	-
6	श्री श्रीनिवास पि. Shri Srinivas P	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 18th June 2012)	12,00,790	-
6	श्री रंजन धवन Shri Ranjan Dhawan	कार्यपालक निदेशक Executive Director (w.e.f. 01st November 2012)	6,65,588	-

12. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

12. Earnings per Share (AS-20)

			चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i.	इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ों में)	Net Profit after tax available for Equity shareholders (₹ in crores)	4804.23	5248.57
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या (भारित)	Number of Equity Shares (Weighted)	41,16,78,611	391653059
iii.	प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन ₹10 प्रत्येक के	Basic and diluted earnings per share of ₹10/- each (₹)	116.70	134.01
iv.	प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य	Nominal Value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

13. आय पर कर गणना (एस-22)

13. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

क. आस्थगित कर देयता (निवल)

a. Deferred Tax Assets (Net)

विवरण	Particulars	31.03.2013 आस्तियां Asset	31.03.2013 देयता Liability	31.03.2012 आस्तियां Asset	31.03.2012 देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	-	41.12	8.94	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
अन्य	Others	-	-	0.16	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	-	-	0.03	-
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	-	92.73	-	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	1.84	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण एवं वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment & Wage Revision	226.89	-	2.77	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान (विदेशी)	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	3.08	-	-	-
जोड़	Total:	231.81	133.86	11.90	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liability /Asset	97.96	-	11.90	-




ख. आस्थगित कर देयता (निवल)
b. Deferred Tax Liabilities (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	31.03.2013		31.03.2012	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	-	0.26	-	90.16
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
एचटीएम प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	-	-	-	426.45
अन्य	Others	-	0.86	-	0.51
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	-	-	-	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a) (ia) of the IT Act	-	-	9.84	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	-	-	174.43	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान (विदेशी)	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	-	-	76.14	-
जोड़	Total:	-	1.12	260.41	517.12
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liability /Asset	-	1.12	-	256.71

14. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

15. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

14. AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2012-13 the Group has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

15. AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

16. AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(₹ in crores)

विवरण	Particulars	मुकदमों Legal Cases / आकस्मिकताएं Contingencies	
		Current Year	Previous Year
1 अप्रैल 2012 को शेष	Balance as on 1st April 2012	10.30	8.91
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	34.64	1.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	Amount used during the year	-	-
31 मार्च 2013 को शेष	Balance as at 31st March 2013	44.94	10.30
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of Outflow / uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र सं. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय/पंच फैसले/ अदालत के बाह्य निस्तारण/ अपील का निपटारा पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

17. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है।

Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgement / arbitration awards / out of court settlement / disposal of appeals. No reimbursement is expected in such cases.

17. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.



18. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, मूल बैंक और उसके अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोला, जिन्होंने पहले पेंशन योजना को ग्रहण नहीं किया था। 19289 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प ग्रहण करने के परिणामस्वरूप 1855.71 करोड़ रुपये की देयता सृजित हुई। इसके अतिरिक्त अनुषंगी नैनीताल बैंक लि. के संबंध में ग्रेच्युटी सीमा में ₹ 3.50 लाख से ₹ 10 लाख की वृद्धि हो जाने के कारण ग्रेच्युटी देयता बढ़कर 10.09 करोड़ रुपये हो गई।
- लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ तथा हानि खाते में 1865.80 करोड़ रुपये की समग्र राशि प्रभारित करना अपेक्षित था। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेक सम्मत नियामक व्यवहार के बारे में परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समूह में 31 मार्च 2013 तक लाभ-हानि खाते में ₹1119.48 करोड़ रुपये (₹1865.80 करोड़ रुपये के 3/5 भाग के रूप में) प्रभारित किए हैं। ₹746.32 करोड़ रुपये (₹1865.80 करोड़ रुपये - ₹1119.48 करोड़ रुपये) की अनिर्धारित शेष राशि हिसाब में ली जाएगी और उसे उक्त परिपत्र में नियम बची हुई अवधि में विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों में संबंधित कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।
19. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.एमईआरओईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। प्रारंभ में डीआईसीजीसी दावे से प्राप्त ₹ 61.10 करोड़ को स्वीकारते समय ₹ 149.25 करोड़ के घाटे की गणना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी. 1311/21.01.048/2012-11 दि. 25 जुलाई, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार उक्त अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 149.25 करोड़ के हुए घाटे में से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 49.75 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की है और ₹ 99.50 करोड़ की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की शेष अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से प्रभारित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक को अंतिम निस्तारण के रूप में डीआईसीजीसी से 23.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए परिणामस्वरूप घाटे में 37.35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 74.64 करोड़ रुपये की राशि (149.25 करोड़ रुपये के मूल घाटे के 1/3 के रूप में 49.75 करोड़ रुपये और 37.35 करोड़ रुपये के डीआईसीजीसी दावों के घाटे के 2/3 के रूप में 24.89 करोड़ रुपये) लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की है। 62.20 करोड़ रुपये की शेष राशि (149.25 करोड़ के मूल घाटे का 1/3 और 12.45 करोड़ रुपये के प्राप्त डीआईसीजीसी दावे घाटे का 1/3) अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभारित की जाएगी।
20. बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों पर 15% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 20% का प्रावधान किया है।
- इसके अतिरिक्त बैंक ने कुछ अनर्जक घरेलू अग्रिम खातों में 31 मार्च 2013 को ₹ 136.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 342.79 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।
21. भारत सरकार की दिनांक 1 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्रमशः बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रायोजित नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से विलय कर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की दिनांक 1 जनवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार हड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रायोजित), और राजस्थान ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित) का बड़ौदा ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) में विलय कर दिया गया। इस विलय पर, अधिसूचना के राजकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदल कर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर दिया गया।
22. पिछले वर्ष के आंकड़े
- वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति करने के लिए समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनः समूहीकृत किया गया है।
18. During the financial year 2010-11, the Parent and its Subsidiary The Nainital Bank Ltd. had reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of such option by 19289 number of employees, the Group had incurred a liability of ₹1855.71 crores. Further in respect of Subsidiary, Nainital Bank Ltd., gratuity liability has increased by ₹ 10.09 crores due to enhancement of limit of gratuity from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10 lacs.
- In terms of the requirements of the AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1865.80 crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, vide RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Group has charged an amount of ₹ 1119.48 crores (representing three-fifth of ₹1865.80 crores) upto March 31, 2013. The unrecognized balance of ₹746.32 crores (₹1865.80 crores – ₹1119.48 crores) shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in terms of the said circular. This liability does not include any amount relating to separated/retired employees.
19. The Parent has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD.CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March, 2011. Initially, ₹149.25 crores of deficit was calculated considering ₹ 61.10 crores as receivable from DICGC claims. Out of the deficit of ₹ 149.25 Crores on account of the said take over, the Parent has proportionately charged ₹ 49.75 Crores of the said deficit to the Profit and Loss Account during the financial year 2011-12 as approved by RBI vide letter no. DBOD.No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011 and an amount of ₹. 99.50 crores was carried forward to be charged proportionately during the remaining period till the FY 2013-14. . During the FY 2012-13, ₹ 23.75 crores has been received by the Parent from DICGC as final settlement and consequently the deficit increased by ₹ 37.35 crores. Accordingly, an amount of ₹ 74.64 crores (₹ 49.75 crores being 1/3rd of original deficit of ₹ 149.25 crores and 24.89 crores being 2/3rd of deficit of DICGC claims of ₹ 37.35 crores) is charged to profit and loss account during the current financial year. The balance amount of ₹ 62.20 crores (1/3rd of original deficit of ₹ 149.25 crores and 1/3rd of deficit of DICGC claim receipt of ₹ 12.45 crores) will be charged during the next Financial Year 2013-14
20. The Parent has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%. Further the Parent has made an additional ad-hoc provision of ₹ 136.75 Crores for the year ended March 31, 2013 (previous year ₹ 342.79 Crores) in certain non performing domestic advance accounts.
21. As per the Government of India notification dated 01st November 2012, Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank and Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank sponsored by Parent were amalgamated into Narmada Jhabua Gramin Bank under the sponsorship of Bank of India and Uttarakhand Gramin Bank under the sponsorship of State Bank of India respectively, from the date of publication of the notification in the Official Gazette.
- Further, as per the Government of India notification dated 1st January 2013, Hadoti Kshetriya Gramin Bank (sponsored by Central Bank of India), and Rajasthan Gramin Bank (sponsored by the Punjab National Bank) were amalgamated with Baroda Rajasthan Gramin Bank (sponsored by Bank of Baroda). On amalgamation, the name of Baroda Rajasthan Gramin Bank was changed to Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank from the date of publication of the notification in the Official Gazette.
22. Previous year figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary to conform current year's presentation.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2013

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	5248,36,93	6336,03,70
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	321,70,12	295,48,16
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	220,55,42	238,81,36
बुटे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	3501,01,53	1892,81,38
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	395,21,36	449,66,42
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	848,50,50	523,98,03
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	(Profit)/loss on sale of fixed assets	1,22,56	(79,87)
गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	930,27,55	914,36,03
उप जोड़	Sub total	11466,85,97	10650,35,21
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(39140,60,32)	(12781,39,85)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(45049,07,56)	(61884,83,95)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	1889,31,06	(3545,00,45)
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	2852,58,41	1031,35,69
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	90022,94,80	81012,69,61
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	2981,82,56	1928,70,34
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1827,70,72)	(1774,47,81)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	23196,14,20	14637,38,79
ख. निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from Investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(560,09,92)	(456,14,17)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	45,94,30	40,02,44
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash from investing activities (B)	(514,15,62)	(416,11,73)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	10,13,29	19,57,73

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012
शेयर प्रीमियम	Share premium	839,86,71	1625,11,20
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	102,30,00	188,37,19
लाभांश	Dividend	(812,29,04)	(753,35,20)
गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(930,27,55)	(914,36,03)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	(790,26,59)	165,34,89
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	21891,71,99	14386,61,95
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	65810,34,67	51423,72,72
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	87702,06,66	65810,34,67
टिप्पणी	Notes:		
1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं.	1 Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2 Components of Cash & Cash Equivalents	As on 31st March 2013	As on 31st March 2012
भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष	Cash & Balance with RBI	14151,18,45	22268,34,40
बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	73550,88,21	43542,00,27
जोड़	Total	87702,06,66	65810,34,67



बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ("द ग्रुप") की समेकित वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च 2013 का समेकित तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल हैं:

- हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13.05.2013 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
- अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित -11- अनुषंगियों तथा -6- सहयोगी इकाइयों, 2 संयुक्त उपक्रमों के लेखा परीक्षित खाते,
- 1 अनुषंगी और 1 संयुक्त उपक्रम के अलेखापरीक्षित खाते

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखा परीक्षा मानदंडों की अनुपालना में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अनुरूप ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रूपरेखा सम्मिलित है। ये विवरणियां वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं और इनमें जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है। इसमें समेकित वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल के वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करने वाली इन समेकित वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु ग्रुप के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और

To

The Board of Directors, Bank of Baroda

1) We have audited the accompanying consolidated financial statements of BANK OF BARODA ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2013, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which following are incorporated:

- Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 13, 2013.
- Audited Accounts of 11 Subsidiaries, 6 Associates and 2 Joint Ventures, audited by other Auditors,
- Unaudited Accounts of 1 Subsidiary and 1 Joint Venture.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2) Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the





समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त हैं।

महत्वपूर्ण विषय

5. (क) अनुसूची 19 के नोट सं.18, जिसमें बैंक तथा उसकी अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड की आस्थगित देयता का उल्लेख किया गया है जोकि 31 मार्च, 2013 को 746.32 करोड़ रुपये की पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) से संबद्ध है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः खोलने तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण नियामक व्यवहार के बारे में जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार एस 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को लागू करने से बैंकों को छूट देने के अनुपालन के रूप में है।
- (ख) अनुसूची 19 के नोट सं.19 में भारतीय रिज़र्व बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी.1311/21.04. 048/2010-11 दिनांक 25 जुलाई, 2011 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों तथा देयताओं के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 को 62.20 करोड़ रुपये के कुल निर्धारित घाटे का उल्लेख किया गया है जिसे वित्तीय वर्ष 2013-14 तक अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाना है।

महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हमारे राय अपेक्षित नहीं है।

राय

6. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे बताई अनुषंगियों एवं सहयोगियों की वित्तीय विवरणियों / समेकित वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं:
- (क) 31 मार्च 2013 को ग्रुप के कार्य व्यवहारों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के संबंध में
- (ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के लाभ संबंधी समेकित लाभ हानि खाते के संबंध में, और
- (ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में।

अन्य विषय

- 7) समेकित वित्तीय विवरणियों निम्नलिखित शामिल हैं-
- (क) (i) 1 अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड के बारे में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आंकड़ें, इसकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2013 को कुल आस्तियां 1018.44 करोड़ रुपये की कुल आस्तियों का उल्लेख है और उक्त वर्ष की समाप्ति की तारीख को कुल राजस्व 75.68 करोड़ रुपये और नकदी प्रवाह 23.24 करोड़ रुपये है।
- (ii) 1 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उपक्रम - इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहाड के बारे में अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आंकड़े, इसकी वित्तीय विवरणियों में

accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Matter of Emphasis

- 5) a) Note No.18 of Schedule-19, which describes deferment of liability of the Bank and its subsidiary, the Nainital Bank Ltd, relating to pension and gratuity to the extent of ₹ 746.32 crores as on 31st March, 2013 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of AS 15 (revised), Employee Benefits, vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit- Prudential Regulatory Treatment.
- b) Note No.19 of Schedule-19, which describes that the unrecognized deficit aggregating ₹ 62.20 crores as on 31st March, 2013, arising out of the take-over of specified assets and liabilities from the Memon Co-operative Bank Limited to be charged off proportionately till financial year 2013-14 as per approval received from RBI vide Letter No. DBOD. No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated July 25, 2011. Our opinion is not qualified in respect of Matter of Emphasis.

Opinion

- 6) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on consideration of the reports of the other auditors on the financial statements / consolidated financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on 31st March, 2013;
- (b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit of the Group for the year ended on that date and
- (c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matters

- 7) Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:
- a) (i) Figures of unaudited financial statements in respect of 1 international subsidiary namely Bank of Baroda (Botswana) Ltd, whose financial statements reflect total assets of ₹ 1018.44 crores as on 31st March, 2013 and total revenue of ₹ 75.68 crores and cash flows amounting to ₹ 23.24 crores for the year ended on that date
- (ii) Figures of unaudited financial statements in respect of 1 international Joint Venture



31 दिसम्बर 2012 को 255.30 करोड़ रुपये की कुल आस्तियों के समानुपात का उल्लेख है और उक्त वर्ष की समाप्ति की तारीख को कुल राजस्व 3.51 करोड़ रुपये और नकदी प्रवाह 232.25 करोड़ रुपये है।

(ख) 8 अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियां, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है। इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2013 को कुल आस्तियां 6105.22 करोड़ रुपये का उल्लेख है और वर्ष के अंत में 728.33 करोड़ रु. का कुल राजस्व तथा 85.75 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह है। उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है। प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को रूपांतरित किया गया है और इनकी संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर तथा इसके उपर्युक्त भारतीय जीएपी में रूपांतरण के आधार पर है।

(ग) 3 घरेलू अनुषंगियों तथा -2- घरेलू संयुक्त उद्यमों के आंकड़े, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा नहीं की है। इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2013 को कुल आस्तियां 6622.71 करोड़ रुपये तथा वर्ष के अंत में 1386.95 करोड़ रुपये की कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में 343.81 करोड़ रुपये का उल्लेख है।

महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हमारे राय अपेक्षित नहीं है।

namely India International Bank (Malaysia) Berhad, whose financial statements reflect proportionate of total assets ₹ 255.30 crores as on 31st December, 2012 and total revenue of ₹ 3.51 crores and cash flows amounting to ₹ 232.25 crores for the year ended on that date

b) Financial statements of 8 international subsidiaries which have not been audited by us, whose financial statements reflect total assets of ₹ 6105.22 crores as on 31st March, 2013 and total revenue of ₹ 728.33 crores and cash flows amounting to ₹ 85.75 crores for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiaries and joint ventures have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by respective auditors and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.

c) Figures of 3 domestic subsidiaries and 2 domestic joint ventures which have been audited by other auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹ 6622.71 crores as on 31st March, 2013 and total revenue of ₹ 1386.95 crores and cash flows amounting to ₹ 343.81 crores for the year then ended.

Our Opinion is not qualified in respect of other matters.

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244
For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma)
Partner
M No.216244

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(गौरव मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 099387
For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(Gaurav Mittal)
Partner
M. No. 099387

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 13th May, 2013

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825
For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेटी)
भागीदार
एम. नं.: 046940
For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No.046940

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(अमिताव चौधरी)
भागीदार
एम. नं.: 056060
For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(Amitava Chowdhury)
Partner
M. No. 056060

कृते केएसजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002228सी
(आर. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम. नं.: 073063
For KASG & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002228C
(R. K. Agarwal)
Partner
M No.073063

सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुम्बई

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2012-13 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण - समेकित

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता करार की धारा 41 एवं धारा 49 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- क. हमने वर्ष 2012-13 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
 - ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों.
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.
- घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट्स में कर दिया गया है
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.



वी. के. गुप्ता

महाप्रबन्धक

(कार्पोरेट खाते, कराधान एवं अनुषंगियां तथा सीएफओ)



एस.एस.मुंदड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13 मई 2013

स्थान : मुंबई



CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2012 - 13 - Consolidated

Pursuant to Clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2012-13 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. K. Gupta
General Manager
(Corp. A/cs, Taxation & Subsidiaries and CFO)

S. S. Mundra
Chairman and Managing Director

Date : 13th May 2013
Place : Mumbai





बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

फार्म बी
प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक

बुधवार, 26 जून, 2013

पंजीकृत फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी क्र.* _____ ग्राहक आईडी क्र.* _____
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को बुधवार, 26 जून, 2013 को प्रातः 10:30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.- 1, एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा- 390 020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली 17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं.

तारीख _____ माह _____ 2013 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

पता : _____

कृपया
राजस्व
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :

- (क) यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- (ख) संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- (ग) निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो यह न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.

- 2. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टांपित न हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 21 जून, 2013 को सांय 5.00 बजे तक बैंक ऑफ बड़ौदा, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वड़ोदरा- 390 005 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
- 3. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
- 4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- 5. विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- 6. प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला अनुदाता (गारंटर) संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- 7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- 8. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन यथाविधि प्रभारित होने चाहिए

Form B

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

17th Annual General Meeting**Wednesday, 26th June 2013**

Regd.Folio No. _____ DP.ID No* _____ Client ID No.* _____
(* Applicable for members holding shares in electronic form)

I / We _____ resident of _____

_____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 17th ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on the Wednesday, 26th June 2013, at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013

Signature of Proxy _____

Name _____
(In Block Letters)

Address _____

Affix
Revenue
Stamp

Signature of first named/sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not less than –4- days before the date fixed for the meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Friday, 21st June 2013, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

उपस्थिति पर्ची 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक	बुधवार, 26 जून, 2013
स्थान	सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा- 390 020
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
फोलियो सं. (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी.संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य/प्रॉक्सी धारक बैठक में उपस्थिति पर्ची अवश्य साथ लाए तथा इसे विधिवत रूप में भरकर एवं हस्ताक्षर कर प्रवेश द्वार पर सौंप दें.
2. बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य / प्रॉक्सीधारक बैठक में संदर्भ आदि के लिए वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएँ.

प्रवेश पत्र

(बैठक की समस्त कार्यवाही के दौरान अपने पास रखें)

फोलियो सं. (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	

टिप्पणी :

1. शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक/आरटीए में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें.
2. प्रवेश, सत्यापन /जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा.
3. किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

17th Annual General Meeting

Date	Wednesday, 26th June 2013
Place	Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020
Full Name (In Block Letters)	
No of Shares	
Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

Notes:

1. Member / proxy holder wishing to attend the meeting must bring the attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance duly filled-in and signed.
2. Member / proxy holder wishing to attend the meeting should bring his/her copy of the Annual Report for reference at the meeting.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Full Name (In Block Letters)	
No. of Shares	

Notes:

1. Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly filled in and signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank/RTA, along with the entry pass, for admission to the venue.
2. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary.
3. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए) :
4. बैंक खाते का विवरण :
 - क. बैंक का नाम :
 - ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
 - ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
 - घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक ☐ चालू ☐ नकद उधार ☐
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)
 - ड. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा रहा हो)
 - च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित :
बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद- 500 081 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, तीसरा तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing) ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form)
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No.
(as appearing on the cheque book) :
 - D. Account Type (please Tick) :
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐
 - E. Ledger Folio number of Bank Account
(if appearing on the cheque book) :
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank &
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank :
5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.



पुरस्कार एवं सम्मान / Awards and Accolades



'एफई बेस्ट बैंक अवार्ड 2011-12'.
'FE Best Banks Award 2011-12'



माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार
'First Prize in Indira Gandhi Rajbhasha Shield Competition
from Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee



बिजनेस इण्डिया मैगजीन द्वारा वर्ष 2012 के लिए बेस्ट बैंक अवार्ड
Best Bank Award for the year 2012 by Business India magazine.



यूटीवी फाइनेंसियल लीडरशिप अवार्ड के दूसरे एडिशन में 'बेस्ट पीएसयू बैंक' अवार्ड
'Best PSU Bank' in the 2nd edition of Bloomberg UTV Financial Leadership Awards



बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड
डन एण्ड ब्रॉडस्ट्रीट - पोलारिस वित्तीय प्रौद्योगिकी बैंकिंग अवार्ड -2012.
Best Public Sector Bank Award
Dun & Bradstreet – Polaris Financial Technology Banking Awards 2012.

हितधारक को लाभांश / Dividend to Stakeholder



वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार को लाभांश का भुगतान
Payment of Dividend to Govt. of India for Financial Year 2011-12



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank





FORM A

LETTER OF ANNUAL AUDIT REPORT TO BE FILLED WITH STOCK EXCHANGES

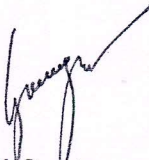
• Name of the Company	Bank of Baroda
• Annual Financial Statement for the year ended	31 st March 2013
• Type of Audit Observation	Un-qualified / Matter of Emphasis <u>Matter of Emphasis</u> 1) Note No. B.1.3.3, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of Rs 731.96 Crores as on March 31, 2013 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India (RBI) to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised), Employee Benefits issued by Institute of Chartered Accountant of India, vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks. 2) Note No C-8 of the Financial Statement, which describes that the unrecognized deficit aggregating Rs 62.20 crores as on March 31, 2013, arising out of the take over of specified assets and liabilities from the Memon Cooperative Bank Limited to be charged off proportionately till the financial year 2013-14 as per approval received from Reserve Bank of India vide letter No. DBOD. No. BP. 1311 / 21.04.048 /2010-11 dated July 25, 2011.
• Frequency of observation	This observation is appearing the Audit Report: • 31st March 2011, 31st March 2012 & 31st March 2013 – relating to deferment of pension liability. • 31st March 2012 & 31st March 2013 – relating to deficit on takeover of the assets & liabilities of erstwhile Memon Cooperative Bank.

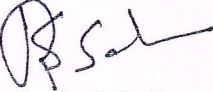


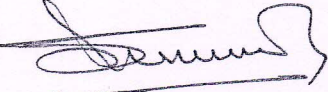
बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

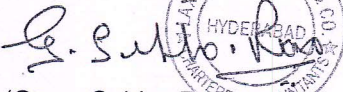
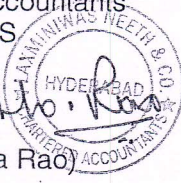
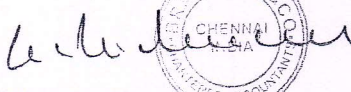
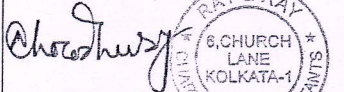
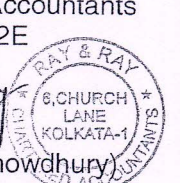
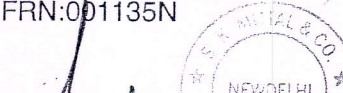
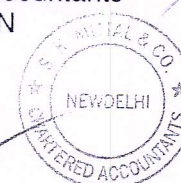
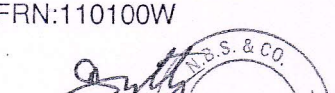
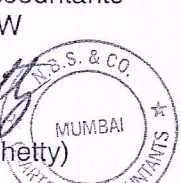
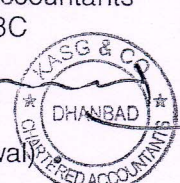
Comments of the Management on the matter of emphasis

No comments required as the above deferment / postponement has been permitted by Reserve Bank of India.


V K Gupta
General Manager
(Corp.A/Cs, Taxation
& Subs) and CFO


Rajib S Sahoo
Chairman
Audit Committee
of Board


S S Mundra
Chairman & Managing
Director

For Laxminiwas Neeth & Co. Chartered Accountants FRN:002460S  (Garre Subba Rao) Partner M. No.019579 	For Brahmayya & Co. Chartered Accountants FRN:000511S  (Jitendra Kumar) Partner M. No.201825 	For Ray & Ray Chartered Accountants FRN:301072E  (Amitava Chowdhury) Partner M. No.056060 
For S. K. Mittal & Co. Chartered Accountants FRN:001135N  (S. K. Mittal) Partner M. No.008506 	For N B S & Co. Chartered Accountants FRN:110100W  (Pradeep J Shetty) Partner M. No.046940 	For KASG & Co. Chartered Accountants FRN:002228C  (R. K. Agarwal) Partner M. No.073063 

Place: Mumbai
Date: 13th May 2013